

"यज्ञपि भारत के राजा महाराजा देश में अंग्रेजों के आने के पूर्व भी विलमान थे, तथापि यह एक नम्न सत्य है कि वे आज केवल मात्र अंग्रेजों की सरदारी पर टिके हुये हैं। वे एक माझ्जाज्ज्यवादी तात्पत्र की देते हैं, पौर उनकी धोरी नी नाराजगी भी उनकी नारी संस्था को ताम के पत्ते की तरह टाट मरनी है।"

—महात्मा गांधी
2-8-1942

"अहो अबता दर भीरम एक्सानार लिये जाते हों, जारी की कुंकुम पश्ची नक मैमर की जाती ही, उन रियात के जागक दमान नहीं देखान है।"

—जवाहरलाल नेहरू
31-12-1945

प्रस्तुताबन्ना

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी अपनी स्वापना के 16 वर्ष पूरे करके 15 जुलाई, 1985 को 17वें वर्ष में प्रदेश कर चुकी है। इन अधिकारियों में विश्व साहित्य के विभिन्न विद्यार्थी ते उत्कृष्ट ग्रन्थों के हिन्दी अनुवाद तथा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर के दीनिक ग्रन्थों को हिन्दी में प्रकाशित कर अकादमी ने हिन्दी जगत् के शिक्षकों, छात्रों एवं ग्रन्थ पाठकों की मेवा करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है और इस प्रकार विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी में शिधण के मार्ग को नुगम बनाया है।

अकादमी की नीति हिन्दी में ऐसे ग्रन्थों का प्रकाशन करने की रही है जो विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अनुकूल हों। विश्वविद्यालय स्तर के ऐसे उत्कृष्ट मानक ग्रन्थ जो उपयोगी होते हुए भी पुस्तक प्रकाशन की व्यावसायिकता की दीड़ में अपना नमूचित स्थान नहीं पा सकते हों और ऐसे ग्रन्थ भी जो अंग्रेजी की प्रतियोगिता के नामने टिक नहीं पाते हों, अकादमी प्रकाशित करती है। इस प्रकार अकादमी ज्ञान-विज्ञान के हर विषय में उन दुर्लभ मानक ग्रन्थों को प्रकाशित करती रही है और करेंगी जिनको पाठ्यक्रम हिन्दी के पाठ्यक्रमान्वित ही नहीं गौरवान्वित भी हो सके। हमें यह कहते हुए हर्ष होता है कि अकादमी ने 325 से भी अधिक ऐसे दुर्लभ और महत्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रकाशन किया है जिनमें से एकाधिक केन्द्र, राज्यों के बोर्डों एवं ग्रन्थ संस्थाओं द्वारा पुरकृत किये गये हैं तथा अनेक विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसंसित।

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी को अपने स्वापना-काल से ही भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय से प्रेरणा और सहयोग प्राप्त होता रहा है तथा राजस्थान सरकार ने इसके पलबन में महत्वपूर्ण नूमिका निर्भाई है, अतः अकादमी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में उक्त सरकारों की नूमिका के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है।

प्रस्तुत पुस्तक 'राजस्थान में स्वतंत्रता-संग्राम' में राजस्थान की जनता का आजादी की नड़ाई में योगदान का मूल्यवान एवं रोचक वर्णन है। पुस्तक एम. ए. इतिहास के छान्नाध्यापकों के लिए ही उपयोगी नहीं है बल्कि सामान्य जनसमूदाय के लिए भी ज्ञान-वर्द्धक एवं रुचिकर सिद्ध होगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है।

हम इसके लेखक श्री वी. एल. पानगढ़िया, विषय सम्पादक प्रो. शंकरसहाय सक्सेना भाषा-सम्पादक नूत्री उपा भार्यव एवं आवरण के चित्रकार श्री मोहन शर्मा के प्रति प्रदत्त सहयोग हेतु आभार प्रकट करते हैं।

हरिदेव जोशी

अध्यक्ष, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
एवं
मुख्य मन्त्री, राजस्थान सरकार, जयपुर

डॉ. राघव प्रकाश

निदेशक
राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
जयपुर।

प्राक्कथन

भारत की भूतपूर्व प्रधानमन्त्री स्व. श्रीमती इन्दिरागांधी विद्वानों और सेक्षकों के सम्मेलनों में अक्सर कहा करती थी कि इतिहास की ऐसी पाद्यपुस्तकों लिखी जानी चाहिये जो हमारे विद्यायियों को देश के स्वतन्त्रता-संग्राम की कहानी सही-सही बता सके। मार्च, 1983 में मेरी पुस्तक “राजस्थान का इतिहास” का विमोचन करते समय भी उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या उक्त पुस्तक में मैंने राजस्थान में हुए स्वतन्त्रता-आन्दोलन का विवरण शामिल किया है? जब मैंने उनके प्रश्न का उत्तर ही में दिया तो वे बड़ी प्रसन्न हुएं। मैंने उसी समय संकल्प कर लिया था कि मैं देश के स्वतन्त्रता-संग्राम में राजस्थान के योगदान पर एक अलग से पुस्तक लिखूँगा। श्रीमती गांधी की प्रेरणा से लिखी गयी वह पुस्तक उसी संकल्प का परिणाम है।

साधारणतया हमारे स्वतन्त्रता-संग्राम की कहानी सन् 1857 के विद्रोह से शुरू होती है और 15 अगस्त, 1947 की भव्यतानि पर समाप्त हो जाती है, जबकि देश ब्रिटिश-सत्ता के पंजे से मुक्त हुआ था। पर इत्यासती भारत में स्वतन्त्रता-संग्राम धोड़ा और लम्बा चला। वहाँ इस संग्राम का अन्तिम पटाकेप राजा महाराजाओं और नवाबों की वंश परम्परागत संस्था की समाप्ति पर हुआ। जहाँ तक राजस्थान का प्रश्न है, स्वतन्त्रता-संग्राम की समाप्ति की तिथि 7 अप्रैल, 1949 मानी जानी चाहिये जबकि वृहत् राजस्थान का निर्माण हुआ और प्रदेश में राजा महाराजाओं के निरंकुश शासन के स्थान पर लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई।

सन् 1857 से 1949 के काल में राजस्थान की रियासतों की जनता द्वारा देश के स्वतन्त्रता-संग्राम में दिये गये योगदान का विवरण यथात्त्व देखने को मिलता है। श्री नायूराम खड़गावत ने अपनी पुस्तक ‘राजस्थान्स रोल इन दी स्ट्रॉगल आँफ 1857’ में स्वतन्त्रता के प्रथम युद्ध में राजस्थान की नूमिका पर भली-भांति प्रकाश ढाला है। श्री हीरालाल शास्त्री की आत्म-कथा ‘प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र’ में जयपुर राज्य में नागरिक अविकार और उत्तरदायी जरकार की मांग को लेकर हुये जन आन्दोलनों का आभास मिलता है। श्री जयनारायण व्यास के संस्मरण क्रमिक रूप में ‘व्यास जी की कहानी उन्हों की जुबानी’ नामक शीर्षक से उनके पुनर् स्व. श्री देवनारायण व्यास द्वारा संपादित साप्ताहिक पत्र ‘प्रेरणा’ में प्रकाशित हुये हैं। इन संस्मरणों में सन् 1921 से सन् 1942 तक जोधपुर राज्य में हुये जन-आन्दोलनों का विस्तृत विवरण मिलता है। प्रो. शंकरसहाय सक्सेना ने श्री माणिक्यलाल वर्मा की दैनिक डायरियों व अन्य लोकों से संकलित सामग्री के आधार पर वर्माजी का जीवन-चरित्र ‘जो देश के लिये जिये’ नाम से लिखा है। इस पुस्तक में विजोलिया के किसान आन्दोलन से लगा कर संयुक्त राजस्थान के निर्माण तक मेवाड़ में हुये जन-आन्दोलनों का व्यौरा मिलता है। श्री गोकुल भाई भट्ट और

viii/राजस्वान में स्वतन्त्रता संग्राम

वर्षों बाद स्वतन्त्रता सेनानी श्री रामनारायण चौधरी के संस्थरण भी समाजार-पत्रों में प्रकाशित हुये हैं जिनमें राजस्वान में हुये विभिन्न जन-भान्दोलनों की भलक देखने को मिलती है। श्री गुरुनेत्र जीजी ने, जो इवं एक स्वतन्त्रता सेनानी थे, न् 1973 में 'राजस्वान के स्वतन्त्रता-नंग्राम के सेनानी' नामक ग्रन्थ प्राप्ति कर प्रदेश की विभिन्न रियासतों के जन-प्रान्दीलोनों में भाग 'नेत्रेवाले 500 से अधिक देशभक्तों की समृद्धि को चिरचर्यावारी बना दिया है। इन नव प्रयत्नों के बावजूद वह एक कठु जट्ट है कि देश के प्राजाद हीने के 38 वर्ष बीत जाने के बाद भी राजस्वान की विभिन्न रियासतों में हुये जनप्रान्दीलोनों के सम्बन्ध में अभी तक कोई एकीकृत पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। इस निपति में यदि प्रमुख पुस्तक इस गती की फिल्मोग्राफ भी पूर्ति करती है तो मैं अपने अम को नफल मानूँगा।

आजादी के पूर्व राजस्वान में हीटी वडी 20 रियासतें थीं इनमें लावा जैसी रियासत भी थी जिसका धोषफल केवल 30 वर्ग कि. मी. था तो जोधपुर जैसी वही रियासत भी भी जिसका धोषफल 60,000 वर्ग कि. मी. था। प्रिटिश सरकार ने अपने दिनों की रक्षा के अन्याया इन रियासतों को नभी कुछ करने की छूट दे रखी थी। वह रियासतों के यान्त्रिक प्रशासन में सार्वभोग वर्ता के स्थान में तभी दरगत देती थी जबकि उसके न्यून के दिनों को घाँस पहुंचती थी। इन रियासतों के वंशावल्यरागत शासक परती रियासा के निये तिनी तानाशाह में रम नहीं थे। नागरिक स्वतन्त्रता का इन रियासतों में नामोनिशान नहीं था। देश की स्वतन्त्रता के निये प्रिटिश भारत में न् 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी स्थापित हो चुकी थी। परं राजस्वान की रियासतों में इन प्रकार के गंगठनों की विधिवृत्ति पुराणा 53 वर्ष बाद न् 1938 में हुई। रियासतों से यीज आपने भे चुकिम सीमाएं बनी हुई थी। अतः इन रियासतों में हुये विभिन्न सामाजिक, सामिक एवं राजनीतिक प्रान्दीलोनों में तिनी प्रकार का नमनाय थोर गामंदरम नहीं था। यहां राजनीतिक गंगठन भी भिन्न-भिन्न नाम गे और भिन्न-भिन्न गमन पर रहे। कुछ रियासतों में वे मंगठन प्रदामण्डन गत्याते थे कुछ में नोन-परिषद् रियासा प्रदामण्डित। कठीं ये मंगठन न् 1938 में रहे तो पही न् 1945-46 में और कठी-राठी तो मेंट्र भे राष्ट्रीय गवाहार यन्मे के भी बाद।

नी लड़ना पढ़ा। कहते की आवश्यकता नहीं कि रियासती जनता को अपनी इन जदौजहृद में कांग्रेस और उनके जीर्यस्य नेता दान गंगाधर निनक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार बलभ भाई पटेन आदि ने नमद-नमय पर मार्गदर्जन और प्रेरणा भिजाती रही।

— प्रगत उठता है कि क्या त्रिटिय जामन-कान में राजस्वान की रियासतों में हुये विभिन्न प्रकार के आन्दोलन हमारे स्वतन्त्रता-संग्राम के अग माने जाने चाहिये? इसका उत्तर हाँ मे है। रियासती जनता के लिये स्वतन्त्रता का अर्थ त्रिटिय भारत की तरह केवल त्रिटिय-जामन के अन्त तक ही सीमित नहीं था वरन् उसमें राजाओं की निरंकुश सत्ता एवं सामन्ती व्यवस्था से मुक्ति पाना भी जामिन था। अतः राजस्वान की रियासतों में लागवाग, बैठवेगार, सामन्तशाही, नागरिक स्वतन्त्रता अथवा उत्तरदायी सरकार की स्वापना आदि प्रजनों को नेकर जो भी आन्दोलन हुये वे निःसंदेह स्वतन्त्रता-संग्राम के अंग हैं।

उक्त परिप्रेक्ष्य में राजस्वान की विभिन्न रियासतों में हुये जन-आन्दोलनों का एकीकृत उत्तिहास निखने की नमस्या नचमुच कठिन हो जाती है। यही कारण है कि राजस्वान सरकार के 30 वर्षों के प्रयत्न के बावजूद भी उसे इन दिगों में अभी तक सफलता नहीं मिली है। किर भी मैंने नाहस बटोर कर इन दुर्व्व कार्य को समर्पित भावना में हाथ में लिया। राजस्वान में निकलने वाले प्रयम दैनिक 'लोकवाणी' के संपादक मण्डल के मदस्य और मेवाड प्रजामण्डल के मुख्य-पत्र प्रजामण्डल-पत्रिका के संपादक के नाते मेरा राजस्वान की विभिन्न रियासतों में हुये आन्दोलनों और उनके प्रमुख सूचनाएँ से निकट का सम्पर्क रहा था। मेवाड़ के उत्तरदायी जामन के आन्दोलन में मैंने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन कारण सुझे प्रस्तुत पुस्तक के लिये आवश्यक नामग्री जुटाने में बड़ी सहानुभाव दृष्टि हुई। मैंने प्रयत्न किया है कि प्रदेश की प्रत्येक छोटी अथवा बड़ी रियासत में हुये हर आन्दोलन का सही-सही चित्र पाठकों के सामने प्रस्तुत करें। मैंने यह भी प्रयत्न किया है कि इन आन्दोलनों में भाग लेने वाले प्रमुख कार्यकर्ताओं की सूमिका का सही-सही बगीचा करें। किर भी यस्मिन्दर से किसी रियासत में हुये आन्दोलन अथवा किसी कार्यकर्ता के साथ पूरा न्याय न हो पाया हो। पर मैं यहाँ यह विश्वास दिनाना चाहता हूँ कि यदि कही ऐसा हुआ है तो वह जान बूझकर नहीं वरन् नामग्री के उपलब्ध न होने के कारण ही हुआ है। यदि पाठकगण ऐसी किसी मूल की ओर मेरा व्यान दिलायेंगे तो सुझे पुस्तक के अगले संस्करण में अपनी गूग का परिमार्जन कर हार्दिक प्रसन्नता होगी।

मैंने राजस्वान की रियासतों में हुये विभिन्न आन्दोलनों का जो लेखा-जोखा इन पुस्तक में प्रस्तुत किया है, वह नियित व जवानी अनेक छोतों से एकत्रित किया है। सुझे कई बार एक ही घटना के सम्बन्ध में परम्पर विगेधी विवरण मिलते हैं। मैंने अपनी सहज बुद्धि के आधार पर ऐसी घटनाओं का टीक-टीक वर्णन पाठकों के सामने रखने का प्रयत्न किया है। यही कारण है कि कतिपय घटनाओं के छोतों का सन्दर्भ इस पुस्तक में देना सम्भव नहीं हुआ है। आशा है मेरी कठिनाई को समझ कर पाठकगण एवं सम्बन्धित व्यक्ति मेरी इस घृष्णता को धमा करें।

॥/राजस्वान में स्वतंत्रता संग्राम

पुस्तक लौ धनाई में कुछ अचुदिगां मेरे ध्यान में आई हैं। उनका शुद्धि-पद इस पुस्तक के अन्त में दिया गया है। इनी तरह राजस्वान के स्वतंत्रता-संग्राम से सम्बन्धित कुछ नदृत्यांगों नामधी के साथ ही साथ गहीदों की सूची एवं राजस्वान के स्वतंत्रता-संग्राम का एक कलेष्टर पुस्तक के परिचय के रूप में जीड़ दिये गये हैं। आशा है पाठ्यगण इन प्रतिरिक्त नामधी से जाभान्वित होंगे।

मैं यहीं राजस्वान के प्रतिमाणानी मुद्रमन्त्री श्री हस्तिवजी जोशी के प्रति ध्याना दर्शित आनार प्रकट करना चाहूँगा, जिनकी व्यक्तिगत दिलचस्पी एवं प्रोत्ताहन के बिना उन पुस्तक का कांप्रेस शासाधी नमारोह के अवसर पर प्रकाशित होना सम्भव नहीं होता। जोशी जी न्यवं स्वतंत्रता-संग्राम के प्रमुख सेनानी रह चुके हैं। अतः इस प्रकार के प्रकाशन में उनकी दिलचस्पी होना स्वानामिक था।

ये राजस्वान तिर्यकी अन्य अकादमी के निदेशक डॉ. राघव प्रकाश का नी मुबगुजार हैं जिन्होंने पुस्तक के नामदिक प्रकाशन में कोई कसर उठाकर नहीं रखी। यदि अकादमी पुस्तकों के प्रकाशन में इनकी ती तत्त्वता दिग्नाती रही तो मुझे कोई सन्देह नहीं है कि राजस्वान के मुतोंपर जैरह और यित्तान अकादमी की ओर अधिक से अधिक आकर्षित होंगे।

□ वी. एल. पानगढ़िया

विषय-सूची

1.	राजस्थान भीगोलिक दृष्टि से	1
2.	राजस्थान का शीर्यपूर्ण इतिहास	3
3.	राजाओं का अयःपतन	6
4.	प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम	8
5.	सरस्वत क्रांति के प्रयत्न	13
6.	राजस्थान में किसान आन्दोलन	17
7.	जन जातियों के आन्दोलन	
(i)	भीलों के आन्दोलन	29
(ii)	मीणों का आन्दोलन	31
8.	अन्य आन्दोलन	35
9.	राजाओं में निर्दिश विरोधी भावनाएँ	42
10.	राज्यों में राजनीतिक संगठनों की स्थापना	45
11.	“भारत-चौड़ो” आन्दोलन	58
12.	स्वाधीनता संग्राम का अन्तिम चरण	70
13.	स्वाधीनता संग्राम और ग्रजमेर	96
14.	राजस्थान का निर्माण और राजशाही की विदाई	100
15.	परिशिष्ठ	
(i)	‘चेतावनी के त्रुंगठिये’ (डिग्ल अनुवाद सहित)	122
(ii)	हॉलेंड का महाराणा फतहसिंह को पत्र (अंग्रेजी से हिन्दी में रूपान्तर)	125
(iii)	पं. हीरालाल शास्त्री का सर मिर्जा इस्माइल को पत्र (अंग्रेजी) 127	
(iv)	सर मिर्जा इस्माइल का श्री शास्त्री को उत्तर (अंग्रेजी) 130	
(v)	लॉर्ड माउण्टवेटन के 11 अगस्त, 1947 के ज्ञापन के अंश (अंग्रेजी में) 131	
(vi)	राजस्थान के शहीदों की सूची । 134	
(vii)	राजस्थान में स्वतन्त्रा संग्राम—तिथि-क्रम 136	
(viii)	राजस्थान राज्य का निर्माण—(घटनाचक्र) 154	
(ix)	सन्दर्भ ग्रन्थों की सूची 156	
(x)	अनुक्रमणिका 158	
(xi)	शुद्धि-पत्र 166	

चित्र-सूची

1. प्रेरणास्त्रोत श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ लेखक
2. राजस्थान में जन-जाग्रति के अग्रदूत
 1. श्री अर्जुन लाल सेठी
 2. श्री केसरी सिंह वारहठ
 3. ठाकुर गोपाल सिंह खरवा
 4. श्री विजय सिंह पथिक
3. राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम के कर्णधार
 1. श्री जय नारायण ब्रास
 2. श्री माणिक्य लाल वर्मा
 3. श्री हीरलाल शास्त्री
 4. श्री हरभाऊ उपाध्याय
4. पं. नेहरू के सम्मान में महाराजा जयपुर द्वारा गार्डन पार्टी
5. चार अमर शहीद
 1. श्री प्रताप सिंह वारहठ
 2. श्री सागर मल गोपा
 3. भीन कन्धा काली बाई
 4. श्री नाना भाई याट
6. संयुक्त राजस्थान का निर्माण : महाराव कोटा एवं महाराणा उदयपुर राजप्रभुओं के पद की शपथ लेते हुए
7. उत्तर प्रदेश मन्त्री नरदार पटेल और संयुक्त राजस्थान, उदयपुर का मन्त्रिमण्डन
8. 1. पं. नेहरू श्री माणिक्य लाल वर्मा को संयुक्त राजस्थान के प्रधान मन्त्री पद की शपथ दिनाते हुए
 2. नरदार पटेल महाराजा जयपुर को वृहत् राजस्थान के राज प्रमुख के पद की शपथ दिनाते हुए
9. दूर्ज राजस्थान राज्य का प्रथम मन्त्रिमण्डन

राजस्थान—भौगोलिक दृष्टि से

राजस्थान का पतंगाकार राज्य 23° से 30° अक्षांश और 69° से 78° देशान्तर के बीच स्थित है। इसके उत्तर में पाकिस्तान, पंजाब और हरियाणा, दक्षिण में मध्य-प्रदेश और गुजरात, पूर्व में उत्तर-प्रदेश और मध्य-प्रदेश एवं पश्चिम में पाकिस्तान है।

सिरोही से अलवर की ओर जाती हुई 480 कि. मी. लम्बी अरावली पर्वत शृंखला प्राकृतिक दृष्टि से राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। राजस्थान का पूर्वी सम्भाग शुरू से ही उपजाऊ रहा है। इस भाग में वर्षा का औसत 50 से. मी. से 90 से. मी. तक है। राजस्थान के निर्माण के पञ्चात् चम्बल और माही नदी पर बड़े-बड़े बांध और बिद्युत घृह बने हैं, जिनसे राजस्थान को सिचाई और विजली की सुविधाएँ उपलब्ध हुई हैं। अन्य नदियों पर भी मध्यम श्रेणी के बांध बने हैं, जिनसे हजारों एकड़ सिचाई होती है। इस भाग में ताम्बा, जस्ता, अन्नक, पन्ना, धीया-पत्थर और अन्य खनिज पदार्थों के विशाल भण्डार पाये जाते हैं।

राज्य का पश्चिमी सम्भाग देश के नवां बड़े रेगिस्तान “वारपरकर” का भाग है। इस भाग में वर्षा का औसत 12 से. मी. से 30 से. मी. तक है। इस भाग में लूनी, बांडी आदि नदियाँ हैं, जो वर्षा के कुछ दिनों को छोड़कर प्रायः सूखी रहती हैं। देश की स्वतन्त्रता के पूर्व बीकानेर राज्य गंग नहर द्वारा पंजाब की नदियों से पानो प्राप्त करता था। स्वतन्त्रता के बाद राजस्थान इण्डस वेसिन की रावी और व्यास नदियों के 52·6 प्रतिशत पानी का भागीदार बन गया। उक्त नदियों का पानी राजस्थान में लाने के लिए सन् 1958 में राजस्थान नहर (अब इन्द्रिरा गंगी नहर) की विशाल परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना पर 1,300 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। यह योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरी होगी। परियोजना के अन्तर्गत मुख्य नहर 649 कि. मी. और वितरिकाएँ 9,000 कि. मी. होंगी। परियोजना की कुल सिचाई क्षमता 15 लाख हैक्टर होगी। इससे लगभग 37 लाख टन वाष्पिक खाद्यान्न उत्पन्न होगा। सन् 1984-85 के अन्त तक मुख्य नहर 615 कि. मी. और वितरिकाएँ 3,300 कि. मी. पूरी हो चुकी हैं। इस नहर से इस समय लगभग 4·5 लाख हैक्टर भूमि सिचाई होनी शुरू हो गई है। इस सिचाई योजना के फलस्वरूप वारपरकर का महान रेगिस्तान बीरे-बीरे झस्य-श्यामला भूमि में परिवर्तित हो जायेगा और देश का बहुद अनाज भण्डार बन जायेगा। इस नहर से जोधपुर, बीकानेर आदि नगरों के अलावा रेगिस्तान में स्थित अनेक गाँवों को पेयजल भी उपलब्ध होगा।

2/राजस्वान में स्वतन्त्रता संग्राम

इण्डिस वेसिन की नदियों पर बनाई जाने वाली जल विद्युत योजनाओं में भी राजस्वान भागीदार है। इसे इस समय भाखरा-नांगल और अन्य योजनाओं से पथेट्ट विजली प्राप्त होती है, जिससे राजस्वान के क्षुपि एवं श्रीचौगिक विकास में भरपूर सहायता मिलती है। राजस्वान नहर परियोजना के अलावा इस भाग में जबाई नदी पर निर्मित एक बड़ा बांध है, जिससे न केवल विस्तृत क्षेत्र में सिचाई होती है, बरन् जोधपुर नगर को पेयजल भी प्राप्त होता है। यह सम्भाग अभी तक श्रीचौगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। पर इस क्षेत्र में ज्यों-ज्यों विजली और पानी की सुविधायें बढ़ती जायेनी, श्रीचौगिक विकास भी गति पकड़ लेगा। इस भाग में लिरनाइट, फुलसंबर्य, टंगस्टन, बैंटोनाइट, जिल्लम, संगमरमर आदि सनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। जैसलमेर क्षेत्र में तेज और गैस 'मिलने की सम्भावनाएँ' हैं। अब वह दिन दूर नहीं है जब कि राजस्वान का यह भाग भी समृद्धिशाली बन जायेगा।

राज्य का धोकफल 3·42 लाख वर्ग कि. मी. है। धोकफल की दृष्टि से यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। सन् 1981 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 3·41 करोड़ है, जिसमें से पुरुष 1·77 करोड़ और स्त्रियां 1·64 करोड़ हैं। अनुसूचित और जनजातियों की संख्या कमशः 58 लाख और 42 लाख है। राज्य में जनसंख्या का घनत्व केवल 100 व्यक्ति प्रति कि. मी. है, जो भारत के पहाड़ी राज्यों को द्योढ़ कर सबने कम है। राज्य में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 11, अन्य नगरों और कस्बों की संख्या 146 और गांवों की संख्या 3575 है।

राज्य की राजधानी जयपुर है, जिसकी आवादी 10 लाख से अधिक है। राज्य का सचिवालय और राज्य स्तर के लगभग सभी विभाग राजधानी में स्थित हैं, पर राजन्य मण्डल अजमेर में है। इसी तरह उच्च न्यायालय जोधपुर में है, पर उसकी एक शाखा जयपुर में है।

प्रशासन की दृष्टि से राज्य 27 जिलों में बंटा हुआ है। स्वायत्त शासन के निए नगरों और कस्बों में नगरपालिकायें एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये ग्राम-पंचायतें, तहनीन-पंचायतें और जिला परिषदें बनी हुई हैं। राज्य में नड़कों की संख्या लगभग 50,000 ति. मी. है। राज्य की कुल विद्युत धरधिष्ठापित क्षमता 1,714 मेगावाट है। सन् 1983-84 के अंतर्द्वारे के अनुसार राज्य की वाधिक ग्राम्य पैदावार लगभग 1 करोड़ मीट्रिक टन है। राज्य की अन्य प्रमुख पैदावार कपास, गेहूं एवं तिलहस है। राज्य में एम नमदी एंटे-बढ़े लगभग 7,500 कारगाने हैं, जिनमे ट्रैक्टराइन, चीनी, सीमेन्ट, ग्राद, ताम्बे, और जस्ते के दृष्टि एन-पारगाने भी नमिनित हैं।

राजस्थान का शौर्यपूर्ण इतिहास

देश की आजादी के पूर्व राजस्थान मात्र एक भागोनिक अभिव्यक्ति था। उनमें केन्द्र जानित प्रदेश अजमेर के अतिरिक्त 19 देशी रियासतें थीं। इन रियासतों में उदयपुर, झूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और जाहपुरा में गुह्यिन, जोधपुर, वीकानेर और किशनगढ़ में राठीड़; कोटा और बन्दी में हाड़ा-चौहान, निरोही में देवढ़ा चौहान, जयपुर और अलवर में कछवाहा, जैनलमेर और करीली में यदुवंशी एवं भालावाड़ में भाला राजपूत राज्य करते थे। टोंक में मुक्तलमानों एवं भरतपुर तथा धोलपुर में जाटों का राज्य था।

राजस्थान के शार्य का वर्णन करते हुए मुप्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टॉड ने अपने ग्रंथ “अनाल्स एण्ड एन्टीकवीटीज ऑफ़ राजस्थान” में कहा है—“राजस्थान में ऐना कोई राज्य नहीं जिसकी अपनी घर्मोपनी न हो और ऐना कोई नगर नहीं, जिसने अपना लियोनिडान पैदा नहीं किया हो।” टॉड का यह कथन न केवल प्राचीन और मध्य युग में वरन् आधुनिक काल में भी इतिहास की कमीटी पर खरा उत्तरा है। 8वीं शताब्दी में जालौर के प्रतिहार और मेवाड़ के गहलोत अरब आक्रमणों की बाढ़ को न रोकते तो सारे भारत में अरबों की तूनी बोलती नज़र आती। मेवाड़ के रावल जैत सिंह ने सन् 1234 में दिल्ली के सुल्तान अल्तुनमित और सन् 1237 में सुल्तान बलबन को करारी हार देकर अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा की। सन् 1303 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना के साथ मेवाड़ की राजधानी चिर्ताड़ पर हमला किया। चिर्ताड़ के इस प्रथम शाके में हजारों बीर-बीरांगनाओं ने माछनूमि की रक्षा हेतु अपने आपको न्यौद्धावर कर दिया, पर खिलजी किले पर अधिकार करने में सफल हो गया। इस हार का बदला सन् 1326 में राणा हमीर ने चुकाया, जबकि उसने खिलजी के नुमायन्दे माल-देव चौहान और दिल्ली के सुल्तान मुहम्मद तुगलक की विशाल सेना को हरा कर चिर्ताड़ पर पुनः मेवाड़ की पताका फहराई।

15 वीं शताब्दी के मध्य में मेवाड़ का राणा कुम्भा उत्तरी भारत में एक प्रचण्ड शक्ति के रूप में उभरा। उसने गुजरात, मालवा और नारीर के सुल्तानों को अलग-अलग और संयुक्त रूप से हराया। सन् 1509 में राणा सांगा ने मेवाड़ की बागडोर सम्भाली। सांगा बड़ा महत्वाकांक्षी था। वह दिल्ली में अपनी पताका फहराना चाहता था। सारे राजस्थान पर अपना वर्चन्व स्थापित करने के बाद उसने दिल्ली, गुजरात और मालवा के सुल्तानों को संयुक्त रूप से हराया। सन् 1526 में फहराना के शामक उभरणेवा मिर्जा के पुत्र बावर ने पानीपत के मैदान में सुल्तान इआहिन लोदी को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। सांगा को विजयास था कि बावर भी अपने पुर्वज तैमूर लंग की

4/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

बावर की भाँति लट्ट-खसोट कर अपने बतन को लौट जायेगा, पर सांगा का श्रमुमान गलत सावित हुआ। यही नहीं बावर सांगा से मुकाबला करने के लिये आगरा से रवाना हुआ। सांगा ने भी समूचे राजस्थान की सेना के साथ आगरा की ओर कूच किया। बावर और सांगा की पहली भिड़न्त बयाना के निकट हुई। बावर की सेना हार कर भाग खड़ी हुई। बावर ने सांगा से सुलह करनी चाही। पर सांगा आगे बढ़ता ही गया। तारीख 17 मार्च, 1527 को खानवा के मैदान में दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ। मुगल सेना के एक धार तो छूट गये। पर इसी दीच देश के दुर्भाग्य से सांगा के सिर पर एक तीर लगा, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसे युद्ध क्षेत्र से हटा कर बसवा ले जाया गया। इस दुर्घटना के साथ ही लड़ाई का पासा पलट गया। बावर विजयी हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डालने में वह सफल हो गया। स्पष्ट है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना में पानीपत का नहीं बरन् सानचा का युद्ध निर्णायक था।

खानवा के युद्ध ने मेवाड़ की कमर तोड़ दी। यही नहीं वह वर्षों तक गृह-कलह का शिकार बना रहा। अब राजस्थान का नेतृत्व मेवाड़ के शिंघोदियों के हाथ से निकल फर मारवाड़ के राठीड़ मालदेव के हाथ में चला गया। मालदेव सन् 1553 में मारवाड़ की गही पर बैठा। उसने मारवाड़ राज्य का भारी विस्तार दिया। इस समय शेरशाह सूरी ने बावर के उत्तराधिकारी हुमायूँ को हरा कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। शेरशाह ने राजस्थान में मालदेव की वक्ती हुई शक्ति को देखकर मारवाड़ पर प्राक्रमण कर दिया। राठीटों ने अजमेर के निकट नुमेल गांव में शेरशाह की सेना के ऐसे दांत रट्टे दिये कि एक बार तो शेरशाह का होमला पस्त हो गया। परन्तु अन्त में शेरशाह छल-कपट के जीत गया। किर भी उसे मारवाड़ से लौटते हुए यह कहने के लिये मजबूर होना पड़ा—“रीर हृष्ट-वरना मुझी भर बाजरे के लिए मैं हिन्दुस्तान की सल्तनत स्व देता।”

सन् 1555 में हुमायूँ ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। पर वह अगले ही वर्ष मर गया। उसके ह्यान पर अबावर बादशाह बना। उसने मारवाड़ पर शासनमण्ड कर प्रजमेर, जैनारण, मेड़ना आदि इनके छीन दिये। मालदेव स्वर्वं 1562 में मर गया। उसकी मृत्यु के नाथ ही नाथ मारवाड़ का सितारा अस्त हो गया। सन् 1587 में भानुदेव के पुत्र मोटा राजा उदयनिंद ने अपनी लड़की माना बाई का विवाह घटजादि मनोम से कर प्रपने आपको पूर्ण-हृषेण मुगल नाम्राज्य को नमस्ति कर दिया। अजमेर के गद्याह, बीकानेर के राठीड़, जैनलमेर के भाटी, बूंदी के हाड़ा, निरोही के देवढ़ा और पन्न छोटे राज्य इनमें पूर्व ही मुगलों की अधीनता रखीकर कर दिये थे।

भानुदेव दी भारत विजय में देवन मेवाड़ का राणा प्रताप बापक बना रहा। परवर ने सन् 1576 से 1586 तक पूरी शक्ति के नाथ मेवाड़ पर कई आक्रमण किये। पर उमाया राणा प्रताप दी अधीन करने का मतोरप सिद्ध नहीं हुआ। न्यवं भानुदेव प्रताप दी ऐम-भक्ति और रिनेंजी ने इनका प्रभावित हुआ कि प्रताप के मरने पर उमाया दी हुई। पर एक ऐतिहासिक सत्त्वे ने देवन के स्वयम्भूत-संग्राम में प्रताप जींगे नर-पुरी के शीतल में दी द्रव्यमाण प्राप्त कर अनेक ऐमभक्त हृष्णतेर्तुन्ते विनिधी पर गए थे।

मानवाना प्रताप दी मृत्यु पर उनके उपराजितारी घमरकिर ने मुगल मस्तान अमानिर में नियंत्रण कर ली। उनके उपराजितारी पाठी दुर की मुगल दरबार में भैरवा रथीकार

राजस्थान का शौर्यपूर्ण इतिहास/5

कर लिया। इस प्रकार 900 वर्ष वाद मेवाड़ की स्वतन्त्रता का भी अन्त हुआ। मुगल-काल में जयपुर, जोधपुर, वीकानेर और राजस्थान के अन्य राजाओं ने मुगलों के साथ फैले से कन्वा मिलाकर मुगल साम्राज्य के विस्तार और रक्षा में महत्वपूर्ण भाग अदा किया। साम्राज्य की उत्कृष्ट सेवाओं के फलस्वरूप उन्होंने मुगल दरबार में वडे-वडे औहदे, जागीरें और सम्मान प्राप्त किये।

राजाओं का अधिकार

सन् 1548 में पुर्तगाल निवासी बास्को-डि गामा ने भारत की खोज की और उसके साथ ही यूरोपीय देशों के लिये भारत से व्यापार करने के द्वारे खुल गए। पहले पुर्तगाली भारत में आये और उनके बाद छच। उनकी देखा-देखी सन् 1599 में लन्दन के व्यापारियों ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना की। उक्त कम्पनी ने सन् 1601 में भारत से व्यापार करना शुरू किया। सन् 1612 में कम्पनी ने मुगल सम्राट जहांगीर से कतिपय नगरों में व्यापार करने का फरमान प्राप्त कर लिया। सन् 1616 में ईंग्लैण्ड के बादशाह जेम्स प्रथम ने ग्रपने राजदूत सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेज कर ईंट इण्डिया कम्पनी की स्थिति सुझ कर ली। शाहजहाँ के राज्यकाल में कम्पनी ने व्यापार में कई रियायतें हासिल कीं। उसने बंगाल, मद्रास और बम्बई में ग्रपने ठिकाने स्थापित किये। उन बीच फ़ासिस्ती भी भारत में आ गये। उन्होंने भी अपनी नक्त बढ़ाना शुरू किया। इन प्रकार भारत कई यूरोपीय शक्तियों का अवृत्त बन गया।

सन् 1707 में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के तुरन्त बाद उनके लड़कों में उत्तराधिकार का नंदर्पण शुरू हो गया। साम्राज्य के नूबेदार विभिन्न सेंट्रों में बैट गये। मंदरपं में ग्रन्तिम विजय मोर्यजजम की हुई। वह बहादुरशाह के नाम पर मुगल सिंहाशन पर आमीन हुआ। पर गृह-युद्ध से देन्द्र कमजोर हो गया। उसके नूबेदार मनमानी करने लगे। हैदराबाद के निजामुल्लमुल्ल और बंगाल के मिरजुहीना ने अपने आपको स्वतन्त्र घोषित कर दिया। उधर बराठों ने अपनी जत्ति बढ़ाना शुरू किया। बाजीराब पेणवा के नायक ही नीता अब आगरा और दिल्ली ने छोड़े लगी। पेणवा की आज्ञा से होल्कर और मिनिया राजम्यान व मध्य भारत के राजाओं ने जीव बमूल करने लगे। उक्त दोनों भराठ राजाओं ने गिराविंहों की नाम दिलाया कि नाम राजम्यान वाही-माही करने लगा। 17 जुनाई, 1734 को बैराट के नहानापा जगत निह जी अधिकार ने राजम्यान के नभी राजा दुर्गा (भीनवाड़ा) नामक न्याय पर मिले। उन्होंने एक करार द्वारा मनहठो का संयुक्त रूप ने नामना करने पर निर्णय दिया। पर द्वारा ही राजी मुत्त भी नहीं पाई थी कि कतिपय राजा आपनी ईर्ष्या के काम कराव रखने अचल हो गए। जयपुर, जीतपुर, चीतानेर और गोदा के राजाओं ने अब मुगल सम्राट मुहम्मदशाह के नेतृत्व ने बराठों के विरुद्ध मौतिक अभियान दूस दिया जिनमें यानी दूद के लालक दरों अभियान नमूनत रहा।

इस अवधि भारत में ऐसी ने प्रारंभ की जो दो दोस्ती की गयी। १७५७ के बासी ने युद्ध में नवाद विचारपूर्वीयों को दूरा रख दिया के बासी दूर रहे। मद्रास और बराट में दोनों ने उत्तर जमा लिया गया। इस समय मद्रास और गिराविंहों ने अभियान और यूट्राट में भरा राजम्यान के द्वारा प्रभु-

राजाओं का अधः पतन/7

हिम्मत हो गये थे। वे अब लड़खड़ाती मुगल सत्त्वनत के भरोसे अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों के लिए राजस्थान एवं देश के अन्य राजाओं को अपने संरक्षण में लेने का यह एक स्वर्णिम अवसर था। लाडू हार्डिंगजे इस सम्बन्ध में आधित पार्वक्य (Subordinate Alliance) की नीति का एलान किया। हस नीति का पहला शिकार हैदराबाद का निजाम हुआ। राजस्थान में अंग्रेजों की प्रथम सन्धि नवम्बर सन् 1817 में करीली से हुई। इसके बाद केवल 14 माह के अल्प समय में सन् 1818 के अन्त तक राजस्थान की सभी रियासतों ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी से अलग-अलग सन्धियां कर मरहठों और पिण्डारियों के आक्रमणों से राहत की साँस ली। अंग्रेजों ने इसी काल में अजमेर का इलाका भी दौलतराम सिंहिया से प्राप्त कर लिया था।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी और राजस्थान की विभिन्न रियासतों के बीच हुए अहदनामे कहने मात्र को सन्धि-पत्र थे। राजाओं ने उक्त अहदनामों के फलस्वरूप अंग्रेजों को मरहठों को दी जाने वाली “चौथ” के स्थान पर “खिराज” देना स्त्रीकार कर लिया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने रियासतों की रक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और साथ ही उन पर पावन्दी लगा दी कि वे अन्य किसी रियासत के साथ किसी प्रकार की सन्धि या अहदनामा नहीं कर सकेंगे। अहदनामों में राजस्थान की अधिकतर रियासतों को अन्दरूनी मामलों में खुद मुख्तारी अर्थात् आन्तरिक स्वतन्त्रता दी गयी थी। पर इन अहदनामों की स्याही भी सूख नहीं पाई थी कि अंग्रेजों ने उक्त रियासतों के अन्दरूनी मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप शुरू कर दिया। जोधपुर के महाराजा मानसिंह को अपने लम्बे शासन-काल में पग-पग पर अंग्रेजों के हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा और अन्त में उन्हें अंग्रेजों के आगे अपने आपको निःसहाय पाकर साधु बन जाना पड़ा। जयपुर में महाराजा राम सिंह की नावालगी में रीजेण्ट महारानी ने अंग्रेजों की इच्छा के विपरीत भूंधाराम सिंगवी को अपना प्रधान मंत्री नियुक्त किया। उसकी परिणति राज्य के कई उच्चाधिकारियों एवं अन्य लोगों की फांसी में हुई। इन घटनाओं से राजस्थान के राजा किकन्स्ट्र्यू-विमूढ़ हो गये। वे अहदनामों में निहित आन्तरिक स्वतन्त्रता की शर्त को ही भूल गये। इस प्रकार देश की अन्य देशी रियासतों की तरह राजस्थान की रियासतों पर भी अंग्रेजों की सार्वभौमिकता स्थापित हो गयी। राजाओं के अधः पतन की यह चरम सीमा थी। जो अंग्रेज सौदागर की तरह इस देश में आये वे सर्व शक्तिमान शासक बन गये।

4

प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम-1857

तन् 1848 में लॉर्ड डलहोजी भारत का गवर्नर-जनरल होकर आया। उसने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार हेतु एक नये सिद्धान्त “डॉक्टरिन ऑफ़ लेप्सेज” का प्रतिपादन किया। इस सिद्धान्त के अनुसार यदि कोई राजा या नवाब निःसन्तान भर जाता तो उसकी रियासत जब्त की जाकर उसे निटिश-भारत का अंग बना दिया जाता। इस नीति के फलस्वरूप सतारा, भाँसी, नागपुर, अबध, कर्नाटक आदि रियासतें अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गईं। देशी राज्यों के शासकों में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई जो तन् 1857 की संस्कृतिक क्रान्ति (गदर) के समय सामने आयी।

10 मई, 1857 को भेरठ की छावनी में भारतीय सेना ने विद्रोह कर देश में द्रान्ति का विगुल बजाया। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार कई देशी राज्यों के शासकों एवं अन्य राष्ट्रीय नवाजियों ने अन्तिम मुगल मन्त्रालय बहादुरशाह “जफर” के नेतृत्व में भारत से अंग्रेजी नस्ता को उगाढ़ फेंकने के लिये शस्त्र उठाये। अंग्रेजों से देश को स्वतन्त्र करने की दिशा में यह पहला बड़ा प्रयत्न था। इसी कारण इस द्रान्ति यो भारत की स्वतन्त्रता का प्रथम युद्ध बहा जाता है। दुर्भाग्य से राजस्वान के अधिकांश राजाओं ने राष्ट्रीय नवाजियों का नाम न देकर अंग्रेजों की सहायता की। इसका कारण उनका यह विश्वास था कि अंग्रेजी शानन की बदौलत ही उन्हें मरहटों, पिण्डारियों और उनके स्वयं के जानीरदारों में राहत मिली है।

बीरानेर जा महाराजा मर्कारनिहू गदर में अंग्रेजों को नषायता देने में अग्रणी था। यह राज्य की सेना के 5,000 पुष्टनवार थीर देवल लेकर पंजाब के टांगी, निरमा थोर टिनार जिनों में पहेन गया, जर्ज भारतीय सेना की दुर्काणीय विद्रोह में मासिल हो गयी थी। दाटनू नामक स्वान पर बीकानेर नी सेना का विद्रोहियों में उड़ा मुकायना दृष्टा, जिसने द्रिंगियों दो मात्र लानी पढ़ी। पर बीरानेर की सेना की भी भारी धति उठानी पड़ी। उनके दर्द परिचारी व सैनिक सेन रहे। राजन्यान के राजाओं ने बीकानेर दी ऐसा सर्विजा राज्य था जो का प्राप्तक अद्यर्थ भी अंग्रेजों की नषायता द्वारा दिया गया। मराठाजा की इन नेवायों में प्रमाण देकर पंथ्रेज मराठा ने बीरानेर दो टीकी परम्परे के 41 गोद दिये।

उद्युक्ते सरागाजा रामनिहू ने भी गदर के थोगत अंग्रेजों की सन, सत, पत में मराठा री, तिनों प्रस्तावन गदर के समा में अंग्रेज मराठा ने उद्युक्त राज्य—१ 156-56।

1. जी. राज्य—१ 156-56।
2. जी. राज्य—१ 156-56।

मेवाड़ के महाराणा सरूप सिंह ने अपनी सेना अंग्रेजों को सहायतार्थ नीमच भेजी। उस समय मेवाड़ की उक्त सेना में यह अफवाह फैल गयी कि सेना को दिये गये श्राटे में मनुष्यों की हड्डी का चूरा मिला दिया गया है। इससे सेना में विद्रोह की भावना भढ़क उठी। महाराणा ने अपने बकील को नीमच भेजा। उसने सेना के जवानों के सामने उस आटे की रोटियां बना कर खाई, तब कहीं जाकर सेना का क्रोध शान्त हुआ। महाराणा ने पोलीटिकल एजेन्ट और 40 अन्य अंग्रेज स्त्री-पुरुषों को अपने महल जग-मन्दिर में शरण देकर उनकी विद्रोहियों से रक्षा की।¹

मेवाड़ के चित्तोड़गढ़ जिले में नीम्वाहेड़ा टोंक के नवाब का इलाका था। वहाँ का हाकिम विद्रोहियों से मिल गया। इस विद्रोह को कप्तान सोवर्स ने मेवाड़ की सेना की सहायता से दबा कर नीम्वाहेड़ा का प्रशासन मेवाड़ राज्य को संरेप दिया। फरवरी, 1858 में विद्रोही नेता तातियां टोपे अपने पांच हजार सैनिकों के साथ मेवाड़ में घुस आया, पर मेवाड़ की सेना ने अंग्रेजी सेना की सहायता से उसे भगा दिया। देश में विद्रोह समाप्त होने के बाद अंग्रेजों ने नीम्वाहेड़ा पुनः टोंक के नवाब को संरेप दिया। इससे महाराणा को बड़ी निराशा हुई। उसे आशा थी कि गदर में उसके द्वारा वीं गयी सहायता के उपलक्ष में नीम्वाहेड़ा मेवाड़ को दे दिया जाएगा, पर उसे केवल “खिलत” से ही संतोष करना पड़ा।²

गदर में वांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह की सहानुभूति अंग्रेजों के साथ थी। तातियां टोपे ने 11 दिसम्बर, 1857 को वांसवाड़ा को घेर लिया और उस पर अधिकार कर लिया। महारावल राजधानी छोड़ कर जंगलों में भाग गया। राज्य के सरदारों ने विद्रोहियों का साथ दिया। गदर की समाप्ति के बाद ही महारावल पुनः वांसवाड़ा लौट पाया।

डॉगरपुर के महारावल उदयसिंह द्वितीय ने गदर में अंग्रेजों की सहायता की। उसने खेरवाड़ा की छावनी के भील सैनिकों को विद्रोह में शामिल होने से रोका।

टोंक का नवाब बजीर खां गदर के दौरान अंग्रेजों के साथ था, पर उसकी सेना का एक बड़ा भाग विद्रोहियों से मिल गया। नवाब के मासा मीर आलम खां ने विद्रोहियों का साथ दिया। नवाब के वफादार सैनिकों ने आलम खां की हवेली को घेर लिया। मुठभेड़ में आलम खां मारा गया। उसकी जागीर जब्त कर ली गयी। पर टोंक के 600 विद्रोही सैनिक मुगल सभ्राट की सहायतार्थ दिल्ली पहुँचने में कामयाब हो गए। अगले वर्ष अर्थात् 1858 में तातिया टोपे बंदा के नवाब के साथ टोंक पहुँचा। टोंक के एक जागीरदार नासिर मुहम्मद खां ने टोपे का साथ दिया। बनास नदी के किनारे और अमीरगढ़ के किले के निकट विद्रोहियों और नवाब की सेना के बीच कई मुठभेड़ हुई। नवाब ने अपने को किले में बन्द कर लिया। विद्रोहियों ने नवाब के दीवान फैजुल्ला खां को पकड़ लिया। उन्होंने टोंक के तोपखाने पर अधिकार कर लिया और जेल एवं कोतवाली से कैदियों को मुक्त कर दिया। विद्रोहियों ने टोंक राज्य पर अपने शासन की घोषणा कर दी और नगर को लूट लिया। सूचना मिलने पर दिल्ली से भेजर ईडन एक

1. जगदीशसिंह गहलोत—राजपूताने का इतिहास—पृ. 279।

2. वही वही —पृ. 280।

10/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

बड़ी सेना लेकर टोक की ओर रवाना हुआ। विद्रोही टोक छोड़ कर नाथद्वारा की ओर चले गए।¹

अलवर के महाराजा बन्ने सिंह ने आगरा के किले में घिरे घिरे हुए अंग्रेजों को विद्रोही व वच्चों की जहायता के लिए अपनी सेना और तोपखाना भेजा। पर विद्रोहीयों ने अद्यन्तेरा के तिकट उक्त सेना को धेर लिया। अलवर की सेना के कई अफसर व सैनिक मारे गए।

गदर के दीरान भरतपुर में महाराजा जशवन्त सिंह के नावालिंग होने के कारण राज्य का शासन अंग्रेजी पोलिटिकल एजेंट के हाथ में था। अतः भरतपुर की सेना तांत्रिया टोपे का मुकाबला करने के लिये अंग्रेजी सेना की सहायतार्थ दोसा भेजी गयी। परन्तु राज्य के मेवों और गुर्जरों ने विद्रोहीयों का साथ दिया। फलस्वरूप राज्य में नियुक्त अंग्रेज अधिकारी भरतपुर छोड़ कर भाग गए। राज्य में ऐसा लगने लगा जैसे त्रिपुरा सत्ता समाप्त हो गयी हो। गदर शान्त होने के बाद ही पोलिटिकल एजेंट ने राज्य में पुनः अपना वर्चस्व स्थापित किया।²

धौलपुर का महाराजा भगवन्त सिंह अंग्रेजों का वफादार था। अबट्टवर, 1857 में खालियर और इन्द्रीर से लगभग 500 विद्रोही सैनिक धौलपुर राज्य में धुस ग्राए। राज्य की सेना और कई वरिष्ठ अधिकारी विद्रोहीयों से मिल गए। विद्रोहीयों ने दो घटीने तक राज्य पर अपना अधिकार बनाये रखा। दिसम्बर में पटियाला की सेना ने धौलपुर पहुंच कर विद्रोहीयों का सफाया किया। राज्य पर पुनः महाराजा का वर्चस्व स्थापित हुआ।³

फोली के महाराव मदनपाल ने गदर के दीरान कोटा के महारावल को विद्रोहीयों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अपनी सेना भेज कर त्रिटिंग नरकार की संरक्षणही का परिचय दिया। उसके उपलक्ष में करीनी जैसी छोटी-सी रियासत के राजा को अंग्रेजों ने 17 तोपों की सजामी और जी. सी. आर्ट. की डपाधि से विभूषित किया।⁴

राजस्थान के अन्य राज्य जैगलम्बेर, मिरोही, बुन्दी और शाहपुरा के शासक भी गदर में अंग्रेजों के वफादार रहे और उसके उपलक्ष में उन्होंने छोटी-गोटी रियायतें अथवा तम्मान प्राप्त किये।

राजस्थान में सन् 1857 की घटनाओं की एक और तस्वीर भी थी। 21 अगस्त, 1857 को जोधपुर राज्य में निमन परिनपुरा-द्वावनी में त्रिटिंग फोज के भारतीय दम्ता ने दगड़ाना का भगदा लदा कर दिया। बागी मनिक ए. जी. जी. के नदर मुत्ताम प्रावृ पहुंच गए और वही पर दरनें हौंत और कई अंग्रेज अधिकारियों को मीत के पाठ उन्नार दिया। वहाँ ने "बको मिही, मारो किरंगी" के नारे लगाते हुए उन्होंने दिली दी धोट लूँ किया। गरे में उन्होंने मारवाड़ के एक बड़े टिलाने प्राप्त्या पर मुत्ताम दिया। वहाँ के ढाकुर रुद्रनगर जांगादल में बामी मेना का नेतृत्व करना चीजार कर

लिया। आसोप, गूलर और आलनियादास के ठाकुर भी सदल-बल विद्रोहियों से आ मिले। इस प्रकार विद्रोहियों की सैन्य शक्ति लगभग 6 हजार हो गयी।

अजमेर के चीफ कमीशनर सर पैट्रिक लारेन्स की प्रार्थना पर जोधपुर के महाराजा तत्त्वज्ञह ने अपने किलेदार ओनाड़ सिंह पंवार के नेतृत्व में 10 हजार फौजें और 12 तोपें विद्रोहियों को कुचलने के लिए भेजी। पर विद्रोहियों के सामने राज्य की सेना नहीं टिक सकी। उसकी तोपों सहित सारी युद्ध-सामग्री व एक लाख रुपया विद्रोहियों के हाथों में पड़ गया।¹ जोधपुर की सेना के सेनापति पंवार एवं उसके कई अफसर व सैनिकगण खेत रहे। अब सर पैट्रिक लारेन्स और जोधपुर का पोलीटिकल एजेन्ट मेसन सैन्य आहूवा पहुंचे। 18 दिसंबर को दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ। अंग्रेजी सेना हार गयी। मेसन मारा गया। विद्रोहियों ने उसका तिर धड़ से अलग कर दीवार पर टांक दिया। लारेन्स अजमेर की ओर भाग गया।

उक्त समाचार जब गवर्नर जनरल लार्ड केनिंग के पास पहुंचे तो उसे बड़ी चिन्ता हुई। उसने 20 जनवरी, सन् 1858 को पालनपुर औप नसीरावाद से एक बड़ी सेना आहूवा भेजी। क्रान्तिकारी इस बड़ी सेना के सामने नहीं टिक सके। क्रान्तिकारियों के नेता या तो पकड़ लिए गये या भाग गये। उनको जन-घन की अपार हानि उठानी पड़ी। आहूवा व अन्य ठिकानों को लूटा गया और वरवाद कर दिया गया। इसके पूर्व कि इस क्षेत्र में क्रान्ति का पटाक्षेप होता जोधपुर में एक ऐसी घटना घटी जिसने बुझते हुए दीपक की लौ की तरह काम किया। जोधपुर के शस्त्रागार में आग लग गयी। उसने ऐसा विद्योऽ दुष्टा कि जारा नगर हिल उठा। कई मकान ढह गये। 500 से अधिक व्यक्ति मारे गए और हजारों घायल हुए। एक चार मन का पत्थर 6 मील दूर जा पड़ा। उस समय जोधपुर के किले में अजमेर और नसीरावाद से आये हुए अंग्रेज परिवार शरण पा रहे थे। विस्फोट की आवाज सुनकर उन्होंने समझ लिया कि विद्रोही नगर में आ गए और अन्त निकट है। पर जब यह पता लगा कि धमाका शस्त्रागार में हुए विस्फोट से हुआ है, तब कहीं जाकर उनकी जान में जान आई।² बाद में जनता के मनोबल को कायम रखने के लिए राज्य में प्रचार करवाया गया कि शस्त्रागार में विस्फोट विद्रोहियों की करतूत से नहीं बरन् उस पर विजली पड़ जाने से हुआ है।

आज भी आहूवा क्षेत्र की जनता निम्नलिखित लोक गीत के जरिये आहूवा में हुए संग्राम की याद यदा-नदा दिलाती रहती है—

“होल वाजे छुंचंग वाजे ।
भलो वाजे वांकियो ॥
एजेन्ट को मार कर ।
दरवाजे पर टाँकियो ॥
झूझे आहूवो ये झूझे आहूवो ।
मुल्का में ठावो हिवो आहूवो ॥”

1. महाराजा सर प्रतापसिंह का स्व-लिखित चरित्र, पृ. 38, 39।

2. वही वही वही

3. ज्वाला (साप्ताहिक) ता. 2 सितम्बर, 1978 के अंक से साभार।

12/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

^{५४} कोटा राज्य में भी कोटा-कण्ठिनजेण्ट ने 15 अक्टूबर, 1857 को विद्रोह कर दिया। उन्होंने कोटा स्थित पोलोटिकल एजेन्ट बर्टन और कतिपय अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। इसी समय स्वानीय फौज भी विद्रोहियों से मिल गयी। विद्रोहियों ने राज्य के कई डल्लके अपने अधिकार में कर लिए। उन्होंने कोटवाली, राज्य-कोप और रसद भण्डार पर अधिकार कर लिया एवं कोटा महाराव रामसिंह को नजर-बन्द कर दिया। करीली की सेना ने कोटा पहुँच कर महाराव को मुक्त कराया। विद्रोहियों का लगभग 6 माह तक राज्य के विभिन्न भागों पर अधिकार रहा।¹ 1 मार्च, सन् 1858 के कर्नल रावंट के नेतृत्व में अंग्रेज सेना कोटा पहुँची। उसने विद्रोहियों का सफाया कर दिया। विद्रोहियों के नेता जयदयाल और महाराव खां फांसी के तस्ते पर लटका दिये गये। कोटा कण्ठिनजेण्ट मंग कर दी गयी। बर्टन की रक्षा करने में लापरवाही बरतने के आरोप में महाराव की तोपों की सलामी 17 से घटा कर 13 कर दी गयी।²

अजमेर-भेरवाड़ा की नसीदावाद द्यावनी में दो रेजीमेण्ट थीं। भेरठ में सैनिक विद्रोह की द्वारा पाकर 2 मई को नसीदावाद स्थित दोनों पल्टनों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोहियों ने अंग्रेज अधिकारियों के घरों को लूट लिया अथवा जला दिया। विद्रोही दिल्ली की ओर कूच कर गये जहां उन्होंने एक अंग्रेजी फौज को करारी शिक्षत दी। विद्रोही अगर दिल्ली की बजाय अजमेर जाकर वहाँ के शास्त्रागार पर अधिकार कर लेते और प्रशासन हाथ में ले लेते तो राजपूताने की रियासतों में विद्रोह को भारी बल मिलता और उस पर नियन्त्रण पाना अंग्रेजी सल्तनत के लिये आसान न होता। पर देश के भाग्य में तो अभी गुलामी ही बदी थी।

स्पष्ट है 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम में राजस्थान के राजाओं ने प्रायः अंग्रेजों का साथ दिया, पर यह भी स्पष्ट है कि राजस्थान की जनता और जागीरदारों की सहानुभूति विद्रोहियों के साथ थी। यही कारण था कि राजस्थान में विद्रोही नेता तांत्रिया टोपे को अनेक स्थानों पर महत्वपूर्ण सफनतायें मिलीं। कोटा, टोंक, बांतवाड़ा और भरतपुर आदि रियासतों पर तो महीनों तक विद्रोहियों का अधिकार रहा और उनका यह अधिकार तभी नमाप्त हुआ जबकि देश के शेष भागों में क्रान्ति असफल हो गयी। यह केवल संगोग नहीं था कि तांत्रिया टोपे के राजस्थान में कई बार प्रवेश करने के बावजूद भी ग्रिटिंग एवं रियासती मेनायें उसे पकड़ नहीं सकीं।

ग्रन्तीगत्वा विदेशी जूये को डगाड़ फैक्ट्री के इन प्रथम बहु द्रव्यत में भारत प्रसापन दरा, परन्तु इन विद्रोह के फान्स्यहर ग्रिटिंग सरकार ने भारत का शामन ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने टटाकार मीठा प्राप्त द्वायां में ने निया। ग्रिटेन की महारानी विकटोरिया भारत की "माताजानी" प्रोग्रेस कर दी गयी। ग्रिटिंग सरकार ने राजाओं का निमंतान हीने की नियन्ति में नोट रखने दा अधिकार घटान कर दिया।

सशस्त्र क्रान्ति के प्रयत्न

सन् 1857 के विद्रोह की असफलता से देश में अंग्रेजी हूकूमत का वर्चस्व स्थापित हो गया। पर इस स्थिति में बदलाव आने में अधिक देर नहीं लगी। सन् 1905 में “वंग-मंग” ने देश में क्रान्ति की जबला को एक बार किर प्रज्वलित कर दिया। महाविपत्त्वी नायक रासविहारी बोस के नेतृत्व में देश के विभिन्न भागों में सशस्त्र क्रान्ति का आयोजन होने लगा। राजस्थान में इस क्रान्ति की धुरी ये शाहपुरा निवासी बारहट केशरी सिंह, खरवा ठाकुर गोपाल सिंह, जयपुर के अर्जुनलाल सेठी तथा व्यावर के सेठ दामोदरदास राठी। इन्होंने राजस्थान में अभिनव-भारत-समिति नामक क्रान्तिकारी संगठन की जाड़ा स्थापित की। इस संस्था द्वारा भरती किये गये युवकों को अर्जुनलाल सेठी द्वारा जयपुर में स्थापित वर्धमान विद्यालय में शिक्षण दिया जाता था। वहाँ से शिक्षित हुये युवकों को क्रान्तिकारी कार्यों के व्यवहारिक ज्ञान के लिये रासविहारी बोस के विश्वस्त सहायक सास्टर अमीरचन्द के पास भेजा जाता था।

सशस्त्र क्रान्ति की इस लहर में राजस्थान में सबसे बड़ा योग ठाकुर केशरी सिंह बारहट और उनके परिवार का था। सन् 1872 में शाहपुरा (भीलवाड़ा) के निकट अपनी पैतृक जागीर के गाँव देवपुरा में उत्पन्न श्री बारहट अनेक भारतीय भापाओं के जाता, डिगल के उत्कृष्ट कवि और महान् देशभक्त थे। उन्होंने राजस्थान के राजाओं एवं जागीरदारों में राष्ट्रीय भावना भरने का प्रयत्न किया और उन्हें अपने गौरवपूर्ण अतीत का स्मरण कराया। सन् 1903 में लॉड कर्जन के दरवार में भाग लेने के लिये मेवाड़ के महाराणा फतहसिंह जब दिल्ली के लिये रवाना हुये तो बारहट के “चेतावनी के तूंग-टिया”¹ से प्रभावित होकर वे दरवार में भाग लिये विना ही उदयपुर लौट आये।

श्री बारहट युवावस्था में ही महाराणा उदयपुर के पास चले गये थे। वहाँ से वे कोटा महारावल की सेवा में पहुँच गये। इस बीच उनका रासविहारी बोस एवं अन्य क्रान्तिकारी नेताओं से सम्पर्क बना। यह जानते हुये भी कि क्रान्तिकारियों का मार्ग अत्यन्त खतरनाक और मौत की ओर ले जाने वाला है, श्री बारहट ने अपने सहोदर सिंह, जोरावर पुत्र प्रताप सिंह एवं जामाता ईश्वरदान आसिया को रासविहारी बोस के सहायक मास्टर अमीरचन्द की सेवा में क्रान्ति का व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये दिल्ली भेज दिया।

14/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

नवं 1912 में लिटिंग सचिकार ने भारत की राजधानी कलकत्ता से हटा कर दिल्ली नाने का निर्णय किया। इस अवसर पर तारीख 23 दिसम्बर नवं 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लाडैं-हार्डिंग ने दिल्ली में प्रवेश करने के लिए एक शानदार जुलूस का आयोजन किया। उच्चर राजविहारी बोत ने हार्डिंग को मारने की एक साहसी घोजना बनाई। उन्नें बंगाल के बसन्त कुमार विष्वास और राजस्थान के जोरावर मिह एवं प्रताप सिंह आदि विष्वस्त मुख्यों के कल्पों पर यह भार ढाला। ये युवक चाँदनी चौद स्वित पंजाब नेशनल बैंक की इमारत पर पहुँच गये। जब बायसराय जुलूस में हाथी पर उचार होकर बहाई ने गुजर रहा था तो उन्होंने उस पर बम फेंका। हार्डिंग के शरीर पर जहम आये, पर वह बच गया। परन्तु उनका द्विवारी अंगरक्षक महाचीर सिंह घटनास्थल पर ही मारा गया। क्रान्तिकारियों ने नाश कार्य इस अफाई ने किया कि भारत नरकार की पुनिंग अभियुक्तों का सुराग तक नहीं लगा सकी। पुनिंग ने संदेह में प्रताप सिंह और उच्चरदान आमिया को गिरफतार किया, पर उनके विरुद्ध किसी प्रकार का स्वूत नहीं होने ने उन्हें छोड़ देना पढ़ा।

उन दिनों क्रान्तिकारी अपनी गतिविधियों के संचालन के लिये घनाढ़ी लोगों और बैंकों पर टाका डालकर बनराजि एकत्र किया करते थे। राजस्थान के क्रान्तिकारियों ने उन सम्बन्ध में जीवपुर के एक बड़ी साधु प्यारे नाम की कोटा में और विहार के आरा जिले के एक महल की नीमाज में हत्या कर दी। दिल्ली बम केन की तहतीकात के सम्बन्ध में उन दोनों हत्यारों का नेद मूला। नीमाज हत्याकाण्ड में जोरावर निह के विरुद्ध बारष्ट जानी हुआ। पर वह दिल्ली बम काण्ड के तुरन्त बाद ही फारार हो गया था और जीवन-नर्यन्त ही फारार रहा। वह अज्ञात अवस्था में अनेक कष्ट भोगता हुआ नवं 1937 में कोटा में जीवद हुआ। स्वर्गीय थी अर्जुननान सेठी उनी काण्ड में गिरफतार किए गए। उन पर जुर्म नाखिन नहीं हुआ। उनके बाबजूद उन्हें मद्रास राज्य की बेनूर जिल में 5 वर्ष तक नज़रबद रखा गया।

प्रतापनिह नवं 1917 में बनारस पश्चिम अभियोग में पड़ा गया। उन 5 वर्षों की नज़ारे हैं। उने बरेली सेन्ट्रल ज़िल में दम्भ कर दिया गया। वहाँ भारत नरकार के मुख्यकर विभाग दा निवेशा नर चाहने कलीब लैण्ट उनमें मिला और उने यहा ति उनकी नामा उनके लिए दिन-रात रोता ही और उनके विद्योग में प्रपत्ते प्राप्त ल्याग देता। यदि वह क्रान्तिकारियों की गतिविधियों दी नव्याओं को ज्ञानधारी दे देता तो उने यहा दर दिया जाएगा। दीन प्रदाता के इनकर दिया, “मैंनी जी रोती है तो उने रोते दो। मैं अपनी जी रोता हूँ तो वे भी हूँ। माताप्रीं की स्त्राना नहीं जाता।” कलीब लैण्ट ने अपने सम्मरणों से उन यटना का दिवान देते हुए, मिला है, “मैंने प्राप्त न-प्राप्त मिहूँ जीता हीर और विद्युत सुर्दर्शक सुर्प्रेश नहीं देता।” उन सदाते में उनमें जोहि जार नहीं रही पर वह उन से लग जाती हुया। उस रात गर गए। वह विजयी हुए।” अपने दृश्याम लिए दिए जे अद्यती रात्रि जी जी अमानुसिंह यातनाएँ जो भोजना हुआ 27 मई, 1918 जी देव 22 वर्षी छात्र में जीती गया।

प्यारेराम हृत्याकाण्ड के संदेह में बारहट केशरी सिंह को पकड़ लिया गया। उनके खिलाफ कोई ठोस हवूत नहीं मिला। पर न्याय का नाटक कर उन्हें 20 वर्ष के कारावास का दण्ड दिया गया। उनकी पंतूक सम्पत्ति और जागीर जप्त कर ली गयी। उन्हें राज्य के बाहर विहार की हजारी बाग जेल में जजा काटने के लिये भेज दिया गया, जहाँ से जेल सुपरिटेंडेण्ट की शिफारिश पर उन्हें 5 वर्ष बाद ही रिहा कर दिया गया। वे रिहा होकर कोटा पूर्वों से। उन्हें अपने पुत्र प्रताप सिंह के बरेली जेल में शहीद होने के समाचार मिले तो उन्होंने कहा, “भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिये वलिदान हो गया।” बारहटजी का शेष जीवन कोटा में ही बीता। वे अन्तिम वर्षों में महात्मा गांधी के बड़े प्रजसक हो गए। उनको विश्वास हो गया कि महात्मा गांधी ही अपने असहयोग आनंदोलन द्वारा देश को अग्रेजों से मुक्त करा सकेंगे। सन् 1928 में अखिल राजस्थान हिन्दी कवि सम्मेलन के अजमेर अविवेशन में गांधीजी की प्रशंसा में उन्होंने एक कविता लिख भेजी थी, उसका एक छोटा-न्ता अंश नीचे उद्धृत किया जाता है:—

सर्व उपाय दूटे, प्राण सौरभ लेत ।
तत्र पर गांधी विन, आये हैं टिकाने ना ।
असहयोग मंत्र फूंकि, ईशा सदी बीसी में ।
शीशी में उतारे विना भूत यह भाने ना ।¹

बारहटजी ने सन् 1940 में अपना शेष जीवन गांधीजी की सेवा में विताने की इच्छा प्रकट की गांधीजी ने उनको स्वीकृति भी दे दी, परन्तु इसी बीच वे वीमार रहने लगे और कुछ समय बाद इस असार संसार से चल बसे। इसके कुछ समय पूर्व उनके सहोदर जोरावरसिंह अज्ञात अवस्था में शहीद हो चुके थे। उन्होंने अपनी पुत्री चन्द्रमणी को एक पत्र में ठीक ही लिखा था कि “भारत के एक महत्वपूर्ण प्रदेश में जागृति का आरम्भ अपने कुटुम्ब की महान आहूति से ही हुआ है। इस राज-सूय यज्ञ में हम लोगों की बली मंगलरूप में हुई।” स्वयं रासविहारी बोस बहुत वर्षों पहले कह चुके थे:—

“भारत में एक मात्र ठाकुर केशरीसिंह ही एक ऐसे क्रान्तिकारी हैं जिन्होंने भारत माता की दासता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतन्त्रता के युद्ध में झोंक दिया।”²

12 फरवरी, सन् 1915 को रासविहारी बोस के नेतृत्व में लाहौर में क्रान्तिकारियों ने निर्णय लिया कि 21 फरवरी को देश के विभिन्न स्थानों में सशस्त्र विद्रोह का श्रीगणेश किया जाए। भूतपूर्व केन्द्र शासित प्रदेश अजमेर इलाके में विद्रोह के संचालन का भार खरचा ठाकुर गोपाल सिंह और उनके साथी भूपर्सिंह ने उठाया। भूपर्सिंहफिरोजपुर घड़यन्त्र में फरारी की स्थिति में गोपाल सिंह के पास खरचा में आ गए थे। दोनों ने सैकड़ों युद्धकों का दल तैयार किया और 30 हजार से अधिक बन्दूकें एकत्र की। दुर्भाग्य से अंग्रेज सरकार पर क्रान्तिकारियों की देशव्यापी योजना का भेद खुल गया। फलतः देशभर में क्रान्तिकारियों को समय से पूर्व ही पकड़ लिया गया। इस प्रकार योजना असफल हो गयी। राजस्थान में भी क्रान्तिकारियों ने अस्त्र-शस्त्र गुप्त स्थानों में छिपा दिये और दल को

1. ठाकुर केशरी सिंह बारहट स्मारिका, 1976 में श्री सवाई तिंह धनोरा का लेख।

2. प्रो. शंकर सहय सक्सेना—“राजस्थान के क्रान्तिकारी परिवार—४।

16 / राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

विखेर दिया। अजमेर की पुलिस ने ठाकुर गोपाल सिंह और उनके साथियों को खरवा के जंगलों में पकड़ लिया। उन्हें टाडगढ़ के किले में नज़रबन्द कर दिया। कुछ ही समय बाद भूपसिंह पहरेदारों की आँखों में धूल भोंक कर किले से फरार हो गया। वही भूपसिंह आगे जाकर विजयसिंह 'पथिक' के नाम से विजीतिया की किसान कान्ति का सूचधार बना।

18/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

पर 5 रु. चंवरी-कर के रूप में ठिकाने को देना पड़ता था। विरोधस्वरूप किसानों ने लड़कियों की शादी करना स्थगित कर दिया, पर राव के कान पर जूँ तक नहीं रेंगी। सन् 1905 में किसान शादी योग्य 200 कन्याओं को लेकर राव के पास पहुँचे और चंवरी माफ करने की प्रार्थना की। पर वह टस से मस नहीं हुआ। किसानों ने निश्चय किया कि जब तक चंवरी की लागत समाप्त नहीं की जाती और लगान में कमी नहीं की जाती तो ठिकाने की भूमि पर खेती नहीं करेंगे और ठिकाने को लगान या लाग बाग नहीं देंगे। अद्यत तृतीया को खेतों में हल जीतने का मुहूर्त होता था, पर उस वर्ष उक्त तिथि को लघरमाल में हल नहीं चले। राव घबरा गया। उसने किसानों को बुलाया। वह उनके साथ आदर भाव से पेश आया। उसने चंवरी की लागत माफ कर दी एवं लगान उपज के आवे हिस्से के स्थान पर 2/5 ही लेने की घोषणा की। किसानों की उस जमाने में यह एक अप्रत्याशित विजय थी। इस सफलता ने किसानों के भावी असहयोग एवं अहिंसात्मक आनंदोलन की आधारशिला रखी।

सन् 1906 में राव कुण्णसिह की मृत्यु हो गयी। उसके स्थान पर पृथ्वीसिंह विजोलिया का स्वामी बना। मेवाड़ राज्य के नियमों के अनुसार पृथ्वीसिंह को विजोलिया का उत्तराधिकारी स्वीकार करने के पूर्व उसे तलवार-बन्धाई के रूप में महाराणा को एक बड़ी घन राशि देनी थी। पृथ्वीसिंह ने वह भार जनता पर ढाल दिया। उसने एक और लगान में वृद्धि कर दी एवं दूसरी ओर “तलवार-बन्धी” की लागत लगा दी। किसानों ने साधु सीताराम दास, फतहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की इस कार्यवाही का विरोध किया। उन्होंने सन् 1913 में ऊपर माल के खेत को पड़त रखा और ठिकाने को भूमि-कर नहीं दिया। वहाँ की कार्यवाही में राव ने चारण और ब्रह्मदेव को विजोलिया से निर्वासित कर दिया एवं नाधु सीताराम को पुस्तकालय की नीकरी से अनग कर दिया। उसने कई किसान कार्यकर्ताओं को जेल में टाल दिया। आनंदोलन कुछ समय के लिये दब गया। इसी बीच पृथ्वीसिंह की मृत्यु हो गयी। उसका पुत्र केशविंह नामानिग था। प्रतः मेवाड़ सरकार ने ठिकाने पर मुमर्गमात (कौटं और्क वांड-न) कानून कर दी।

विजोलिया के किनान-आनंदोलन में श्री विजयसिंह पवित्र ने सन् 1916 में प्रवेश किया। श्री पवित्र का पूर्व नाम नूपसिंह था। नूपसिंह बुलन्दशहर जिले के गुडामनी नाम से जीवा हुये थे। उनके दादा 1857 की क्रान्ति में गानगढ़ नवाब की गेता का नेतृत्व पारते हुए जहीर हो गये थे। नूपसिंह 1907 में प्रविन्द कानिकामी शनीन्द्र नाम्यान और गमविहारी बोन के नन्हाने में आये और तभी ने वे कानिकामी गमविहियों में भाग लेने लग गये थे। बोन ने उन्हें राजस्थान में कानिका दा आयोजन करने के लिये गए थे। टाकुर गोपाल निर्देशक दा आयोजन की योजना छनकल हो गयी। सर्वेश दानिनारी नीम पराई गये। राजस्थान ने नूपसिंह और गोपालनिर्देशक दानिनारी के साथ टाकुर ने उन्हें वस्त्र देकर दिये गये। उन्हीं दिनों किरोड़पुर पट्टयन्न गमनिनोद ने नूपसिंह के विश्व दानिनारी दृष्टा। यह दानिनारी दिनों ती नूपसिंह टाकुर ने युत्तराय निजन देने। उन्होंने दानिनारी दानी बटा की और नाम भूरमित ने बदल कर विश्व दानिन द्वारा दिया। उन्हीं ने भी नाम भर के दानी नाम के रूप में लाये रखे।

20/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

परिकल्पी ने अब युद्ध के चन्दे के विरोध में आवाज बुलन्द की। परिकल्पी भूमिगत थे। अतः वे तो नहीं पकड़ जा सके पर आनंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता साथु सीताराम दास और प्रेमचन्द्र भील पकड़ लिये गये। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। तगभग 1,300 व्यक्तियों के वयान लिये गये पर सभी ने एक स्वर से वयान दिये कि हमें युद्ध का चन्दा न देने के लिये किसी ने नहीं बहकाया है, हम तो लगान व लाग-वागों के भार से दबे हुये हैं। अतः हम चन्दा नहीं दे सकते। इधर परिकल्पी ने विजोलिया के किसानों पर हो रहे अत्याचारों के सम्बन्ध में लोकमान्य तिलक को एक पत्र लिखा। लोकमान्य ने शीत्र ही महाराणा फतेहसिंह को लिखा कि “मेवाड़ राजवंश ने स्वतन्त्रता के लिये बहुत वलिदान किये हैं। आप स्वयं स्वतन्त्रता के पुजारी हैं, अतएव आपके राज्य में स्वतन्त्रता के उपासकों को जेल में डाजना कलंक की बात है।” इस पत्र का यह अत्तर हुआ कि महाराणा के आदेश से साथु सीतारामदास और प्रेमचन्द्र भील छोड़ दिये गये।

अब परिकल्पी ने किसानों को संगठित करने का कार्य तेजी से शुरू किया। झपर-माल के स्थीर-पुरुष और बच्चों को आनंदोलन के रंग में रंग दिया। किसान पंचायत ने ठिकाने को स्पष्ट चेतावनी दे दी कि किसान अनुचित लागतें और वेगार नहीं देंगे। सारा झपर-माल सत्याग्रह सम्बन्धी गोतों से गूँजने लगा। एक और घर्मजी हारा रचित “पंछिटा” गाया जाने लगा तो दूजरी और प्रवानक्षु नंबरनाल स्वर्णकार अपनी निष्पत्तिसित कविता के माध्यम से गाँव-गाँव में ग्रलख जाने लगने।

“मान-मान मेवाड़ा राणा, प्रजा पुकारे रे।

हम जार को पहो न लान्यो, सुण राणा फतमान रे॥”

परिकल्पी ने देश भर में विजोलिया के किसान आनंदोलन के प्रचार की नुव्ववस्था की। उन्होंने विजोलिया के किसानों की ओर से रक्षा बन्धन के ग्रवसर पर चाशी की एक रासी कानपुर ने तिलकने वाले “प्रताप” के सम्पादक श्री गणेश बंकर विद्यार्थी के पास भेजी। विद्यार्थीजी ने रासी को न्यौतार करते हुये आनंदोलन का समर्थन करने का शास्त्रात्मन दिया। उन्होंने अपने इस दर्शन आश्वासन तो अन्त तक निभाया।

मेवाड़ के बारकूंनों नो यह सन्देह हो गया कि विजोलिया के नायक मुनरिम दूंगरनिह भाटी परिकल्पी से निजे हैं। अतः गरजार ने उनके ह्यान पर पहने शीप-नान को और बाद में मार्मीनिह कोटारी को नायक मुनरिम नियुक्त किया। कोटारी ने भाने ती तिमानों ने नागर्ने और वेगार देने को जहा। किसानों ने शाष्ट्र-भ्यार कर दिया। इस पर दिलाने ने 51 तिमानों को निरसार कर दिया। परिकल्पी इन नमय नवद्यापार के देश व्यानी प्रगति के लिये विद्यार्थीजी ने दिलने गानपुर नये हैं मे। यहाँ ने परिकल्पी नामेन के नन् 1918 के प्रस्तिवेदन भे गानिल होने के लिये दिली गये। उनकी प्रनु-परिवर्ती में यमर्ती और नामुनी प्रान्तोनन का संसाधन कर रहे थे। नमर्ती तिमान दंनायत के शीत स्थल प्रतिविधियों को निर्दर परिकल्पी ने आदेशानुसार दिली गई। यहाँ इन यमर्ती विद्यार्थीजी ने सुनाराय रहे। दिली भे दिलीविया के नामदंनों गया उनार विनायक गोटे। उन्होंने विद्यार रक्षा देने लिया भी तान के फैगार नहीं देने खोल दिलाने रे उन्होंने जाने नहीं भूले। उनके गोठों ही दिलाने ने यमर्ती और प्रतिविधि सन्दर्भ में उन्होंने गानिल को देने के बहर रक्षा दिया। उन्होंने गानु मीमांसामान र कई दिलाने भी विवर रक्षा दिये रहे। इन प्रकार दमद-भर दुम दुम। दिलाने ने तिमानी जी

खड़ी फक्त नष्ट कर दी। उनके साथ मार-पीट की और उन्हें तरह-तरह से जलील किया पर किसानों ने बेगार देना मंजूर नहीं किया। पविकजी ने स्मृति-पत्रों द्वारा भारत सरकार और मेवाड़ सरकार को ठिकाने के अत्याचारों से अवगत कराया।

अप्रैल, 1919 में न्यायमूर्ति विन्दुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया। पविकजी की सलाह पर किसानों ने आयोग के सामने यह मांग रखी कि वे आयोग के साथ तभी सहयोग करेंगे जबकि उनके नेता जेल से मुक्त कर दिये जायेंगे। आयोग ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। साथु सीतारामदास जी, वर्मा जी आदि प्रमुख कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य से जिकारिश की कि किसान कार्यकर्ताओं को जेल से छोड़ दिया जाये, अनावश्यक लागतें समाप्त कर दी जायें एवं बेगार प्रथा बन्द कर दी जायें। मेवाड़ सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया। बड़ी इन्तजार के बावजूद जब मेवाड़ सरकार की ओर से समस्या का कोई समाधान नहीं मिला तो किसानों ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि वे न तो लागतें ही देंगे और न ही बेगार। उधर ठिकाना इस बात पर अड़ा रहा कि बिना लाग व बेगार दिये लगान स्वीकार नहीं करेंगे। इसी बीच ठिकाने ने सिचित भूमि का लगान बढ़ा दिया। किसानों ने निर्णय किया कि वे सिचित भूमि नहीं जोतेंगे। ठिकाने ने घोपणा की कि यदि किसान असिचित भूमि को जोतेंगे तो सिचित भूमि का लगान भी देंगे चाहे वे सिचित भूमि जोतें या नहीं जोतें। एक बार पुनः किसान पंचायत जघा ठिकाने के बीच संघर्ष छिड़ गया। ठिकाने ने दो सौ प्रमुख किसानों को जेल में डाल दिया। अन्त में मेवाड़ सरकार ने आदेश दिया कि किसानों से केवल उसी भूमि का लगान लिया जावे जिस भूमि को वे जोतें। इस प्रकार किसानों की यह एक और विजय हुई।

इसी वर्ष अमृतसर कांग्रेस में पविक जी के प्रवत्तन से लोकमान्य तिलक ने विजो-लिया सम्बन्धी प्रन्ताव रखा परन्तु महात्मा गांधी ने इस सुझाव पर वह प्रस्ताव वापिस ले लिया गया कि महामना मालबीयजी मेवाड़ के महाराणा से मिलकर इस मामले को तय करवाने का प्रयत्न करेंगे। इस बीच महाराणा ने पुनः एक जांच आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने किसानों के पक्ष को सही माना। इसके बावजूद मेवाड़ सरकार ने आयोग की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की। मालबीयजी महाराणा से मिले। पर उन्हें भी सफलता नहीं मिली। इस प्रकार किसान और ठिकाने में गतिरोध बना रहा। पविक जी महात्मा गांधी जी से मिलने के लिये बम्बई गये। उन्होंने विजोलिया के किसानों की कृषणा गाथा महात्मा गांधी को सुनाई। महात्मा गांधी जी ने अपने सचिव महादेव देसाई को पविक जी के साथ विजोलिया भेजा। देसाई ने अपनी रिपोर्ट महात्मा गांधीजी को दी। इस रिपोर्ट से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने पविक जी को बचन दिया कि यदि मेवाड़ सरकार ने विजोलिया के किसानों के साथ न्याय नहीं किया तो वे स्वयं विजोलिया सत्याग्रह का संचालन करेंगे। महात्मा गांधी ने किसानों की शिकायतें दूर करने के लिये महाराणा फतेहसिंह को एक पत्र भी लिखा।¹ पर कोई फल नहीं निकला। महाराणा तो स्वयं अपने अस्तित्व के लिये निर्दिश सरकार से टक्कर ले रहे थे।

1. श्री रामनारायण चौधरी—“नवजीवन” उद्यपुर ता. १२-३-८२ के बंक में “पविक जी जैसा और नहीं हुआ” लेच से।

22/ राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

परिकर्जी की बम्बई यात्रा के समय यह निश्चय किया गया था कि परिकर्जी के सम्बादकर्त्त्व में वर्धा से राजस्थान केशरी नामक पत्र निकाला जाये। पत्र के सहसम्बादक श्री रामनारायण चौधरी और ईश्वरदानजी आसिया एवं व्यवस्थापक श्री हरिभाई किंकर एवं श्री कन्हैयालाल कलयंत्री नियुक्त किये गये। पत्र की आर्थिक जिस्मेदारी सेठ जमनालाल जी वजाज ने उठाई। परिकर्जी विजोलिया से वर्धा चले गए। उन्होंने पत्र का बड़ी खूबी से संचालन किया। पत्र सारे देश में लोकप्रिय हो गया। पर परिकर्जी का वजाजजी की विचारधारा से मेल नहीं खाया और वे वर्धा छोड़कर अजमेर चले गए। इस बीच विजोलिया आन्दोलन का संचालन वर्मा जी ने किया।

तन् 1920 की नागपुर कांग्रेस में तर्वश्री परिकर्जी, साधु सीतारामदास, रामनारायण चौधरी, माणिक्यनाल वर्मा, किंकरजी एवं कई किसान नेता विजोलिया सत्याग्रह के सम्बन्ध में महात्मा गांधी से मिले और उनसे असहयोग आन्दोलन के सम्बन्ध में आप्नीर्वाद प्राप्त किया। इस समय परिकर्जी के प्रयत्नों से अजमेर में राजस्थान-सेवा-संघ की स्थापना हो चुकी थी। परिकर्जी ने अब अजमेर को अपनी प्रवृत्तियों का केन्द्र बनाया। वर्धा से उन्होंने एक नया पत्र "नवीन राजस्थान" प्रकाशित किया। इधर वर्माजी सदल-बल नागपुर अधिवेशन में से लीटकर विजोलिया पहुँचे और किसान आन्दोलन को तीक्ष्ण बनाने में जुट गए। इन दिनों परिकर्जी के आग्रह पर श्री अर्जुनलाल सेठी विजोलिया आए जहाँ किसानों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया।

किसानों के लगान, लागतें और बेगार बन्द कर देने से ठिकाने की आय के सब नोंत बन्द हो गए। इनके अनावा आन्दोलन के कारण ठिकाने पर पुलिस का घर्ना बढ़ता जा रहा था। राव केशरी निहू ने समझौते के प्रयत्न किए, पर उनके कामदारों ने समझौता होने नहीं दिया। अन्त में परिकर्जी की सलाह पर किसान पंचायत ने निर्णय लिया कि ठिकाने के कोई आदेश नहीं माने जाए, न लगान दिया जाए, न बेगार, एवं ठिकाने के कच्छरी का विद्वित्तार किया जाए। वर्माजी के प्रयत्नों ने किसानों ने शराब पीना और मृग्य-भोज करना बन्द कर दिया।

तन् 1921 में वारिया होते ही किसानों ने फगन बोर्ड। जब फगन पहुँचे तो ठिकानों ने ५ अष्टव्यंतर, 1921 से ठिकाने को नीटिय दिया कि वे एक सप्ताह में कूंता बद में अन्यथा फगन काट नी जायेंगी। ठिकाने ने उत्तर दिया हि मुराना बड़ा नगान था या गानी ते किये छिना कूंता नहीं दिया जाएगा। ठिकानों ने फगन काट नी। ठिकाने ने एमें थोट-थोट यात्रीगदानी दो प्रति कर ठिकानों को भवभीत बरने दा प्रयत्न लिया थाएँ ठिकाने को इसमें गणना मनी गयी।

समझौता ही गया। 35 लागतें माफ कर दी गईं। ठिकाने के बुल्मी कामदार हटा दिये गये। किसानों पर चलाये गये मुकदमें उठा लिये गये। जिन किसानों की जमीन दूसरों के कब्जे में थी, वह उन्हें पुनः सोंप दी गयी। तीन साल के भीतर विजोलिया जागीर में जमीन का बन्दोवस्त कर लगान जिन्स की वजाय नकदी में परिणित करने का आश्वासन दे दिया गया। यह किसानों की एक महान् विजय थी।

दुर्भाग्य से समझौता ठिकाने की बदनियती के कारण टिकाऊ नहीं रह पाया। इसी धीरे वेर्ग किसान आन्दोलन के सिलसिले में पथिकजी पकड़ लिये गये और उन्हें पांच वर्ष की सजा दी गयी। साथु सीतारामदास जी खादी कार्य में लग गये और मध्यप्रदेश चले गये। अब विजोलिया के किसान आन्दोलन की सारी जिम्मेदारी वर्मा जी पर आ पड़ी।

सन् 1923 में विजोलिया के राव का विवाह हुआ। इस विवाह में ठिकाना किसानों ने वेगार लेना चाहता था। अतः ठिकाने और किसानों में फिर ठन गई। विजोलिया में सन् 1923 से 1926 तक लगातार अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि से फसलें राराघ हो गई। इससे किसानों की आधिक स्थिति अत्यधिक विगड़ गई। इसके बावजूद ठिकाने ने लगान व लागवाग यसूल करना प्रारम्भ कर दिया। सन् 1926 में ठिकाने में बन्दोवस्त हुआ। उसमें लगान की दरें ऊंची नियत की गई। जनवरी 1927 में मेवाड़ के बन्दोवस्त प्रधिकारी श्री द्वैन्च विजोलिया आये। किसानों ने अपनी शिकायतें उनके सामने रखी। द्वैन्च ने किसी प्रकार पंचायत और ठिकाने में समझौता तो करा दियां, पर इसके थोड़े समय बाद ही मार्च, 1927 में वर्मजी को जेल में रख दिया। उन्हे जमानत देने पर 12 दिन बाद रिहा किया गया। यह जमानत किसी बहाने जब्त कर ली गई। तत्काल ने वर्मा जी से दुबारा जमानत मांगी। वह उन्होंने नहीं दी। फलतः वे 27 मई, 1918 को पुनः गिरफ्तार कर लिये गये। इन्हीं दिनों पथिकजी कारावास की अवधि समाप्त कर उदयपुर जेल से रिहा हुये। उन्हें मेवाड़ से निर्वासित कर दिया गया, पर वे विजोलिया की सीना पर रवालियर राज्य के फुमरिया गांव में रहकर विजोलिया पंचायत का मार्ग-दर्शन करते रहे। विजोलिया के किसान नये बन्दोवस्त में निर्धारित लगान की ऊंची दरों से क्षुब्ध थे।

पथिकजी के जेल से रिहा होने के पूर्व ही किसान पंचायत यह निर्णय कर चुकी थी कि लगान की ऊंची दरें निर्धारित करने के विरोध में किसान माल की जमीन का इस्तीफा दे देंगे। पथिकजी ने किसानों को समझाया कि उन्हें यह कदम तभी उठाना चाहिये जबकि उन्हें यह पक्का विश्वास हो जाय कि उनकी इस्तीफा दी हुई जमीन को और लोग नहीं उठायेंगे। किसानों को भरोसा था कि किसान पंचायत के निर्णय के विरुद्ध कोई व्यक्ति ऐसी भूमि को उठाने का साहस नहीं करेगा। अतः किसानों ने मई सन् 1927 में अपनी-अपनी जमीनों के इस्तीफे दे दिये। ठिकाने ने इन जमीनों को नीलाम किया। किसानों के दुर्भाग्य से जमीनों को उठाने वाले मिल गये। किसान मात द्वा गये। इस समय पथिकजी और वर्मजी के आपनी सम्बन्ध विगड़ चुके थे। इसी प्रकार पथिकजी और राजस्थान सेवा संघ के मंत्री श्री राम नारायण चौधरी के बीच भी गहरा मतभेद हो गया था। परिणाम यह हुआ कि राजस्थान सेवा संघ छिप-भिज्ज हो गया।

किसानों द्वारा अपनी जमीनों के इस्तीफे देने के प्रश्न को लेकर पथिकजी पर आधेप किये जाने लगे। वे इस आन्दोलन से उदासीन हो गये। किसानों ने अब श्री माणिक्यलाल वर्मा को अपना प्रधान कार्यकर्ता स्वीकार किया। वर्मजी सेठ जमनालाल वजाज तथा श्री हरिभाऊ उपाध्याय से मिले और प्रार्थना की कि वे विजोलिया के किसानों का नेतृत्व

स्वीकार करें। सेठ जी ने वर्मजी की प्रार्थना इस शर्त पर स्वीकार की कि पविकजी इस आन्दोलन से अलग रहेंगे। पविकजी ने किसान पंचायत के नेतृत्व से इस्तीफा दे दिया। श्री रामनारायण चौधरी भी आन्दोलन से अलग हो गये। अब सेठजी इस आन्दोलन के सर्वेन्वर्ग बना दिये गये। भेड़जी ने आन्दोलन के संचालन का भार श्री उपाध्याय को रखा। किसान अपनी-अपनी इस्तीफाशुदा जमीन को वापिस प्राप्त करने के लिये ब्यग्र थे। उपाध्यायजी ने टूंच से मिन कर एक समझौता किया, जिसके अनुसार टूंच ने बादा किया कि किसानों की जमीनों को नये बापीदारों को समझा कर उक्त जमीनें वापिस पुराने किसानों को दिलाने का प्रयत्न करेंगे। परन्तु टूंच के इस आश्वासन को कार्यरूप में परिणित नहीं दिया गया। अतः वर्मजी के नेतृत्व में किसानों ने निश्चय किया कि वे अपनी-अपनी जमीने वापिस प्राप्त करने के लिये सत्याग्रह करेंगे।

श्रद्धय तृतीया सन् 1931 को प्रातःकाल 6:00 बजे चार हजार किसानों ने प्रपत्ति इस्तीफाशुदा जमीनों पर हल चलाना आरम्भ किया। ठिकाने के कर्मचारी, सेना, पुलिस के सिपाही तथा जमीनों के नये मालिक किसानों पर टूट पड़े। किसानों ने शान्ति के साथ मार सहन की। उसी दिन प्रातः 4:00 बजे वर्माजी गिरफ्तार कर लिये गये थे। दूसरे दिन 200 किसान भी पकड़ लिये गये, जिनमें से 40 प्रमुख किसानों को छोड़ कर अन्यों को घोड़े समय बाद रिहा कर दिया गया। उन 40 किसानों पर मुकदमा चलाया गया। वर्माजी को 6 माह का बठोर दारावास दिया गया तथा किसानों की तीन-तीन माह का। राज्य ने किसानों के सत्याघ्रह का मुकाबला करने के लिये विजोलिया में सेना और पुलिस तैनात कर दी। इन समय उपाध्यायजी के मेवाड़ प्रवेश पर प्रतिवध्य था। अतः उन्होंने सर्वथ्री दुर्गाप्रिनाद चौधरी, वं० लालूराम, अचलेश्वर प्रसाद नर्मा, श्रीमती रमादेवी शादि जो विजोलिया भेजा। पर उन्हें विजोलिया से निर्द्यासित कर दिया गया। श्री प्यारचन्द विणोई एक व्यापारी का देश धारण कर दिजोलिया पहुँचे। उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। इस दीन दिनान सत्याघ्रह करते रहे और गिरफ्तार होते रहे।

उपाध्यायजी ने भेवाणु राज्य के प्रधिकारियों को किसानों की जमीनें बापिस लीटाने से नम्बन्ध में नहीं पक्ष निर्गत, परन्तु उनके प्रवल निष्कल रहे। उपाध्यायजी की प्रारंभिका पर अधिन भारतीय देशी राज्य लोक-परिषद ने यह मनसा अपने हाथ में लिया। इन्हें एक दैन नियमी भी लियुक्ति दी। उपाध्यायजी ने महात्मा गांधी दो भी दिग्जोलिया में ही रहे इन्हें शवकल रखाया। महात्मा गांधी दी नवाट पर नान्दीयजी ने भेवाणु के प्रबान्धिनी गरु मुनरेय प्रवास को इन नम्बन्ध में एक पक्ष निर्गत। विजेलिया ना मनसा अवधिन भारतीय दृष्टि पारन्तु नहीं चुका था।

मरु सूखदेव ने गियति की गम्भीरता को समझते हुए मेठ जनसाकान यडाइ की योजना के लिए उत्तमपुर घासकिया लिया। प्रयत्न योग-प्रशिक्षण की दौलत गियति के सहनी दार्शनिकी गियति थी थी। मेठजी ने 20-7-31 को उत्तमपुर दूर्धी घोर जनसाकान नाम से मरु सूखदेव योजना के मिले। इस मेठ के दार्शनिक एवं गम्भीर हृषा दिव्ये प्रमुखाना नाम प्रयत्न के दार्शनिक लिया था। योग यी द्वयीन थीं और सुखदेव योजनार्थी की योटा थी गांधी, विजयन के लिया तर दिल्ली अधिकारी योग 1922 के गम्भीरों द्वारा दिव्य लिया गया था। इस अधिकारी के दार्शनिक अधिकारी होने के लिया यह दिल्ली, यह अधिकारी की योगीता के दार्शनिक हो चोटी थीं द्वयीन दार्शनिकी द्वयीन दिव्यों का द्वयीन दिव्य द्वयीन दिव्यों के लियों उत्तमपुर था। यह मरु सूखदेव की योगीती की दिव्यताएँ

करवा दिया और कुम्भलगड़ जैन में नजरबन्द कर दिया। मेवाड़ नश्कार ने डेढ़ बर्दे बाद नवन्वर, 1933 में वर्माजी को रिहा कर दिया, परं नाय ही उन्हें मेवाड़ से निर्वासित कर दिया।

विजयनिया आन्दोलन का पटाक्षेप नवं 1941 में हुआ जबकि मेवाड़ में चरही। विजय राघवाचार्य प्रधानमंत्री बने। उस समय मेवाड़ प्रजामण्डल ने पावनी उठायी जा चुकी थी और वर्माजी आदि प्रजामण्डल के नेता मुक्त किये जा चुके थे। राघवाचार्य के आदेश ने तत्कालीन राजस्वमंत्री डॉ. मोहननिहृ मेहता विजयनिया गए और वर्माजी और अन्य किसान नेताओं से बोन-चौत कर किसानों की नमस्त्या का नमाधान करवाया। किसानों को अपनी जमीनें वापिस मिल गयीं। वर्माजी के जीवन की यह प्रथम बड़ी सफलता थी। इन लम्बे भविष्य में विजयनिया के किसानों को बड़ी-बड़ी कुर्वानियाँ देनी पड़ीं। देश के इतिहास में यह अपने हंग का अनूठा किसान आन्दोलन था जो राज्य की सीमाएं लाँघ कर पड़ीसी राज्यों में भी फैला। इन आन्दोलन ने राजस्थान की रियासतों को एक नयी चेतना प्रदान की। नवं 1938 में मेवाड़, झाहपुरा, बुन्दी आदि रियासतों में प्रजामण्डलों की स्वापना हुई, उनकी पृष्ठ-भूमि में यही किसान आन्दोलन था। इन आन्दोलन में वर्माजी जैसे नेतृत्वी नेता को जन्म दिया जो आगे जाकर राजस्थान के राजनीतिक आन्दोलन के एक प्रमुख कर्गंवार बने।

(2) अन्य किसान आन्दोलन

विजयनिया के किसान आन्दोलन के दूसरामी परिणाम हुए। राजस्थान सेवा संघ के नेतृत्व में विजयनिया की भाँति मेवाड़ के अन्य इलाकों में भी किसान पंचायतों की स्थापना हुई। उन पंचायतों का सम्बन्धित क्षेत्रों में इतना प्रभाव बढ़ गया कि उनके निर्गंय को जनना सर्वोपरि समझते नहीं। एक प्रकार ने वे पंचायतें अपने-अपने क्षेत्र में समानान्तर वरकारें बन गयीं। विजयनिया आन्दोलन की जपटे पड़ीस की जागीर देखूं में भी पहुंची। देखूं के किसानों की समस्याएं वही थीं, जो विजयनिया के किसानों की। देखूं के किसान उन्न 1921 में भेनाल नामक स्थान पर एकत्र हुए। उन्होंने निष्चय किया कि विजयनिया की भाँति देखूं में भी नागदार, बेगार और ऊंचे नगान के विरुद्ध आन्दोलन छेड़ा जाये और परिक जी को आन्दोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया जाय। परिकजी ने इन आन्दोलन का भार राजस्थान सेवा संघ के मंत्री श्री रामनारायण चौधरी पर डाका।

श्री चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने निर्गंय किया कि फसल का झूंता नहीं कराया जाय। भूमि का बन्दोबस्त हीन के बाद जो नगान निर्वासित किया जाय, वही दिया जाय। नागते और बेगार नहीं दी जाय और चरकारी कार्यालयों और अदान्तों का बहिष्कार किया जाय। विजयनिया के बाद देखूं में भी किसान आन्दोलन की शुरूआत होने से न केवल मेवाड़ के जापीरदार बरन् मेवाड़ भरकार और अग्रेजी हुकुमत भी चौक उठी। इन्हीं दिनों महाराणा फतेह सिंह को प्रभासन सम्बन्धी कई अधिकार महाराज कुमार भूमाल सिंह को देने पड़े। महाराज कुमार अग्रेजों की मुद्दी में थे। इधर देखूं के आस-पास के सभी जापीरदार रावड़ा के जापीरदार के नेतृत्व में संगठित हो गए। उन्होंने मेवाड़ भरकार की सहायता से आन्दोलन को उठाने का निष्चय किया। इसन-चक्र शुरू हुआ। गर्वन्गांव में छोटे और बड़े सभी जापीरदारों ने किसानों की बड़ी फल जो नष्ट करने, परम्परा के अनुसार किसान को जगन्न देने और नकटी न काढने देने और मदेशियों

को चरनोट में न चरने देने आदि दमनपूर्ण कार्यवाहियाँ शुरू कर दीं। कई जगह न केवल किसानों को बल्कि उनकी पत्नियों को भी पिटवाया गया और उनको बैज्जती की गई। किसानों की सभाओं को भंग करने के प्रयत्न किये गए। इस दमन के फलस्वरूप बैगुं के किसानों ने विजोलिया के किसानों की भाँति जमीन को पड़त रख दिया। लगातार दो वर्षों के संघर्ष के बाद बैगुं ठाकुर रावत अनूप सिंह को झुकता पड़ा। उन्होंने किसानों की माँगों को स्वीकार करते हुए उनसे समझौता कर लिया। परन्तु मेवाड़ सरकार और रेजिस्टर को यह बात नहीं भायी। उन्होंने राजस्थान सेवा संघ और रावल अनूप सिंह के बीच हुए समझौते को 'बोल्टेविक' फैसले की संज्ञा दी। रावल अनूप सिंह को उदयपुर में नेंजरवन्द कर दिया एवं ठिकाने पर मुंसरमात बैठा दी। भ्रष्टाचार और दमन के लिये मशहूर लाला अमृतलाल को बैगुं का मुंसरिम नियुक्त कर दिया।

सरकार ने बन्दोबस्त आयुक्त श्री ट्रैन्च को बैगुं के किसानों की शिकायतों की जाँच करने भेजा। मेवाड़ सरकार ने आज्ञा निकाली कि ट्रैन्च कमिशन के सामने किसान किसी भी बाहरी आदमी को अपने प्रतिनिधि के रूप में नहीं भेज सकेंगे। ऐसा इसलिए किया गया कि किनान पंचायत कहीं राजस्थान सेवा संघ से तहायता प्राप्त न कर ले। किसानों को राज्य की यह जर्त स्वीकार नहीं हुई। उन्होंने आयोग का बहिष्कार कर दिया। ट्रैन्च ने एक तरफा निर्णय दे दिया। उसने अपने निर्णय में पविकजी पर किसानों में विरोध की भावना फैलाने और ममानान्तर सरकार स्थापित करने का आरोप लगाया। ट्रैन्च ने केवल दो-चार मासूनी लागतों को छोड़कर जेप सभी लागतें और बेगार को उनित ठहराया। ट्रैन्च के फैसला देते ही ठिकाने के मुंसरिम लाला अमृतलाल ने सरकारी सेना की तहायता से लगान घमूल करना शुरू किया। बैगुं के किसान ट्रैन्च के निर्णय पर विचार करने के लिए गोविन्दपुरा में पक्का हुए। लगातार पांच माह तक किसान पंचों और ठिकाने के मुंसरिम के बीच समझौता-यार्ता जलती रही, पर समझौता नहीं हो सका। ट्रैन्च तथा लाला अमृतलाल ने गोविन्दपुरा में एकम किसानों को तितर-वितर करने वाली आज्ञा दी, पर किनान टटे रहे। 13 जुलाई 1923 को किसानों को सेना ने घेर लिया। सेना ने गोनियाँ चला दीं, जिनसे स्पाजी और कृपाजी नामक दो किनान घटीद हो गए। सिपाही श्रोतों पर भी टूट पड़े। उन्हें नंगा कर दिया और नर्दे प्रकार से अपमानित किया। इन राष्ट्र के बाद 500 में अधिक किसानों को गिरफ्तार कर बैगुं जेन में बन्द कर दिया गया। इन काष्ट की भास्त भर के नमाचार-पत्रों ने घोर निन्दा की। "तमसा राजस्थान" ने वो नटारामगुप्त फैलेविह ने मांग दी कि वे उनके उत्तराधिकारी महाराज युमार भूपाल निर्मन नामकाधिकार वापिस दीने ले। महारामगुप्त इन दो लाप्त कर दुःखी है। उन्होंने मेवाड़ के शीवाज प्रभारान्द चट्टी की दीयों दी बन्द कर दी। उन परिविहियों में मेवाड़ के नामन के प्रति नागरियों किसानों के लिये महाराला इनसे अधिक दुष्ट नहीं कर सकते थे।

मेवाड़ मेवाड़ में एक और जो 'प्रताप', 'राजस्थान निर्माण', 'जमीन राजस्थान' प्राप्ति के मेवाड़ प्रतिवाद पर लालटी याद दी जाता दूसरी ओर उसने एक चित्तायि प्रतापिता की दिल्ली राज समाज 'रिसाव धनायत सीरियस इंग दी योनेशिक दस्या' दी। और एक दिल्ली की लगान देने वाली जमीनी है। ट्रैन्च जमीनन दिल्ली में लगान दूर कर दी गयी थी। इसी दिल्ली में एकटीरी में एक 'रिमान' दिल्ली में लगान दूर कर दी गयी थी। इस जमीन धनायत दूर कर दी गयी थी।

सेना के अत्याचारों से किसानों का मनोवल गिरता देख पथिक जी ने स्वयं बैगुं आन्दोलन का नेतृत्व सम्भाला। आन्दोलन पुनः उभर आया। किसानों ने लगान और बेगार देना बन्द कर दिया। जो किसान ठिकाने से भयभीत होकर लगान और बेगार देते थे उनका सामाजिक वहिप्कार किया जाने लगा। इस प्रकार किसानों का असहयोग आन्दोलन पूर्णता को पहुँच गया। इससे मेवाड़ सरकार और ठिकाने के मुंसरिम लाला अमृतलाल तिलमिला उठे। पथिकजी 10 सितम्बर, 1923 को गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें बैगुं ले जाया गया और उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गईं।

बैगुं ठिकाने की ओर से पथिक जी पर राजद्रोह, वर्जित साहित्य रखना और सरकारी आदेश भग करना आदि संगीत आरोप लगाए गए। इन आरोपों की सुनवाई के लिए सरकार ने तीन सदस्यों का एक आयोग नियुक्त किया। इस आयोग ने सितम्बर, 1923 में मामले की सुनवाई शुरू की और फरवरी, 1925 में अपना निर्णय दिया। इस निर्णय के अनुसार पथिक जी केवल वर्जित साहित्य रखने के अपराधी माने गए। उन्हें एक वर्ष की कैद और एक हजार रुपये जुर्मानी की सजा दी गई। पथिक जी ने इस निर्णय के विरुद्ध मेवाड़ हाईकोर्ट (महेन्द्राज सभा) में अपील प्रस्तुत की। वह अपील 8 न्यायाधीशों की बैठक ने सुनी। हाईकोर्ट ने आयोग के निर्णय से सहमति प्रकट की, पर महाराज कुमार और ब्रिटिश सरकार को यह निर्णय नहीं भाया। उन्होंने सात उच्चाधिकारियों का एक नया आयोग नियुक्त किया, जिसमें राज्य के मन्त्री, इन्सपेक्टर जनरल और पुलिस, जिला हाकिम आदि शामिल थे। उच्च न्यायालय के निर्णय को अस्वीकार कर इस प्रकार का आयोग नियुक्त करना न्याय का मत्तोल करना था। इस आयोग ने अपने आकाशों की इच्छानुसार पथिकजी के विरुद्ध आरोपों को सही मानते हुए उनको पांच वर्ष की सजा दी। एक लम्बे समय तक जेल में रहने के बाद पथिक जी 27 अप्रैल, 1927 को रिहा किये गये।

सन् 1926 में पं. नृयन्नराम शर्मा के नेतृत्व में बून्दी के किसानों ने बेगार, लागवाग और लगान की ऊंची दरों के विरुद्ध आन्दोलन छेड़ा। स्थान-स्थान पर सभाएँ और सम्मेलन हुए। स्थियों ने भी इस आन्दोलन में भाग लिया। राज्य ने दमन का सहारा लिया। डाकी के किसानों के सम्मेलन पर पुलिस ने गोली चला दी, जिससे नानक जी भील घटनास्थल पर ही शहीद हो गए। आज भी किसान उन शहीद को लोक-गीतों के माध्यम से श्रद्धापूर्वक स्मरण करते रहते हैं।

अलवर राज्य में जन जागृति की शुरुआत ही किसान आन्दोलन से हुई। राज्य में जंगली सूअरों को नाज खिला कर रोंधों में पाला जाता था। ये सूअर किसानों की खड़ी फ़तलों को बरबाद कर देते थे। इनके मारने पर राज्य ने पावन्दी लगा रखी थी। सूअरों के उत्पात से दुखी होकर सन् 1921 में राज्य के किसानों ने आन्दोलन चलाया। महाराजा वो झुकना पड़ा। रोधों को उठा दिया गया और किसानों को सूअर मारने की इजाजत दी गयी।

किसानों का एक जबरदस्त आन्दोलन उक्त राज्य में सन् 1925 में हुआ। तारीख 24 मई, 1925 को राज्य के किसानों ने लगान वृद्धि के विरोध में नीमूचाना गाँव में सभा का आयोजन किया। राज्य की सेना ने गाँव को घेर कर मशीनगनों से गोलियां चलाई। जिसमें सैकड़ों स्त्री-पुरुष और बच्चे मारे गए। सेना ने गाँव में आग लगा दी,

28/राजस्वान में स्वतन्त्रता संग्राम

जिससे किसानों की झोपड़ियाँ और पजु जल गए। इस काण्ड से सारे देश में सनसनी फैल गई। महात्मा गांधी ने इस काण्ड को जलियाँवाला बाग काण्ड से भी अधिक बीमत्त बताया और उसे 'Dyrrism double distilled' की संका दी।

बत्तमान शताब्दी के तीसरे दशक में राज्य के सीकर, तोरावाटी और उदयपुरवाटी के किसानों ने अपना एक संगठन बनाया, जिसने श्री हरलाल सिंह के नेतृत्व में जागीरदारों के जुतमों के विरुद्ध एक आन्दोलन ढेड़ा। इस आन्दोलन में कई किसान मारे गए, और ग्रनेक कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए।

जन-जातियों के आन्दोलन

(1) भीलों के आन्दोलन

राजस्थान में भील, भीणा, ग्रासिये आदि जन-जातियाँ प्राचीनकाल से निवास करती आयी हैं। बस्तुतः वे जातियाँ वहाँ की मूल निवासी थीं। राजपूतों के राज्य न्यापित होने के पूर्व राजस्थान के भागों में इन जन-जातियों के छोटे-बड़े अनेक जनपद थे। मेवाड़ राज्य की रक्षा में वहाँ के भीलों ने सैद्ध राजपूत के साथ एक घनुघरी भील का चिन्ह भी अंकित था। इसी तरह जयपुर में राजा के राज्यान्वयिक के समय भीणा लोग ही अपने खून से राजतिलक करते थे।

समय के फेर से वे बहाड़ुर जातियाँ अन्य जातियों से अलगभलग पड़ गयीं। राष्ट्र की मूलधारा से उनका सम्पर्क टूट गया। वे सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से एकदम पिछड़ गयीं। उन्हें बनवासी, आदिवासी और कहीं-कहीं तो जुरायम पेशा जातियों की संज्ञा तक दी जाने लगी। त्रिटिश काल में देश के अन्य भागों की तरह राजस्थान में भी सरकार और साहूकार ने समानस्वप्न से इन जातियों का शोपण किया। पर उस काल में राष्ट्रीय विचारधारा से प्रभावित कुछ ऐसे जन-सेवक पैदा हुए, जिन्होंने इन जातियों में जागृति का घंख फूंका और इन्हें अपने अधिकारों का भान कराया। ऐसे जन-सेवकों में प्रमुख वे—स्वतामवन्य “गुरुगोविन्द”।

श्री गोविन्द का जन्म सन् 1858 में हूंगरपुर राज्य के वांसिया ग्राम में एक बरगजारे के घर में हुआ था। उन्होंने एक गाँव के पुजारी की सहायता से अक्षरज्ञान प्राप्त किया। वे स्वामी दयानन्द सरस्वती की प्रेरणा से युवावस्था में ही जन-जातियों की सेवा में जुट गये। उन्होंने आदिवासियों की सेवा हेतु सन् 1883 में सम्प सभा की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने मेवाड़, हूंगरपुर, ईडर, गुजरात, विजयनगर और मालवा के भील और ग्रासियों को संगठित किया। उन्होंने एक ओर उक्त जातियों में व्याप्त सामाजिक बुराइयों और कुरतियों को दूर कर करने का प्रयत्न किया तो दूसरी ओर उनको अपने मूलभूत अधिकारों का अहसास कराया। वे जीव्र ही इन जातियों में लोकप्रिय हो गये। लोग उन्हें श्रद्धा से गुरुगोविन्द के नाम से सम्बोधित करने लगे।

गुरुगोविन्द ने सम्प सभा का प्रथम अधिकेशन सन् 1903 में गुजरात में स्थित मानागढ़ की पहाड़ी पर किया। इस अधिकेशन में गुरुगोविन्द के प्रवचनों से प्रभावित होकर हजारों भील-ग्रासियों ने शराब छोड़ने, बच्चों को पढ़ाने और आपस के झगड़े अपनी पंचायत में ही निपटाने की शपथ ली। गुरुगोविन्द ने उन्हें वैठ-वेगार और गैरवाजिव लागते

30/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

नहीं देने के लिये आह्वान किया। इस प्रकार हर वर्ष आश्विन शुक्ला पूर्णिमा को मानागढ़ की पहाड़ी पर सम्पूर्ण सभा का अधिवेशन होने लगा। भील ग्रामियों में दिन-प्रति-दिन बढ़ती हुई जाग्रति से आनं-पास की रियासतों के शासक सहम उठे। उन्हें भय हो गया कि ये जन-जातियाँ सुसंगठित होकर भील राज्य की स्थापना करेंगी। उन्होंने विटिश सरकार से प्रार्थना की कि भीनों के इस संगठन को सख्ती से दबा दिया जाये। हर वर्ष की भाँति सन् 1888 की आश्विन शुक्ला पूर्णिमा को मानागढ़ की पहाड़ी पर सम्पूर्ण सभा का विराट अधिवेशन हुआ, जिसमें भारी संख्या में भील स्त्री-पुरुष जामिल हुए। मानागढ़ की पहाड़ी चारों ओर से निटिश सेना द्वारा घेर ली गयी। उसने भीड़ पर गोलियों की बोछार कर दी। कलस्वरूप 1500 आदिवासी घटनास्थल पर ही शहीद हो गये और हजारों घायत हो गए। गुरुगोविन्द और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। गुरुगोविन्द को अदालत द्वारा फांनी की सजा दी गयी। मगर भीलों में प्रतिक्रिया होने के डर से सरकार ने उनकी यह सजा 20 वर्ष के कारावास में बदल दी। पर वे 10 वर्ष बाद ही दिल्ली कार दिये गये। गुरुगोविन्द ने अपना शेष जीवन गुजराज के कम्बोई नामक स्थान पर विताया। सवासी से अधिक वर्ष बीत जाने के बावजूद आज भी भील लोग गुरुगोविन्द की याद में मानागढ़ की पहाड़ी पर हर वर्ष आश्विन शुक्ला पूर्णिमा को एकत्र होकर उन्हें अपनी अद्वाजती अर्पित करते हैं।

राजस्थान के आदिवासियों में गुरुगोविन्द के बाद जिनको तबसे अधिक स्मरण किया जाता है, वे हैं स्व. धी मोतीनाल तेजावत। सन् 1886 में मेवाड़ के आदिवासी धेनु कलासिया के कोनियारी ग्राम में एक श्रोतवाल परिवार में उत्पन्न धी तेजावत उन जमाने के मुताबिल थोड़ा बहुत पड़नियकर भाड़ीन ठिकाने के कामदार बन गये। परन्तु योद्दे धी समय में ठिकाने श्रीर सरकार द्वारा आदिवासियों पर दायं जाने वाले जुल्मों से उद्येष्ट होकर उन्होंने ठिकाने की नीकर को तिनाब्जलि दे दी। वे श्रव आदिवासियों की खेता में तल्लीन हो गये। उन्होंने सन् 1921 में भाड़ीन, कोटड़ा, नादड़ी आदि धेनों के भीनों को जानीख्यारों द्वारा ली जानेयाले बैठ-बैगार और लागवानों के प्रस्त को लेन्दर मन्गठित किया। धीरे-धीरे ये आन्दोलन निरोही, बांता, पानपुर, ईरन, विजयनगर आदि राजों से फैल गया। धी तेजावत ने बैठ-बैगार और लागवाग नमाल करने नायनथी मार्गों से निरन्द आनं-पास दी रियानों के भीनों का एक विश्वान नमेलन दिल्ली नगर

'भारत द्वोड़ो' आन्दोलन के दीरान पुनः जेन में बन्द कर दिया गया। मन् 1945 में उन्होंने जेन में रिहा किया गया, पर किर उनके उदयपुर से बाहर जाने पर पावनी लगा दी गयी, जो देश के प्राजाओं होने तक नालू रही। उन्होंने अपना जीवन मामाजिक सेवाओं में गुजारा। उनका देहान्त 5 दिसम्बर मन् 1963 को हुआ।

भीन ग्रानियों के लिये देश की प्राजादी के पूर्व अन्धे जिन जन-सेवकों ने महत्वपूर्ण कार्य किया, उनमें प्रमुण थे नवंश्री माणिकलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या, मामा वालेश्वर दयान, बलवन्तनिह मेहता, हरिदेव जोशी एवं गोरीशंकर उपाध्याय। उन्होंने भील क्षेत्रों में जगह-जगह शिक्षण संस्थायें, प्रीढ़ शालायें और होस्टल आदि स्थापित कर भील और ग्रानियों में नये जीवन का संचार किया।

(2) मीणों के आन्दोलन

भूतपूर्व जयपुर राज्य में बमनेवानी मीणा जाति किमी जमाने में राज्य के कई भागों में शामन करती थी। मीणे जन्म-जात नैनिक थे और अपने आपको धनीय मानते थे। तोहगंग, मांची, गेटोर, भोटवाड़ा, आमेर, भांडारेज, नरेठ, शोभनपुर आदि क्षेत्रों में सैकड़ों वर्षों तक मीणों के जन-पद रहे। ये जनपद उन्हें छोटे थे कि कभी भी कोई बड़ी शक्ति इन पर प्रहार करती तो ये ताश के पत्तों को तरह ढह जाते। पर शताव्दियों तक इस और किमी हमनावार का ध्यान नहीं गया। यह डलाका रेगिस्तान का भाग था। अतः शावद फ़ सी भी महत्वाकांक्षी राजा ने मुट्ठी भर बाजरे के लिये इस वहादुर कीम को छेड़ना उचित नहीं समझा। पर यह स्थिति सदैव के लिये चलने वाली नहीं थी।

टॉड के अनुमार 10वीं शताव्दी के शुरू में नरवर (खालियर) के शासक सोडाराव की मृत्यु हो गयी। उसके स्थान पर उसका छोटा भाई नरवर का शासक बन गया। फनतः सोडाराव की पत्नी अपने शिशु पुत्र दुल्हाराव को लेकर नरवर से प्रस्थान कर गयी और खोहगंग के मीणा शासक आलनसिंह के यहाँ शरण ली। आलन सिंह को दुल्हाराव के खानदान का पता चला तो उसने दुल्हाराव को अपना भाई और उसकी माँ को अपनी वहन मान लिया।¹ यज दुल्हाराव सयाना हुआ तो उसके मन में अपना स्वयं का राज्य स्थापित करने की आकांक्षा प्रवल हुई। उसने धीरे-धीरे अपना संगठन बनाया। एक दिन आलन सिंह और उसके 1500 सहयोगी मारे गये। मीणों की स्वयं अपने पतियों के साथ सती हो गयीं। आज भी इनकी छतरियाँ और देवलें खोहगंग के निकट पायी जाती हैं। कुछ भी हो दुल्हाराव ने खोहगंग पर अधिकार कर ढूँढ़ार में कछवाह राज्य की नीव डाली। इसके बाद दुल्हाराव में माची जनपद के शासक राव नाशु मीणा को हराकर माची को अपने राज्य में मिलाया।² रहा सहा कार्य दुल्हाराव के उत्तराधिकारी कोकिल और मेंकुल ने पूरा कर दिया, जिन्होंने ढूँढ़ार के गेटोर, आमेर, भोटवाड़ा आदि सभी मीणा जनपदों को समाप्त कर कछवाहा राज्य का विस्तार किया।³

1. टॉड "ए. ए. ए. ऑफ राजस्यान" पृ. 281।

2. टॉड ए. ए. ए. ऑफ राजस्यान (अ.) पृ. 282।

3. " " " पृ. 282।

32/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

दूँड़ार में मीणों का शासन समाप्त हो गया। उनके स्थान पर कछवाहा शासक बन गये। पर एक लम्बे समय तक मीणों के एक बड़े वर्ग को यह स्थिति स्वीकार नहीं हुई। वे छापामार पद्धति से राज्य की शासन व्यवस्था को चुनौती देते रहे। कछवाहा शासकों ने उन्हें तुष्ट करने के लिये तेती करने के लिये कृषि योग्य भूमि आवंथित की। फलतः अधिकांश मीणों देती करने लग गये। वे जमींदार मीणों के नाम से जाने गये। राज्य ने मीणों के उस वर्ग से, जो अब भी लड़ाई का रास्ता अस्तियार किये हुए था, समझौता कर उन्हें राज्य की शान्ति-व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी। ये मीणों चौकीदारी करते और एवज में गाँव वालों से चौथ वसूल करते। ये मीणों 'चौकीदार-मीणों' फैलाये। यही से मीणों के पतन की शुरूआत हुई।

अब राज्य में हर डकंती और चोरी के लिये चौकीदार मीणों को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। यही नहीं, किसी चोरी का माल बरामद न होने की हालत में उक्त माल की कीमत कानून द्रादरसी के अन्तर्गत मीणों से वसूल की जाने लगी। मीणों अपने ऊपर ढाले गये इस दण्ड की क्षति-पूति चोरी और डकंतियों से करते। राज्य के कई जानीरदार भी चोरियों और डकंतियों में मीणों का इस्तेमाल करते। इससे मीणों में अपराध की प्रवृत्ति को और बढ़ावा मिला। राज्य में चोरी, नकवजनी और लूटमार की वारदातें बढ़ गयीं।

भारत सरकार ने सन् 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एकट लागू किया। जयपुर राज्य में भी उक्त कानून की द्याया में मीणों को जुरायम पेशा मान कर हर मीणा परिवार के वानिग स्त्री-पुरुष ही नहीं, 12 वर्ष से बड़े बच्चों का भी निकटस्थ पुलिस थाने में नाम दर्ज करवाना और दैनिक हाजरी देना आवश्यक कर दिया। इस प्रकार शताव्दियों से स्वच्छन्त्य विनाने वाली बहादुर मीणा जाति साधारण मानव अधिकारों से भी वंचित कर दी गयी। सरकार की इन कार्यवाही का विरोध करने के लिये उसी वर्ष सर्वथी छोटू राम भरवाल, महादेवराम पवड़ी, जवाहर राम, मानोलाल आदि मीणों ने "मीणा-जाति-गुप्तार नंगटी" के नाम ने एक संस्था स्थापित की। पर कुछ वर्षों बाद इस संस्था का लोप हो गया। इनी दोन नन् 1930 में जयपुर राज्य ने अपना स्वर्ण गत जुरायम-नेशा-कानून शिरामन में वाकायदा लागू कर दिया। पुलिस ने उक्त कानून के अन्तर्गत हाजरी आदि के प्रान्तरानों दा न ढोरता ने पालन करना शुरू कर दिया। इसने मीणों ने अमंतोप बढ़ दिया। नन् 1933 में मीणा धर्मीय महानभा जी स्थापना हुई। उक्त मभा ने जयपुर सरकार में जुरायम-नेशा कानून रद्द करने की मांग की। राज्य ने उम्मीद न मांग न किया। पर दो वर्ष दी बग्न् नाम, राम, शश और भेद ने संघरा का जी रिपटन करना दिया।

अप्रैल 1944 में जेंग मुनी नगनमानरजी जी अध्यक्षा में मीणों

तारीख 10 अगस्त को राज्य सरकार ने मीणों की यह माँग स्वीकार कर ली कि जिन मीणों ने पिछले 10 वर्षों में कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें 'एम' पास दे दिया जायेगा। सरकार ने यह भी बात स्वीकार कर ली कि मीणा दालका इलाके में चौकीदारी के लिये जिम्मेदार नहीं है। सरकार ने मीणों की अन्य माँगों पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त कर दी जिसमें मीणों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। मीणा सुधार समिति को सरकार के निर्णय से संतोष नहीं हुआ। ता. 28 अवटूवर को सरकार के खंडे पर विचार करने के लिये बागवान में भीणों का सम्मेलन हुआ, जिसमें जयपुर प्रजा मण्डल के नेता धीर हीरालाल शास्त्री, श्री टीकाशाम पालीवाल आदि ने भी भाग लिया। सम्मेलन की अपील पर तत्काल ही 16 हजार मीणों ने चौकीदारी से इस्तीफे दे दिये। फलस्वरूप राज्य ने उनकी चौकीदारी की एवज में दी गयी छुपि भूमि को दालसा कर लिया। उसी दिन मीणों ने राज्य भर में मुक्ति दिवस घोषित किया।

मीणा सुधार समिति के सदस्य जयपुर राज्य के शृहमन्ती से मिले और उन्हें सरकार द्वारा की गयी घोषणाओं और आश्वासनों का पालन करने की प्रारंभना की। पर इन मुलाकात का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। फलतः मीणा सुधार समिति के आह्वान पर राज्य के मीणों ने 6 जून, 1947 को जयपुर में विशाल प्रदर्शन किया, जिसमें "जुरायम पेशा कानून" का पुतला और कानून की प्रतिरूप जालायी गयी। उसी दिन से मीणों ने पुलिस में हाजरी देना बन्द कर दिया। फलतः हजारों मीणों को जेल में बातनायें शुगतनी पढ़ीं, पर पुलिस मीणों को हाजरी देने के लिये बाध्य करने में सर्वथा असफल रही। इसी बीच बृहद राजस्थान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गयी। फलतः राज्य की ओर से जुरायम पेशा कानून में मुहार करने की दिशा में डिलाई आ गई। 1949 में बृहद राजस्थान बन गया। जयपुर रियासत राजस्थान का अंग बन गई। पर मीणों के तगातार प्रयत्न करने के बावजूद भी सन् 1952 में जाकर राजस्थान की विभिन्न रियासतों के जुरायम पेशा कानून रद्द किये गये। इन प्रकार 28 वर्ष लम्बे नंघर्ष के बाद मीणों ने पुनः अपने मूलभूत अधिकार प्राप्त किये। बहादुर मीणा कोम पुनः बन्धनों से विमुक्त हो गयी। आज यह जाति राजस्थान की प्रगतिशील जातियों में से एक है। मीणों का यह पर्याप्त जीवन के संकायों नवयुवक पढ़ नियर कर अग्रिम भारतीय सेवाओं, राज्य विद्यार्थी और विद्यर्थी-विद्यालयों में जिम्मेदार पदों पर कार्यरत है।

अन्त्य आनंदोलन

किसान आनंदोलन और जनजाति आनंदोलन के अलावा भी राजस्थान के दिविन्द मार्गों में स्थानीय और लोकतीय समस्याओं जो लेकर और भी कई संगठन आनंदोलन हुए, जिनसे स्थानीय जनता में जागरूति का प्राप्ति हुआ। अनंतोगत्वा ये आनंदोलन राजस्थान में भावी राजनीतिक आनंदोलनों की आवार जिसा बने।

जोधपुर :

नारवाड़ (जोधपुर) में जनजागरूति की शुरुआत सन् 1920-21 के चौल आनंदोलन को लेकर हुई। नारवाड़ में 100 तोले का सेर होता था। राज्य संकार के लिए किया कि ड्रिटिंग भारत की तरह जोधपुर राज्य में भी 80 तोले का सेर हो। जनता इस परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थी। सरकार के इन लिए से राजदानी की जनता में रोष फैल गया। नुप्रसिद्ध जानाजिक कार्यकर्ता श्री चांदमल नुराना ने कुछ जोगीले पुबकों के सहयोग से नारवाड़-सेवा-संघ की स्थापना की। इस संघ के माध्यम से श्री नुराना ने जोधपुर में हड्डताल का आव्हान किया। हड्डताल उफल रही। सरकार झुक गयी। नवा तोल जारी करने का लिए रह कर दिया गया। जोधपुर राज्य के इतिहास में जनता की यह यहां विजय थी।

नारवाड़-सेवा-संघ को हृसनी सफलता सन् 1922-24 में निली, जबकि संघ के विरोध स्वरूप सरकार को नारवाड़ ने भाग पश्चिमों की निकासी बल्कि छर्नी पड़ी। उन्हीं दिनों भारवाड़-सेवा-संघ का स्थान भारवाड़-हितजारिखी-चूना ने लिया। चूना के अध्यक्ष श्री चांदमल नुराना और नंदी श्री किशनलाल वापना दे। संस्था के अन्य प्रमुख कार्यकर्ता थे, सर्वश्री प्रतापचन्द्र चोनी एडवोकेट, शिवकरण जोगी, जयनारायण व्यास और आनन्दराज नुराना।

सन् 1925 में महाराजा जोधपुर श्री उन्नेविह सप्तनी इन्हें जाने वाले थे। उस समय जोधपुर के प्रधानमंत्री चर मुख्यमंत्री प्रसाद थे। जनता में चर मुख्यमंत्री प्रसाद के विशद्ध असंतोष फैला हुआ था। महाराजा जो व्रस्तावित यात्रा से जन-प्रतिनिधियों में यह मावना व्याप्त हो गयी कि महाराजा की अनुपस्थिति में चर मुख्यमंत्री प्रसाद अरने प्रतिविविधों के विशद्ध विज्ञे की भावना से कान लगे। अतः जोधपुर की जनता की ओर से 25 फरवरी को महाराजा के सामने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया जि इस समय इन्हें में इनपट्ट्यूएंजाँ फैला हुआ है और महाराजी गर्वनी है, अतः वे अपनी यात्रा स्थगित कर दे। प्रार्थना-पत्र में आगे कहा गया कि यदि महाराजा को यह प्रार्थना स्वीकार न हो तो वे राज्य का जासून-भार चर मुख्यमंत्री प्रसाद के स्थान पर महाराज इन्हींकीहि को सीन दे।

17 नार्वे को 2,000 लोगों के जन-समूह ने राय का दाग महल में महाराजा को स्वयं को एक और जासून प्रस्तुत कर चर मुख्यमंत्री प्रसाद को हटाने को भाग को दोहराया। अगले

ही दिन मारवाड़-हितकारिणी-सभा के अध्यक्ष श्री सुराना और श्री प्रतापचन्द्र सोनी ने इसी आशय का एक तार महाराजा को दिया। इन सब कार्यवाहियों से जोधपुर प्रशासन बीसला गया। उसने 20 मार्च 1925 को मारवाड़-लोक-हितकारिणी-सभा के प्रमुख कार्यकर्ता सर्वेश्वी चांदमल सुराना, प्रतापचन्द्र सोनी और शिवकरण जोशी को देश-निकाला दे दिया। सरकार ने सभा के अन्य कार्यकर्ता सर्वेश्वी जयनारायण व्यास, आनन्दराज सुराना, कस्तूर करण, अब्दुल रहमान अन्सारी और बच्छुराज व्यास को 10 नम्बरों करार देकर उनके लिए जुरायम पेशा लोगों की तरह प्रतिदिन पुलिस थाने में हाजिरी देना आवश्यक कर दिया। जोधपुर सरकार प्रतापचन्द्र सोनी से तो इतनी खिल्क थी कि उसने न केवल श्री जोनी को देशभद्र किया बरन् उसके पुत्र श्री मूलचन्द्र सोनी को कालेज में भर्ती होने से भी रोक दिया।

श्री सुराना आदि के देश निकाले के विरोध में 6 मई को जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा के तत्त्वावधान में एक सार्वजनिक सभा हुई, जिनमें सरकार से तीनों कार्यकर्ताओं के निर्वासन आदेश रट्ट करने की मांग की गई। परन्तु जनता की इस माग का जोधपुर राज्य पर कोई अनर नहीं पड़ा। कुछ महीनों बाद महाराजा विदेश से जोधपुर लौटे। नवेश्वी चांदमल सुराना, प्रतापचन्द्र सोनी और शिवकरण जोशी ने प्रार्थना की कि वे कई महीने निर्वासन में रह चुके हैं, अतः मारवाड़ में पुनः प्रवेश करने की आज्ञा प्रदान की जाय। इधर श्री जयनारायण व्यास ने 3 नवम्बर, 1925 को महाराजा को एक नम्बा पत्र लियते हुए अपने साथियों और मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थिति स्पष्ट की। यन्त्रोगत्वा श्री सुराना आदि को मारवाड़ में प्रवेश करने की अनुमति मिल गयी। उनी तरह व्यासजी आदि कार्यकर्ताओं पर से पुलिस की निगरानी भी नमाप्त कर दी गयी। उनके नाय ही मारवाड़ की जनजाग्रति का एक अध्याय नमाप्त हुआ।

चीकानेर :

चीकानेर राज्य में नामाजिक चेतना की लहर पैदा करने का श्रेय चूरु के नुप्रगिद विदान पं० कन्हैयानाल हुँड़ और उनके सुधोग्य शिष्य स्वामी गोपालदाम को जाता है, जिन्होंने ने गन् 1907 में चूरु में नवेश्वितारिणी सभा स्थापित की। ऐसे संस्था ने चूरु में नटकियों नी शिक्षा हेतु पुढ़ी गाठगान और घट्टनों को शिक्षा के निये 'कवीर-गाठगाला' स्थापित की। ऐसे संस्था ने जयपुर राज्य के अनेक गाँवों में भी गाठगाला, पुस्तकालय और दानानालय गोने। स्वामी गोपालदाम और पं० चन्दनमल बहूँ उनी संस्था के माध्यम से राज्य के नायजनिक जीवन में दृतरे थे।

चूरु में 26 जनवरी, 1910 में नवेश्वी बहूँ और स्वामी गोपालदाम ने अपने मह-सोमियों के नाय चूरु के नवोचन दिनर मरम्मनूप पर तिरंगा झण्डा फहरा रर राज में उत्तरा गया। महाराजा नंगानिर ने बहूँ आदि को चूरु नगरानिया गी नदरता में निर्वासन कर दिया, परन्तु पं० मदनमोहन मानवीय के हम्मधीप पर महाराजा ने उन्हें गम-राजा — रिया।

महाराजा ने सन् 1928 में स्वर्गीय सेठ जमनालाल बजाज को भी राज्य में प्रवेश करने से रोक दिया।

उस समय राज्य में भापण और लेखन पर भारी अंकुश लगा हुआ था। यही नहीं राज्य में किसी प्रकार की सामाजिक अथवा शैक्षणिक प्रवृत्तियां चलाना भी जोखिम से भरा हुआ था। महाराज की इन नीतियों के कारण राज्य के शिक्षित समाज का अन्दर ही अन्दर दम घुट रहा था। सन् 1931 में महाराजा ने खाद्यान्नों पर कर लगाया। उनके इस कदम ने राज्य के कुछ साहसी कार्यकर्ताओं को खुले में आने के लिए मजबूर कर दिया। चूरू के स्वामी गोपालदास और पं० चन्दनमल वहड़ एवं उनके साथियों ने वीकानेर के इतिहास में पहली बार राज्य के विरुद्ध एक संगठित अभियान आरम्भ किया। उन्होंने चूरू में एक सार्वजनिक सभा की। इधर भादरा के सत्यनारायण एडवोकेट ने भी राज्य की दकियानूसी नीति के विरुद्ध आवाज उठाई। दिल्ली के 'प्रिन्सली इण्डिया' और 'स्थिसती' एवं अजमेर के 'त्यागभूमि' आदि समाचार पत्रों में राज्य के दमन-सम्बन्धी समाचार प्रकाशित हुए। महाराजा गंगासिंह इस समय दूसरे गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने लन्दन गये हुए थे। वे वहाँ भारत को विटिश फण्डे के नीचे स्वायतत्त्व प्रदान करने की वकालत कर रहे थे।

पं० चन्दनमल वहड़ और उनके साथियों ने राज्य द्वारा किए जा रहे जुल्मों का ज्ञापन तैयार किया। उस पर राज्य के हजारों लोगों के हस्ताक्षर करवा कर एवं उसे छपवा कर न केवल वीकानेर राज्य में वरन् लम्बन में चल रहे गोल-मेज सम्मेलन एवं अन्य स्थानों में भी वितरित करवाया। भला महाराजा गंगासिंह वीकानेर की रिआया की यह हरकत कैसे वर्दिश्ट कर सकते थे?

राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में दबाल रखने वाले महाराजा गंगासिंह वीकानेर का वहाना कर गोल-मेज सम्मेलन के पूर्व ही पहले स्टीमर से वीकानेर लौट आए। महाराजा और उसके दीवान सर मनुभाई महता की व्यक्तिगत देख-रेख में पं० चन्दनमल वहड़ और सत्यनारायण सरफ़ आदि व्यक्तियों के खिलाफ राजद्रोह के अभियोग में तहकीकात शुरू हुई। 13 जनवरी, 1932 को चन्दनमल वहड़ और सत्यनारायण सरफ़ गिरफ्तार कर लिए गए। बाद में तहकीकात के दौरान स्वामी गोपालदास, वकीलप्रसाद और प्यारेलाल सारस्वत भी पकड़ लिए गए। 13 अप्रैल, 1932 को सैशन्स जज श्री बृजकिशोर चतुर्वेदी की अदालत में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध राजद्रोह के अभियोग का मुकदमा प्रारम्भ हुआ। वीकानेर के सुप्रसिद्ध वकील श्री रघुवरदयाल गोयल और उनके साथी श्री मुक्तप्रसाद ने इस मुकदमे में अभियुक्तों की ओर से पैरवी कर अदम्य साहस का परिचय दिया। अदालत ने न्याय का नाटक कर अभियुक्तों को 3 माह से लगा कर सात वर्ष तक की बड़ी सजाएँ दीं। स्मरण रहे इस मामले में स्वामी गोपालदास ने अदालत की कार्यवाही में भाग लेने से इन्कार कर दिया था। यह मामला वीकानेर पड़यन्त्र अभियोग के नाम से विव्यात हुआ। महाराजा गंगासिंह की इस मामले में सारे देश में और समाचार-पत्रों में तीखी आलोचना हुई। लाला सत्यनारायण सरफ़ 3 जुलाई, 1936 को सजा काट कर रिहा हुए। उन्होंने पुनः राजनीतिक गतिविधियाँ शुरू कर दीं। वे 16 जार्च, 1937 को राज्य से निर्वासित कर दिये गये।

जैसलमेर :

जैसलमेर के महारावल शालिवाहन द्वितीय (श्यामसिंह) के समय में लानी टैक्स को लेकर तन् 1896 में व्यापारिक वर्ग ने एक आन्दोलन छेड़ा। राजधानी में कई दिन हड्डताल चली। महारावल ने, जो अपने प्रधानमंत्री के हाथ की कठपुतली थे, आन्दोलन को दबा दिया। परन्तु इसके फलस्वरूप व्यापारिक समाज के कई परिवार जैसलमेर छोड़ कर अन्यत्र चले गए। इससे यहाँ के व्यापार को बड़ा धक्का लगा। तन् 1915 में कुछ युवकों ने सर्वहितकारी वाचनालय स्थापित करने का प्रयत्न किया, पर राज्य ने उसे चलने नहीं दिया। नवम्बर, 1930 में पण्डित जवाहरलाल नेहरू के जन्म-दिवस के अवसर पर सर्वथी रघुनाथसिंह महता, आईदानसिंह और सागरमल गोपा ने एक विज्ञप्ति निकाल कर नेहरूजी के स्वास्थ्य की शुभकामना की। उन्हीं दिनों जैसलमेर में श्री रघुनाथ महता की अध्यक्षता में माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना हुई। ये कार्यवाहियाँ राज्य द्वारा गौर कानूनी मानी गई। तीनों नवयुवक गिरपतार कर लिए गए। सन् 1937-38 में शिव शंकर गोपा, जीतमल जगाशी, मदनलाल पुरोहित, मदनलाल जगारणी, लालचन्द जोशी आदि नवयुवकों ने लोक परियद की स्थापना का प्रयास किया। परन्तु महारावल ने कटाई के साथ उन नवयुवकों की गतिविधियों का दमन किया। अधिकतर युवकों को जैसलमेर छोड़ना पड़ा। लालचन्द जोशी को तो 6 माह के लिये जेल में भी रहना पड़ा।

टोंक :

टोंक में पहला जन-आन्दोलन तन् 1920-21 में हुआ। उस समय टोंक का दीवान मोतीलाल था। उसने राज्य में अनाज सरीदने का ठेका रतलाम के कतिपय व्यापारियों को दे दिया। राज्य में अनाज के भाव चढ़ गए। नवाब ने मस्तिजदों में जान (भायण) देने की मनाही कर दी। नवाब ने अब्दुल समद नामक एक भूतपूर्व राज्य कर्मचारी को जेल से रिहा कर दिया, जिसको दिश्वनन्दसोरी के अपराध में कुछ ही समय पहले 13 वर्ष की सजा दी गयी थी। इन सब कारणों से टोंक में जन-आन्दोलन भड़क उठा। 14 जनवरी, 1921 को जनता ने तुम्हा मस्तिजद के बाहर नवाब को घेर लिया और उसके साथ दुर्घटवहार किया। जनता ने मार्ग की कि दीवान मोतीलाल को बरगास्त किया जाए, अनाज को राज्य ने बाहर निष्कासित करने से रोका जाए, और अनाज सते भायों पर उपराध करने की व्यवस्था दी जाए। नवाब ने ज्वार के भाव नियतकर दिये। परन्तु प्राच्यवानों के बाबूदूद पर्यन्त सांगों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं दी। इसी दौन नवाब ने नीयदों को नाज्व से निकाल दिया। राज्य में किंतु अनन्तों भड़क उठा। नियंषाज्ञा के बाबूदूद नार्यनिक सभाएँ भी गईं, जिसमें नवाब की तीव्र जबड़ों खे निष्का की गई। नवाब की घरें भी घोज तुलनीय रही। कई सांग गिरपतार कर दिये गये। आन्दोलन दबा दिया गया। पर अद्यता जी नीनिक कार्यवाही श्री त्रिलोग भारत ने बड़ी प्राणोन्नता दी। परन्तु यह मिरपारार अस्तित्व की थी? दिया गया। नार्यनिक सभाएँ गर्वने नभा मन्त्रिदों में प्रभाव नहीं दिया गया। एक दोनों जी उत्तराखण्ड देशी गई। निष्कासित मुनग के निए एक नवाज्ञाकार गमिनी दा। निष्कासित जिया गया, पर टोंक में समाजोंग दी जहर जमानी रही और गमय-समग्र दर यह तुम्हें युद्ध पड़ाने रहे। नवाज्ञाकार गम्य में नव 1930 में भर गया।

भरतपुर :

जगन्नाथदास अधिकारी ने गंगाप्रसाद शास्त्री एवं कतिपय सरकारी अधिकारियों के सहयोग से उक्त संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने थोड़े ही समय में बड़ी लोकप्रियता प्राप्त कर ली। फलतः यह संस्था भरतपुर में एक विशाल पुस्तकालय बनाने में सफल हो गई। अधिकारी ने 1920 में दिल्ली से “वैभव” नामक समाचार-पत्र प्रकाशित किया, जिसमें भरतपुर राज्य विरोधी समाचार छपे। महाराजा कृष्णसिंह ने अवसर पाते ही अधिकारी को गिरफ्तार करलिया, पर कुछ समय बाद उसे न केवल रिहा ही कर दिया बरन् एक बड़े सरकारी मन्दिर का महन्त भी बना दिया। इन्हीं दिनों भरतपुर में शुद्धि आन्दोलन चला जिसमें महाराजा के अलावा ठाकुर देशराज, सांवल प्रसाद चतुर्वेदी, एवं पं. रेवतीसरण शर्मी ने सक्रिय भाग लिया।

सन् 1928 में महाराजा को गढ़ी से उतारने के साथ ही साथ डंकन मैकंजी ने जगन्नाथदास अधिकारी को भी राज्य से निर्वासित कर दिया। इस अवसर पर भरतपुर की जनता ने हजारों की संख्या में एकत्रित होकर अधिकारी को ठाटबाट के साथ विदाई दी। मैकंजी ने ठाकुर देशराज को गिरफ्तार कर उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया। यद्यपि वे उक्त अपराध से बरी कर दिये गये, पर मुकदमें के दौरान उन्हें लगभग 4 माह जेल में रहना पड़ा।

सन् 1930-31 में राज्य में प्रजापरिषद् और राष्ट्रीय युवक दल आदि संस्थायें काथम हुई। उन्हीं दिनों नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिये भरतपुर से एक जट्ठा अजमेर भेजा गया, जिसमें सर्वश्री किशनलाल जोशी, विरेन्द्रदत्त, महेशचन्द्र, तत्यराम, इन्द्रभान और ठाकुर पूरण सिंह शामिल थे। सन् 1931 में जगन्नाथ प्रसाद ककड़ दिल्ली के कान्तिकारियों को बन्दूकें पहुंचाने के सम्बन्ध में पकड़ लिये गये। वे लगभग 7 माह तक जेल में रहे। सन् 1932 में मदनमोहन लाल पोद्दार और गोकुलचन्द्र दीक्षित को निरिश भारत में राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के फलस्वरूप 6 माह से अधिक जेल में रखा गया। सन् 1937 में जगन्नाथ ककड़ ने गोकुल वर्मा और मास्टर फ़कीरचन्द्र आदि के साथ भरतपुर कांग्रेस मण्डल की स्थापना की एवं कांग्रेस की सदस्यता का अभियान चलाया। इस प्रकार एक लम्बे समय तक भरतपुर में जागृति की चिनगारियाँ जलती और बुझती रहीं।

करौली :

करौली के कु. मदनसिंह ने सन् 1927 में वेगार प्रथा समाप्त करने, खेती की रक्षा के लिये सूअर मारने की स्वतन्त्रता एवं उर्दू के बजाय हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिये आन्दोलन चलाया। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भूख हड्डाल शुरू की। राज्य ने उनकी मांगे स्वीकार कर लीं। उसी वर्ष श्री मदनसिंह राज्य में हैजा-पीड़ित हरिजनों की सेवा करते हुये स्वर्य भी हैजे के शिकार हो गये और मर गये। सन् 1930 में सपोटरा के चिरंजीलाल शर्मा अजमेर जाकर नमक सत्याग्रह में शामिल हुये, जहाँ उन्हें 4 माह की सजा हुई। इसके तुरन्त बाद वे करौली आये, परन्तु करौली राज्य ने उनकी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर गिरफ्तार कर लिया और 3 माह बाद जेल से मुक्त किया। उन्हीं दिनों उन्होंने हरिजन उत्थान के सम्बन्ध में एक पत्र निकाला। इस पर उन्हें तीन महीने की सजा हुई। सन् 1932 में सर्वश्री कल्याणप्रसाद गुप्त, रामगोपाल आदि को राजद्रोह के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया, पर उन्हें 22 दिन बाद ही रिहा कर दिया गया।

40/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

धौलपुर :

धौलपुर में जन जागृति के अग्रदूत स्व० यमुनाप्रसाद वर्मा थे । उन्होंने सन् 1910 में आचार सुधारिणी सभा स्थापित कर धौलपुर के जवानों को समाज सेवा की ओर आकर्षित किया । सन् 1911 में उन्होंने आर्यसमाज की स्थापना की । वर्मा जी इन प्रवृत्तियों में, ज्वालाप्रसाद जिजासु ने सक्रिय हाथ बेटाया । राज्य में आर्य समाज का प्रभाव दिनों-दिन बढ़ने लगा तो अधिकारियों ने उनकी प्रवृत्तियों में बाधा डालना शुरू किया । सरकार ने आर्य समाज मन्दिर कपर व्या कर लिया । सन् 1918 में ज्वालाप्रसाद जिजासु के नेतृत्व में आर्य समाज ने सत्याग्रह शुरू किया । लगभग एक हजार सत्याग्रहियों ने आन्दोलन में भाग लिया । जिजासु, जौहरीलाल इन्दु, विष्णुस्वरूप वैद्य आदि कई कार्यकर्ता गिरफतार हुए । अन्त में राज्य को भुक्तना पड़ा और आर्य समाज मन्दिर पुः आर्य समाज को सीपना पड़ा । इन्हीं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सन् 1934 में नागरी प्रचारिणी सभा स्थापित की जिससे राज्य में मातृभाषा हिन्दी का बढ़ा प्रचार हुआ ।

अलवर :

दिल्ली के निकट स्थित होने के कारण यह स्वाभाविक था कि ब्रिटिश भारत में होने वाले आन्दोलनों की हवा के खोके अलवर राज्य के वायुमण्डल को भी प्रभावित करते । राज्य में जन जागृति के अग्रदूत पं० हरिनारायण शर्मा ने सन् 1923 में अपने परिवार का मन्दिर हरिजनों के लिये खोल कर राज्य में तहनका मचा दिया । उन्होंने अस्पृश्यता-निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना कर अनुमूलित और जनजातियों के उत्थान के कार्यों को हाथ में लिया । उन्होंने सादी और स्वदेशी चर्तुओं ने उत्थान और उपयोग का प्रचार किया । उन्होंने राज्य में भास्त्रदायिक तनाव के नाजुक अवनरों पर नागरिक समितियों के माध्यम से हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिये नदभावनापूर्ण बानावरण बनाया । उन्होंने राज्य के हर स्तर पर हिन्दी समितियों का गठन कर राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार किया । संघेप में श्री शर्मा ने राज्य में वे नभी प्रवृत्तियाँ नालूँ नी जो ब्रिटिश भारत में उन समय महात्मा गांधी के रखनात्मक कार्यक्रम का अन्त थीं । उनमें जनता में घनूत्पूर्य जाग्रति का नंचार हुआ । उस समय अन्धवर के जागरक महाराजा जयगिरि जी द्वारा गण्डीय भावनाओं ने प्रोत-प्रोत थे । वे श्री शर्मा की विविध नामाजिक नेवायाँ ने इतने प्रभावित थे कि राज्य के जानन मुम्पार और विळान द्वादि नभी महत्त्वान्वयी मामलों में उन्होंने नदेव श्री शर्मा का महवोग लिया । श्री शर्मा एक प्रकार ने महाराजा के ग्रन्थनिक नगाहनार बन गये थे ।

मार्च 1933 में निटिश सरकार ने महाराजा जयसिंह को उनकी राष्ट्रीय गति-विविधों के कारण न केवल गढ़ी से हटा दिया, बरन् उन्हें देश से भी निर्वासित कर दिया। 19 मई, 1937 को महाराजा जयसिंह का संदिग्ध अवस्था में देहान्त हो गया। निटिश सरकार ने स्व० महाराजा द्वारा मनोनीत उत्तराधिकारी के स्थान पर एक प्रतिक्रियावादी जागीरदार के पुत्र तेजसिंह को गढ़ी पर बैठा दिया। इसकी राज्य में बड़ी प्रतिक्रिया हुई। कुछ नौजवानों ने अलवर में 'पुरजन विहार' पर तिरंगा झण्डा फहरा दिया। उसी दिन पहलीबार अलवर में आमसभा का आयोजन किया गया, जिसमें निटिश सरकार के फैसले की कदु आलोचना की गयी। राज्य सरकार ने रातोंरात छापा मार कर आन्दोलन के प्रमुख कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इनमें प्रमुख थे सर्वश्री हरिनारायण शर्मा, कुंजविहारीलाल मोदी, पं० सालिगराम, अब्दुल शकूर जमाली, डॉ. मुहम्मदअली और लक्ष्मीराम सौदागर। उन्हें 'राजद्रोह' के अपराध में विभिन्न सजाए हुईं। इन वन्दियों को जेल में कठोर यात्रायें दी गयीं जिनमें अनाज पिसवाना भी शामिल था।

बून्दी :

बून्दी में महाराव ईश्वरसिंह का शासन था। सन् 1927 में उसकी पासवान की मृत्यु हो गयी। राजधराने के पुरोहित श्री रामनाथ कुदाल ने पासवान की अन्तिम क्रिया करने से इसलिये इन्कार कर दिया कि वह बून्दी राजधराने की सदस्या नहीं थी। इस पर पुलिस ने उसे खुले आम निर्दयतापूर्वक कत्ल कर दिया। इस घटना के विरोध में राजधानी में लगातार नौ दिन तक हड्डताल रही और प्रदर्शन हुए। पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलानी पड़ी। कुछ लोगों को चोटें आयीं।

बून्दी की जन जाग्रति का वर्णन करते हुये हमें सहज ही वहाँ के प्रतिष्ठित नागर परिवार का स्मरण हो आता है। इस परिवार के श्री नित्यानन्द महता को राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेने के कारण बून्दी राज्य ने राज्य से निर्वासित कर दिया और उनकी पारिवारिक सम्पत्ति जब्त कर ली। श्री नित्यानन्द ने सन् 1930, 32 और 40 के विभिन्न आन्दोलनों में भाग लिया और निटिश जेलों में सजाए मुगतीं। श्री नित्यानन्द की पत्नि सत्यभामा और पुत्र ऋषिदत्त ने भी राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेकर उनका अनुसरण किया।

राजाओं में ब्रिटिश विरोधी भावनायें

सन् 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम में राजस्थान के प्रायः सभी राजाओं ने अंग्रेजों का सार्थ दिया था। पर कालान्तर में वहाँ के कपितय राजाओं में ब्रिटिश विरोधी भावनायें जाग्रत हुईं।

सन् 1818 दी संधि के द्वारा अन्य राजाओं की तरह भेवाड़ के महाराणा भी ब्रिटिश सत्ता की सार्वभौमिकता स्वीकार कर चुके थे। भेवाड़ के प्रशासन में धीरे-धीरे अंग्रेजों का दखल बढ़ता गया और ऐसा लगने लगा था कि जैसे भेवाड़ के शासक महाराणा नहीं वरन् ब्रिटिश रेजीडेन्ट हैं। ऐसे समय में भेवाड़ में महाराणा फतहसिंह के रूप में एक ऐसे नक्षत्र का उदय हुआ जिसने शिशोदियावंश के शीर्य को एक बार पुनः चमकाया।

महाराणा फतहसिंह 23 दिसम्बर, 1884 को भेवाड़ की गद्दी पर आसीन हुये। उन्होंने गद्दी पर बैठते ही राज्य के आन्तरिक मामलों में रेजीडेन्ट और अंग्रेजों के दखल को रोक दिया। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा हेतु सेना तैयार करने से इन्कार कर दिया। सन् 1878 में अंग्रेजों के दबाव में आकर उदयपुर-चित्तौड़गढ़ रेलवे के निर्माण के लिये मूलपूर्व महाराणा सज्जनसिंह जी द्वारा किये गये समझौते को ठुकरा दिया। उन्होंने सभी अंग्रेज अधिकारियों को राजन्सेवा से वरखास्त कर दिया। यही नहीं, उन्होंने अंग्रेजों के विश्वासपात्र प्रधानमन्त्री राय महता पन्नालाल को अपने पद से वरखास्त कर दिया और सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी इशामजीकुण्डण वर्मा को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया। महाराणा की इस कार्यवाही से खिल्ह होकर भेवाड़ के पौलीटीकल एजेंट माइल्स ने भारत सरकार को एक पत्र लिखा जिसमें उसने चेतावनी दी की भविष्य में यदि भारतवासी अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित हुये तो इस बार उनके संगठन की घुरी उदयपुर होगी न कि दिल्ली।¹

सन् 1903 में महाराजा ने दिल्ली पहुँच कर भी लॉडं कर्जन के दरवार का बहिरकार किया। सन् 1911 में वे दिल्ली में जार्ज फंचम के दरवार में भी मन्मिलित नहीं हुये। महाराणा की ब्रिटिश-विरोधी भावना का इस बात से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि जब भारत के वायसराय लॉडं रीडिंग की एक्जोक्युटिव-कौन्सिल के सदस्य नरसिमा वर्मा उदयपुर में महाराणा से मिले तो महाराणा ने उनसे पूछा ‘इन दुष्टों से देश को कब छुटकारा मिलेगा?’² महाराणा का इशारा अंग्रेजों की ओर था।

1. डॉ. लार. मॉर्कर—“भेवाड़-सागा” (अंग्रेजी) पृ. 154।

2. उर्गदाम—कर्जन ट्रॉनेहन एण्ड देनर नाफ्टर (अंग्रेजी) पृ. सं.

इवर बेगुं और विजोलिया के तथाकथित “बोलशेविक” आन्दोलनों को सहती से नहीं दबाने से ब्रिटिश सरकार की नाराजगी और बढ़ गयी। उसने निर्णय किया कि महाराणा को गद्दी से उतार दिया जाये। पर इस निर्णय की राजाओं और जनता में समानूप से तीखी प्रतिक्रिया हुई। इस पर ब्रिटिश सरकार ने महाराणा को लिखा कि वे स्वयं अपने पुत्र महाराज कुमार भूपाल सिंह के पक्ष में गद्दी छोड़ दें।¹ महाराणा ने उसकी यह सलाह छुकरा दी। अब अंग्रेजों ने कूटनीति से काम लिया। वे महाराणा और महाराज में फूट डालने में सफल हो गये। फलतः महाराणा को अपने बहुत सारे अधिकार महाराज कुमार को सौंपने के लिये मजबूर होना पड़ा। उस समय एक चारण कवि ने अपने भाव निम्नलिखित संवेदना पूर्ण दोहे में व्यक्त किये।

“दुष्ठापा री बाट में धाटी कठिन घणी ।

लाठी चौंरा लूटली, घोको जीव घणी ॥²

अर्धात्-द्वद्वावस्था में कठिन धाटियों को पार करते समय चोरों (ब्रिटिश सरकार) ने उनके (महाराणा) सहारे की लाठी (म. कु. भूपालसिंह) लूट ली। इससे स्वामी (महाराणा) के जीवन को बड़ा घोखा हुआ।

इसी घटना को लेकर अजमेर से प्रकाशित “तच्छ राजस्थान” ने अपने 10 फरवरी, 1924 के अंक में लिखा है “यदि महाराणा गोरी सरकार के अन्वे भक्त होते तो ज्ञायद मेवाड़ के प्राचीन यीरव को नाश करदेवाला यह सत्याचारपूर्ण हस्तक्षेप न हुआ होता ।”

महाराजा जयसिंह, अलवर :

अलवर महाराजा जयसिंह के बालिग होते ही सन् 1903 में उन्हें राज्य के शासन सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हुये। उन्होंने न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया। बाल-विवाह, अनमेल-विवाह और मृत्यु-भोज पर रोक लगा दी। रियासत की राज्य भाषा हिन्दी घोषित कर दी। राज्य में पचायतों का जाल बिछा दिया। महाराजा ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एवं सनातन धर्म कालेज लाहौर को उदारता-पूर्वक वित्तीय सहायता दी। ऐसे प्रगतिशील महाराजा से ब्रिटिश सरकार का असन्तुष्ट होना स्वाभाविक था। इसी बीच सन् 1921 में महाराजा ने गोलमेज सम्मेलन लन्दन में घोपणा की कि वे राज्य में जनतान्त्रिक सरकार स्थापित कर स्वयं एक वैदानिक शासक बन जाना चाहते हैं। महाराजा को अपने इन विचारों के लिये भारी कीमत चुकानी पड़ी। सन् 1932-33 में राज्य में साम्प्रदायिक दंगे हुये। अंग्रेजों को महाराजा को पदच्छुत करने का बहाना मिल गया। भारत सरकार ने महाराजा को 48 घण्टे के भीतर राज्य से बाहर चले जाने का नोटिस दिया। महाराजा खादी के वस्त्र पहन कर ता. 22 मई को अलवर से विदा हो गये और ता. 16 जून को यूरोप पहुंच गये। ता. 14 मई सन् 1937 को पेरिस में महाराजा का निधन हो गया।

महाराजा कृष्णसिंह, भरतपुर :

भरतपुर के महाराजा रामसिंह को एक नौकर की हत्या के अपराध में ब्रिटिश सरकार ने सन् 1900 में राजगद्दी से हटा दिया। उनके स्थान पर उनके नाबालिग पुत्र

1. शंकरसहाय सक्सेना—वीजोलिया किंशम बान्दोलन पृ. 275। देखिये परिचित 2 पर ए. जी. नी. हॉलिष्ट के पत्र का हिन्दी अनुवाद।

2. कमंठ राजस्थान “पानिक” ता. 15 अप्रैल, सन् 1978।

44/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

कृष्णसिंह गढ़ी पर बैठे। उन्हें वालिंग होने पर सन् 1918 में ज्ञासन सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हुये। कृष्णसिंह भी उनके समकालीन अलवर के महाराजा जयसिंह की तरह प्रगति-जील शासक थे। उन्होंने राज्य में नगरपालिका और ग्राम पंचायतों की स्थापना की, सहकारी बैंक बनाया और शिक्षा का विस्तार किया। उन्होंने हिन्दी को राजभाषा घोषित किया एवं बैगार प्रथा समाप्त की। उन्होंने राज्य में पोलीटिकल एजेन्ट के दबल को बढ़ा-पूर्वक रोका। सन् 1927 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का 17वां अधिवेशन भरतपुर में हुआ। इस सम्मेलन में रवीन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय और जमनालाल बजाज जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने भाग लिया। ये नेता महाराजा के मेहमान रहे। सन् 1928 में महाराजा ने जनता को शासन में भागीरदार बनाने के लिये ज्ञासन समिति स्थापित करने का निर्णय किया। ब्रिटिश सरकार के लिये यह सब असहनीय था। उसने महाराजा को राज्य में वित्तीय अव्यवस्था का इलाज लगाकर गढ़ी से हटा दिया और राज्य से निर्वासित कर दिया। महाराजा सन् 1929 में चल बसे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान में कम से कम तीन राजाओं को अपनी प्रगतिशील और राष्ट्रीय विचारबारा एवं अंग्रेजों को राज्य के अन्दरूनी मामलों में दबल देने से रोकने के कारण ब्रिटिश सरकार का कोपभाजन बना पड़ा।

राज्यों में राजनैतिक संगठनों की स्थापना

अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ भारत में दो भागों में विभाजित हो गया—ब्रिटिश भारत और रियासती भारत। ब्रिटिश भारत में जनिपव केन्द्र-जासित प्रदेशों के अलावा 11 प्रान्त थे। प्रत्येक प्रान्त का जामिन गवर्नर अधिकारी था। गवर्नर होता था जो भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होता था। रियासती भारत छोटी-छोटी 562 रियासतों में बंदा हुआ था। उक्त राज्यों के बंजानुगत जामिन अलग-अलग सुनिधियों द्वारा ब्रिटिश सरकार को सावंभीमसत्ता के रूप में स्वीकार कर चुके थे। ब्रिटिश सरकार ने इन रियासतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। साथ ही साथ उसने रियासतों पर वह पावड़ी लगा दी कि वे बिना उसकी स्वीकृति के किसी हूचरी रियासतों या प्रान्त ने किसी तरह के सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकेगी। इस प्रकार ब्रिटिश कूटनीति भारतीय जनता को दो विभिन्न कम्पांटेण्ट्स में बांटने में उफल हो गयी। इस घटक नीति का वह परिणाम हुआ कि सन् 1817 से 1941 के बीच जी 125 वर्ष की लम्बी अवधि में 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम को छोड़कर ब्रिटिश भारत और रियासती भारत की जनता ने एककुछ ही कर कर्नी भी ब्रिटिश उत्ता का मुकाबला नहीं किया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन् 1885 में हुई। जीव ही समूचे ब्रिटिश भारत में उसकी जागाओं का जाल बिछ गया। पर रियासतों में एक लम्बे समय तक कांग्रेस या उसके समानान्तर संगठन नहीं बन पाये। इसका मूल कारण यह था कि रियासतों की जनता मूल राष्ट्रीय धारा से अलग-नवग पड़ गयी थी। वह दोहरी गुलामी से इस कदर जकड़ी हुई थी कि उसमें राजनैतिक जाप्रति आने में समय लगा। फिर राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी एक लम्बे समय तक रियासतों के प्रति तड़स्थता जी नीति बरती। वह नहीं चाहती थी कि अंग्रेजों के साथ-साथ राजाओं ने भी उसमें जाये।

महात्मा गांधी के भारत के राजनैतिक वित्ति पर अवशीर्ण होने के बाद ब्रिटिश भारत में होने वाले आन्दोलनों की हवा रियासतों को भी लगने लगी। राजस्वान की रियासतें भी इस हवा से न बच सकीं। वहाँ नालगुजारी, लागवाग, वैठ-वेगार, कुंगी-कर आदि स्थानीय और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर आन्दोलन होने लगे। किसी-किसी राज्य में राजनैतिक संगठन बनाने के प्रयत्न भी हुये। पर इन प्रकार के संगठन बनाने का यही बातावरण सन् 1938 में बना जवाहिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने हस्तिरा अधिकार वेजन में रियासती जनता को अपने-अपने राज्य में राजनैतिक संगठन स्थापित करने और राजनैतिक अधिकारों के लिये आन्दोलन करने की दृष्टि दी। राजस्वान की जनता को

46/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

इन प्रकार के संगठन स्थापित करने में जो संघर्ष करना पड़ा, उसने राजस्थान के गौरवपूर्ण इतिहास में एक और अध्याय जोड़ दिया है।

मेवाड़ (उदयपुर)

यो तो मेवाड़ में मालगुजारी, कागवाग एवं देवार आदि समस्याओं को लेकर ऐसे शक्तिशाली आन्दोलन हो चुके थे, जिन्होंने न केवल मेवाड़ प्रशासन वरन् निर्दिश सरकार को भी झकझोर दिया था, परन्तु वहाँ पर संगठित राजनीतिक आन्दोलन की शुरूआत सन् 1938 में हुई। अनेक जन-आन्दोलनों के सूत्रधार और क्रान्तिकारी श्री माणिकयलाल वर्मा उस समय डूंगरपुर के भीलों में रचनात्मक कार्य कर रहे थे। श्री वर्मा ने अपने अनुभवों से यह भली-भांति समझ लिया था कि विना राजनीतिक परिवर्तनों के समाज में बदलाव नहीं लाया जा सकता। अब हरिपुरा कांग्रेस ने रियासतों में राजनीतिक संगठन बनाने का द्वारा खोल दिया। अतः श्री वर्मा भील-सेवा का कार्य स्थानीय कार्यकर्ता श्री भोगी लाल पंड्या को सींप कर डूंगरपुर से अपनी जन्मभूमि मेवाड़ की ओर चल दिये। एक साईकिल पर सवार होकर वर्मा जी ने सारे मेवाड़ का दौरा किया और राज्य में प्रजामण्डल की स्थापना हेतु वातावरण तैयार किया। उन्होंने उदयपुर पहुँच कर साथियों के साथ विचार-विनियम किया और प्रजामण्डल की स्थापना हेतु 24 अप्रैल, 1938 को श्री वलवन्ति सिंह मेहता के निवास स्थान “साहित्य कुटीर” में कार्यकर्ताओं और सहयोगियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में वर्माजी और श्री मेहता के अलावा सर्वथी भूरेलाल वया, भवानीशंकर वैद्य, यमुनालाल वैद्य, दयाशंकर श्रोत्रिय, हीरालाल कोठारी और रमेशचन्द्र व्यास शरीक हुये। बैठक ने प्रजामण्डल का विधान स्वीकार कर मेवाड़ प्रजामण्डल की विधिवत स्थापना की। श्री वलवन्ति सिंह मेहता प्रजामण्डल के अध्यक्ष, श्री भूरेलाल वया उपाध्यक्ष और श्री वर्मा महामन्त्री निर्वाचित हुये।

प्रजामण्डल की स्थापना से मेवाड़ में एक अभूतपूर्व लहर फैल गई। केवल उदयपुर शहर में तीन दिन के अन्दर प्रजामण्डल के लगभग दो हजार सदस्य बन गये। मेवाड़ के प्रधान मन्त्री श्री धर्मनारायण काक ने वर्मा जी को बुलाकर कहा कि वे प्रजामण्डल की स्थापना के लिये राज्य की स्वीकृति प्राप्त करें। वर्मा जी ने उत्तर दिया कि राज्य में ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिसके आधार पर प्रजामण्डल कायम करने के लिये सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता हो। इस पर सरकार ने ता. 11 मई, 38 को प्रजामण्डल को गैरकानूनी घोषित कर दिया। राज्य में समाचार-पत्रों के प्रकाशन का तो सवाल ही नहीं था। बाहर से आने वाले समाचार-पत्रों पर भी प्रतिवन्ध लगा दिया। जुलूस निकालने और नभा सम्मेलन करने की मुमानियत कर दी गयी। प्रजामण्डल की कार्यकारिणी ने अपने नमस्त अधिकार वर्मा जी को देकर उन्हें प्रजामण्डल का डिक्टेटर घोषित कर दिया। नरकार ने वर्मा जी को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। प्रजामण्डल के लिये यह एक चुनीती थी। वर्मा जी वर्धा पहुँचे और महात्मा गांधी का आशीर्वाद प्राप्त कर अजमेर जाट आये। वहाँ उन्होंने मेवाड़ प्रजामण्डल का अस्थायी कार्यालय स्थापित किया।

वर्मा जी ने अजमेर से “मेवाड़ का वर्तमान शासन” नामक पुस्तिका प्रकाशित की जिसमे उन्होंने मेवाड़ के ज्ञासन की कटु आलोचना की और साथ ही मेवाड़ प्रजामण्डल पर नगायी गई पावन्दी हटाने की मांग की। सेठ जमनालाल वजाज ने भी मेवाड़ के प्रपान मन्त्री को प्रजामण्डल पर लगी पावन्दी हटाने के लिये निसा। परं इन प्रमत्तों का

कोई नतीजा नहीं लिया। यही नहीं कुराचड़ निवासी सुप्रतिष्ठि शिक्षा शास्त्री श्रो. प्रेम चारायण नायुर को दिनांक 28-9-1938 को नेवाड़ से निष्कासित कर दिया। अब प्रजामण्डल के सामने आन्दोलन चलते के सिवाय कोई नार्ग नहीं रह गया था।

अक्टूबर, 1938 में विजय दशमी के दिन प्रजामण्डल ने सत्याग्रह का चुनावन्न किया। प्रतिष्ठि कान्तिकारी श्री रमेश चन्द्र व्यास ने उदयपुर में घंटाघर के निकट जनता को सत्याग्रह में जानिल हैते के लिये आह्वान करते हुये “नेवाड़ प्रजामण्डल जिल्हादाद” के नारे लगाये। श्री व्यास गिरफ्तार कर लिये गये। इसके बाद प्रजामण्डल के प्रमुख नेता और कार्यकर्ता सर्वश्री वलदत्तनिह नेहता, भूरेलाल व्यास, दयाशंकर श्रोत्रिय, भवानी नंकर वैद्य, मधुरा प्रसाद वैद्य, अनुत्तरलाल यादव, प्रजामण्डु भंवरलाल स्वर्णकार, रामचन्द्र वैद्य, जयचन्द्र रेगर, श्रीमती नारायणी देवी वर्मी, श्रीमती रमादेवी ओक्ता, श्रीमती भगवती देवी, श्रीमती ज्ञेहलता वर्मी एवं नर्वश्री परसराम अझवाल, नन्दलाल जोशी, रामनिह भाटी, भंवरलाल आचार्य, नरेन्द्रपाल चौधरी, उमाशंकर छिवेदी, अर्जुननिह राठोड़, कन्हैयालाल धाकड़, गोकुल धाकड़, रूपनाल सोमानी, व्यारचन्द्र विश्वोई आदि एक के बाद एक गिरफ्तार कर लिये गये।

इस सत्याग्रह में लगभग 250 व्यक्तियोंने भाग लिया जो या तो दण्डित हुये या नेवाड़ से निर्वाचित कर दिये गये। वर्मी जी सत्याग्रह का संचालन अजमेर से करते रहे। यह सत्याग्रह अक्टूबर, 1938 से जनवरी 1939 तक चलता रहा। इसी बीच तारीख 2 फरवरी, 1939 को नेवाड़ सरकार के जासूत कर्मी जो को अजमेर राज्य के देवली चानक स्थान से मेवाड़ की जीमा में घसीट लाये और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वर्मी जो को नंगा कर एक खम्मे से बांध दिया और उन्हें दुरी तरह पीटा। महात्मा गांधी को जब इन घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने ‘हरिजन’ में वर्मी जी के साथ किये गये पाश्विक व्यवहार की कड़ी भत्तना की। उन्होंने वर्मी जी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुये कहा ‘सचिनय अवज्ञा करने वालों को याद रखना चाहिये कि बास्त्विक संग्राम तो अब आने वाला है। ऐसा प्रतीत होता है कि देशी राज्य अंगेजों द्वारा छिटिज भारत में सत्याग्रह आन्दोलन के विरुद्ध व्यवहार में लाये गये तरीकों की नकल कर रहे हैं। इस बात की सम्मानना है कि वे उनकी भयानकता में और अधिक सुशर्कर करें। उन्हें जनमत का कोई भव नहीं है, परन्तु सचिनय अवज्ञा करने वाले कैसे भी भयानक तरीके हों उनसे डरेंगे नहीं।’¹

वर्मी जी पर देशग्रोह का नुकदान लाया गया। उन्हें दो वर्ष की सजा दी गई। वे कुम्भलगड़ के किले में बन्द कर दिये गये। इसी वर्ष नेवाड़ में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। नेवाड़ प्रजामण्डल के जो कार्यकर्ता बाहर थे उन्होंने अकाल सहायता कार्य किया उसकी सर्वथ प्रशংসा हुई। इसी बीच कुम्भलगड़ जेल में वर्मी जी का स्वास्थ्य चिन्ताजनक हो गया। राज्य सरकार ने उन्हें इसाज के लिये अजमेर भेजा और वही ४ जनवरी, 1940 को उन्हें रिहा कर दिया। वर्मी जी ने महात्मा गांधी के आदेशानुसार सेवाड़ प्रजा मण्डल द्वारा संचालित सत्याग्रह स्थागित कर दिया।

इन्हीं दिनों मेवाड़ के प्रधान मन्त्री धर्मनारायण काक महाराज कुमार भगवत् सिंह की श दी के प्रश्न को जै कर राजमहल के बड़यन्त्रों के शिकार हो गये। उनके स्थान पर महाराणा द्वारा अपने नये सम्बन्धी वीकानेर के महाराजा गंगासिंह की सलाह पर सर दी। विजय-रघवाचार्य, प्रधान मन्त्री बनाये गये। इस परिवर्तन से मेवाड़ के राजनीतिक वातावरण में थोड़ा परिवर्तन आया। वर्मा जी के नेतृत्व में प्रजामण्डल का एक प्रतिनिधि मंडल नए प्रधानमंत्री से मिला और उनसे प्रजामण्डल पर लगी पावन्दी हटाने की मांग की। मेवाड़ सरकार ने महाराणा के जन्म दिन के अवसर पर दिनांक 22 फरवरी, 1941 को प्रजामण्डल से पावन्दी हटाने की घोषणा की। धीरे-धीरे राज्य के प्रजामण्डल की साख जमने लगी। प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर जिला हक्किम श्री चन्द्रनाथ और लाला प्यारे लाल, स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉ. छगनलाल और पुलिस सुपरिनेटेन्डेन्ट मदनसिंह आदि उच्चाधिकारियों को नीकरी से बर्खास्त कर दिया गया। महाराणा की मूँछ के बाल समझे जाने वाले ब्रट अधिकारियों की बखास्तगी से राज्य की जनता ने राहत की सांस ली। अप्रत्यक्ष रूप से इससे प्रजामण्डल की लोकप्रियता बढ़ गई। राज्य भर में प्रजामण्डल की शाखाएँ स्थापित हो गईं और कुछ ही महीनों में प्रजामण्डल एक जातिशाली संगठन के रूप में उभर कर सामने आया। नवम्बर, 1941 में वर्मजी की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामण्डल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर ने हुआ जिसमें आचार्य कृपलानी और श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित जैसे देश के चोटी के नेताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर मेवाड़ के राजनीतिक क्षितिज पर श्री मोहनलाल सुखाड़िया के रूप में एक नया नक्षत्र उभर कर आया, जिसने कालान्तर में लगातार 17 वर्षों तक राजस्थान के मुख्य मन्त्री के पद पर रह कर अनूठा कीतिमान स्थापित किया।¹ प्रजामण्डल के इस अधिवेशन में मेवाड़ में अविलम्ब उत्तरदायी शासन की स्थापना और जनता द्वारा चुनी हुई विधान सभा स्थापित करने की मांग की गयी।

मारवाड़ (जोधपुर)

जोधपुर में राजनीतिक आन्दोलनों की शुरूआत दिसम्बर, 1928 में हुई, जबकि मारवाड़ हितकारियी सभा ने 'मारवाड़ लोक राज्य परिषद' का अधिवेशन बुलाने का निर्णय किया। जोधपुर-प्रशासन ने परिषद का अधिवेशन बुलाने पर पावन्दी लगा दी। इस समय श्री जयनारायण व्यास व्यावर से 'तरण राजस्थान' का प्रकाशन कर रहे थे। व्यास जी ने जोधपुर सरकार के इस कदम की अपने पत्र में तीव्र भर्त्सना की। राज्य ने सर्वश्री जयनारायण व्यास, आनन्दराज सुराना और भंवरलाल सररफ़ को गिरफ्तार कर लिया। इन पर नागर के किले में एक विशेष अदालत में मुकदमा चलाया गया। अदालत ने श्री व्यास को 6 वर्ष और दूसरे साथियों को 5-5 वर्ष की सजा दी। परन्तु तीनों कार्यकर्ता मार्च सन् 1931 में रिहा कर दिये गये। व्यासजी पुनः व्यावर चले गये। वहाँ वे सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिये गये। वे जनवरी, 1933 में जेल से रिहा हुए। इसके बाद वे वीकानेर पड़यन्त्र अभियोग में गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की

1. श्री नुषाठिया पहली बार सन् 1938 में प्रयाग में आये जब उन्होंने श्रीमती इन्दुवाला के साथ बनर्जीतीय विवाह पर मेवाड़ जैसे रुद्धीवादी प्रदेशों में तहलका मचा दिया था। तब से थे आगे घटते ही गये। मेवाड़, सूतपुर्व राजस्थान और बृहद राज. में मन्त्री रहने के बाद सन् 1954 में वे राज. के मुख्य मन्त्री बन गये। इस पद पर वे सन् 1971 तक रहे। इसके बाद वे कर्नाटक, बांग्ला प्रदेश और तमिलनाडू के गवर्नर रहे। वे सन् 1980 में उदयपुर से लोक सेवा के सदस्य बने वे सन् 1981 में चल देस। वे राजस्थान के आधुनिक निर्माता माने जाते हैं।

पैरको में लग गये। इन्हों दिनों सौकर, भावलपुर और जुहारू में जन आन्दोलन चल रहे थे। व्यासजी ने इन आन्दोलनों का भी समय-समय पर मार्ग दर्जन किया।

सन् 1936 में अंगिल भारतीय देशी राज्य परिषद् का अधिकेशन करांची में हुआ। व्यासजी परिषद् के महामंत्री चुने गये। व्यासजी परिषद् के अधिकेशन में भाग लेकर करांची ने बम्बई चले गये थे। वहाँ से वे 'अखण्ड भारत' नामक पत्र का सम्पादन कर रहे थे। धीरे-धीरे पत्र की आधिक स्थिति खराब हो गयी। वीकानेर के नहाराज गंगासिंह को जब इस स्थिति का पता चला तो उन्होंने गुमनाम से रायसाहब सांघीदास द्वारा व्यासजी को आधिक सहायता का पैगाम भेजा, परन्तु व्यासजी ने अत्रात व्यक्ति को यह खातिर मन्त्रुर करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। महाराजा वीकानेर इस घटना से व्यासजी से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने इस सम्बन्ध में तारीख 21 फरवरी, 1937 को जो पत्र जोधपुर के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड को लिखा वह इतिहास की एक महत्वपूर्ण सामग्री बन गया है। इस पत्र में महाराजा ने कहा है कि 'निःसन्देह श्री जयनारायण व्यास राजाजाही की आलोचना करने में जबते तीखे रहे हैं। लेकिन वे पक्के ईमानदार हैं। उनको कोई ईरप्ट नहीं कर सकता। वे अपनी राजनीतिक सत्यताओं के प्रति सत्यनिष्ठ हैं। देशी रजवाहों में चुनिकल से ही किनी को व्यासजी जैसा पवित्र पायेंगे, जो राजाओं के प्रति जन्मजात धूणा रखते हुए भी ईमानदार हो और देशी राज्यों का शासन शीक प्रकार से चला कर भलाई करने की क्षमता रखता हो। रियासतों की वे हक्कमतें जिनकी आज हम निरारानी करते हैं, अन्त में हमारे इन्हीं दुश्मनों के हांदों में जायेंगी। ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य है कि हम यह ध्यान रखें कि विरोधी देशों में से भले आदमी आरे आये और जब हम हठे तो ऐसे ही लोग जानन की बागडोर जम्माले।'

आधिक कठिनाइयों के कारण व्यासजी को 'अखण्ड भारत' बन्द कर देना पड़ा। व्यासजी ने फिल्मों में क्राम चलने का निर्णय किया। परन्तु कुछ नित्रों के आग्रह से उन्होंने यह विचार त्याग दिया। वे पुनः व्यावर चले गये। वहाँ से वे तारीख 22 जुलाई, 1937 को जोधपुर के लिये रवाना हुए। परन्तु पुलिस द्वारा उन्हें मारवाड़ जंकशन पर ही रोक दिया गया। उनसे कहा गया कि उनके मारवाड़ प्रवेश पर प्रतिबन्ध है। पुलिस उन्हें दूक में डैठाकर च्यावर ले गई और उन्हें वहाँ छोड़ भायी। उधर जोधपुर नगर में सरकार का दमन-चक तेज हुआ। 'मारवाड़ की अवस्था' नामक पत्रि निकालने के सम्बन्ध में तीन व्यक्तियों को दो-दो माह की सजा दी गई। इसी प्रकार श्री अचलेश्वर प्रनाद जर्मी को राजद्रोह के अभियोग में हाई वर्ष की सजा दी गयी।

८५०१५

हरिपुरा कांपेस में स्वीकृत प्रस्ताव के अनुमार 16 मई, 1948 को जोधपुर के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं ने मारवाड़ लोक परिषद् की नीच ढाली। नंस्था का उद्देश्य या 'महाराजा की छत्र-छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना।' मारवाड़ में राजनीतिक जागृति के जनक श्री जयनारायण व्यास निर्वासित अवस्था में च्यावर में रह रहे थे। नोक परिषद् की स्थापना के कुछ महीनों बाद जोधपुर नगर ने व्यास जी को अपने पिता की वीमारी के निनिमिले में करियर शर्तों के साथ जोधपुर राज्य में प्रवेश करने की इजाजत देंदी। फरवरी, 1939 में सरकार ने व्यास जी के लियर लगाये गये नभी प्रतिबन्ध हटा-

50/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

लिये। उन्होंने दिनों सरकार ने एक सलाहकार मण्डल की स्थापना की। व्यास जी इस सलाहकार मण्डल के सदस्य नियुक्त किये गये। इसी वर्ष मारवाड़ में भयंकर अकाल पड़ा। व्यास जी की देखनेरेख में लोक परिषद् के कार्यकर्त्ता अकाल राहत कार्य में जुट गये। सहज ही लोकपरिषद् की लोकप्रियता बढ़ गई और राज्य में परिषद् की शाखाओं का जल विछ गया। फरवरी, 1940 में लोक परिषद् की जोधपुर शाखा ने राजपूताना स्टेट्स-पीपुल्स कान्फेन्स का एक जलसा बुलाने का निर्णय किया। इस सम्बन्ध में लोकपरिषद् के अध्यक्ष श्री रणछोड़दास गट्टानी तारीख 29 मार्च, 1940 को महात्मा गांधी से मिले। परिषद् की बढ़ती हुई लोकप्रियता से जोधपुर सरकार, सहम गई। उसने अचानक ही मारवाड़ लोक परिषद् को गैरकानूनी घोषित कर दिया और व्यास जी सहित 7 कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। यह आन्दोलन कई दिनों तक चलता रहा। इस आन्दोलन में सैकड़ों कार्यकर्त्ता गिरफ्तार हुए। महात्मा गांधी ने "हरिजन" में जोधपुर सरकार की द्वमनकारी नीति की भर्तीना की। अन्त में लोक परिषद् और सरकार के बीच समझौता हो गया। व्यास जी ने लोक परिषद् को मारवाड़ पठिलक सोसाईटीज एकट के अन्तर्गत रजिस्टर करवाना स्वीकार कर लिया। उन्होंने सरकार को विश्वास दिलाया कि परिषद् द्वितीय महायुद्ध के दौरान ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेगी, जिससे कि युद्ध कार्यों में बाधा पड़े। दूसरी ओर सरकार ने लोक परिषद् के महाराज के तत्त्वावधान में उत्तरदावी सरकार की स्थापना करने के उद्देश्य को स्वीकार कर लिया। सरकार ने सभी राजनीतिक बन्दियों को रिहा कर दिया।

जयपुर :

जयपुर के राजा-महाराजाओं ने एक और जहाँ राजस्थान की कला और संस्कृति को समृद्ध बनाया, वही द्वासरी और वहीं के एक नागरिक श्री अर्जुनलाल सेठी ने राजस्थान में ऋान्ति और जन जागरूति का ग्रलख जगाया। जयपुर के एक सभान्त परिवार में तारीख 9 सितम्बर, 1880 में घंदा हुए श्री सेठी ने महाराजा कौलिज से जब बी. ए. पास किया तो उन्हें राज्य की ओर से एक उच्चपद देने का प्रस्ताव किया गया। पर विद्यार्थी दाल में ही देश भवित के रंग में रंगे हुए इस युवक ने प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा "यदि अर्जुनलाल राज्य सेवा करेगा तो अंग्रेजों को देश के बाहर निकाल फेंकने का काम कींगे करेगा?"

सेठी जी ने जयपुर में जन् 1905 में जैन-शिक्षा-प्रचारक-समिति की स्थापना की और उसके तत्त्वावधान में वर्द्धमान विद्यालय, वर्द्धमान छात्रावास और वर्द्धमान पुस्तकालय चलाए। सेठीजी स्वयं जैन-दर्शन-शास्त्र के प्रकाण विद्वान थे, पर सेठी जी ने अपनी विद्वता और संस्थाओं का उपयोग जैन धर्म के प्रसार के लिए नहीं बरन् देश में भावी क्रान्ति के लिये युवकों को जैयार करने में किया।

उन दिनों सेठी जी का महाविपल्ली नायक श्री रासविहारी घोस और उनके माथी शचीन्द्र सान्वाल तथा मास्टर असीर चन्द से गहरा सम्पर्क हो गया था। इन कान्तिकालियों ने अंग्रेजी सत्ता को उवाड़ फेंकने के लिये भारत भरे में हिस्क-क्रान्ति की योजना बनाई। राजस्थान में इन कान्ति के आयोजन का भार शाहपुरा के श्री केंजरी सिंह वारहट, चरवा ठाकुर गोपाल सिंह, व्यावर के सेठ दामोदरदास राठी एवं जयपुर के सेठी जी पर ढाला। सेठी जी की विमेदारी मूलतः नवयुवकों को वर्द्धमान विद्यालय में समुचित प्रशिक्षण देकर भावी क्रान्ति के लिये तैयार करना था।

52/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

कोई वर्षों के बाद सन् 1931 में स्व. श्री कपूर चन्द पाटनी ने प्रजामण्डल की स्थापना की, पर उन्हें आवश्यक जनसहयोग नहीं मिला। अतः काफी समय तक संस्था निर्जीव ही रही। उन दिनों वनस्थली में श्री हीरालाल शास्त्री ने अपनी संस्था “जीवन कुटीर” में कार्यकर्त्ताओं की अच्छी मण्डली तैयार कर ली थी। सन् 1936-37 में सेठ जमनालाल बंजाज की प्रेरणा से जयपुर राज्य प्रजामण्डल का पुनर्गठन किया गया। श्री शास्त्री अपनी जीवन कुटीर मण्डली के साथ प्रजामण्डल के काम में जुट गये। जयपुर के एडवोकेट श्री चिरंजीलाल मिश्रा प्रजामण्डल के अध्यक्ष, श्री शास्त्री महामन्त्री और श्री पाटनी संयुक्त मन्त्री बनाये गये। प्रजामण्डल के अन्य प्रमुख सदस्य थे बाबा हुतिशचन्द्र, सर्वथी हंस डी. राय, लालूराम जोशी, टीकाराम पालीवाल और पूर्ण चन्द्र जैन।

सन् 1938 में प्रजामण्डल का प्रथम प्रविधेशन जयपुर में करने एवं अध्यक्ष सेठ जमनालाल बंजाज को बनाने का निर्णय लिया गया। सेठजी मूलतः सीकर के निवासी थे। उस समय के वर्षों में रहते थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। जयपुर सरकार ने आपत्ति की कि मनोनीत अध्यक्ष का जुलूस जयपुर के मुख्य बाजारों में न निकाला जाये। प्रजामण्डल ने सरकार की शर्त को मानना उचित समझा। सभापति का जुलूस बड़ा शानदार निकाला, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। राज्य में प्रजामण्डल की शाखा जम गयी।

सन् 1938-39 में राजस्थान के अन्य भागों की तरह जयपुर राज्य में भी अकाल पड़ा। प्रजामण्डल के अध्यक्ष श्री बंजाज ने ता. 1 नवम्बर, 1938 को एक विज्ञप्ति जारी कर प्रजामण्डल के कार्यकर्त्ताओं से अपील की कि उन्हें अपनी सभी प्रवृत्तियाँ स्थगित कर राज्य में अकाल राहत कार्य में लग जाना चाहिये। उन्होंने इस समाचार का खण्डन किया कि प्रजामण्डल निकट भविध में कोई आनंदोलन छेड़ने वाला है। बंजाजजी ने राज्य में प्रजामण्डल द्वारा शुरू किये गये राहत कार्यों का जायजा लेने के लिये जयपुर राज्य का हीरा करने का निर्णय किया। ता. 16 दिसम्बर को राज्य ने बंजाजजी के जयपुर प्रवेश पर पावनी लगा दी। बंजाजजी जयपुर राज्य में प्रवेश करने के लिये ता. 29 दिसम्बर को सबाई माध्योपुर मंडेश्वर पहुंचे। वहाँ आईजी. पुलिस एफ. एस. यंग की उपस्थिति में उन्हे वह आज्ञा-धतायी गयी जिसके द्वारा उनके राज्य प्रवेश पर प्रतिवन्ध लगा दिया गया था। बंजाजजी गांधीजी व अन्य कांग्रेस नेताओं से सलाह लेने के लिये दिल्ली लौट गये। जब वह खबर जयपुर पहुंची तो वहाँ से प्रजामण्डल का एक प्रतिनिधि मण्डल श्री हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में बारदोली गया, जहाँ गांधी जी गये हुये थे। गांधीजी ने सलाह दी कि प्रजामण्डल को राज्य से बोलने, लिखने और संगठन बनाने के मूलभूत नागरिक अधिकारों की मांग करनी चाहिये। राज्य को भेजे जाने वाले पश्च का प्राप्त भी स्वयं गांधी जी ने ही तैयार किया।

श्री बंजाज द्वारा राज्य के प्रधान मन्त्री को भेजे गये ता. 9 जनवरी, 1939 के पत्र में कहा गया कि वे राज्य द्वारा जारी की गयी निपेवाजा को तोड़कर ता. 1 फरवरी, 1939 को राज्य में प्रवेश करें। पत्र में आगे कहा गया कि वर्दि राज्य सभाये करने, जुलूस निकालने तथा संगठन बनाने की स्वतन्त्रता नहीं देता है तो प्रजामण्डल मिलिन, नाफरमानी करने को मजबूर होगा।¹

1. श्री हीरालाल शास्त्री, ‘प्रत्यक्ष जावत मास्त’, प. 442-444

सरकार ने मांगे स्वीकार करने की जगह प्रजामण्डल को एक गैर कानूनी संस्था करार दिया। यहीं से संघर्ष की शुरूआत हो गयी। पूर्व सूचना के अनुसार श्री बजाज ने ता. 1 फरवरी को राज्य द्वारा नगारी गयी पाइन्डी को तोड़ कर राज्य में प्रवेश करने का प्रयत्न किया, पर उन्हें रोक लिया गया। इस प्रकार उन्होंने दो तीन प्रयत्न किये। पर राज्य की पुलिस ने हर बार उन्हें राज्य की जीमा से बाहर ढूँक दिया। अन्त में वे 11 फरवरी, 1939 को जयपुर राज्य में प्रवेश करते हुए बैराठ के निकट गिरफतार कर लिये गये। उन्हें मोरा जागर में नज़रबन्द कर दिया गया। उसी रात्रि को 7 बजे जयपुर में जास्ती सदन में चल रही प्रजामण्डल की कार्य समिति के बैठक में भाग ले रहे सर्वेश्वी हीरालाल शास्त्री, चिरंजीलाल अग्रवाल, हरिशचन्द्र जारी, कपूर चन्द्र पाट्टी और श्री हंस डी. राय को पुलिस ने गिरफतार कर मोहनपुरा गाँव के एक मकान में नज़रबन्द कर दिया।

इससे ही दिन श्री चिरंजीलाल मिश्रा भी पकड़े गये। उन्हें भी मोहनपुरा केरम्प में रख दिया। अब सत्याग्रह के संचालन की जिम्मेदारी श्री गुलाब चन्द्र कासनीवाल और श्री दीनतमल भण्डारी ने उठायी। दोनों ने सत्याग्रह का संचालन दड़ी घूँकी से किया। कुछ ही दिनों में आन्दोलन ने जोर पकड़ा। जयपुर जहर में जबरदस्त हड्डताल हुई। हर रोज हजारों लोग सत्याग्रहियों को विदा देने इकट्ठे हो जाते। राज्य के अन्य जिलों में भी आन्दोलन फैल गया। सर्वेश्वी दीक्षाराम पालीवाल, रामकरण जोशी, नुक्तिलाल नोडी, हरिशचन्द्र सोगानी, नरदारमल गोलेढा, केवलचन्द्र मेहता और छगनलाल चौधरी आदि प्रमुख कार्यकर्ता पकड़ लिये गये। लगभग 600 गिरफतारियां हुई। सत्याग्रहियों को 6-6 माह की सजा दी गयी। इस प्रकार सत्याग्रह चल ही रहा या कि महात्मा गांधी ने जारी, 1939 के हीसेरे नपाह में सत्याग्रह स्थगित करने के आदेश दे दिये।

कुछ ही सप्ताह बाद जेल में बच्च प्रजामण्डल के नेताओं और सरकार के दीच अनीकचारिक हृषि से समझौता बानी शुरू हुई। 5 अगस्त को प्रजामण्डल की जार्यालाइटी के बदस्व रिहा कर दिये गये। ता. 8 अगस्त को श्री बजाज भी छोड़ दिये गये। उस दिन जयपुर में श्री बजाज एवं प्रजामण्डल के नेताओं का जबरदस्त जन्म निकाला गया। कुछ दिनों बाद प्रजामण्डल ने संस्था को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एवं एक ने अन्तर्गत पंजियन कराना स्वीकार कर लिया। हूनरी और सरकार ने प्रजामण्डल की मूलभूत अधिकारी की मांग स्वीकार कर ली। 1940 में श्री जास्ती प्रजामण्डल के अध्यक्ष बने। प्रजामण्डल के जार्यालाइटी में भत्तमेद हो गये। श्री बजाज ने प्रजामण्डल में दिलचस्पी नेना बच्च कर दिया। फरवरी, 1942 में श्री बजाज का देहान्त हो गया। राजस्थान की रियासतों के जनदान्दोलन का एक रहनुमा सदा के लिये चल बसा।

बीकानेर :

बीकानेर ने राजनैतिक नंगठन स्थापित करने का प्रथम प्रयान बीकानेर के एक साधारण परिवार में उत्पन्न श्री मधारान देव ने किया। वैद्य ने हा. 4 अक्टूबर 1936 हो “बीकानेर प्रजामण्डल” की स्थापना की। वैद्य स्वयं प्रजामण्डल के अध्यक्ष और नटमला दास च्छामी मन्त्री चुने गये। उनके अन्य सहयोगी भे श्री मिंडालाल बोहरा, श्री मुरेन्द्र बुनार शर्मा, जेदाराम आदि। उन समय बीकानेर में महाराजा रंगालिह का शासन था।

54/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

उन्होंने तत्काल ही बैद्य जी को 6 वर्ष के लिये राज्य से निर्वासित कर प्रजामण्डल की अख्याति कर दी। इस दिशा में दूसरा प्रयत्न नुप्रसिद्ध एडवोकेट श्री रघुवरदयाल ने किया। उन्होंने 22 जुलाई, 1942 को “बीकानेर राज्य प्रजा परिषद्” की स्थापना की। राजस्थान के लगभग सभी राज्यों में इस प्रकार की राजनीतिक संस्थायें सन् 1938-39 में स्थापित हो चुकी थीं। पर महाराजा गंगाराज को सन् 1942 में भी यह मन्त्वुर नहीं था। महाराजा ने एक सप्ताह के बाद ही श्री गोयल को राज्य से निर्वासित कर दिया।

कोटा :

कोटा राज्य में जन जाग्रति के जनक थे पं. नयनूराम शर्मा। उन्होंने धानेदार के पद से स्तीका देकर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था। वे श्री विजयसिंह ‘पथिक’ द्वारा स्थापित राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य बन गये। उन्होंने कोटा राज्य में वेगार विरोधी आन्दोलन चलाया। जिसके फलस्वरूप वेगार की सक्षियों में कमी आई। श्री शर्मा ने सन् 1934 में ‘हाइटी प्रजामण्डल’ की स्थापना की, पर कुछ समय बाद यह संस्था वैज्ञान हो गयी। सन् 1939 में पं. नयनूराम शर्मा और पं. अभिनन्द हरि ने राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के द्वारा योग्य को लेकर कोटा राज्य प्रजामण्डल की स्थापना की। प्रजामण्डल का पहला अधिकेन्द्र पं. नयनूराम शर्मा की अध्यक्षता में मंगरोल में हुआ। 14 अक्टूबर, 1941 को रामगंज मण्डी से अपने गांव निमाणा जाते हुए पं. शर्मा किसी गिरोह द्वारा बेरहमी से कत्ल कर दिये गये। उनके बाद पं. अभिनन्द हरि ने प्रजामण्डल की बागड़ोर सम्भाली।

भरतपुर :

भरतपुर राज्य में राजनीतिक जाग्रति का ठोस प्रयास हस्तिया कांग्रेस के बाद सन् 1938 में हुआ। श्री किशनलाल जोशी ने इसमें पहल की। श्री जोशी सन् 1930 के देशव्यापी नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण अजमेर में चार माह की एवं शेखावाटी आन्दोलन के सम्बन्ध में 13 माह की सजा भुगत चुके थे। श्री जोशी ठाकुर देशराज के साथ रेवाड़ी आये श्रीर वहाँ जुबली ब्रेन अहीर हाई स्कूल में अध्यापन कार्य में रत भरतपुर के राष्ट्रीय विचारों के कार्यकर्ता सर्वेश्वी गोपीलाल यादव, मास्टर आदित्येन्द्र और युगलकिशोर चतुर्वेदी से मिले और तत्काल ही भरतपुर में प्रजामण्डल की स्थापना का निर्णय लिया। श्री यादव प्रजामण्डल के अध्यक्ष, ठा. देशराज और पं. रेवती शरण शर्मा उपाध्यक्ष, श्री किशन लाल जोशी महामन्त्री, श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी सहमन्त्री और मा. आदित्येन्द्र कोषाध्यक्ष चुने गये।

इनी वर्ष भरतपुर प्रजामण्डल ने फतेहपुर सोकरी में पूर्वी राजस्थान की जनता का राजनीतिक सम्मेलन किया, जिसकी अध्यक्षता नुप्रसिद्ध साम्यवादी नेता एम. एन. राय ने की। इस बीच प्रजामण्डल के पदाधिकारी राज्य से प्रजामण्डल को मान्यता देने के सम्बन्ध में प्रयत्न करते रहे। पर जब राज्य ने इस और कोई घ्यान नहीं दिया तो मार्च, 1939 में ठाकुर देशराज द्वीपस्थी श्रीमती देवी के नेतृत्व में प्रजामण्डल के प्रतिनिधि मण्डन ने राज्य सरकार के नमक अल्टीमेटम प्रस्तुत कर मांग की कि या तो वे एक माह के भीतर प्रजामण्डल को मान्यता दें अथवा सत्याग्रह का नामना दरे। अल्टीमेटम का नगरों में आम नभाओं का आयोजन कर सत्याग्रह का श्रीगणेश किया। ठा. देशराज,

सर्वश्री किशन लाल जोशी, जगन्नाथ ककड़, गौरीशंकर मित्तल, मा. फकीरचन्द, दौलतराम शर्मा, घनश्याम शर्मा, ठाकुर पूरण सिंह, सांवलप्रसाद चतुर्वेदी, कलवाराम वैश्य, रमेश स्वामी, पं. हुक्मचन्द, श्री गोकुल वर्मा और श्रीमती सत्यवती शर्मा आदि प्रमुख कार्यकर्ता सत्याग्रह करते हुये गिरफ्तार कर लिये गये। मा. आदित्येन्द्र और युगल किशोर चतुर्वेदी पर सत्याग्रह के संचालन की जिम्मेदारी डाल दी गई। उन्होंने सर्वश्री-रेवती शरण शर्मा, जगपत सिंह, दौलतराम शर्मा आदि साथियों के साथ अचनेरा (उत्तरप्रदेश) में शिविर लगाया। तत्पश्चात् उन्होंने मधुरा से सत्याग्रह का संचालन किया। यह आनंदोलन लगभग 8 माह चला, जिसमें 600 से अधिक सत्याग्रही गिरफ्तार हुये। इनमें 32 महिलायें भी थीं। तारीख 25 अक्टूबर, 1939 को राज्य सरकार और प्रजामण्डल के बीच समझौता हो गया। इस समझौते के फलस्वरूप प्रजामण्डल का नाम बदल कर प्रजापरिषद् रख दिया गया। सरकार ने प्रजा परिषद् को मान्यता प्रदान कर दी। लगभग सभी राजनैतिक बन्दी रिहा कर दिये गये।

अलवर :

पं. हरिनारायण शर्मा और श्री कुंज विहारी लाल मोदी के प्रयत्नों से सन् 1938 में अलवर राज्य प्रजामण्डल की स्थापना हुई। राज्य ने उसी वर्ष सरकारी पाठशालाओं में फीस-वृद्धि कर दी। प्रजामण्डल ने इस वृद्धि का विरोध किया और आनंदोलन छेड़ दिया। फलस्वरूप सर्वश्री हरिनारायण शर्मा, लक्ष्मणस्वरूप त्रिपाठी, इन्द्रसिंह आजाद, नव्यराम मोदी, और राधास्वरूप आदि कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गये। उन्हें राजद्रोह के अभियोग में सजायें हुईं; इस आनंदोलन के दौरान सरकारी स्कूल के एक अवधारक श्री भोलानाथ को राजद्रोहात्मक ब्रवृत्तियों के कारण राज्य सेवा से पृथक कर दिया। वे प्रजामण्डल में शामिल हो गये। उन्हीं दिनों पुलिस ने एक वचकाना हरकत की। उसने प्रजामण्डल के अलवर स्थित कार्यालय पर कब्जा कर ताला लगा दिया। प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं ने कार्यालय पर पुनः कब्जा कर उस पर तिरंगा झण्डा फहरा दिया। सरकार ने कार्यकर्ताओं पर मुकदमा चलाया, जिसमें मास्टर भोला नाथ और श्री द्वारिकादास गुप्ता को सजायें हुईं।

सन् 1940 में राज्य द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के लिये अलवर की जनता ने जवर-दस्ती चन्दा बसूल किया जाने लगा तो प्रजामण्डल ने इसका विरोध किया। पं. हरिनारायण शर्मा और मास्टर भोलानाथ को भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कुछ समय बाद रिहा कर दिया। राज्य में राजनैतिक आनंदोलन का एक चरण समाप्त हुआ।

करौली :

करौली में राजनैतिक जागति की शुरूआत करौली राज्य सेवक संघ के माध्यम से हुई। संघ के अध्यक्ष मुंशी चिलोकचन्द मायुर ने सितम्बर, 1938 में प्रान्तीय कांगेस कमेटी प्रजमेर की एक शाखा करौली में स्थापित की। जब देश की अन्य रियासतों में प्रजामण्डल बने तो श्री मायुर ने अप्रैल, 1939 में करौली में भी प्रजामण्डल की स्थापना की। प्रजामण्डल समय-समय पर प्रस्ताव स्वीकार कर राज्य में शासन सुधार करने की मांग करता रहा। पर प्रजामण्डल और राज्य के बीच होई उत्तराव नहीं हुआ। श्री मायुर की मृत्यु के बाद सन् 1946 में चर्चा संघ के एक कर्दहर्दी श्री चिरजीनाल शर्मा ने प्रजामण्डल की बांगड़ोर सम्भाली।

56/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

धौलपुर :

श्री ज्वालां प्रसाद जिज्ञासु और श्री जाहरीलाल इन्दु ने सन् 1934 में धौलपुर में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। जिज्ञासु ने हरिजन उत्थान का भी कार्य शुरू किया। जिज्ञासु की इन प्रवृत्तियों से धौलपुर में बड़ी जाग्रति हुई। इसका एक लाभ यह हुआ कि जब सन् 1938 में दोनों कार्यकर्ताओं ने प्रजामण्डल की स्थापना की तो उन्हें जनता का बड़ा सहयोग मिला। प्रजामण्डल ने राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मांग की। राज्य ने दमनचक्र चलाया। श्री जिज्ञासु के पुत्र श्रीम प्रकाश शर्मा तथा रामदयाल, रामप्रसाद, वांकेलाल, केशवदेव, केदारनाथ आदि कई कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गये। वे कार्यकर्ता कई महिनों बाद जेल से रिहा किये गये। श्री जिज्ञासु ने राज्य से बाहर रह कर आनंदोलन का संचालन किया। श्री इन्दु को राज्य से निर्वासित कर दिया गया। पर जब वे सन् 1940 में पावन्दी तोड़ कर राज्य में घुसे तो उन्हें पकड़ लिया गया और लगभग 5 साल बाद रिहा किया गया।

सिरोही :

सिरोही के कुछ उत्साही युवकों ने बम्बई में सन् 1934 में प्रजामण्डल की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य महाराव की छत्रछाया में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। इसी प्रकार का एक प्रयत्न सन् 1936 में सिरोही में भी किया गया। पर इन गतिविधियों का कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। इन वर्षों में सिरोही के हाथल गांव में पैदा हुये श्री गोकुलभाई भट्ट बम्बई के विलेपारले क्षेत्र में कांग्रेस को संगठित कर रहे थे। सन् 1938 में हरिपुरा कांग्रेस में लिये गये निर्णय के अनुमार श्री भट्ट ने सिरोही पहुंच कर दिनांक 23 जनवरी, 1939 को प्रजामण्डल की स्थापना की। 8 सितम्बर, 1939 को गोकुलभाई ने सिरोही प्रजामण्डल के तत्वावधान में एक सार्वजनिक सभा की। पुत्रिस ने लाठी चार्ज किया। कई लोगों के चौटे आई, जिसमें स्वयं श्री भट्ट भी सम्मिलित थे। गांधी जी ने अपने पत्र “हरिजन सेवक” में इस घटना को अपनी टिप्पणी के साथ प्रकाशित किया। उसी वर्ष श्री रामेश्वरदयाल अग्रवाल को प्रजामण्डल की गतिविधियों में भाग लेने के आरोप में 8 माह जेल में रखा गया। इसी प्रकार श्री वर्मचन्द्र सुराना को 6 माह की सजा दी गयी। प्रजामण्डल के मंस्यापकों में श्री गोकुलभाई भट्ट के अलावा नवंश्री वर्मचन्द्र सुराणा, धीसालाल चौधरी, रामेश्वर दयाल अग्रवाल, वेलराज और पूनमचन्द्र आदि कार्यकर्ता थे।

शाहपुरा :

सुप्रसिद्ध धीजोलिया आनंदोलन के कर्मठ नेता श्री माणिक्य लाल वर्मा मार्च 1938 में मेवाड़ में प्रजामण्डल की स्थापना हेतु साईकल पर सवार होकर निकल पड़े थे। वे जब गाहपुरा से होकर गुजरे तो बहाँ उन्हें सर्वथी रमेशचन्द्र ओझा और लालूराम च्यास जैसे उत्साही नवयुवक मिल गये। वर्माजी वी प्रेरणा से इन नवयुवकों ने भन् 1938 में माहपुरा राज्य में प्रजामण्डल की स्थापना की। राज्य ने प्रजामण्डल की गतिविधियों में कोई दखल नहीं किया।

किशनगढ़ :

किशनगढ़ राज्य में श्री प्रान्तिचन्द्र चौधार्णी के प्रयत्नों से नन् 1939 में प्रजामण्डल की स्थापना हुई। श्री जमाल शाह प्रजामण्डल के अध्यक्ष और श्री महमूद मन्त्री दनाये गये। राज्य की ओर से प्रजामण्डल की स्थापना का कोई विरोध नहीं किया गया।

राज्यों में राजनैतिक संगठनों की स्थापना/57

जैसा कि उपरोक्त विवरण से प्रकट होता है हरिपुरा कांग्रेस के निर्णय के फलस्वरूप राजस्थान की उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, अलवर, वीकानेर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, सिरोही, किशनगढ़, शाहपुरा आदि रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के उद्देश्य को लेकर प्रजामण्डल, प्रजान्परिषद्, अथवा लोकपरिषद् के नाम से राजनैतिक संगठन स्थापित हो चुके थे। ये राज्यों में भी थोड़ी बहुत राजनैतिक गतिविधियाँ चल रही थीं, पर वहाँ पर वाकायदा राजनैतिक संगठन बनने में काफी समय लगा। कहीं-कहीं तो पं. नेहरू द्वारा केन्द्र में अन्तर्रिम सरकार बना लेने के बाबजूद भी ऐसे संगठन नहीं बन पाये।

भारत छोड़े आन्दोलन और राजस्थान

तारीख 7 और 8 अगस्त, 1942 को वन्वई में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में महासमिति ने फैसला किया कि भारत की स्वतन्त्रता के लिये महात्मा गांधी के नेतृत्व में जन-संघर्ष शुरू किया जाय। महासमिति ने एक और महात्मा गांधी से इस नाजुक घड़ी में राष्ट्र का मार्ग-दर्शन करने की प्रार्थना की और दूसरी ओर भारत की जनता से अपील की कि संघर्ष के दौरान वे एक अनुशासित सिपाही की भाँति महात्मा गांधी के आदेशों का पालन करें।¹

उक्त अवसर पर रियासतों के प्रजामण्डल के नेताओं के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि ब्रिटिश भारत में भावी संघर्ष का नारा होगा 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' और रियासतों में नारा होगा 'राजाओं अंग्रेजों का साय छोड़ो।'² उन्होंने कहा कि प्रजामण्डलों को अपने-अपने राजा-महाराजाओं को यह चुनौती देनी चाहिये कि वे ब्रिटिश सरकार से तुरन्त अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लें। यदि वे इस मांग को स्वीकार न करें तो प्रजामण्डलों को चाहिये कि वे जन-संघर्ष शुरू कर दें। इस प्रकार 1857 के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के बाद यह पहला अवसर था कि जब ब्रिटिश भारत के साय ही साय रियासती भारत को भी अंग्रेजों के विश्वदृष्ट जन संघर्ष छेड़ने का आँद्रान किया गया।

दूसरे ही दिन अर्थात् 9 अगस्त, 1942 को प्रातः 5.00 बजे से पूर्व ही महात्मा गांधी और कांग्रेस के चोटी के नेता गिरफ्तार कर लिये गये। महात्मा गांधी ने गिरफ्तारी के पूर्व देशवासियों को अपने संदेश में स्वतन्त्रता के इस अन्तिम संग्राम में 'करो या मरो' (दू और डाई) का आँद्रान किया। गांधी जी और कांग्रेस के अन्य नेताओं की गिरफ्तारी की देश में तीव्रतम प्रतिक्रिया हुई। जगह-जगह जुलूस, सभाओं और हड्डतालों का आयोजन हुआ। विद्यार्थी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और पाठशालाओं में बाहर आगये और आन्दोलन में छूट पड़े। कल कारब्लाने बन्द हो गये। स्थान-स्थान पर रेल की पटरियां उखाड़ दी गयी। तार और टेलीफोन के तार काट दिये गये। देश के कई भागों में स्थानीय जनता ने समानान्तर सरकारे स्थापित कर दी। उधर जबाब में ब्रिटिश सरकार ने भारी दमनचक्र चलाया। समाचार-पत्रों पर सेन्सर लगा दिया। जगह-जगह पुलिस ने गोलियां चलाई। हजारों आदमी मारे गये। लालों गिरफ्तार कर लिये गये। देश की आजादी की यह सबसे बड़ी लड़ाई थी। राजस्थान की जनता भी इस लड़ाई में पीछे नहीं रही।

1. "हरिजन", ता, 9 अगस्त, 1942 पृ. 263

2. मो. संकर सदाय सरनेना—"जो देश के लिये जिये" पृ. 139

जोधपुर :

जोधपुर राज्य में घटना चक्र ने इस तरह का व्यंग धारण कर लिया कि जिससे देश में भारत छोड़े आन्दोलन शुरू होने के पहले ही मारवाड़ लोक परिपद् और राज्य के बीच संघर्ष शुरू हो गया। सन् 1941 में जोधपुर नगर पालिका के चुनाव हुए। इन चुनावों में मारवाड़ लोक परिपद् को विजय हुई। श्री जयनारायण व्यास स्वयं नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गये। नगर पालिका में रोज-मर्द के कार्यों में सरकार की ओर से दखल दिया जाने लगा। व्यासजी ने सरकार के इस रखेंगी की आलोचना की तो जोधपुर के प्रवान मंत्री नर डोनाल्ड फील्ड ने अपने एक पत्र में व्यास जी पर यह दोषारोपण किया कि उनका जनतंत्र में कोई विश्वास नहीं है और उनके विचारों का नाजी एवं फासिस्ट सिद्धान्तों से अधिक मेल खाता है।¹ इस सब कारणों से राज्य में एक बार फिर राजनीतिक वातावरण खराब हो गया।

सितम्बर, 1941 में राज्य सलाहकार-परिपद् के चुनावों की घोषणा की गयी। लोक परिपद् ने चुनावों के विहिकार करने का निर्णय किया। इसी बीच लाटाकूत्ता और लाग वारों की समस्या को लेकर चन्द्रावल और नीमाज के जागीर इलाकों में गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी। परिपद् के कार्यकर्ताओं और जागीरदारों के बीच तनाव पैदा हो गया और आपस में झड़पें हो गयी। परिपद् के कार्यकर्ताओं के घर जला दिये गये, पर राज्य सरकार ने जागीरदारों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की। महात्मा गांधी ने हरिजन के ता. 10 मई, 1942 के अङ्कु भें इन घटनाओं की निन्दा की।

लोक परिपद् ने सर डोनाल्ड को अपने पद से हटाने और राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिये आन्दोलन करने का निर्णय किया। ता. 25 मई, 1942 को श्री जयनारायण व्यास और परिपद् के अन्य सदस्यों ने जोधपुर नगरपालिका की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। व्यास जी ने लोक परिपद् का विवान स्थगित कर अपने आपको पहला “डिक्टेटर” घोषित कर दिया। व्यास जी परिपद् के एक कार्यकर्ता फतेह राज जोशी के साथ तारीख 26 मई, 1942 को गिरफ्तार कर लिये गये।

राज्य में सत्याग्रह का दौर चल पड़ा।² इस आन्दोलन में जेल जाने वालों में प्रमुख थे सर्वश्री मयुरादास मायुर, स्वामी चेतनदास, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, राधाकृष्ण तात, देवनारायण व्यास,³ छग्नराज चौपासनीवाला, पुरुषोत्तमदास नैयर, गणेशीलाल व्यास स्वामी कृष्णानन्द, अभयमल जैन, भैरवरलाल सराफ, वंशीधर पुरोहित, रणछोड़िदास गढ़नी, संत लाडाराम, सुमनेश जोशी, डा. श्रीचन्द जैसलमेरिया, केवलचन्द्र मोदी, श्री गोपाल मराठा, गोपालकृष्ण जोशी, मूलराज पुरोहित, युगराज बोडा, और राधाकृष्ण पुरोहित (सभी जोधपुर से), सर्वश्री वालकृष्ण व्यास, वालकृष्ण वानवी, अम्बालाल शर्मा, देवकरण धानवी, वालकृष्ण जोशी और मनसुखलाल दर्जी (सभी फर्लांदी से), सर्वश्री मांगीलाल शर्मा (चण्डावल), शिवदयाल दवे (नागोर), श्री कृष्णदत्त शर्मा (पीपाड़ि) चुनीलाल शर्मा (लाडू), पुखराज (बिलाड़ा), माधोलाल सुयार (नीमाज) और वासुदेव भट्टापार (सोजत)। इनके अलावा सत्याग्रह में जो महिलाएं गिरफ्तार हुईं उनमें श्रीमती गोरजा देवी जोशी, श्रीमती साक्षी देवी भाटी, श्रीमती शिरेकंवर व्यास और श्रीमती राजकोर व्यास प्रमुख थीं।

1. सर डोनाल्ड का व्यास जी को ता. 14 जुलाई, 1941 का पत्र।

2. स्व. श्री देवनारायण व्यास श्री जयनारायण व्यास के नुसुद्द में।

60/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

जेल में सत्याग्रहियों के साथ साधारण कैदियों की तरह व्यवहार किया गया। उन्हें खराब खाना दिया गया। उन्हें न तो समाचार-पत्र ही दिये गये, और न खुले में सोने की इजाजत ही दी गयी। इस पर व्यास जी सहित 41 सत्याग्रहियों ने जेल में मूख हड़ताल कर दी। श्री भा. देशी राज्य लोक परिषद् के अध्यक्ष पं० जवाहरलाल नेहरू ने श्री द्वारका नाथ काचरू और महात्मा गांधी ने श्री श्री प्रकाश को स्थिति का अध्ययन करने जोधपुर भेजा। दोनों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर महात्मा गांधी ने जोधपुर की स्थिति पर '21 जून 1942 के 'हरिजन' अङ्क में पूरा सम्पादकीय लेख लिखा जिसमें उन्होंने चेतावनी दी कि यदि श्री जयनारायण व्यास जेल में भूख हड़ताल के दौरान मर गये तो उसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर होगी, जिनके द्वारा शिकायत दूर न करने के कारण उन्हें और उनके साथियों को मूख हड़ताल करनी पड़ी। इसी बीच भूख हड़ताल 'करने वाले एक कार्यकर्ता श्री बाल मुकन्द विस्सा का स्वास्थ्य खराब हो गया। उन्हें काराग्रह से अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ वे ता. 19 जून, 1942 को शहीद हो गये। अन्त में श्री प्रकाश ने बीच में पड़ कर राजनीतिक बन्दियों के साथ जेल में उचित व्यवहार करने की व्यवस्था करवाई।

8 अगस्त, 1942 को महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के साथ ही देश में "भारत छोड़ो" आन्दोलन छिड़ गया। इससे मारवाड़ में भी आन्दोलन में तेजी आयी। अब तक परिषद् के जो कार्यकर्ता संगठन की विष्ट से बाहर थे, वे भी आन्दोलन में कूद पड़े। इनमें प्रमुख थे सर्व श्री द्वारका प्रसाद पुरोहित, हरेन्द्र कुमार चौधरी, तुलसी दास राठी, अगत लाल पुरोहित, बद्रराज जोशी, (सभी जोधपुर से), सर्व श्री गोपाल लाल पुरोहित, शिवकरण थानवी, शकर लाल स्वर्णकार और सम्पत लाल कूँकड़ (सभी फलोदी से) और श्री गणेशराम चौधरी (लाडू) आदि। इनके अलावा जोधपुर से श्री गंगादास भी अपनी 17 वर्षीय राज्य सेवा को ठोकर मार कर सत्याग्रह में शामिल हुये। वे अपने पुत्र श्री तारक प्रसाद व्यास एवं परिवार के 7 सदस्यों सहित जेल में गये।

देश के अन्य भागों की तरह मारवाड़ का विद्यार्थी समाज भी भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान कान्तिकारी गतिविधियों में लग गया था। जोधपुर में अवटूर, 1942 में पहला वम केस हुआ, जिसमें सर्व श्री लालचन्द जैन, हरवल सिंह, सोहनमल लोढ़ा, देवराज जैन, उगमराज मुणोत, प्रेमराज बोडा, मनोहर लाल और वाल किशन आदि युवा विद्यार्थी शामिल थे। उनका इरादा पुलिस लाइन्स के रेकार्ड रूम आदि को उड़ाने का था। पर वे लोग पकड़े गये और जेल में डाल दिए गए, जहाँ उन्हे अमानुषिक यातनाये दी गयी।

दूसरे वम केस में अप्रेल, 1943 में गिरफ्तार किये गये युवकों में ये सर्व श्री जोरावर मल बोडा, रामचन्द्र बोडा, सूरज प्रकाश पापा, पारसमल विवसारा, सीताराम सोलंकी, इयाम पाडे, इयाम सुन्दर व्यास, विजय किशन, किस्तूरचन्द्र पुरोहित और हरिश बनावर। इनमें में सर्व को जोरावर मल बोडा, रामचन्द्र बोडा और सूरज प्रकाश पापा को 8-8 वर्ष कारावास के अलावा जुर्माने की सजायें दी गयी। शेष को 2 वर्द से 4 वर्द के कारावास की सजाये दी गयी। इन युवकों ने वम बनाने का कारबाना स्थापित किया और जोधपुर में स्टेडियम, म्यूनिनिल ऑफिस, रेजीडेंसी और चर्च में वम विम्फोट किये थे जिसने सरकार में खलबनी मच गयी।

राजस्थान में मन् 1942 के आन्दोलन में जोधपुर राज्य का महत्वपूर्ण योग रहा। इस आन्दोलन में लगभग 400 व्यक्ति जेल में गए।

8 नवम्बर, 1942 को जयपुर प्रजामण्डल के अध्यक्ष श्री हीरालाल शास्त्री ने जयपुर के प्रधान मंत्री सर मिर्जा को लिखा है कि समय आ गया है जबकि जयपुर की तरह जोधपुर में चल रहे आन्दोलन का भी समाधान निकाला जाये। उन्होंने लिखा कि वे इस सम्बन्ध में जोधपुर के प्रधान मंत्री सर डोनाल्ड फील्ड के विचार जान लें और यदि वे तैयार हों तो “मैं इस सम्बन्ध में लोक परिषद् के नेताओं से बात कर समस्या का समाधान निकालने का प्रयत्न कर सकता हूँ।” सर मिर्जा ने सर डोनाल्ड को इस सम्बन्ध में पत्र भी लिखा। पर जोधपुर में उस समय जैसी स्थिति थी, उसमें न तो सर डोनाल्ड ही और न श्री जयनारायण व्यास ही श्री शास्त्री की पहल का स्वागत कर सकते थे। फलतः शास्त्री जी के इस प्रयत्न का कोई फल नहीं निकला। श्री शास्त्री ने इस सम्बन्ध में एक और प्रयत्न मई, 1943 में किया, पर उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला।

21 नवम्बर, 1942 की रात्रि को केन्द्रीय काराग्रह जोधपुर में राजनीतिक वन्दियों को पीटा गया। सर्व श्री व्यास, सुभनेश जोशी, छगन लाल चौपासनीवाला, मोती लाल आदि राजनीतिक वन्दियों को गम्भीर चोटें आईं। इस दुर्घटना के तुरन्त बाद व्यास जी को कतिपय सत्याग्रहियों के साथ सिवाना किले में भेज दिया। सर्व श्री मथुरादास माथुर, फतेहराज, गणेशराज व्यास और राधाकृष्ण तात आदि को जालीर किले में और अन्य सत्याग्रहियों को दौलतपुरा किले में बन्द कर दिया गया।

मेवाड़ :

7 अगस्त, 1942 को वम्बई में कांग्रेस महासमिति के ऐतिहासिक अधिवेशन के अवसर पर महात्मा गांधी के सानिध्य में हुई रियासती नेताओं की बैठक में भाग लेकर श्री माणिक्य लाल वर्मा बाहर आये तो इन्दौर के एक मित्र ने उनसे पूछा कि कांग्रेस द्वारा छेड़े जाने वाले भारत छोड़ो आन्दोलन के संदर्भ में मेवाड़ प्रजा मण्डल की क्या स्थिति रहेगी तो उन्होंने तत्क्षण उत्तर दिया “भाई हम तो मेवाड़ी हैं, हर बार हर-हर महादेव वोलते आए हैं, इस बार भी वोलेंगे।¹ स्पष्ट या किसी भी अखिल भारतीय आन्दोलन से मेवाड़ या किसी भी रियासत की जनता कैसे अलग रह सकती थी ?

वर्मा जी जानते थे कि मेवाड़ में घुसते ही उन्हे गिरफ्तार कर लिया जायेगा। अतः उन्होंने वम्बई से लौटते हुये रत्नाम व नीमच आदि स्थानों से ही मेवाड़ प्रजा मण्डल के कार्यकर्त्ताओं को भावी आन्दोलन सम्बन्धी आवश्यक निर्देश जारी कर दिये। वर्मा जी ने उदयपुर पहुँच कर प्रजामण्डल के कार्यकर्त्ताओं से विचार-विनियम किया। उन्होंने 20 अगस्त, 1942 को वम्बई में लिये गये निर्णय के अनुसार महाराणा को अल्टी-मेटम दिया कि वे 24 घण्टे के भीतर ब्रिटिश सरकार से सम्बन्ध विच्छेद कर दें, अन्यथा आन्दोलन का सामना करें। दूसरे ही दिन 21 अगस्त को 12 बजे वर्मा जी गिरफ्तार कर लिये गये। राजधानी में पूर्ण हड्डताल हो गयी। तांगे, खूमचे वाले एवं सज्जी वालों तक ने अपना-अपना बन्धा बन्द कर दिया। सारे नगर में काम काज ठप्प हो गया। मेवाड़ के कौने-कौने में आन्दोलन फैल गया। इसके साथ ही साथ प्रजामण्डल के कार्यकर्त्ता और सहयोगियों की गिरफ्तारियों का जिलसिला शुरू हो गया।

1. प्रो. शंकर जहाय सतमेना—“जो देव के विए जिए” पृ. 140—141

62/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

उदयपुर से सर्व श्री भूरे लाल वया, बलवन्त सिंह भेहता, परसराम अग्रवाल, दयांशंकर क्षोत्रिय, मोहन लाल मुखाड़िया, मोती लाल तेजावत, मोहन लाल तेजावत, अम्बलाल जोशी, वीरभद्र जोशी, हीरालाल कोठारी (वैक वाले), प्यार चन्द्र विश्नोई, रंगलाल मारवाड़ी और रोशन लाल बोदिया आदि प्रमुख व्यक्ति गिरफ्तार हुये। उदयपुर में महिलायें भी पीछे नहीं रही। वर्मा जी की सहवर्मणी श्रीमती नारायणी देवी वर्मा अपने 6 माह के इकलौते पुत्र श्री दीनबन्धु¹ को गोद में लिये जेल गयीं। उनकी पुत्री मुशीला² ने भी अपने माता-पिता के पद चिन्हों का अनुसरण किया। श्री विश्नोई की घर्म पत्नि श्रीमती भगवती देवी भी जेल गयी। सलूंवर से पेन्टर श्री घनश्याम राव गिरफ्तार हुये।

आन्दोलन के दौरान उदयपुर में महाराणा कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थाएँ कई दिनों तक बन्द रही। छात्रों ने नगर में आन्दोलन को तीव्रतम बना दिया। लगभग 600 छात्र गिरफ्तार कर लिये गये, जिन्हे कुछ दिनों बाद रिहा कर दिया गया। कुछ छात्रों ने तोड़-फोड़ के कार्यों में भी भाग लिया। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री शिवचरण माथुर³ ने उन दिनों अपने साथियों के साथ गुनान्कोटा के बीच रेल्वे के एक पुल को डाइनेमाइट से व्यस्त कर दिया।

मेवाड़ में संघर्ष का दूसरा महत्वपूर्ण केन्द्र था नाथद्वारा। उदयपुर में वर्मजी और सुखाड़िया जी की गिरफ्तारी के साथ ही साथ नाथद्वारा में हड्डियालों और जुलूसों की घूम मच गयी। सर्वश्री नरे द्रपान मिह चौधरी, राजेन्द्र सिंह चौधरी, नानालाल कावरा, कज्जू लाल पोरवाल, किशनलाल गुर्जर, पुर्खोत्तम हिटलर, श्रीमती गंगावाई, नवनीत चौधरी, मदन मोहन बीमटिया और रतन लाल करणावट आदि कार्यकर्त्ता और सभ्रान्त नागरिक गिरफ्तार कर लिये गये। राजसमन्व से श्री मंवर लाल आचार्य गिरफ्तार हुये।

भीलवाडा जिले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनमें से सर्व श्री स्पलाल भोमाणी और रामचन्द्र वैद्य (भीलवाडा), उमराव सिंह ढावरिया और मार्णिक राम नुवाल (वनेटा) श्री मथुरा प्रमाद देवी (जहाजपुर) एवं श्री प्रभु दाम वैरागी (हमीरगढ़)।

चित्तीड़ जिले से श्री गोकुल नाल वाकड़, हेमराज वाकड़ और विरदी चन्द्र वाकड़ (नहमील वेगू), गुलाव चन्द्र मेदाटी, फूलचन्द्र वया, शोभा लाल सुनार, शंकर देव भारतीय (कपामन) और जयचन्द्र मोहिल (छोटी सादडी) जेल गये।

वनेड़ा के श्री कनक “मधुकर” भम्पादक “नवजीवन” अजमेर में गिरफ्तार कर लिये गये। उसी तरह मुप्रनिद्र कान्तिरामी योद्धा श्री रमेश चन्द्र व्यास विटिश सरकार द्वारा आन्दोलन द्वितीय ही गिरफ्तार किये जाकर अजमेर सेन्ट्रल जेल में नज़रबन्द कर दिये गये।

1. श्री दीनबन्धु नन् 1981 में उदयपुर में नोकमगा के नदस्य चुने गये।
2. श्रीमती मुर्मोला राजस्थान के द्वारे मुख्य मंत्री श्री निव चरण माथुर की घर्म पत्नि है।
3. श्री माथुर नन् 1968 69 में भोजवाडा में नोकमगा के नदस्य नहे। नन् 67 में वे राजस्थान में निजा मंत्री बने। उनके बाद 77-80 की लवधि वो टोटपर वे बरावर राज्य मंत्री मण्डल में रहे। जून, 81 में वे राजस्थान के मुख्य मंत्री बने। 23 फरवरी, 85 में उन्हें विधान नभा में चुनावों में दोस्त दोग में हुये ‘माननिह’ हन्दा जाए, जो लेकर अपने पद में इस्तीफा दे दिया।

मेवाड़ में सन् 1942 के आन्दोलन में छात्रों के श्रलावा प्रजा मण्डल के लगभग 500 कार्यकर्ताओं और सहयोगियों ने कृष्ण मन्दिर की यात्रा की।

मेवाड़ के प्रधान मंत्री सर टी. विजयराधवाचार्य को यह अफसोस था कि जयपुर और ग्वालियर की तरह से मेवाड़ में आन्दोलन को रोका नहीं जा सका। आन्दोलन के दौरान मेवाड़ सरकार के इशारे पर ग्वालियर के कतिपय कार्यकर्ताओं ने जेल में श्री वर्मा जी से मुलाकात की और सलाह दी कि वे आन्दोलन को वापिस लेने को तैयार हो तो मेवाड़ सरकार राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने को तैयार हो जायेगी। वर्मा जी ने उन्हें उत्तर दिया कि यह संघर्ष राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिये नहीं बरन् सारे देश की स्वतन्त्रता के लिये छेड़ा गया है, जिसे देश के नेता ही वापिस ले सकते हैं। ग्वालियर प्रजामण्डल के नेता लज्जित होकर अपने राज्य को लौट गये।

जयपुर :

अगस्त सन् 1942 के आन्दोलन में जयपुर राज्य प्रजामण्डल की भूमिका विवाद-स्वद रही। उस समय प्रजामण्डल के अध्यक्ष श्री हीरा लाल शास्त्री और महामंत्री श्री कपूरचन्द्र पाटनी थे। कांग्रेस महासभिति के बम्बई अधिवेशन के अवसर पर हुये रियाती सम्मेलन में जयपुर प्रजामण्डल की ओर से श्री शास्त्री ने भाग लिया था। इस सम्बन्ध में शास्त्री जी ने अपनी आत्म कथा में निम्न विवरण दिया है :

“ग्राने वाले संघर्ष की तैयारी के तौर पर कांग्रेस महासभिति की बैठक के समय देशी राज्यों के कार्यकर्ताओं की बैठक भी 8 अगस्त को बम्बई में हुई थी। किसी ने राजाओं को लिखे जाने के लिये एक मसविदा तैयार किया था, उसमें राजाओं को लिखने के लिये खास बात यह थी कि या तो अंग्रेजों से लड़ो या 24 घण्टे के भीतर प्रजामण्डल को राज सम्भला दो। उस मसविदे पर विचार होता उसके पहले ही गाँधी जी आदि पकड़े जा चुके थे और देशी राज्यों में क्या हुआ, इस विपय में कुछ भी फँसला नहीं हो सका। महाराजा को यह लिखने की बात मेरे नहीं जंच रही थी कि या तो आप अंग्रेजों से लड़ो या 24 घण्टों के भीतर प्रजामण्डल को राज सम्भला दो।”¹

शास्त्री जी ने अपनी आत्म कथा में महात्मा गांधी द्वारा सम्मेलन में दिये गये भाषण का कोई उल्लेख नहीं किया है। श्री माणिक्य लाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामण्डल की ओर से उत्तर सम्मेलन में भाग लिया था। वर्माजी ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि सम्मेलन में गाँधी जी से विचार चिनिमय करने के बाद वे बाहर आये तो शास्त्री जी और हरिभाऊ जी से मुलाकात हो गयी। उन्होंने शास्त्री जी से पूछा “कहिये गाँधी जी की सलाह के सम्बन्ध में आपका क्या विचार है?” शास्त्री जी उत्तर दिया कि उनकी समझ में नहीं प्राता कि आखिर राजा तोग अंग्रेजों का साथ कैसे छोड़ेंगे।²

जब सर मिर्जा इस्माइल जयपुर के प्रधान मंत्री होकर आये तो उन्होंने श्री शास्त्री से अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर लिये थे। इसमें श्री जी. डी. विडला ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, जैसा कि सर मिर्जा और श्री विडला के बीच जुलाई, सन् 1942 में हुए पत्र-व्यवहार से प्रकट है।³ जब शास्त्री जी बम्बई से लौटे तो उन्होंने प्रजामण्डल

1. श्री हीरालाल शास्त्री—“प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र”, पृ. 70-71

2. प्रो. शंकर सहाय तत्त्वेना—जो देश के लिये जिने, पृ. 140

3. प्रो. शंकर सहाय तत्त्वेना—,, „ „ „ पृ. 144-146

64/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

की कार्य समिति और साधारण समिति की बैठक दुलाई। इन बैठकों में प्रजामण्डल ने देश की आजादी की मांग की और नेताओं की गिरफतारी की निन्दा भी। इसके साथ ही इन बैठकों में जलदी से जल्दी उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिये कहा गया। महाराजा की ओर से प्रजामण्डल को उत्तर मिला कि “महाराजा की नीति राजकाज में जनता को शामिल करने की है।”¹ प्रजामण्डल को उत्तर से संतोष हो गया। उसके सामने आन्दोलन छेड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं था। सर मिर्जा निश्चिन्त हो गये कि देश के अन्य भागों की तरह जयपुर को जनसंघर्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने 14 अगस्त के अपने पत्र में दींग मारते हुए जयपुर के पोलीटिकल एजेंट मेजर पाउल्टन को सूचित किया कि यह विश्वास करने के लिये अच्छे कारण हैं कि जयपुर प्रजामण्डल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहानुभूति में कोई कार्यवाही नहीं करेगा।²

जयपुर प्रजामण्डल में एक ऐसा वर्ग था जो किसी भी कीमत पर जयपुर को काँग्रेस के अखिल भारतीय आन्दोलन से अलग रखने को तैयार नहीं था। इस वर्ग के नेता थे बाबा हरिश्चन्द्र, श्री रामकरण जोशी, श्री दौलतमल भण्डारी और श्री हंस डी. राय। इस गुट की तरफ से श्री भण्डारी ने 16 अगस्त, 1942 को शास्त्री जी से मेट की और उनके सामने अपने माधियों का विट्कोए रखा। शास्त्री जी ने श्री भण्डारी का तर्क स्वीकार कर लिया। उन्होंने 17 अगस्त की शाम को जयपुर में एक सार्वजनिक सभा में आन्दोलन का श्री गणेश करने का वादा किया। पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार जयपुर में सार्वजनिक सभा हुई, परन्तु शास्त्री जी ने अपने भावणा में आन्दोलन की धोयणा करने की बजाय राज्य सरकार के साथ हुई समझौता बार्ता के बारे में प्रकाश डाला।³ इस प्रकार जहाँ तक प्रजामण्डल का प्रश्न था, स्थिति यथावत रह गयी। इन हालात पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए श्री जी. डी. विडला ने अपने 11 सितम्बर, 1942 के पत्र में सर मिर्जा को लिखा—“आप जयपुर राज्य में शान्ति कायम रखने में सफल हुए हैं। निश्चय ही शास्त्री जी इसमें आपकी सहायता कर रहे हैं। मैं उनके निरन्तर सम्पर्क में हूँ।”⁴

शास्त्री जी के रवैये की जयपुर में आंर जयपुर से बाहर भारी आलोचना हुई। इधर प्रजामण्डल के बाबा हरिश्चन्द्र वाले गुट ने शास्त्री जी द्वारा अपनायी गयी समझौता नीति के विरुद्ध आजाद मोर्चा स्थापित कर आन्दोलन छेड़ दिया। शास्त्री जी दुविधा में पड़ गये। इस बार उन्होंने साहस बटोर कर अपने 16 सितम्बर, 1942 के पत्र द्वारा प्रधाम मंत्री सर मिर्जा को अल्टीमेटम दे दिया कि वे (शास्त्रीजी) प्रजामण्डल के विधान को स्थगित कर जयपुर की जनता का आँहान कर रहे हैं कि वह महात्मा गांधी के निर्देशानुसार भारतीय आजादी के संग्राम में पूरी शक्ति के साथ जुट जाए। शास्त्री जी द्वारा अंग्रेजी में लिखे गये उस पत्र के मुख्य-मुख्य अंश यहाँ हिन्दी में दिये जाते हैं—

1. श्री हीनालन शास्त्री—“प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र” पृ. 71
2. प्रो. मंकर नहाय मरमेना—“जो देश के लिये जिये”, पृ. 147
3. श्री चौ. एन. पानगटिया—“राजस्थान का इतिहास”, पृ. 199-200
4. प्रो. शकर मराय मरमेना—“जो देश के लिये जिये”, पृ. 148

“मैं यह महसूस करता हूँ कि मैं अपना यह पत्र आपको अपने खून से लिखूँ। क्योंकि मैं आपको अपने एक ऐसे निर्णय से सूचित करना चाहूँगा कि जिसकी अवधानक ही आप मेरे से अपेक्षा नहीं कर सकते थे।

“मैं जानता हूँ कि महाराजा जयपुर विना अपना अस्तित्व समाप्त किये न तो विटिश सरकार से सम्बन्ध विच्छेद कर सकते हैं। और न राज्य में उत्तरदायी शासन की घोषणा ही कर सकते हैं। इस विचार ने मुझे यथायिवादी होने के लिये मजबूर कर दिया था और इसी कारण मैं महाराजा सा, और उनकी सरकार से सीधी लड़ाई टालने के लिये सहमत हुआ था।

“मेरा महाराजा से व्यक्तिगत सम्पर्क नहीं है। इसलिये उनके बारे में मैं अधिक कुछ नहीं कह सकता। पर मैं व्यक्तिगत अनुभव से आपको जानता हूँ कि आप जयपुर की जनता को तड़ेदिल से सेवा करना चाहते हैं और मेरा ख्याल है कि महाराजा साहब भी दिल से जनता की भलाई चाहते हैं। पर जब मैं देखता हूँ कि जयपुर की जनता का शीत वर्ग देश में चल रहे जैसे और महान संग्राम में भाग लेने को आतुर है, तो ये सब बातें गोण हो जाती हैं।

“जब से मैंने यह पत्र लिखना शुरू किया मैं वरावर सोच रहा हूँ कि क्या अब भी किसी तरह इस संकट को टाला जा सकता है। मुझे मालूम है कि आप वा महाराजा इन सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकते। मुझे यह भी मालूम है कि संघर्ष को टालने की मेरी दिली ख्वाहिश होते हुये भी मैं कुछ नहीं कर सकता। भारत की जनता जिसमें जयपुर भी शामिल है, विटिश जूए को उतार फैंकने के लिये कटिवट है, जबकि महाराजा जयपुर चाहे वे त्वयं भी जूए से थक गये हों, उसे फैंक कर भारत की जनता, द्वारा छोड़ दिये गये संग्राम में शामिल होने का साहस नहीं कर सकते। इन परिस्थितियों में यह अनिवार्य हो गया है कि महाराजा के विस्तर, जो विटिश सन्नाट के एक मात्रहृत है, सीधा संघर्ष शुरू किया जाये।”¹

शास्त्री जी का यह पत्र दम्भवई में हुये नियासतों नेताओं के नम्मेलन में दी गयी गांधी जी की सलाह के सर्वथा अनुरूप था। अन्य रियासतों के नेताओं ने भी आन्दोलन शुरू करने के पूर्व लगभग इसी प्रकार के पत्र अपनी-अपनी रियासतों के शासकों को लिखे थे। शास्त्री जी ने अपने इस पत्र में समझौते की किसी प्रकार की गुन्जायश नहीं छोड़ी थी।

राज्य सरकार को दिये गये अर्लीमेटम की सार्वजनिक घोषणा शास्त्री जी अगले ही दिन अर्थात् ता. 18 सितम्बर को करने वाले थे, पर वह शुभ दिन आया ही नहीं। शास्त्री जी का अर्लीमेटम पाते ही सर मिर्जा ने उनको अपने पत्र में लिखा कि आपके पत्रों से मुझे गहरा बहका लगा है और पीड़ा हुई है। मैं तब दिल से चाहता हूँ कि आप अब भी राज्य में आन्दोलन का विचार छोड़ दें।² सर मिर्जा ने शास्त्री जी को बाती के लिये आमन्त्रित किया। शास्त्री जी उनसे मिले। तुरन्त ही शास्त्री जी और सरकार के बीच

1. श्री हीरालाल शास्त्री “प्रद्युम्न जोदन शान्त्र” पृ. 357-359 मूल पत्र अंग्रेजी में। मूलपत्र दो प्रति परिग्राम (3) पर देखिये।

2. मूल पत्र की प्रति परिग्राम (4) पर।

66/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

एक “जेन्टलमेन्स एंग्रीमेन्ट” हो गया। इस समझौते के फलस्वरूप शास्त्री जी ने महाराजा के विशद्ध संघर्ष छेड़ने का विचार त्याग दिया।

शास्त्री जी के अनुसार “जेन्टलमेन्स एंग्रीमेन्ट” द्वारा सरकार ने प्रजामण्डल की मुख्यतः निम्न मांगें स्वीकार कर ली।¹

1. युद्ध के लिये अंग्रेजों को राज्य आगे जन धन की सहायता नहीं देमा।
2. प्रजामण्डल को राज्य में शान्तिपूर्वक युद्ध विरोधी अभियान चलाने की स्वतन्त्रता होगी।
3. राज्य द्वारा जनता को उत्तरदायी शासन देने की इटिट से कार्यवाही जल्दी से जल्दी शुरू की जायेगी।

इस समझौते के सम्बन्ध में शास्त्री जी ने दावा किया कि “जयपुर महाराजा और जयपुर प्रजामण्डल त्रिटिश सरकार के मुकाबले में तत्वतः बहुत कुछ एक हो गये थे।² शास्त्री जी का यह दावा किसी भी तटस्थ व्यक्ति के गले में उत्तरने लायक नहीं था। शास्त्री जी द्वारा सर मिर्जा को दिये गये अल्टीमेटम में केवल एक मांग थी और वह थी कि महाराजा त्रिटिश सरकार से सम्बन्ध विच्छेद कर दें। राज्य सरकार, द्वारा जिन मांगों को स्वीकार करना बताया गया वे “अल्टीमेटम” का अंग थी ही नहीं। फिर इस “जेन्टलमेन्स एंग्रीमेन्ट” को न तो हम सम्मानजनक कह सकते हैं और न समझौता ही। सर मिर्जा एक सफल सौदागर सिद्ध हुये। वे बिना कुछ दिये लिये ही प्रजामण्डल को निष्क्रिय बनाने से कामयाव हो गये। शास्त्री जी के इस कदम की राजनीतिक क्षेत्रों में बड़ी आलोचना हुई। उनके एक अनन्य साथी श्री टीकाराम पालीबाल (भूतपूर्व मुख्य मन्त्री) आज भी महसूस करते हैं कि हम लोगों ने भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग न लेकर एक राजनीतिक सूल की थी।

इवर आजाद मोर्चे ने अपना आन्दोलन जारी रखा। इस आन्दोलन में सर्वथी हरिशचन्द्र शास्त्री (वावा), दीलतमल भण्डारी, गुलाबचन्द्र कासलीबाल, चन्द्रशेखर शर्मा, राधेश्याम शर्मा, ओमदत्त शास्त्री, चिरंजीलाल मिश्रा, मदनलाल चैतान, मुकिलाल मोदी, रामकरण जोशी, विजयचन्द्र जैन, गलाबक चौहान, मास्टर आनन्दीलाल नाई, भंवरलाल सामोदिया, मोहन लाल आजाद, गोपालदत्त बैद्य आदि कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गये। उक्त कार्यकर्ताओं के ग्रालाचा राजस्थान चर्खा संघ के कर्मचारी और संकड़ों अन्य नागरिकों ने आन्दोलन में भाग लेकर जयपुर की बात रख ली। ‘जेन्टलमेन्स एंग्रीमेन्ट’ के अनुसार राज्य सरकार को इन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं करना चाहिये था, पर उन्हें गिरफ्तार कर राज्य सरकार ने शास्त्री जी के साथ हुए समझौते का उल्लंघन किया।

“भारत छोड़ो” आन्दोलन के दीरान अजमेर जेल तोड़ कर आये हुये श्री रघुराजमिह ने श्री रत्नाकर भारतीय और श्री राधेश्याम टीकीबाल को क्रान्तिकारी कार्यों की शिक्षा दी। उन्होंने उनको बम बनाना सिखाया। दोनों युवकों ने 2-3 स्थान पर बम विस्फोट करने का असफल प्रयत्न भी किया। आन्दोलन में जयपुर के कॉलेज और स्कूल के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। उन्होंने कई दिनों तक शिक्षण संस्थाओं में हड्डताल रखी।

नवं सेवा संघ के श्र. भा. ग्रध्यक्ष और सर्वोदयी नेता श्री निद्रगज टट्टा जयपुर ने

1. श्री हीरानाल शास्त्री—“प्रत्यक्ष जीवन दान्त्र”, पृ. 71

2. श्री हीरानाल शास्त्री—“प्रत्यक्ष जी दान्त्र”, पृ. 73

निवासी थे। सन् 1942 में उन्होंने कलकत्ता में चम्दर ऑफ कार्मस के सचिव पद से इस्तीफा दे दिया। वे भारत छोड़ो स्थान्दोलन के सिन्हतिले में पकड़े गये और 2 वर्ष तक बाणारसी जेल में रहे।

कोटा :

कोटा राज्य मण्डल के नेता श्री अभिन्न हरि ने कोटा के प्रतिनिधि के हृषि में ता. 7 व 8 अगस्त, 1942 को कांग्रेस महासमिति व रियासती कार्यकर्ताओं की बैठकों में भाग लिया। उनके बम्बई से लौटते ही वे ता. 13 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिये गये। प्रजामण्डल के अध्यक्ष श्री मोतीलाल जैन ने बम्बई पैंथ लिये गये निर्णय के अनुसार ता. 17 अगस्त को महाराजा को अल्टीमेटम दिया कि वे शीघ्र ही अंगेजों से सम्बन्ध विच्छेद कर सकें। फलस्वरूप सरकार ने प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इनमें प्रमुख थे सर्वश्री शम्भुदयाल सक्सेना, बैरीमाधव शर्मा, मोतीलाल जैन और त्वंहुरुलाल जैन। उक्त कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद श्री ताधुलाल जैन ने आन्दोलन की बागड़ोर सम्भाली। उनके नेतृत्व में कोटा के युवकों ने पुलिस को बैरकों में बन्द कर शहर को तवाली पर अधिकार कर लिया और उस पर तिरंगा झण्डा फहरा दिया। जनता ने नगर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। लगसग दो सप्ताह बाद जनता ने, महारावल के इस आश्वासन पर कि सरकार दमन का सहारा नहीं लेगी, शासन पुनः सहारावल को सौंपा। गिरफ्तार कार्यकर्ता रिहा कर दिये गये।

भरतपुर :

महात्मा गांधी और कांग्रेस के अन्य शीर्पेस्त्य नेताओं के बम्बई में गिरफ्तार होते ही भरतपुर राज्य प्रजा परिषद् ने ता. 10 अगस्त, 1942 को राज्य में आन्दोलन छेड़ दिया। परिषद् के कार्यकर्ता मास्टर आदित्येन्द्र, सर्वश्री जुगल किशोर चतुर्दी, जगपति सिंह, जीवाराम, पूर्ण सिंह, रेवती शरण, हुक्मचन्द, धनश्याम शर्मा, गीरीशकंर मित्तल और रमेश शर्मा गिरफ्तार कर लिये गये। उन्हीं दिनों दो युवक श्री गिरधारी सिंह पैथना और रोशन ग्राम ने डाकस्तानों और रेल्वे स्टेशनों के तोड़-फोड़ की योजना बनाई। दोनों ही पकड़े गये। उन्हें 6-6 माह की जेल और जुमनि की सजा हुई। आन्दोलन चल ही रहा था कि राज्य में भयबंद्ध बाढ़ आ गई, जिसमें जन-वन की भारी हानि हुई। अतः प्रजा परिषद् ने आन्दोलन स्थगित कर राहत कार्यों में लगने का निर्णय किया। राज्य के प्रधानमंत्री श्री के. पी. एस. मेनन ने परिषद् के इस निर्णय का स्वागत किया। दोनों पक्षों में वार्ता शुरू हुई। सरकार ने निर्वाचित सदस्यों के बहुमत वाली विधान नभा बनाना स्वीकार कर लिया। सरकार ने ता. 16 अक्टूबर, 1942 को प्रजा मण्डल के सभी कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया।

गाहपुरा :

भारत छोड़ो आन्दोलन शुरू होने के साथ ही साथ गाहपुरा राज्य प्रजामण्डल ने राजाविराज को अल्टीमेटम दिया कि वे अंगेजों से सम्बन्ध विच्छेद कर सकें। फलस्वरूप प्रजामण्डल के कार्यकर्ता सर्वश्री रमेशचन्द्र ओझा, लालूराम व्यास और लक्ष्मीनारायण कांठिया गिरफ्तार कर लिये गये। उन्हें गाहपुरा से दूर डिकोला के किले में बन्द कर दिया और बाद में अजमेर जेल में भेज दिया। गाहपुरा के प्रो. असावा पहले ही अजमेर में गिरफ्तार कर लिये गये दे। उनका वार्ष क्षेत्र उन दिनों अजमेर में ही था।

बीकानेर :

जैसा कि पूर्व के अध्याय में बताया गया है, बीकानेर में जुलाई, 1942 में सुप्रसिद्ध एडवोकेट श्री रघुवरदयाल गोयल ने बीकानेर राज्य परिषद् की स्थापना की। महाराजा गंगासिंह ने एक सप्ताह के भीतर ही श्री गोयल को राज्य से निर्वासित कर दिया। उन्होंने ता. 29 सितम्बर को राज्य द्वारा लगायी गयी पावन्दी को तोड़ कर राज्य में प्रवेश किया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1 वर्ष की सजा दे दी गयी। कुछ समय बाद श्री गोयल के दो साथी सर्वश्री गंगादास कौशिक और दाउदयाल आचार्य भी गिरफ्तार कर लिये गये। इन्हीं दिनों श्री नेमीचन्द्र आंचलिया ने अजमेर से प्रकाशित एक साप्ताहिक में लेख लिखा जिसमें बीकानेर राज्य में चल रहे दमन कार्य की निन्दा की गई। राज्य सरकार ने श्री आंचलिया पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। उन्हें 7 वर्ष का कठोर कारावास का दण्ड दिया गया। उस समय बीकानेर राज्य में तिरंगा झण्डा फहराना अपराध माना जाता था। अतः राज्य के कार्यकर्ताओं ने दिसम्बर, 1942 में झण्डा सत्याग्रह शुरू कर भारत छोड़ो आन्दोलन में अपना योगदान दिया। इसमें सर्वश्री किसन गोपाल गट्टुड़, रामनारायण शर्मा और मंधाराम वैद्य आदि ने भाग लिया। ये सब पुलिस के कोप के भाजन हुए। महाराजा गंगासिंह के निरंकुश शासन काल में असंगठित कार्यकृतों सन् 1942 में इनसे अधिक कुछ न कर पाये। वस्तुतः उन दिनों बीकानेर राज्य राष्ट्रीय आन्दोलन से मुरक्खत माना जाता था। इसलिये मरहठा लाइट इन्फेन्ट्री की इकाइयाँ यदाकदा मध्य एशिया और यूरोप को जाती हुई बीकानेर में मुकाम करती थी। डूंगर नॉलेज, बीकानेर के एक आचार्य डॉ. वी. एल. तालेकर इन्फेन्ट्री के युवक अफसरों से सम्बन्ध स्थापित करते और उनसे छोटे बड़े हथियार प्राप्त कर क्रान्तिकारियों को उत्तर प्रदेश भेजते। डॉ. तालेकर क्रान्तिकारी-आन्दोलन की शिक्षा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में ले चुके थे। आश्चर्य की वात थी कि यह सब सर गंगासिंह की सरकार ने नाक के नीचे हुआ। 'गन-रूपिण' का यह भेद देश के आजाद होने के बाद खुला। तब तक न अंग्रेज रहे और न महाराजा ही।

अचलवर :

भारत छोड़ो आन्दोलन शुरू होने के साथ अलवर और राज्य के अन्य कस्बों में हड्डालों और जुलूमों का दौर शुरू हुआ। श्री कुंजविहारी लाल मोदी को राज्य ने नज़रबन्द बर दिया। पर राज्य ने दमन से काम नहीं लिया। अतः आन्दोलन ने विशेष जोर नहीं पकड़ा। आन्दोलन के दोशान सर्व श्री शोभाराम, रामचन्द्र उपाध्याय और कृपा दयाल मायुर आदि वकीलों ने वकालत छोड़ दी। लाला काशीराम गुप्ता ने राजा महेन्द्र प्रताप, एवं पं. श्रीराम शर्मा जैसे भूमिगत क्रान्तिकारियों को अपने कारखाने में छिपाये रखा।

जैसलमेर :

जैसलमेर अभी भी अर्वैरे युग से गुजर रहा था। राज्य में सन् 1937-38 में सर्वश्री शिवरामकर गोपा, जीतमल जगाशी, मदनलाल पुरोहित, मगनलाल जमाई प्रीर नालचन्द्र आदि नवयुवकों ने लोक परिषद् की स्थापना करने का प्रयत्न किया। पर गजारावल ने कठार्ट के माथ युवकों की गतिविधियों का दमन किया। अधिकतर युवकों को जैसलमेर छोड़ना पड़ा। श्री लालनन्द जोशी नो 6 माह तक जेल में रहे। जैसलमेर के

निर्मुक्त जासून में जन् 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेने का प्रयत्न ही नहीं था। उस समय तो वहाँ अमर गहीब श्री चागरनल गोपा 'जैलचनेर में गुण्डाराज' नामक पुस्तिका लिखने के अपराध में नारकीय बातें भुगत रहे थे।

★ बूंदी :

बूंदी में अमो तक प्रजानण्डल नहीं बना था, परन्तु बूंदी के नुम्पिड नागर परिवार के श्री नित्यानन्द और उनके नुपुत्र श्री ऋषिप्रिष्ठ मेहता ने भारत छोड़ो आन्दोलन में गिरफ्तार होकर देश के प्रति अपना कर्तव्य अदा किया। श्री नित्यानन्द के पिता श्री नेघवाहन बूंदी राज्य के दीवान और स्वयं श्री नित्यानन्द राज्य के सेनानी थे। पर श्री नेघवाहन अप्रेज अधिकारियों के क्रोप भाजन हो गये। कलतः उन्हें न केवल राज्य सेवा से हटा दिया, बरन् राज्य से निर्वासित भी कर दिया। श्रीनित्यानन्द ने भी तत्काल राज्य सेवा से इस्तीफा दे दिया। कुछ वर्षों बाद राज्य ने श्री नित्यानन्द को राज्य से निर्वासित कर दिया और उनकी जायदाद बढ़ाय कर ली। श्री नित्यानन्द जन् 1930 में नमक चत्याग्रह, 1932 में असहदोग आन्दोलन और जन् 1940 में गंधीजी द्वारा चलाये गये व्यक्तिगत चत्याग्रह में जेब नहे। जन् 1942 में श्री नित्यानन्द 4 वर्ष तक बूंदी के किले में नज़रबन्द रहे। श्री ऋषिप्रिष्ठ को अजमेर जेल में भेज दिया, जहाँ वे 1944 में रिहा हुये।

अन्य राज्य :

हूंगरपुर में श्री भोगीलाल पंडिया ने 5 दिच्न्वर, 1942 को एक जार्जनिक सभा कर देश में अंग्रेजी-जासून का विरोध किया। अगले दिन राजधानी में त्रिविज सरकार के ढान के विरोध में छुलूस निकाला गया। स्कूल तथा बाजारों में हड्डाल रही। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, तिरोही और नालादाह में भी नहात्वा गांधी तथा अन्य कांग्रेस नेताओं की गिरफतारी के विरोध में हड्डाले हुई और छुलूस निकाले गये, पर कोई गिरफतारी नहीं हुई। करोली प्रजानण्डल के एक कांवड़नी श्री कल्याण प्रसाद मुफ्ता को नज़रबन्द कर दिया गया। वे तीन माह बाद जेल से छोड़े गये। इन राज्यों में अनी तक राजनीतिक नियंत्रण नहीं बन पाये थे। अतः वहाँ पर जंगाद्वित तरीके पर "भारत छोड़ो" आन्दोलन नहीं चला।

स्वाधीनता संग्राम का अन्तिम चरण

अप्रैल, 1944 में महात्मा गांधी का स्वास्थ्य खराब हो गया। वे आगा खां पेलेस, पूना में नजरवन्द थे। उनकी गम्भीर धीमारी और देश में हुई प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुये ब्रिटिश सरकार ने उन्हें तारीख 6 मई, 1944 को रिहा कर दिया। उस समय भारत के वायसराय लॉड वेबल थे, जो लॉड लिनिलिथगो के स्थान पर आये थे।

अक्टूबर, 1944 में वेबल ने ब्रिटिश प्रधान मन्त्री विन्सटन चर्चिल को लिखा “भारत की वर्तमान सरकार लम्बे समय तक चलने वाली नहीं है। यह सही है कि गांधी जी अधिक जिन्दा नहीं रहेंगे। पर उनकी मृत्यु के बाद उनसे अधिक समझदार नेता आयेंगे, इसमें संदेह है……………फिर युद्ध के समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सैनिक भी बड़ी संख्या में भारत पर अधिकार बनाये रखने लिये ठहरने वाले नहीं हैं।……………अगर हमें युद्ध के बाद भारत को “डोमिनियन” बनाना है तो हमें अभी से उसे एक डोमिनियन की तरह मानने की शुरूआत करनी चाहिये।” वेबल ने अपने पत्र के अन्त में कहा “ये विचार मेरे नहीं वरन् भारत के प्रधान सेनापति और ब्रिटिश भारत के सभी गवर्नरों के भी हैं।”¹

चर्चिल ने उत्तर दिया कि युद्ध-मन्त्री-मण्डल भारतीय तमस्या को प्राथमिकता नहीं दें सकता।² कुछ महिनों बाद वेबल स्वयं लम्बन गये। वहाँ वे चर्चिल से मिले, और भारतीय समस्या का ज़िक्र किया तो चर्चिल ने उत्तर दिया “खुदा के लिये हमें बहिश्याये।”³ पर वेबल अपने मिशन पर छठे रहे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को स्पष्ट कह दिया कि समस्या अधिक दिन तक नहीं टाली जा सकती। दस सप्ताह के परिश्रम के बाद ब्रिटिश सरकार ने वेबल को भारत में नतिरोध दूर करने की दिशा में पहल करने की स्वीकृति दे दी। उस समय यूरोप में विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। जर्मनी ने आत्म समर्पण कर दिया था। इग्लैण्ट में लोकसभा चुनाव होने वाले थे।

जून, 1945 में ब्रिटिश सरकार की अनुमति से वायसराय ने केन्द्र में “अधिक” उत्तरदायी कार्यकारी परिषद (अन्तर्रिम सरकार) बनाने की घोषणा की। साव ही कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को जेल से रिहा कर दिया गया। वायसराय ने अन्तर्रिम सरकार के निर्माण के सम्बन्ध में वार्ता हेतु कांग्रेस, लीग एवं अन्य दलों के प्रतिनिधियों को शिमला में आमन्त्रित किया। कई दिनों के विचार विनिमय के बाद वार्ता अन्तफत हो गयी।

1. येवलन जरनल, पृ. 98
2. येवलन जरनल, पृ. 98, 128
3. येवलन जरनल, पृ. 98, 128

अगस्त, 1945 में जापान के आठ समर्पण के साथ द्वितीय विजय युद्ध समाप्त हो गया। इण्डियन में आम चुनाव हुये। भजहर दल विजयी हुआ। एटली चर्चिल के स्थान पर प्रधान मन्त्री बने। एटली ने बैबल को कहा कि वे जीत्र ही केन्द्रीय धारा सभा और प्रान्तीय विद्याल सभाओं के चुनाव करावे और चुनावों के बाद बैबल में नवी कार्यकारी परिषद का निर्माण करें।

सन् 1946 के शुरू में केन्द्रीय धारा सभा और प्रान्तीय विद्याल सभाओं के चुनाव हुये। चिन्ह और बंगाल में मुस्लिम लीग ने अन्य दलों के साथ नितकर नियन्त्रण बनाया। पंजाब में कांगड़, यूनियनिस्ट और अजाली दल ने जिला छुला नियन्त्रण बनाया। जेय 8 प्रान्तों में कांगड़ नियन्त्रण बने। केन्द्रीय धारा सभा में दोनी मुस्लिम सभा (30) लीग ने जीते। जेय सभाओं में संघर्ष सभी (56) कांगड़ ने जीते।

19 जून वरी, 1946 को एटली ने भारत का विदान बनाने की प्रक्रिया तय करने और केल में अस्वादी जन-प्रतिनिधि-उत्तराकार स्वायत्त करने की इष्टि से भारत संचिक लॉर्ड पैथिक लॉरेन्स के नेतृत्व में तीन नियन्त्रणों का एक उच्च स्तरीय "प्रतिनिधि नियन्त्रण" (कैबिनेट नियन्त्रण) भेजते की घोषणा की। कैबिनेट नियन्त्रण 24 नार्च को भारत पहुंचा। नियन्त्रण ने भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों से विचार-विनियय करने के बाद उत्तरी 16 नई को अपनी योजना की घोषणा की। कांगड़ और लीग दोनों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। पर बाद में लीग अपने फैसले से नुकर गयी। अतः कांगड़ के अध्यक्ष ने अवाहन लाल सेहरु ने तारीख 2 जिलम्बर, 1946 को लीग के द्वारा ही केन्द्र में अपना नियन्त्रण बनाया। शुद्ध सभय बाद बैबल के समझाने पर लीग ने नी नियन्त्रण योजना नियन्त्रिकार कर ली और वह नी नियन्त्रण ने जारी किया गया। पर वह नियन्त्रण बनाने कर सका। वह बिल्ड और लीग दो अलग-अलग गुटों में बंट गया। उत्तराकार में एक जबरदस्त गतिरेत पैदा हो गया।

ता. 20 फरवरी, 1947 को एटली ने घोषणा की कि डिटिंग सरकार जून, 1948 के पूर्व सक्ता जिम्मेदार भारतीय हाथों में चौप देगी। रिक्सतों के बारे में उन्होंने इहा कि सक्ता के हस्तान्तरण के साथ ही साथ रिक्सतों पर डिटिंग सार्वभौम न्याय समाप्त हो जायेगी। उन्होंने वह नी घोषणा की कि भारत में राजनीतिक गतिरेत हो समाप्त करने के लिए बैबल के स्थान पर लॉर्ड नाइटवेटन सामूह के वायकराय होंगे।

माइट्टवेटन ने ता. 24 नार्च, 1947 को अपने पड़ का कार्यभार सम्पादा। भारतीय नेताओं से लम्बे विचार-विनय के बाद उन्होंने अन्ये प्रस्ताव हस्ताक्षर कर डिटिंग सरकार को भेजे। डिटिंग सरकार ने ता. 3 जून को इक्के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। इन प्रस्तावों का मार्गान्तर नियन्त्रण था :—

1. डिटिंग सरकार ता. 15 अगस्त, 1947 को सक्ता हस्तान्तरित कर दी।
2. डिटिंग भारत का विभाजन होगा। पंजाब और बंगाल के मुस्लिम छहल खेत्र और चिन्ह जो नियाकार पारित्यान का निर्माण किया जायेगा।
3. नीमा प्रान्त और आमान के नियहृद निये की जकता "जनसत" द्वारा वह निर्देश दिये गए कि वह नये राष्ट्र पाकिस्तान में जारी किया जायेगा। जाहरी है इन्होंने भारत में रहना चाहती है।
4. नियामतों को अधिकार होगा कि वे भारतीय चंडे वे जारी किये हों अद्वा पाकिस्तान में अधिकार होने आने को स्वतंत्र घोषित कर दें।

72/ राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

उसी दिन अर्थात् 3 जून, 1947 की संध्या को भारत के राजनैतिक दलों ने उक्त योजना को स्वीकार कर लिया। 15 अगस्त, 1947 को भारत का विभाजन हो गया। तब तिमित पाकिस्तान की राजधानी करांची में श्री जिन्ना ने गवर्नर जनरल के पद की ओर उनके दायें हाथ नवाबजादा लियाकत अली खान ने प्रधान मन्त्री के पद की शपथ ली। उसी दिन दिल्ली में पं नेहरू और उनके मन्त्री मण्डल ने शपथ ली। कांग्रेस दल की प्रार्थना पर लॉर्ड माउन्ट वेटन भारत के गवर्नर जनरल बने रहे। इस प्रकार भारतीय जनता द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध सन् 1857 में शुरू किये गये संग्राम की परिणति 90 वर्ष बाद भारत की स्वतन्त्रता में हुई। दूसरी ओर भारत के विभाजन द्वारा श्री मोहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान बनाने की महत्वाकांक्षा पूरी हुई।

“भारत छोड़ो” आनंदोलन के बाद निटिश भारत में तेजी से हुए राजनैतिक परिवर्तनों का असर राजस्थान की विभिन्न रियासतों के शासकों पर किस प्रकार और किस सीमा तक पड़ा, यह एक दिलस्चप कहानी है। कुछ राजाओं ने निटिश सत्ता की समाप्ति में अपनी-अपनी रियासतों की स्वतन्त्रता के स्वप्न देखना शुरू किया। कुछ ने इन परिवर्तनों को समझा और समय के अनुसार प्रशासन में आवश्यक सुधार किये। कुछ ऐसे भी थे जो कि कर्तव्य विसूढ़ हो गये और समझ ही नहीं पाये कि यह क्या का क्या हो गया। तो आइये इस संकामक काल में राजस्थान की विभिन्न रियासतों में निटिश भारत में हुए परिवर्तनों की क्या-क्या प्रतिक्रियाएँ हुईं, इसका जायजा लें।

मेवाड़ :

सन् 1943 में मेवाड़ के प्रधान मन्त्री सर टी. विजवराघवाचार्य के निमन्त्रण पर श्री सी. आर. राजगोपालाचार्य (राजाजी) उदयपुर आये। उनके आने के कुछ दिन पूर्व प्रधान मन्त्री ने प्रजामण्डल के अध्यक्ष श्री माणिक्य लाल वर्मा को जेल से रिहा कर दिया। प्रधान मन्त्री की सलाह से राजाजी वर्मा जी से मिले और उन्हें बताया कि रियासत में भारत छोड़ो आनंदोलन को वापस ले लें तो मेवाड़ सरकार राज्य में उत्तराधीय शासन स्थापित करने की ओर आवश्यक कदम उठायेगी। राजाजी पाकिस्तान के मुद्दों को लेकर कांग्रेस से अलग हो चुके थे। वे भारत छोड़ो आनंदोलन के भी विरुद्ध थे। वर्मा जी ने उत्तर दिया कि हमारे नेता महात्मा गांधी हैं। उन्हीं के आदेश पर हमने आनंदोलन छोड़ा है। हम एक सच्चे सिपाही की भाँति सेनापति की आज्ञा के बिना आनंदोलन वापस नहीं ले सकते। राजाजी रण बांकुरे वर्माजी का उत्तर सुन कर हतप्रभ हो गये। राजाजी प्रजामण्डल के अन्य नेताओं में भी मिले, पर उनसे भी उन्हें निराशा हुई।¹ कुछ समय बाद सरकार ने शनै-शनै प्रजामण्डल के अन्य कार्यकर्ताओं को भी रिहा कर दिया।

सन् 1945 में वर्मा जी ने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद् का पट्टम अधिवेशन उदयपुर में बुलाया। यह अधिवेशन पं. जबाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में ना. 31 दिसम्बर सन् 1945 और 1 जनवरी, 1946 को नगर के सलैंटिया मैदान में हुआ। इस अधिवेशन में देश भर की रियासतों के नेता सम्मिलित हुये जिनमें शेरे काश्मीर और अब्दुल्ला का नाम उल्लेसनीय है।

अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद् ने एक प्रस्ताव द्वारा रियासतों के शानकों

1. प्रो. शक्तर महाप मानेना—“जो देश के लिये जिये”, पृष्ठ 151-152.

मेरे अपील की हि बेदेह मेरे तेजी के बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों को आज मेरे रखने हुये अपनी-अपनी रियासतों में अविस्त्र उच्चरक्षणीय जालन स्थापित हो। अधिकार भूमि राजस्थान ही गिरावटों में अमृतपूर्व जाग्रत हो गया।

राजस्थान की इस यात्रा के दौरान पर्ने हहर को दो अन्य अधिकार स्थानों से उन्नराजि नेट हुई। उच्च पर्ने हहर नार द्वारा अधिकार मेरे उच्चपूर्व का रहे थे तो राह में डाक्टरों ने अमृतपूर्व की योजा पर कार और रोक लिया। डाक्टर दन के देश लभारा मिह रखवा ने पर्ने हहर को 10 हजार रु की दैती नेट बनाना चाहा तो पर्ने हहर ने ईनी नेट के छह कह वर डिक्टार बर दिया कि अंग्रेज समाज विरोधी दलों से बनाना स्वीकार नहीं करती। लड़नरा मिह ने कहा कि अंग्रेज सेटों के बनाए लेती हैं और के सी उन्हीं दलों में के हैं। उसने कहा कि हर भारतीय जो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वेद की अवधी से देख देने का अधिकार है। पर्ने हहर के बाय यात्रा कर रहे अधिकार अंग्रेज के देश और सुशनिष्ठ बहीन श्री मुकुट चिह्नारी नाल भारत ने पर्ने हहर को बदाया कि लभारा मिह और कोई नहीं सुशनिष्ठ अन्तिमारी स्व. बाकुर गोपालपांडित लखवा के परिवार में है, एवं अंग्रेजीयों वग उसे बह पेश अल्पियार करता पहा है। श्री नारांश के उत्तर स्वामीबाबा के बाब पर्ने हहर ने ईनी स्वीकार न कर ली। डाक्टर दन गदगद होकर पर्ने हहर को "जम हिन्द" बहुत हुआ पुनः बीहों में गम्भीर हो गया।

पर्ने हहर को इमरी ईनी नेटाह के नहरराम सूनल मिह ने नेट की। अ. भा. देशी राज लोक अधिकार के अधिकार के अन्तर पर नहरराम सूनल के उच्चस्त्रम्भ चले गये थे। उसने वहीं पर्ने हहर को अमनित निया और 25 हजार रुपये की ईक्षी नेट की जिसे पर्ने हहर ने नामार स्वीकार कर लिया।

अ. भा. देशी राज सूनल अधिकार के अधिकार से उच्चस्त्रम्भ जुड़ति की दशी नहर नद्य भागर में देजी में हो गए अनिवार्यों को अगल में रखने का नेटाह सूनल दरमार ने विधान निवासी-कमिटी ने नियोग दिया। इस नियोग में डला-माहून दुर्गा नानवद उच्चस्त्र भी वालिन नियोग गये। नियोग ने नारोह 29 मिहन्दर, 1946 जो अपनी रिपोर्ट की। नरसार ने नियोग की रिपोर्ट जो कमीकार नहीं निया, अपेक्षित नियोग ने सन्दिग्धान को विचार सभा के प्रति उच्चरक्षणीय बनाने की सिफरिज की थी।

ता. 16 फरवरी, 1947 को अपने बन्द विवाह दर नहरराम ने बोपरा की हि बेची ही राज में विधान सभा की स्वायत्त बरसे और जनता के ग्रामिणियों को दरमार में बालिन कराये। इस घोषणा को दूर्घात देने के लिये नहरराम ने डा. 2 नारे, 1947 को नेटाह के भागी विधान ही दूररेखा जो बोपरा की। बोपरा के अनुदार 46 वडाओं की बाय सभा में 18 स्थान बालीराम, राजगारीराम, नारदीराम, अनिक, उद्देशपति, व्यायामी और उन जातियों के लिये नुरसिन रहे गये और जेप 28 स्थान विधान नियोगिकार के आधार दर भरे जाने के लिये छोड़ दिये गये। नहरराम ने अपनी बोपरा में विवास विदाय नियोग सुना होने के बाद जेरे-बोरे इन प्रतिनियों को नियमनांड में नामिन लिया जाएगा। इस समय तक देश बहुत अस्ति रहा चुना था। केस्ट में नियोग नेटे हुए अन्तरिक्ष बनावार बना चुके थे। बदा ग्राम नामने में इन चुनारों को उच्च हो अनुकूल नहीं नाम कर दूररा दिया। ईनी कीव ग्राम नामी नाम दी गयी विवास विदाय राजरक्षण के प्रबन्धों के नियार हो गये। वे मरने दर से अटीका देने चले गये।

74/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

महाराणा ने विद्युत विधि वेता श्री के. एम. मुंशी को अपना वैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। श्री मुंशी बम्बई-प्रान्त के प्रमुख कांग्रेस नेता रह चुके थे। कुछ समय पूर्व नीति सम्बन्धी मतभेदों के कारण उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। श्री मुंशी ने भेवाड़ राज्य का संविधान तैयार किया। महाराणा ने उसे ज्यों का त्यों स्वीकार कर ता। 23 मई को प्रताप जयन्ती के अवसर पर लागू कर दिया। मुंशी ने संविधान में देवस्थान-निधि एवं प्रताप विश्वविद्यालय की स्थापना, मूलभूत नागरिक अधिकार और स्वतन्त्र न्याय-पालिका के लिये प्रावधान कर संविधान को आदर्शवादी रूप देने का प्रयत्न किया। पर जहाँ तक विधान सभा और मन्त्रिमण्डल के गठन और दायित्व का प्रश्न था, विधान अस्पष्ट था। प्रजामण्डल ने इसे अप्रगतिशील और अस्पष्ट बताया तो क्षत्रिय परिषद् ने इसे सरकार द्वारा प्रजामण्डल के सम्मुख समर्पण की संज्ञा दी। महाराणा ने संविधान लागू करने साथ ही साथ विधान-सभा के चुनाव होने तक अन्तरिम काल के लिये प्रजामण्डल के 2 प्रतिनिधियों और क्षत्रिय परिषद् के एक प्रतिनिधि को मन्त्रिमण्डल में लेने की घोषणा की थी। दोनों दलों ने सरकार की दावत मन्त्रूर कर ली। फल-स्वरूप महाराणा ने ता। 28 मई, 1947 को प्रजामण्डल की ओर से श्री मोहन लाल सुखाङ्गिया और श्री हीरालाल कोठारी एवं क्षत्रिय परिषद् की ओर से श्री रघुवीर सिंह ओद्धड़ी को मन्त्री पद की शपथ दिलाई।

इस समय रियासतों की ओर से भारतीय संविधान परिषद् में प्रतिनिधि भेजने का सबाल बढ़ा अहम बना हुआ था। नरेन्द्र मण्डल के चांसलर भूपाल के नवाब की रहनुमाई में कतिपय रियासतें अपनी स्वतन्त्रता का स्वप्न देख रही थीं और संविधान परिषद् में अपने प्रतिनिधि भेजने में टालमटोम कर रही थीं। ऐसी परिस्थितियों में उदयपुर उन रियासतों में से एक था जिसने विना हिचकिचाहट के अपने प्रतिनिधि संविधान परिषद् में भेजने का निर्णय किया। उदयपुर से भेजे जाने वाले दो प्रतिनिधियों में एक वहाँ के प्रधान मन्त्री और दूसरे श्री माणिक्य लाल वर्मा थे।

प्रजामण्डल और क्षत्रिय परिषद् ने भेवाड़ के संविधान के कतिपय प्रावधानों को लेकर तो अपना विरोध जाहिर कर ही दिया था। अब राज समिति के निर्माण और उनके अधिकारों सम्बन्धी अनुच्छेद-3 की कतिपय धाराओं को लेकर राजमहलों में हड़कम्प आ गया। संविधान में राज समिति को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी महाराणा को मानसिक इप्टि से राज्य की गदी के लिये अयोग्य घोषित कर उनके स्थान पर उनके उत्तराधिकारी को गदी पर बैठा सकती है। उन दिनों महाराणा और उनके दृतक पुत्र महाराज कुमार भगवत सिंह जी के बीच सम्बन्ध विगड़ गये थे। अतः दोनों और चुगल-सौरों की बन आई। महाराणा के कान भर दिये गये कि सामन्त वर्ग महाराज कुमार और श्री मुक्ती से मिलकर संविधान के उत्त प्रावधानों के अन्तर्गत उनके स्थान पर महाराज कुमार को गदी पर बैठाने का पड़यन्त्र कर रहा है। उन दिनों सामन्त वर्ग महाराज कुमार के इं-गिंद चक्कर लगाने लग गया था। फिर राज समिति में सामन्त वर्ग का वहुमत था। अतः महाराणा अपवाहों से चिन्तित हो गये। उन्होंने अपने एक युराने विद्युतसंपाद तहायक को सुप्रसिद्ध विधि वेता और भारतीय संविधान परिषद् को ड्राफ्टिंग समिति के एक सदस्य सर अल्लादी कृष्णा स्वामी ऐवर के पास सलाह के लिये भेजा। सर अल्लादी ने कहा कि भेवाड़ के संविधान में संजोधन केवल भेवाड़ की विधान सभा की सहमति से

हो हो सकता है। किर भ महाराष्ट्रा चाहे तो अपने विजेपादिकारों को कान में लेकर संविधान के अनुच्छेद-3 की धारा-11 के अन्त में यह दाक्षय बोइ दें कि “इन धारा का प्रभाव दत्तनाल महाराष्ट्रा नूपाल निधि के जीवन-साल में नहीं होगा।” पर उत्तर अल्लादी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि इस संशोधन को अदानत में तुनीची दी गयी तो यह संशोधन अवैधानिक रह राया जा सकता है। परन्तु संघमीत महाराष्ट्रा ने नर अल्लादी की चलाह मित्रते ही ता. 5 जून, 1947 ई रात्रि को अपने विजेपादिकारों को कान में लेते हुए संविधान में उक्त संशोधन कर ही डाला। तब अगले दिन श्री नुसी ने सरकारे गवर्नर “सुजन की कीर्ति मुद्राकर” में उक्त संशोधन को देखा तो वे उत्तम ही अपने पड़ में इस्तीफा दे कर चले गये।¹

नेवाड़ी प्रभासतन में श्री नुसी के इस्तीफे से हुई रिक्ता की पूर्ति के लिये महाराष्ट्रा ने रियासती विभाग के मन्त्री गोपालास्थानी आवंगर की चलाह पर एक नेवाड़ा निवृत्त आई। सो. एम. अविकारी नर रामानूर्ती को नेवाड़ा का प्रधान मन्त्री नियुक्त किया। नवे प्रधान मन्त्री की नियुक्ति के साथ ही साथ नेवाड़ा में पुनः राजनीतिक हलचल शुरू हो गयी।

क्रिटिक घोषणा कर चुकी थी कि वह ता. 15 अगस्त, 1947 को भारत में कांग्रेस को आंतर पाकिस्तान में नुस्लिन नींग को सत्ता हस्तान्तरित कर देनी। अतः रियासतों को उक्त तारीख के मूदे यह निर्णय करना या कि वे पाकिस्तान में जामिल होंगी या भारत में अथवा स्वतन्त्र रहेंगी। नहाराजा जोधपुर ने महाराष्ट्रा से पेंजाब की जिनेवाड़ा जोधपुर और कनिपय अन्य रियासतों के साथ पाकिस्तान में जामिल हो जाये तो जिक्का उसकी मनचाही गते नामने को होवार है। पर महाराष्ट्रा ने उत्तर दिया “भारतीय अप महाराष्ट्र में नेवाड़ा का स्थान कहाँ होगा, उसका नियंत्रण तो ऐसे पूर्वज भावाविदों पूर्व ही कर दुके। यदि वे देश के प्रति गढ़ारी करने तो मुझे भी आज हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत रियासत में निलंबी। पर न तो नेरे पूर्वजों ने ऐसा दिया आंतर न ने ऐसा कह गया। नेवाड़ा भारत के साथ या आंतर अब भी बही नहेगा।”² महाराष्ट्र के इस उत्तर के साथ ही साथ जिक्का, नूपाल के नवाब, नहाराजा जोधपुर आंतर कनिपय अन्य राजाओं द्वारा भारत के उक्त-उक्त करने जा पड़न्तर दिक्कत हो गया। भारत में नवदेव नहाराष्ट्र के देशानुषय की प्रजन्मा की गयी।

अब नर रामानूर्ती को नेवाड़ा में राजनीतिक नुवारों को ओर ध्यान देना पड़ा। प्रजा नमूदल ने नेवाड़ा के संविधान में देवस्थान निधि, विधान सभा के स्थानों के लिये अप्रत्यक्ष कुनाव प्रणाली एवं नन्दिमण्डल के विधान सभा के प्रति डायिल आदि प्राविधानों को लेकर जोरदार विरोध जिया। भरकार ने एक बार किर महाराष्ट्र के विजेपादिकारों को कान में लेते हुये ता. 11 अक्टूबर, 1947 की एक घोषणा द्वारा संविधान में अनेक संशोधन कर डाले। राज नन्दित चन्द्रमी नमी आराम् नोपकर चर्चानां और भावी नहाराष्ट्राओं को निविद्वन्त कर दिया गया। देवस्थान निधि की स्थानता को कराप्त कर

1. नेवाड़ा की नहाराष्ट्र चर्चा निधि के लिये निविद्वन्त की जीव और कुनूर के नमी श्री गोपालास्थानी विवेदी के साथ किट्टन्दर, 1976 में दरधपुर में दरधपुर वि. वि. के ट्रो. एम. एस. देवदेवी को उपस्थिति में हुई कुपालन।

2. दो. जान. किट्टन्दर—“त्रिंग रस्ते दृ रस्तांदृक्षन”, ३३ ५७

76/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

उसे महाराणा के अन्तर्गत कर दिया गया। प्रनाप विश्वविद्यालय के स्वरूप को बदल कर उसे महत्वहीन बना दिया गया। साथ ही विधान सभा में आम स्थानों की सख्ती में वृद्धि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वालिंग मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान कर प्रजा मण्डल की भी तुष्टि करने का प्रयत्न किया गया।

संविधान में उक्त संशोधन करने के बाद मेवाड़ सरकार ने विधान सभा के चुनाव कराने का निर्णय किया। यद्यपि प्रजा मण्डल की मुख्य मांग कि मन्त्रिमण्डल विधान सभा, के प्रति उत्तरदायी हो पूरी नहीं हुई, तथापि प्रजामण्डल ने चुनाव लड़ने का फैसला किया।

फरवरी, 1948 में विधान सभा के चुनावों की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रजा मण्डल के 8 उम्मीदवार निविरोध निर्वाचित घोषित कर दिये गये। इसी बीच ता. 6 मार्च को महाराणा ने अपने जन्म दिवस पर सुधारों की एक और किंश घोषित की जिसमें महाराणा ने दीवान के पद को छोड़कर शेष मन्त्रिमण्डल विधान सभा के प्रति उत्तरदायी बनाना स्वीकार कर लिया। महाराणा ने अन्तर्रिम-काल के लिये अपने मन्त्रिमण्डल का पुर्णगठन करना भी स्वीकार कर किया। स्मरण रहे मई, 1947 से अब तक मन्त्रिमण्डल में प्रजामण्डल के केवल 2 ही प्रतिनिधि थे।

जोधपुर :

जोधपुर में सन् 1942 का आन्दोलन काफी लम्बा चला। इस कारण सम्बन्ध कुछ कार्यकर्ता थक गये और सरकार से किसी तरह सम्मानपूर्वक समझौता कर जेल से बाहर आने के पक्ष में थे। उन्होंने श्री जयन राणा व्यास पर आन्दोलन समाप्त करने के लिये दबाव डाला। द्विसरी ओर परिषद के साम्यवादी गुट ने द्वितीय महायुद्ध को जन युद्ध की संज्ञा दी। जोधपुर के प्रमुख साम्यवादी कार्यकर्ता श्री एच.के व्यास ने व्यास जी को सरकार से समझौता करने का आग्रह किया। पर व्यास जी ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। जालौर के किले में बन्द लोक परिषद के कुछ कार्यकर्ताओं का भी यही मत था कि रूस के लड़ाई में शामिल हो जाने से स्थिति बदल गई है और अंग्रेजों द्वारा जर्मनी के विश्वद लड़ी जाने वाली लड़ाई जनयुद्ध में परिणित हो गई है, अतः लोक परिषद को अपना आन्दोलन उठा लेना चाहिए। पर व्यास जी टूट से मस नहीं हुये। सरकार ने अब श्री गंगादास के माध्यम से व्यास जी को कहलाया कि यदि लोक परिषद युद्ध सम्बन्धी कार्यों में वाधा नहीं पहुंचाने का आश्वासन दे तो वे परिषद के कार्यकर्ताओं को रिहा करने को तैयार हैं। राज्य के आई. जी. पुलिस भी इन सम्बन्ध में व्यास जी से मिले। व्यास जी को स्पष्ट हो गया था कि एक लग्जे समय तक जेल में रहने के कारण परिषद के कतिपय कार्यकर्ताओं का मतोंवल गिर गया है। देश में गांधी जी को रिहाई से बातावरण में बदलाव आ रहा था। इसके अन्तावा लोक परिषद ने नन् 941 में अपना आन्दोलन राज्य द्वारा युद्ध कार्यों के सिये दी जाने वाली नहायता को नेकर नहीं छोड़ा था। इन सब परिस्थितियों को ध्यान रखते हुये व्यास जी ने राज्य सरकार को यह आश्वासन दे दिया कि लोक परिषद की नीति युद्ध सम्बन्धी कार्यों में वाधा पहुंचाने की नहीं है। प्रधान मन्त्री जर डोनाल्ट फील्ड ने व्यास जी के उक्त स्पष्टीकरण के आधार पर व्यास जी की अविलम्ब रिहाई के आदेश देते हुए ता. 24 मई, 1944 के सरकारी गजट में निम्न विज्ञप्ति जारी की :—

“श्री जदवागांधर व्यास ने न्वदं ती और से एवं सन् 1942-43 के आन्दोलन

जो सम्बोधित उनके साथियों को भौतिक सिद्धि में घोषित की है कि नारदाङ्गु नोकरियाँ भविष्य में सरकार के साथ सहयोग करें को नैवार है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि परिषद् इसी जोड़ी जारी नहीं करें विकास सरकार, भारत सरकार अथवा एवं राज्यों की सरकारों को कोई ऐने देने चाहे। परिषद् ने खास तौर पर यह भी घोषणा की है कि उन्होंने सरकार के मुठ प्रबासी में न लो पहुंच करो बाज़ा डाली भौतिक तर छब्बे होल्सी। परिषद् के सहयोग की भावना को करते हुए नहाराजा साहूष परिषद् यह प्रादेश प्रदल करते हैं कि भी जनकारायद्वारा आप भौतिक उनके अन्य साथियों नहीं जो उन डोग्गुरा जो सरकार करते हैं तुरन्त रिहा कर दिया जाए।

व्यास जी ना. 28 मई, 1945 को जेतुल के रिहा कर दिये गए। परिषद् के के जारीकर्ता भी रिहा कर दिये गए जो व्यास जी द्वारा राज सरकार को दिये गए आवश्यकता का सम्बन्ध करते थे। अब श्री रुद्रेंद्र व्यास गुरुत्व जैसे—कुछ जारीकर्ता ही जेतुल में रह रहे जो सरकार जो दिली भी प्रकार का आवश्यकता देने चाहे हैं वहीं नहीं थे। पर उन्हें भी सरकार ने कुछ दिली बात रिहा कर दिया।

व्यास जी ने रिहा होने के बाद प्रभात समीक्षा सर डोग्गारड के हस्ताक्षरों के उत्तरांगता, 24 अद्वैती, विजित जोड़पुर राज में देखो लोंगे आग बढ़ाना हो गए। उन्होंने फैल को एक बात जारी करते हुये कहा कि हमने न लोंगे कोई गतिशीलीजार जैसे है भौतिक तर रिहाई की प्राप्तेना ही जी है। हमने केवल साव यह कहा था कि हम सरकार के मुठ प्रबलों में आवा नहीं डालें। इसके ही व्यास जी का सरकार को दिया गया आवश्यकता लोंगे परिषद् की स्वीकृत नीति का स्वप्नीकरण साझा था। कर डोग्गारड ने व्यास जी और उनके साथियों को नीति दिलाकर के लिये इस प्रकार को नीटों आप हैं सरकारी राज में विजित प्रकाशित कर दह बढ़ाने का विकास प्रयत्न किया कि कर्त्तव्यों की रिहाई के के सार्विक लोक परिषद् अथवा व्यास जी ने सरकार के सामने काटनकरन कर दिया है। पर सर डोग्गारड ऐसा नहीं करता लोंगे वह दिया सामाजिक का “प्रस्तुति कानून कानून सेवक” कहता है का अधिकारी के लोगों का।

एक भौतिक जहाँ सर डोग्गारड द्वितीय के लोकों परिषद् भौतिक उनके नेटों को हुए बदल पर नीति दिलाने का प्रयत्न दिया, वहाँ हुक्मी भौतिक नहाराजा श्री उम्मेदेश्वर से लोक परिषद् अथवा कर्त्तव्य के प्रयोग स्वैकं ज्ञान योगदान दिलायी। पर नहाराजा विदित सरकार द्वारा नीति दिलाने कर डोग्गारड द्वितीय को डेढ़का के विकास कुछ करते की स्थिति में रही है। तिर भी करकर माने पर वे राष्ट्रीय गतिशीलों के साथ कर्त्तव्य नहाराजा के तुम प्रभावित करते में रही है। जून, 1945 में जड़ जारीने कार्यक्रमिति के उत्तरांगतों के द्वारा ज्ञान दिलाने ही रिहा कर दिये गए, जो नारदाङ्गु नेतृत्व परिषद् ने उनके द्वारा दिलाने का विकास दिया। इन्हें दूर में दूर दैहिन हैं द्वारा जो जड़ देखे संग्रह पर उन्हें नहाराजा के निकट सम्बन्धी कर्त्तव्य देखा दिलायी है नहाराजा जैसे कोर्ट से नहुन जी का सम्बन्ध दिया। नहाराजा सर देहु जी के दिये के लिये उनके निवास स्थान

78/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

पर गये। उन्होंने उस संध्या को अपने महल में नेहरू जी के सम्मान में भोज दिया एवं कांग्रेस के लिये रु. 2500/- की थैली भेट की। इस अवसर पर उनकी सुपुत्री "प्रियदर्शिनी" इन्दिरा जी भी उपस्थित थी। पं. नेहरू जी जब जोधपुर से रवाना हुये तो महाराजा उन्हें विदा देने के लिये उनके निवास स्थान पर गये और आधा घण्टे तक राज्य की राजनीतिक स्थिति पर विचार किया। महाराजा ने नेहरू जी की सलाह पर सर डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर इलाहाबाद डिविजन के कमिशनर श्री सी. एस. वैंकटाचारी को प्रधान मन्त्री के पद पर नियुक्त कर दिया। इससे लोक परिपद और राज्य के बीच सम्बन्ध सुधर गये। पर यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं चली।

अगस्त, 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के हीरोशिमा और नागासाकी नगरों पर अरण्युवम डालने के साथ विश्व युद्ध का अन्त हो गया। तुरन्त ही इंगलैण्ड में आम चुनाव हुये। युद्धकालीन नेता सर विन्स्टन चर्चिल का अनुदार दल हार गया। मजदूर दल की विजय हुई। एटली प्रधान मंत्री बन गये। ब्रिटिश सरकार ने सत्ता हस्तात्तरित करने की इष्टि से तीन मंत्रियों का उच्च स्तरीय मिशन भारत भेजा। सितम्बर, 1946 में केन्द्र में कांग्रेस अध्यक्ष पं. जवाहरलाल नेहरू अस्थायी सरकार के प्रधान मंत्री बन गये। पर सन् 1947 के शुरू में ही जोधपुर के प्रगतिशील महाराजा उमेर्दासिंह का देहान्त हो गया। उनके स्थान पर उनके युवा पुत्र हनुवन्त सिंह गढ़ी पर बैठे। उन्होंने लोक परिपद के विरुद्ध खुले आम सामन्त वर्ग का समर्थन करना शुरू कर दिया।

राज्य की शह पाकर जागीरदार किसानों को बेदखल करने लगे और उन पर भनमाना अत्याचार करने लगे। आये दिन किसानों की हत्याओं के समाचार आने लगे। लोक परिपद अपने स्वर्य के अस्तित्व की कीमत पर ही इन घटनाओं की अनदेखी कर सकती थी। उसके किसानों को संगठित करने के लिये जगह-जगह किसान सम्मेलन आयोजित किये। परिपद ने एक ऐसा सम्मेलन श्री मथुरादास माथुर की अध्यक्षता में 13 मार्च, 1947 को नामीर जिले के ढावड़ा गांव में करने का निश्चय किया। ढावड़ा और आस-पास के जागीरदारों ने सम्मेलन को भंग करने का संकल्प किया। वे नियत तिथि पर अस्त्रों-शस्त्रों से सुसज्जित होकर सदल-बदल ढावड़ा में एकत्रित हो गये। उधर लोक परिपद के कार्यकर्ता सर्व श्री मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, नरसिंह कछवाहा, हरिन्द्र कुमार चौधरी, किशनलाल शाह, राधाकृष्ण तात, वंगीधर पुरोहित "ज्वाला", और छगनराज चौपासनीवाला आदि भी ढावड़ा पहुंच गये। गांव-गांव से किसान लोग एकत्रित होने लगे। स्थिति बड़ी तनावपूर्ण थी। राज्य सरकार इस स्थिति से भली-भांति परिचित थी। पर उसने मूक दर्यंक बने रहना ही उचित समझा। सच तो यह है कि वह परिपद को जागीरदारों के कन्धे पर बन्दूक रख कर सवक सिखाना चाहती थी। अस्तु जागीरदारों और सामन्ती तत्त्वों ने सभा स्थल को घेर लिया। उन्होंने नंगी तलवारों, कुल्हाड़ों और लाठियों से परिपद के कार्यकर्ताओं पर हमले किये, जिससे परिपद के लगभग सभी कार्यकर्ता गम्भीर रूप से घायल हो गये। हमलावरों ने कार्यकर्ताओं से निपट कर सम्मेलन में एकत्रित किसान समूह पर गोली चलाई। फलस्वरूप लाडनू तहसील के नींवी-जोधा गांव के परिपद के कार्यकर्ता श्री चुन्नीलाल शर्मा एवं इस क्षेत्र के 4 किसान कार्यकर्ता सर्व श्री रामूराम, रघाराम, अलकाराम और पन्नाराम घटना स्थल पर ही शहीद हो गये। श्री शर्मा और अन्य शहीदों की याद में ढावड़ा में आज भी हर वर्ष 13 मार्च को मेला भरता है।

राज्य सरकार द्वारा हमलावरों पर कार्यवाही फरना तो हूर उत्ता श्री मथुरादास्त मायुर आदि कार्यकर्ताओं पर मुकदमे चलाये जो देश के आजाद होने के बाद सन् 1948 में भारत सरकार के आदेश से उठाये गये। ऐसी स्थिति में विना भारत सरकार के दखल के राज्य में किसी भी प्रकार के संवैधानिक सुधारों की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी और अब तो जोधपुर में युवक महाराजा हनुवन्त सिंह गढ़ी पर आसीन हो चुके थे, जो पाकिस्तान से मिलकर स्वतन्त्र मारकाड़ के स्वप्न देखने लगे थे।

विदिश सरकार की सत्ता हस्तान्तरण की योजना के अनुसार रियासतें भारत वा पाकिस्तान में ज्ञामित हो सकती थीं अधिकार अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रख सकती थीं। रियासतों को इस सम्बन्ध में अपना निर्णय 15 अगस्त से पूर्व करना था। भोपाल के नवाब हमिदुल्ला खां ने जून, 1947 में नरेन्द्र मण्डल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुये वायसराय को तूचित कर दिया कि रियासतों पर विदिश सरकार की सार्वभौम सत्ता समाप्त होने के साथ ही साथ भोपाल की रियासत स्वतन्त्र हो जायेगी।¹ यही नहीं वे जिज्ञा के दाये हाथ बने हुये थे और पाकिस्तान के दलाल की तरह काम कर रहे थे।² महाराजा इन्दौर यशवन्तराय होस्टकर नवाब के पिछलगूँ थे।³ हैदराबाद⁴ और त्रावण-कोर⁵ भी अपने आपको स्वतन्त्र घोषित करने की तैयारी कर रहे थे। जूनागढ़ पाकिस्तान में मिलने जा रहा था।⁶ महाराजा जोधपुर भोपाल के नवाब के द्वारा जिज्ञा से मिल चुके थे।⁷ इन परिस्तियों में भोपाल के नवाब ने जिज्ञा की सहमति से यह योजना बनाई कि वडौदा, इन्दौर, भोपाल, उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर रियासतों द्वारा शासित प्रदेश पाकिस्तान का अंग बन जाय। उनकी इस योजना में सबसे वडौदा वादा उदयपुर और वडौदा को ओर से उपस्थित हो सकती थी। महाराजा जोधपुर ने उक्त रियासतों से सहमति प्राप्त करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली।⁸ इस प्रकार भारत के दुकड़े-दुकड़े करने का एक मानचित्र तैयार हो गया।

ये सब पहऱ्यन्त्र चल ही रहे थे कि 5 जुलाई, 1947 को रियासती विभाग के प्रभारी मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने बयान में राजाओं को भारतीय संघ में शामिल होने की दावत देते हुये कहा कि भारत में रियासतों का एक्सेजेशन (accession) सुरक्षा, विदेशी मांमलात और संचार व्यवस्था आदि विषयों तक ही सीमित रहेगा। अन्य

विषयों में रियासतें खुद मुख्तार होंगी।¹ 25 जुलाई को नरेन्द्र मण्डल के सम्मेलन में भापण देते हुये वायसराय माउंट बेटन ने राजाओं को कहा कि यद्यपि वे संवैधानिक दस्ति से भारत या पाकिस्तान में शामिल होने को स्वतन्त्र हैं तथापि उन्हें विश्वास है कि केवल अपनी-अपनी रियासतों की भौगोलिक स्थिति और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही निर्णय करेंगे।² सरदार पटेल और माउंटबेटन की अपीलों का राजाओं पर आमतौर से अच्छा प्रभाव पड़ा। परं अब भी कुछ राजा ऐसे थे जो दूसरे ही स्वभूत देख रहे थे।

महाराजा घोषपुर^१ और एक दो अन्य राजाओं ने 6 ग्रामस्त को भोपाल के नवाब को सूचित किया कि महाराजा जोधपुर उनसे मिलना चाहते हैं। नवाब ने जोधपुर महाराजा को दिल्ली स्थित श्रगने निवास स्थान पर आमन्त्रित किया। जोधपुर महाराजा ने नवाब से कहा कि वे पाकिस्तान में शामिल होने की शर्तें जानने के लिए तुरन्त ही श्री जिन्ना से मिलना चाहते हैं। नवाब ने उसी दिन तीसरे पहर जिन्ना से जोधपुर महाराजा की मुलाकात तय करवा दी। जोधपुर और जैसलमेर के महाराजा को लेकर नवाब नियत समय पर जिन्ना से मिले। जोधपुर ने जिन्ना से पूछा कि जो रियासतें पाकिस्तान से संबंध स्थापित करना चाहती हैं, उन्हें आप क्या शर्तें या रियायतें देंगे? जिन्ना ने उत्तर दिया “मैंने मेरी स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी है। हम रियासतों से सन्धि करने को तैयार हैं। हम उन्हें बहुत अच्छी शर्तें देंगे, और हम उनके साथ स्वतन्त्र राज्यों की तरह व्यवहार करेंगे।”^२ जिन्ना ने अपने बेज की दराज से एक खाली कागज निकाल कर महाराजा को दिया और कहा कि आप जो चाहे वे शर्तें इस कागज पर लिख दें और मैं उस पर दस्तखत कर दूँगा।^३ दोनों महाराजा जिन्ना से आश्वस्त होकर श्रगने होटल में आ गये।

भारत सरकार कर्तिपय राजाओं द्वारा जिन्हा से बी जा रही सांठ-गांठ सम्बन्धी गतिवितयों के प्रति पूर्णतया सतर्क थी। उन्होंने राजाओं के इस पढ़यन्त्र को विफल करने के लिये सबसे पहले महाराज बड़ौदा को टटोला। मैनन बड़ौदा को भारतीय संघ में शामिल होने के लिये सहमत कराने में सफल हो गये। 7 अगस्त को बड़ौदा ने इन्स्ट्रुमेन्ट आँफ एक्सेसन पर हस्ताक्षर कर दिये पर लड़खड़ाते हुये मैनन की गोद में लुढ़क पड़े।¹⁵ उसी दिन बीकानेर भी भारतीय सब में शामिल हो गया। राजस्थान की छोटी सी रियासत घोलपुर के शासक महाराज राणा उदयभान सिंह, जो महाराजा जोधपुर को पाकिस्तान में शामिल करने के पढ़यन्त्र में सक्रिय थे, माउंट वेटन के समुख इन्स्ट्रुमेन्ट आँफ एक्सेसन पर हस्ताक्षर करते हुये रो पड़े और कहने लगे “इन हस्ताक्षरों के साथ ही भाय आपके आंर हमारे पूर्वजों के खीच सन् 1765 में हुई सन्धि का खात्मा हो गया है।”¹⁶ जैमलमेर के महारावल सरदार पटेल द्वारा सीमा सुरक्षा सम्बन्धी आशवासन दिये जाने के बाद महाराजा जोधपुर का साथ छोड़ कर भारतीय संघ में शामिल हो गये।

- वाइट पेपर बॉन इंडियन स्टेट्स, अप्र. 5, पृ. 157-159
 - " " 6, पृ. 160-164
 - परिचित 5 (मार्गदर्शन का शापन)
 - पांचिम्य एंड सोसायर—स्ट्रीटम एंड मिट्टाइट (विद्यालय, पेपर वेक मस्करेन) पृ. 207
 - " " " " पृ. 206
 - " " " " " " पृ. 206

जोधपुर ने उदयपुर को टटोला तो महाराणा भूपाल सिंह ने उत्तर दिया, “भारतीय महाद्वीप में मेवाड़ का स्थान कहाँ होगा, इसका निर्णय तो मेरे पूर्वज जाता छिद्यो पूर्व कर चुके हैं”। मेवाड़ सदा भारत के साथ रहा है, और अब भी वहीं रहेगा।¹ मेवाड़ औपचारिक रूप से 9 अगस्त को भारतीय संघ में शामिल हुआ। जयपुर और राजस्थान की अन्य रियासतें इसके पूर्व ही भारतीय संघ में शामिल हो चुकी थीं।

उन दिनों जोधपुर में महाराजा के पाकिस्तान में शामिल होने की घबरों को लेकर उत्तेजना फैली हुई थी। राजस्थान के राजाओं में भी वे अलग अलग पड़ गये थे। तब भी वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने जोधपुर के घोलपुर के महाराज-राणा को दिल्ली सूचित किया कि वे 9 अगस्त को दिल्ली लौट रहे हैं और भूपाल के नवाब से मिलना चाहेंगे। नवाब उस समय भूपाल में थे। घोलपुर ने जब नवाब से सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया कि वे उक्त तारीख को दिल्ली पहुँच जायेंगे। नवाब भूपाल से हवाई जहाज द्वारा दिल्ली पहुँचे तो उनको हवाई अड्डे पर ही जोधपुर का सन्देश भिला कि वे, सीधे घोलपुर हाउस पर आ जायें। नवाब घोलपुर हाउस पहुँच गये। वहाँ वे बड़ी देर तक जोधपुर महाराजा का इन्तजार करते रहे। काफी देर बाद जोधपुर ने टेलीफोन किया कि वे बायसराय भवन में अटक गये हैं। वहाँ से वे सीधे जोधपुर जायेंगे और संध्या को बापस लौटेंगे। नवाब अपने निवास स्थान को लौट गये। शाम को घोलपुर भूपाल के नवाब की कोठी पर गये और उन्हें सूचित किया कि महाराजा जोधपुर नहीं लौटे हैं। हूनरे दिन 10 अगस्त को महाराजा अपने गुरु माघवानन्द को लेकर दिल्ली पहुँचे। दिन के 2 बजे घोलपुर हाउस में उनकी नवाब से मुलाकात हुई। वहाँ कुछ और राजा भी उपस्थित थे। लम्बे चांडे विचार विमर्श के बाद महाराजा ने नवाब को कहा कि वे उन्हें पुनः अगले दिन (ता. 11 अगस्त) को प्रातः 10 बजे मिलेंगे।²

घोलपुर हाउस से महाराजा बीघे होटल इम्पीरियल में गये जहाँ वे ठहरे हुये थे। रियासती मंत्रालय महाराजा की नतिविधियों की जानकारी रखे हुये थे। बी. पी. मेनन होटल इम्पीरियल पहुँच गये और महाराजा से कहा कि माऊन्टवेटन उनसे तुरन्त मिलना चाहते हैं। मेनन महाराजा को लेकर बायनराय हाउस पहुँच गये। महाराजा को बेरिंग हम में बैठाकर मेनन माऊन्टवेटन से मिले और उन्हें महाराजा के पाकिस्तान में मिलने सम्बन्धी ताजा घटनाओं से परिचित कराया। माऊन्टवेटन ने महाराजा को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि विशुद्ध कानूनी इष्ट से वे पाकिस्तान में शामिल होने को स्वतन्त्र हैं, परन्तु वे पूरी तरह सोच लें कि एक हिन्दू वहूमतवाली रियासत के पाकिस्तान में जामिल होने पर वहाँ की जनता में क्या प्रतिक्रिया हो सकती है और उसके क्या नतीजे हो सकते हैं? महाराजा ने कहा कि जोधपुर को पाकिस्तान में शामिल करने के लिये जिसा मनवांछित शर्त देने को तैयार है। उन्होंने माऊन्ट वेटन से पूछा क्या भारत सरकार ऐसा करने को तैयार है? मेनन ने कहा कि यदि वे “वादो” के आधार पर ही भारत या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं तब तो वे भी भारत सरकार की ओर से सभी तरह के बादे कर देंगे, पर इस प्रकार के बादे चलने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत मुवाहसे वे दाद

1. के. एम. मुर्गी—पिल्लिमेज टू प्रीचन, पृ. 162

2. नरदार पटेल भारतरोमें, विल 5, पृ. 515-517

82/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

महाराजा ने भारतीय संघ में शामिल होना मन्जूर कर लिया और तदनुसार एक पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये।¹

माउन्टवेटन महाराजा और मेनन को छोड़ कर कुछ लोगों के लिये बाहर गये ही थे कि महाराजा ने मेनन पर पिस्तौल तान कर कहा “मैं तुम्हारे दबाव में आकर भुक्तने वाला नहीं हूँ।” मेनन ने पिस्तौल के सामने अपने आपको सम्भालते हुये उत्तर दिया कि इस प्रकार के बचकाना व्यवहार और गीदड़ धमकियों से कुछ होने वाला नहीं है। यदि वे यह सोचते हैं कि मुझे मारने अथवा धमकिया देने से जोधपुर का भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय रद्द हो जायेगा तो वे भ्रम में हैं। यह सब कुछ हो ही रहा था कि माउन्टवेटन पुनः कमरे में आये। उन्होंने जब यह सुना तो सारी घटना को हसी में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने महाराजा का पिस्तौल लेकर उन्हे अपने यहाँ से प्रेम से विदा कर दिया। यह पिस्तौल महाराजा के स्वर्य के वर्कशाप में बनाया गया था। यह “पैन” का भी काम करता था। महाराजा ने जोधपुर को भारतीय संघ में शामिल करने के सम्बन्धी पत्र पर इसी “पैन-पिस्टल” से हस्ताक्षर किये थे। कुछ वर्षों बाद माउन्टवेटन इरलैण्ड की प्रसिद्ध मेजिक क्लब “मेजिक सरकल” के अध्यक्ष बने तो उन्होंने इस “मेजिक पिस्टल” को मेजिक सरकल को भेट कर दिया। आज भी यह पिस्टल उत्तर क्लब के म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा है।²

अगले दिन बादे के अनुसार महाराजा नवाब से मिले और उन्हें सूचित कर दिया कि उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय ले लिया है।³ नवाब, जोधपुर के महाराजा राणा और एक दो अन्य राजाओं को, जो इस भारत विरोधी पड़यन्व में शामिल थे, बड़ी निराशा हुई। तीन दिन बाद मेनन जोधपुर गये और वहाँ महाराजा से ओपचारिक रूप से “इन्स्ट्रुमेंट ऑफ एक्सेसन” पर हस्ताक्षर करवाये। इसके बाद महाराजा ने पिछली बातों को मुलाकृत हुये बड़ी खुशियों मनाई और शेम्पेन की नदियाँ बहा दी। शराब के नशे में छुत महाराजा मेनन को अपने जहाज में छोड़ने दिल्ली आये। मेनन सरदार पटेल के पास पहुँचे और “एक और रियासत संगदार की लवालब भरी हुई टोकरी में डाल दी।”⁴ इस प्रकार जोधपुर के भारतीय संघ में मिलने के प्रकरण का सुखद अन्त हुआ। इस घटना के बाद जोधपुर महाराजा के सरदार पटेल से मधुर सम्बन्ध हो गये। पटेल की ओर से महाराजा को स्थायी रूप से निमन्त्रण था कि वे जब कभी दिल्ली आये तो उनके पास ही ठहरें। युवक महाराजा सरदार को पिता तुल्य समझने लग गये।

महाराजा हनुवन्त तिह किसी तरह भारतीय संघ में शामिल तो हो गये और सरदार पटेल से अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर लिये पर निरंकुश राजतन्त्र बाद का भूत अभी भी उनके सिर पर सवार था। जोधपुर राज्य पर वे अपना एक छत्र शासन चाहते थे। राज्य सेवाओं के मारवाड़ीकरण के नाम पर उन्होंने अक्टूबर सन् 1947 में उदार विचारवारा के एक आई. ए. एस. अधिकारी श्री वैकटाचार को प्रधानमन्त्री के पद से हटा कर उनके

1. श्री. पी. मेनन—“दो न्टोरी ऑफ इन्डियेन थॉफ इडियन मेंट्स”, पृ. 117
2. पोलिस एज्ञ लापिरे—“फ्रीडम एट मिउनाइट” पृ. 208
3. सरदार पटेल बॉगपोंडेन, जिल्द 5 पृ. 515-517
4. पोलिस एज्ञ लापिरे—“फ्रीडम एट मिउनाइट” पृ. 208

स्थान पर अपने चाचा श्री अजीतसिंह को प्रधान मन्त्री नियुक्त कर दिया। एक 18 वर्ष के राजपूत युवक को राज्य का गृह मन्त्री बना दिया। महाराजा ने लगभग सारा मन्त्री मण्डल सामन्तवादी तत्वों से भर दिया। पंडित नेहरू ने ता. 4 नवम्बर, 1947 के पश्चात उक्त घटना के सम्बन्ध में गृह मन्त्री सरदार पटेल का ध्यान खीचते हुये लिखा :—

“जैसा कि आपको जात है अलवर, भरतपुर और जोधपुर के शासक अपने-अपने राज्यों में जुल्म ढाह रहे हैं। जोधपुर ने तो एक 18 वर्ष के मूर्ख नौजवान को अपना गृह मन्त्री बनाया है। वैकटाचार को इन्हीं कारणों से जोधपुर छोड़ा पड़ा। वे राजा लोग वडे ही मूर्ख हैं और अपने आपको हानि पहुंचा रहे हैं।”¹

महाराजा के इस दमन का जोधपुर की जनता ने जबरदस्त विरोध किया। राज्य की स्थिति से चिन्तित होकर सरदार पटेल ने 28 फरवरी, सन् 1948 को मेनन के महाराजा को समझाने के लिये जोधपुर भेजा। फलस्वरूप श्री जयनारायण व्यास के नेतृत्व में एक भिला जुना मन्त्रिमण्डल बना जिसमें लोक परिषद् और सामन्त वर्ग के प्रतिनिधि शामिल किये गये। इस प्रकार के मन्त्रिमण्डल का सुचारू रूप से चलना सम्भव नहीं था। मन्त्रिमण्डल में कई बार फेर बदल हुये। अन्त में सितम्बर सन् 1948 में व्यास जी का नया मन्त्रीमण्डल बना जिसमें पहली बार लोक परिषद् का बहुमत हुआ। इस मन्त्रिमण्डल में लोक परिषद् के प्रतिनिधि के रूप में व्यास जी के अलावा सर्वथी भयुरादास मायुर, द्वारकादास पुरोहित आदि शामिल किये गये।

बीकानेर :

दिनांक 2 फरवरी, 1943 को महाराजा गंगा सिंह चल दसे। उनके स्थान पर उनके पुत्र श्री शार्दूल सिंह गढ़ी पर बैठे। देशी राज्यों और भारत सरकार के बीच पत्र-व्यवहार के माध्यम पोलीटिकल एजेंट और ए. जी. जी. हुआ करते थे। महाराजा गंगा सिंह ने सन् 1919 में अपने प्रभाव द्वारा पोलीटिकल एजेंट की कड़ी को समाप्त करवा दिया था। परन्तु महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु के बाद भारत सरकार ने निर्जय लिया कि अब बीकानेर राज्य भी अन्य राज्यों की भाँति पोलिटिकल एजेंट के मार्फत ही ए. जी. जी. एवं भारत सरकार से पत्र-व्यवहार करेगा। भारत सरकार ने महाराजा शार्दूल सिंह को तब तक बीकानेर राज्य के शासक के रूप में मान्यता नहीं प्रदान की जब तक कि महाराजा ने भारत सरकार के उक्त निर्णय को स्वीकार नहीं कर लिया। इससे महाराजा की प्रतिष्ठा को हल्की सी छेत्र पहुंची, पर अंग्रेजी सरकार देशी रियासतों के शासकों के साथ समय-समय पर इस प्रकार की चोट करती रहती थी—शायद राजाओं को यह धाद दिलाने के लिये कि जावंभौम सत्ता दास्तव में विद्यि शासकों में निहित है।

नये महाराजा ने गढ़ी पर बैठते ही सर्वथी रघुवरदयान गोयल, गंगादास कोणिका, दाङ्ददयाल आचार्य, भिक्षालाल बोहरा, रामनारायण शर्मा और गढ़ुँ महाराज आदि राजनीतिक बन्दियों को रिहा कर दिया। परन्तु नेमीचन्द्र आंचलिया को तभी रिहा किया गया जबकि उसने जेन में आमरण अनशन शुरू किया। प्रजा परिषद् के नेताओं ने सरकार से प्रजा परिषद् को मान्यता देने की मांग की। महाराजा और रघुवरदयान गोयल के बीच तारीख 26-8-1984 को इस सम्बन्ध में लम्बी बातों हुई। परन्तु कोई ननीजा

84/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

नहीं निकला। श्री गोयल उमी रान को गिरफ्तार कर लिये गये और लौणकरमर में नज़रवन्द कर दिये गये। परिपद के महामन्त्री गगादास और प्रमुख कार्यकर्ता दाऊदयाल आचार्य भी सुरक्षा कानून के ग्रन्तर्गत गिरफ्तार किए जाकर जेल में बन्द कर दिये गये। श्री गोयल ने अपनी नज़रबन्दा के विनाफ हाईकोर्ट में आवेदन-पत्र दिया, परन्तु हाईकोर्ट की सुनवाई होने के पूर्व ही उन्हे एक बार फिर राज्य से निर्वासित कर दिया गया। सन् 1945 के जून में दूधवाखारा किसान आन्दोलन ने फिर जोर पकड़ा। सर्वश्री मधाराम वैद्य एवं रामनारायण शर्मा पुनः जेल में डाल दिये गये। इस प्रकार राज्य में दमत का दौर चलता रहा।

31 दिसम्बर, 1945 को प. जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उदयपुर में अ.भा. देशी राज्य लोक परिपद का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में बीकानेर की स्थिति का जिक्र करते हुए प. नेहरू ने अपने भाषण में कहा कि जहाँ शादी की कुमकुम-पत्री तक राज्य द्वारा सेन्सर की जाती हो, पद्म वी ओट में जनता पर भीषण अत्याचार किये जाते हो और उसके प्रतिवाद में मनगढ़न दलीले दी जाती हो उम राज्य के शासक इन्सान नहीं हैं। बीकानेर राज्य की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का इससे बढ़िया सुन्दर चित्रण और कौन कर सकता था? इस सम्मेलन में बीकानेर से सर्वश्री रघुवरदयाल गोयल, मधाराम वैद्य, गगादास कोशिक और हनुमान सिंह दुधवाखारा आदि कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। श्री गोयल उदयपुर से अधिवेशन में भाग लेकर जयपुर आये। पर वहाँ की सरकार ने भी उमको राज्य से निर्वासित कर दिया। श्री गोयल अलवर पहुचे और वही से उन्होंने सर्वश्री गगादास कोशिक, चौ. हसराज, चौ. कुम्भाराम, स्वामी करमानन्द और चम्पालाल राका आदि उत्तमाही कार्यकर्ताओं के सहयोग से प्रजा परिपद के कार्य का संचालन किया। श्री राका इन दिनों कलकत्ता से “आज का बीकानेर” नामक पत्र का सम्पादन कर रहे थे।

इधर हनुमान निह दुधवाखारा की प्रवृत्तियों पर अकुश लगाने के लिये महाराजा ने चेना की एक दुकड़ी भेज कर उन्हे गिरफ्तार कर लिया। उनकी चल एवं अचल सम्पत्ति जब्त कर ली। उनके माता, चार भाई और चार भाभियों को दो-दो वर्ष की सना दे दी गई। उनकी दोनों पत्नियों को बीकानेर राज्य से निर्वासित कर दिया। स्वयं श्री हनुमान निह को अनूपगढ़ के किले में बन्द कर दिया, जहाँ उन्होंने 65 दिन तक अनशन किया। कई दिनों तक तो उन्होंने पानी भी नहीं पीया। अन्त में उनक वेहोश हो जाने पर उन्हें रिहा कर दिया गया।

ता. 25 जून, 1946 को प्रजा परिपद के प्राण श्री रघुवरदयाल गोयल पावन्दी तोड़कर बीकानेर में घुम गये। उन्हे गिरफ्तार कर जेल में बन्द कर दिया गया। चौ. कुम्भाराम चसके पूर्व ही पकड़ लिये गये थे। ता. 30 जून को रायमिहनगर में प्रजा परिपद का सम्मेलन किया गया। सम्मेलन के अवधार थे बीकानेर पड़यन्त्र केस के मूलपूर्व अभियुक्त श्री सत्यनारायण सररक। 1 जुनाई को नायमिहनगर स्टेशन पर रेल से उत्तर कर परिपद के कार्यकर्ता हाथ में तिरगे झण्डे लिये हुये सम्मेलन में शरीक होने जा रहे थे। पुलिस इन दार्यकर्ताओं से झगड़े दीन कर उन्हें चसीटने हुये रेस्ट हाउस वी ओर ले गई। जनता रेस्ट हाउस की ओर उमड़ पड़ी। जनता की इस भीड़ का नेतृत्व निरगा भण्डा हाथ में लिये बीरबल निह नामक एक हरिजन नौजवान वर रहा था। पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी। बीरबल निह वही मरीद ही गया। उटे अन्य व्यक्ति घायल हुये। राजस्थान सरकार ने

होल ही में शहीद बीरबल सिंह की स्मृति में इन्दिरा गांधी नहर की एक प्रमुख वितरिका का नाम “बीरबल ब्रान्च” रखा है।

एक और बीकानेर में महाराजा का दमन चक चल रहा था तो दूसरी ओर देश में राजनीतिक परिस्थितियाँ तेजी से बदल रही थीं। सत्ता हस्तान्तरण के सम्बन्ध में ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल भिशन 23 मई, 1946 को भारत पहुँच चुका था। भारत की आजादी की घड़ीया निकट आ रही थीं। महाराजा के सामने अपने रवैये को बदलने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। 18 जुलाई 1946 को श्री गोयल और चौ. कुम्भाराम जेल से रिहा कर दिये गये। बीकानेर नगर में प्रजा परिषद् का कार्यालय पुनः स्थापित हो गया।

31 अगस्त, 1946 को महाराजा द्वारा राज्य में शासन सुवार करने की घटिस से दो समितियाँ नियुक्त की गईं। पहली समिति रज्य का नया संविधान बनाने के लिये और हृत्तरी मतदाताओं की योग्यता निर्धारित करने तथा निर्वाचन ज्ञेत्र तैयार करने के लिये। उक्त समितियों के प्रतिवेदन प्राप्त होने पर महाराजा ने दिसम्बर, 1947 में एक नया संविधान लानु कर दिया। राज्य में अन्तर्रिम सरकार बनाने एवं संविधान के अन्तर्गत बारा सभा के लिये चुनाव कराने के सम्बन्ध में राज्य के प्रधान मन्त्री और परिषद् के कर्तिपय कार्यकर्ताओं के बीच 16 मार्च, 1948 को एक और समझौता सम्पन्न हुआ, जिसके अनुसार श्री जसवन्त सिंह दाउड़नर के नेतृत्व में 10 सदस्यों का एक मन्त्रिमण्डल शनाया गया, जिसमें प्रजा परिषद् के सर्वश्री कुम्भाराम आर्य,¹ हरदत्त सिंह चौधरी, गोरीशंकर आचार्य और सरदार मस्तान सिंह शामिल किये गये। इस मन्त्री मण्डल ने 18 मार्च, 1948 को पद ग्रहण किया। प्रजा परिषद् ने इस समझौते को ठकरा दिया। उसका कहना था कि महाराजा ने नन्त्रिमण्डल में प्रजा परिषद् के सदस्यों को शामिल करने के पूर्व प्रजा परिषद् को विश्वास में नहीं लिया। उसने एक प्रस्ताव द्वारा परिषद् के सदस्यों को मन्त्रिमण्डल से बाहर आने का आदेश दिया और साथ ही 23 सितम्बर को होने वाले धारा सभा के चुनावों के विहिप्कार का भी निर्णय लिया। इस प्रकार परिषद् दो गुटों में विभाजित हो गई। परन्तु कुछ नमय वाद प्रजा परिषद् से सम्बन्धित मन्त्रियों का भी कर्तिपय मुद्दों को लेकर महाराजा और अन्य मन्त्रियों से मतभेद हो गया। फलतः वे इस्तीफा देकर बाहर आ गये। इस प्रकार राज्य में एक बार फिर राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हो गया। श्र. भा. देशी राज्य लोक परिषद् की राजपूताना प्रान्तीय सभा के अध्यक्ष श्री गोकुल भाई भट्ट और महामन्त्री श्री हीरालाल शास्त्री प्रजा परिषद् के दोनों गुटों में समझौता कराने की घटिस से बीकानेर आये। उन्होंने लो परिषद् की तत्कालीन कार्यकरणी समिति के स्थान पर एक तदर्य समिति स्थापित की जिसके अध्यक्ष श्री रामचन्द्र चौधरी एवं महामन्त्री श्री चन्दनमल वैद बने।²

2 सितम्बर, 1946 को केन्द्र में पं. जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अन्तर्रिम सरकार बनी। 9 सितम्बर, 1946 को संविधान परिषद् ने अपना कार्य शुरू किया। रियासतों ने मन्त्रिमण्डल भिशन योजना निर्ढारित स्वीकार कर ली थी। अतः संविधान

1. श्री कुम्भाराम आर्य वर्द्ध वर्द्ध राजस्थान मन्त्रिमण्डल के सदस्य रहे। वे सन् 1977 में जनवरी पार्टी में शामिल हो गये। वे जोकनभा के सदस्य भी रहे।

2. श्री रामचन्द्र चौधरी और श्री चन्दन मल वैद वर्द्ध वर्द्ध राजस्थान मन्त्रिमण्डल के सदस्य रहे।

86/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

परिपद में उनके प्रतिनिधित्व के सवाल पर विचार करने हेतु नरेन्द्र मण्डल ने एक समझौता समिति बनोनीत की। इसी प्रकार की एक समिति संविधान परिपद ने भी नामजद की।

अप्रैल, 1947 में दोनों समझौता समितियों में रियासतों के प्रतिनिधित्व एवं उनके संविधान परिपद में शामिल होने के बारे में समझौता हो गया। जब यह समझौता नरेन्द्र मण्डल की स्थायी समिति में अनुमोदनार्थ रखा गया तो स्थाई समिति में मतभेद हो गया। नरेन्द्र मण्डल के चांसलर भूपाल के नवाब के नेतृत्व में राजाओं का एक गुट यह चाहता था कि रियासतें अपने प्रतिनिधि संविधान परिपद में तब ही भेजें जबकि संविधान परिपद संघीय सरकार के संविधान पर चर्चा शुरू करें। राजाओं का दूसरा गुट वीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह के नेतृत्व में यह चाहता था कि वे अविलम्ब ही संविधान परिपद में शरीक हो जायें। स्थायी समिति ने महाराजा शार्दुल सिंह का सुझाव अस्वीकार कर दिया। इस पर महाराजा ने स्थाई समिति से विहिगमन कर दिया। साथ ही महाराजा ने अपने साथी नरेशों से अविलम्ब ही संविधान परिपद में अपने प्रतिनिधि भेजने की अपील की। महाराजा की इस कार्यवाही से राजाओं में खलबली मच गई। अन्त में स्थायी समिति ने बीच का रास्ता निकाला। राजाओं को छूट दे दी गई कि वे जब चाहे तब संविधान परिपद में अपने प्रतिनिधि भेज दें। महाराजा वीकानेर को इस कार्यवाही को देख के नेताओं ने बड़ा सराहा। वीकानेर राज्य की ओर से सरके. एम. पन्नीकर ने 28 अप्रैल, 1947 को संविधान परिपद में अपना स्थान ग्रहण किया।

ब्रिटिश सरकार की 3 जून, 1947 की योजना के अनुसार रियासतों को 15 अगस्त, 1947 के पूर्व भारत या पाकिस्तान में शामिल होने अथवा स्वतन्त्र रहने के प्रश्न पर निर्णय लेना था। इस समय एक और भोपाल के नवाब, महाराजा इन्दौर और महाराजा जोधपुर पाकिस्तान में शामिल होने की योजना बना रहे थे तो दूसरी और निजाम हैदराबाद और महाराजा वाघणाकोर स्वतन्त्र होने की घोषणा कर रहे थे। उन कठिन परिस्थितियों में बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने पहल कर 7 अगस्त को 'इन्स्ट्रूमेंट ग्राफ एक्सेसन' पर हस्ताक्षर कर दिये। इसका नतीजा यह हुआ कि 15 अगस्त के पूर्व ही भारतीय संघ की भीगोलिक सीमा में हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़कर अन्य सभी रियासतें एक-एक कर भारतीय संघ में शामिल हो गयी। महाराजा के इस साहस पूर्ण कदम की सरदार पटेल ने तारीफ करते हुये अपने एक पत्र में महाराजा शार्दुल सिंह को लिखा कि देश की इस नाजुक घड़ी में उन्होंने राजाओं को समुचित नेतृत्व प्रदान कर देश की बड़ी सेवा की है।

ब्रिटिश सरकार की घोषणा के अनुसार पंजाब का भी साम्राज्यिक आधार पर चंटवारा होना था। वायसराय ने इसके लिये मुप्रसिद्ध ब्रिटिश न्याय शास्त्री रेडविलफ की सदारत में एक धायोग की नियुक्ति की। उस समय यह अक्फाह फैल गयी थी कि फिरोज़पुर हैड वक्स पाकिस्तान में चला जायेगा। इस अक्फाह से बीकानेर रियासत में घबराहट पैदा हो गयी। महाराजा के आदेश पर राज्य के प्रधान मंत्री के. एम. पानिकर, प्रसिद्ध यानुनवेक्ता जस्टिस टेक्सन्ड वक्ती और मुख्य अधियक्ता कंवरसेन ने सरदार पटेल, माउन्ट वेटन और पंजाब सीमा-धायोग के समक्ष बीकानेर का पक्ष बड़ी खुबी से प्रस्तुत किया। श्री कंवरसेन ने अपनी पुस्तक "एक अभियन्ता के संस्मरण" में पृ० 121 पर इस प्रकार रण-

का जिक्र करते हुए लिखा है कि वे स्वयं एवं सरदार पत्निकर 11 अगस्त, 1947 को माउन्टवेटन से मिले और उसके सामने निम्न विचार प्रकट किये—

“हमारे स्वामी (महाराजा बीकानेर) ने हमसे आपको यह संदेश पहुँचाने के लिये कहा है कि यदि फिरोजपुर हैडवर्क्स और गंगनहर पाकिस्तान में जाती है तो महाराजा के सामने पाकिस्तान में शामिल होने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा।”

उक्त संदेश का तत्काल असर हुआ। रेडबिलफ ने 17 अगस्त 1947 को अपने निर्णय की घोषणा की। फिरोजपुर हैडवर्क्स और गंगनहर भारत के अंग बने रह गये। बीकानेर की जनता ने राहत की साँस ली।

जयपुर :

देश में ज्यों-ज्यों सन् 1942 के आन्दोलन का वेग कम होता गया, जयपुर में आजाद मोर्चे के कार्यकर्त्ता रिहा कर दिये गये। अबतूबर सन् 1945 में पी. ई. एन कान्फ्रैन्स में शामिल होने पं. जंवाहरलाल नेहरू जब जयपुर आये तो आजाद मोर्चे के नेता बाबा हरिश्चन्द्र ने नेहरूजी की प्रेरणा पर मोर्चे को जयपुर प्रजा मण्डल में विलीन कर दिया। इस प्रकार प्रजामण्डल में सन् 1942 के आन्दोलन को लेकर उठा हुआ विवाद समाप्त हुआ।

सन् 1946 में राज्य में विधान सभा और विधान परिषद् की स्थापना हुई। प्रजामण्डल के अध्यक्ष श्री देवी शंकर तिवाड़ी 15 मई, 1946 को राज्य के मन्त्रिमण्डल में लिये गये। एक वर्ष बाद प्रजामण्डल के एक और प्रतिनिधि श्री दीलत मल भण्डारी मन्त्रिमण्डल में लिये गये। 27 मार्च, 1947 को जयपुर राज्य में शासन सुधारों की एक और महत्वपूर्ण घोषणा की गयी, जिसके अनुसार राज्य में एक नया मन्त्रिमण्डल बना, जिसमें दीवान के अलावा 6 सदस्य थे। श्री हीरालाल शास्त्री, मुख्य सचिव (प्रधान मन्त्री) और सर्व श्री देवी शंकर तिवाड़ी, दीलतमल भण्डारी और टीकाराम पालीवाल प्रजामण्डल से एवं ठाकुर कुशल सिंह, गोजगढ़ और रावल अमर सिंह अजयराजपुरा सामन्त वर्ग की ओर से मन्त्री बने।

जयपुर राज्य से तीन सदस्य भारतीय संविधान निर्माण परिषद् में भेजे गये थे, जिनमें एक श्री हीरालाल शास्त्री थे। जयपुर देश की उन कृतिपय रियासतों में थीं जो सबसे पहले भारतीय संघ में शामिल हुईं। इसका श्रेय महाराजा सवाई मान सिंह और उनके दूरदर्शी दीवान सर वी. टी. कृष्णामाचारी को जाता है।

जैसलमेर :

श्री सागर मल गोपा 25 मई, 1941 से “राजद्रोह” के श्रमियोग में जैसलमेर राज्य की जेल में बन्द थे। उन्हें जेल में दी जानी वाली यातनाओं के सम्बन्ध में यदाकदा समाचार-पत्रों में समाचार छपते रहते थे। मारबाड़ लोक परिषद् के अध्यक्ष श्री जयनारायण व्यास ने 8 मार्च, 1946 को पोलीटिकल एजेंट को पत्र लिखकर श्री गोपा के सम्बन्ध में वस्तु स्थिति का पता चलाने का आग्रह किया। पोलीटिकल एजेंट ने 6 अप्रैल, को जैसलमेर जाने का कार्यक्रम बनाया। उसके पहले ही 3 अप्रैल के दिन 3 बजे नगर में यह खबर फैला दी गयी कि श्री गोपा ने जेल में अपने शरीर पर तेल छिड़क कर आग लगा की है। सारा शहर गोपाजी को देखने के लिये उमड़ा पड़ा पर अधिकारियों ने गोपाजी के रिस्तेदारों तक को उनसे मिलने नहीं दिया। रात्रि में उन्हें स्थानीय नग-

88/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

कारी अस्पताल में भेजा गया, जहाँ वे रात भर पीड़ा के मारे कहराते रहे। पर न तो किसी को उसने मिलने दिया गया और न किसी डाक्टर ने इलाज ही किया। दूसरे दिन प्रातः उनकी पत्नी श्रीमती हीरादेवी डाक्टर के पास गयी। तब कही जाकर डाक्टर गोपाजी के पास पहुँचे और उन्होंने उनके इंजेक्शन लगाया। गोपाजी ने तुरन्त ही प्राण त्याग दिए। नगर “सागरमल गोपा जिन्दाबाद” के नारों से गूँज उठा। दीवारों पर “खून के बदले खून” के नारे लिख दिये गये। प. नेहरू ने गोपा की मृत्यु के इस जघन्य काण्ड पर टिप्पणी करते हुये एक वयान में कहा “इसे आत्म हत्या कहना एक दम शरारत है। यह एक ऐसी बात है जो न सिंक जैसलमेर के लिये बल्कि दूसरे राजाओं के लिये भी शर्म की बात है।” गोपाजी ने अपना नाम उन अमर शहीदों में लिखा दिया, जिनकी कुरबानियों से देश के विभिन्न भागों में शताव्दियों पुरानी राजशाही का अन्त हुआ।

गोपा-हत्या काण्ड के तुरन्त बाद जोधपुर से व्यास जी एवं उनके साथी श्री अचल-श्वर प्रसाद शर्मा आदि कार्यकर्ता जैसलमेर पहुँचे। उनके आगमन से स्थानीय कार्यकर्ताओं का भनोवल बढ़ा। जैसलमेर प्रजामण्डल तेजी से काम करने लगा।

अगस्त, 1947 में जैसलमेर के महाराजा जोधपुर के साथ जैसलमेर को पाकिस्तान में शामिल करने के सम्बन्ध में श्री जिन्ना से मुलाकात की, पर चौकट्ठो भारत सरकार ने उनकी देश द्वारी योजना पर पानी फेर दिया। अन्तोगतवा जैसलमेर भारतीय संघ में शामिल हो गया। कुछ ही समय बाद जैसलमेर की सीमा पर कवाड़-लियों के हमलों से उत्पन्न परिस्थिति वो ध्यान में रखते हुये भारत सरकार ने वहाँ पर अपना प्रशासक नियुक्त कर दिया।

अलवर :

सन् 1942 के “भारत छोड़ो” आन्दोलन के बाद अलवर राज प्रजामण्डल दो फरवरी, 1947 में पहली बार राज्य के दमन का शिकार होना पड़ा। प्रजामण्डल ने सेहा मंगल सिंह में जागीरदारों के अत्याचारों के विरुद्ध एक सम्मेलन का आयोजन किया। राज्य ने प्रजामण्डल के नेता सर्वं श्री भोलानाथ, शोभाराम, कुंज विहारी लाल मोदी, लाला काशीराम गुप्ता, रामजीलाल गुप्ता, वद्रीप्रसाद गुप्ता, भवानी सहाय शर्मा, राम चन्द्र उपाध्याय, रामजीलाल अग्रवाल और डा. शान्तिस्वरूप डाटा आदि को गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तारियों का जनता ने प्रबल विरोध किया। स्कूल और कालेज बन्द हो गये। राजधानी में एक सप्ताह तक हड्डताल रही। राज्य के अन्य कस्बों में भी प्रदर्शन हुये। श्री हीरालाल शास्त्री ने बीच में पड़ कर राज्य और प्रजामण्डल के बीच सत्तलभीता कराया। 10 दिन बाद प्रजामण्डल के नेता रिहा किये गये। महाराजा लोक-प्रिय मन्नी मण्डल बनाने के लिये सहमत हो गये। पर महाराजा प्रजामण्डल के प्रतिनिधियों के अलावा कर्तिपय साम्राज्यिक संस्थाओं के सदस्यों की भी मन्त्रिमण्डल में लेना चाहते थे। भरत: प्रजामण्डल ने मन्त्रिमण्डल में अपने प्रतिनिधि भेजने से इन्कार कर दिया। इसी बीच 22 अगस्त को राजगढ़ में राष्ट्रीय झड़ा जलाने की घटना को लेकर राज्य में आन्दोलन भड़क उठा। लगभग 600 व्यक्ति गिरफ्तार हो गये। एक बार फिर शास्त्री आदि नेताओं ने बीच में पड़ कर राज्य और प्रजामण्डल के बीच नूनह कराई। सत्याग्रही रिहा कर दिये गये। अबटवर, 47 में राज्य ने प्रजामण्डल के तीन प्रतिनिधि मन्त्रिमण्डल में लेना चाहा, पर देश में बदली हुई परिस्थितियों के परिप्रेरण से प्रजामण्डल को यह प्रत्ताव स्वीकार नहीं हुआ। उसने राज्य मन्त्रिमण्डल में प्रजामण्डल के धृतमत की

मांग की, पर राज्य ने यह मांग नहीं स्वीकार की। अतः राज्य और प्रजाभृष्टि के बीच गतिरोध बना रहा।

भरतपुर :

सन् 1943 में राज्य ने बज जया प्रतिनिधि समिति (विधान सभा) के चुनाव कराये। प्रजा परिपद ने समिति के 37 निर्वाचित स्थानों में 22 पर अधिकार कर लिया। पर जब परिपद ने देखा कि समिति के माध्यम से वह राज्य से अपनी प्रगतिशील नीतियों को सरकार से मनवाने में फ्रासफल रही है तो उसने सन् 1945 में समिति का विहिष्ण्वार कर दिया। सरकार दमन पर उत्तर आई। उसने श्री युगल किशोर चतुर्वेदी, श्री राजबहादुर आदि समिति के प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और देशद्रोह के अपराध में सजाएं सुना दीं। परन्तु कुछ ही दिनों बाद परिपद और सरकार के बीच समझौता हो गया। गिरफ्तार नेता रिहा कर दिये गये।

जनवरी, 1947 में महाराजा भरतपुर के निमन्वण पर भारत के वायसराय लार्ड वेल और वीकानेर के महाराजा शार्दूल सिंह धाना के विश्व प्रसिद्ध पंडी-विहार में जन मुरियों के शिकार के लिये भरतपुर आये। शिकार की व्यवस्था हेतु जाटव, कोली आदि अनुसूचित जाति के लोगों को वेगार में पकड़ा जाने लगा। प्रजा परिपद और मुस्लिम कान्फरेंस ने निर्णय किया कि राज्य द्वारा ली जाने वाली वेगार का विरोध किया जाये। दोनों संगठनों ने वेगार-विरोधी आन्दोलन छेड़ दिया। जुलूस हड्डताल और प्रदर्शन हुये। 5 जनवरी को लार्ड वेल और महाराजा शार्दूल सिंह भरतपुर आये तो जनता का विशाल जुलूस काले झण्डे हाथ में लिये “वेल वपिस जाओ” के नारे लगाता हुआ हवाई श्रड्डे तक गया। प्रजा परिपद ने सरकारी किले के सामने घरना देना प्रारम्भ किया। 15 जनवरी को महाराजा के भाई राजा बच्चू सिंह के नेतृत्व में सेना के घुड़सवारों और पुलिस ने सत्याग्रहियों को रोंद दिया। सर्वंश्री सांवल प्रसाद चतुर्वेदी, राजबहादुर, आल मोहम्मद एवं श्रीमती जमना देवी चतुर्वेदी आदि कार्यकर्ताओं को गम्भीर चोटें आयीं। सरकार ने राजधानी में धारा-144 लगा दी। शहर में हड्डताल हो गयी, जो 22 दिन तक चली। सर्वंश्री सांवल प्रसाद चतुर्वेदी, आल मोहम्मद, राजबहादुर,¹ गोरीशंकर नित्तल, घनभ्याम शर्मा, जगन्नाथ प्रसाद कवकड़, मा. अदित्येन्द्र,² मा. फकीरचन्द, रोशनलाल आर्य, रघुनाथ प्रसाद लखेरा, मदनमोहनलाल पोद्दार, प्रभुदयाल मायुर आदि अनेक कार्यकर्ता जेल में डाल दिये गये। इसी बीच 5 जनवरी को पुलिस द्वारा नुसावर में एक प्रमुख कार्यकर्ता रमेश स्वामी को बस से कुचलवा दिया गया, जो घटनास्थल पर ही शहीद हो गये।

भरतपुर की स्थिति का अध्ययन करने के लिये अ. भा. देशो राज्य लोक परिपद के अध्यक्ष पं. नेहरू ने अपने विशेष प्रतिनिधि श्री द्वारकानाथ काचरू और देशी राज्य लोक परिपद की प्रान्तीय सभा ने लेखक को भरतपुर भेजा। वे जेल में सत्याग्रहियों से मिले। उन्होंने राज्य के प्रधान मन्त्री और अन्य अधिकारियों से भी मुलाकात की। उन्होंने अपने-अपने प्रतिवेदन सम्बन्धित संस्थाओं को भेजे। इस समय केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार बन गई थी। अतः राज्य ने समझौते की नीति अपनाई। सभी नेता घोर-घीरे रिहा कर दिये

1. श्री राजबहादुर जाजादी के बाद वर्षों तक केंद्रीय नन्दी रहे।

2. श्री अदित्येन्द्र जनता सरकार में विन नन्दी रहे।

90/ राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

गये। दिसम्बर सन् 1947 में भरतपुर राज्य के मन्त्रिमण्डल में प्रजा परिषद् की ओर से श्री गोपीलाल यादव और मास्टर आदित्येन्द्र और किसान सभा की ओर के ठाकुर देशराज एवं श्री हरिदत्त को शामिल किया गया।

सिरोही :

सन् 1942 के बाद सिरोही में कोई विशेष राजनीतिक हलचल नहीं हुई, सिवाय इसके कि जनवरी, 1946 में महाराजा स्वरूप रामसिंह के देहान्त पर त्रिटिश सरकार द्वारा भंडार के तेज सिंह को गढ़ी पर बैठाने पर जनता ने बड़ा विरोध किया। पर 1947 में केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार बन जाने पर यह गलती सुधार दी गई। भारत सरकार ने तेज सिंह के स्थान पर गढ़ी के वास्तविक हकदार अभयसिंह को गढ़ी पर बैठा दिया। वह नावालिंग था। त्रिटिश सरकार द्वारा रियासतों पर सार्वभीम सत्ता समाप्त करने के निर्णय के फलस्वरूप सन् 1917 से ए. जी. जी. को लीज पर दिया गया आबू-पर्वत 5 अगस्त, 1947 को पुनः सिरोही राज्य को मिल गया। 23 अक्टूबर को राज्य के मन्त्रिमण्डल में प्रजा भण्डल के प्रतिनिधि श्री जवाहरमल सिंघी को लिया गया। नवम्बर, 1947 में भारत सरकार ने सिरोही को राजपूताना स्टेट्स एजेन्सी से हटा कर पश्चिम भारत एवं गुजरात स्टेट्स एजेन्सी के अन्तर्गत कर दिया। भारत सरकार ने 8 नवम्बर, 1948 को सिरोही का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया और श्री गोकुल भाई भट्ट को राज्य का प्रधान मन्त्री नियुक्त कर दिया।

डूंगरपुर :

वर्तमान शताब्दी में राजस्थान के राजाओं में वीकानेर के महाराजा स्व. गंगासिंह के बाद डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मणसिंह¹ सबसे अधिक चतुर और कूटनीतिक शासक माने जाते थे। 3800 वर्ग कि. मी. में फैली डूंगरपुर एक छोटी रियासत थी जिसकी 60 प्रतिशत आवादी भीलों की थी। इस रियासत के पिछड़ेपन का अन्दाज इस बात से लगाया जा सकता है कि आजादी के पूर्व वहाँ की जनता में साक्षरता का प्रतिशत केवल 3 प्रतिशत था। इन परिस्थितियों में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि राज्य में राजनीतिक जाग्रति की शुरुआत अपेक्षाकृत देरी से हुई।

सन् 1935 में श्रद्धेय ठक्कर वापा की प्रेरणा से राज्य के सुप्रसिद्ध जन-सेवक श्री भौगीलाल पंडया² ने हरिजन सेवा समिति की स्थापना की। उसी वर्ष श्री शोभालाल गुप्त³ ने राजस्थान सेवक मण्डल की ओर से हरिजनों और भीलों में काम करने के लिए सागवाड़ा में एक आश्रम स्थापित किया। कुछ ही समय बाद दिजीलिया आनंदोलन के प्रमुख सूत्राधार श्री मणिक्यलाल वर्मा जन-जातियों में काम करने के उद्देश्य से डूंगरपुर आये। उन्होंने सागवाड़ा से 16 कि. मी. दूर खड़लाई ग्राम में एक आश्रम स्थापित

1. महारावल लक्ष्मणसिंह जनता शमन के दीगन विधान सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। वे विधानसभा में वर्षों तक विरोधी दल के नेता रहे हैं। प्राजक्षन वे विधान सभा में वाँचेनी सदस्य है।
- 2- श्री पंडया भूतपूर्व राजस्थान और और वर्तमान राजस्थान के मन्त्रिमण्डलों के कई वर्ष तक नदम्य रहे। उन्हें ब्रेल, 1976 में उनकी समाज-सेवाओं के उपलक्ष में भारत सरकार द्वारा पदम—भूपरु ने निभूषित किया गया।
- 3- श्री गुरुता विजौलिया आगरोंनन में राम दर चुके हैं। वे वर्षों तक हिन्दुस्नान देनिरा के समादर मण्डन में रहे हैं।

किया। महारावल के कारिन्दों ने भीलों को श्री वर्मा के लिलाक भड़काने का प्रदत्त किया। पर उन्हें सफलता नहीं मिली। वर्मजी ने बागड़—सेवा मन्दिर नामक संस्था बनाई और उसके अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर 12 केन्द्र स्थापित किये। उन्होंने उक्त संस्था के द्वारा भीलों में न केवल साक्षरता का प्रचार किया, बरन् उनमें प्रचलित विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के निवारण का महत्वपूर्ण कार्य किया। भीलों में नदे जीवन का चंचार हुआ। पर वर्मजी ने अब यह महसून किया कि भीलों¹के आधिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें राज्य द्वारा लो जाने वाली बैठ-देगर एवं अनुचित लागवागों से मुक्त किया जाये। इसका सीधा अर्थ या राज्य से संघर्ष। पर इससे भीलों एवं अनुचित जातीयों में रचनात्मक काम करने वालों के लिए कठिनाइयां पैदा हो सकती थी। अतः श्री वर्मा बागड़ सेवा मन्दिर श्री पण्डया को सौंप पुनः अपने राज्य (मेवाड़) में चले गये।

राज्य सरकार बागड़ मेवा मन्दिर की प्रवृत्तियों से नाराज थी। अतः श्री पण्डया उक्त संस्था को समाप्त कर उसके स्थान पर सेवा संघ, डूंगरपुर की स्थापना की। पर राज्य सरकार संस्था के नाम से नहीं, उसके काम से नाराज थी। उसने सेवा संघ द्वारा चलाये जाने वाले छात्रावासों को बन्द कर दिया और वहाँ के छात्रों को आगे की शिक्षा के लिए राज्य की एकमात्र हाई स्कूल में प्रवेश देना निपिछ कर दिया। वही नहीं, सरकार ने एक नया कानून बनाया जिसके अनुसार राज्य में विना सरकारी अनुमति के निजी स्कूल और छात्रावासों का चलना निपिछ कर दिया गया। पर सेवा संघ विना इन कानूनों की परवाह किये अपनी प्रवृत्तियां चलाता रहा।

सन् 1942 की अगस्त क्रान्ति ने देश में एक अभूतपूर्व जाग्रत्ति की लहर पैदा की। सेवा संघ के कार्यकर्ताओं को विश्वास हो गया कि वे अब अधिक समय तक राजनीति से अलग नहीं रह सकते। संघ के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर चुलून निकाले व सभाएं की। डूंगरपुर एवं अन्य कस्बों में हड्डतालें हुईं। पर चतुर महारावल ने कोई गिरफ्तारी नहीं की।

ता. 1 अगस्त, 1944 को सेवा संघ के प्रमुख कार्यकर्ता सर्व श्री भोगीलाल पण्डया गौरीराईंकर आचार्य, हरिदेव जोशी,¹ कुरीचन्द जैन व शिवलाल कोटड़िया आदि ने नागरिकों की एक सभा बुलाई और उनमें प्रजा मण्डल का विधान स्वीकार करवाया। ता. 8 अगस्त की बैठक में श्री पण्डया को संस्था का अध्यक्ष एवं श्री कोटड़िया को मन्त्री चुना गया।

अप्रैल, 1946 में डूंगरपुर में राज्य प्रजा मण्डल का श्री पण्डया की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। सर्व श्री गोकुल भाई भट्ट, हीरानाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, भूपेन्द्र विवेदी, युगलकिशोर चतुरेंद्री एवं मोहनलाल चुखाड़िया आदि विभिन्न रियासतों के जन नेता इस अधिवेशन में शामिल हुए। अधिवेशन में राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, डूंगरपुर के भारतीय संघ में शामिल होने, खानगी पाठशाला नियम एवं कवायद छात्रावास के रद्द करने आदि विषयों पर प्रस्ताव स्वीकार किये गये।

1- श्री हरिदेव जोशी सन् 1952 ने लव तक लगातार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। वे वयों तक राजस्थान नन्हिमण्डन में रहे हैं बाद सन् 1973 से 1977 तक राज्य के मूल्यनन्दी रहे। वे पुनः नाचं, 1985 से राज्य के मूल्यनन्दी हैं।

इन दिनों सरकार ने कटारा के अकालग्रस्त क्षेत्रों में लेवी वसूल करना शुरू कर दिया। यहां के किसान महारावल की शिकार के लिए आरक्षित सुअरों के उपद्रव से पहले ही परेशान थे। अतः किसानों ने सांवला निवासी श्री देवराम शर्मा के नेतृत्व में सत्याग्रह का श्रीगणेश कर दिया। श्री शर्मा गिरफतार किये जाकर देवल जेल में भेज दिया गया। प्रजा मण्डल ने इस आन्दोलन को अपने हाथ में लिया। श्री पण्डया ने श्री हरिदेव जोशी को प्रचार प्रसार व उनकी स्वयं की गिरफतारी के बाद आन्दोलन के संचालन के लिए राज्य के बाहर भेज दिया। सरकार ने श्री जोशी और श्री उपाध्याय को राज्य से निष्कासित कर दिया। श्री पण्डया अपने 28 साथियों सहित सत्याग्रह करते हुए गिरफतार किये जाकर देवल जेल में बन्द कर दिये गये। वहां उनकी क्रूरतापूर्वक पिटाई की गयी। श्री पण्डया ने उन्हें व उनके अन्य साथियों को राजनैतिक बन्दी मानने के लिये अनशन शुरू कर दिया। 15 दिन बाद जब श्री पण्डया की मांग स्वीकार हुई तभी उन्होंने अपना अनशन तोड़ा।

श्री पण्डया पर जेल में किये जा रहे अमानुषिक व्यवहार के समाचार राज्य भर में फैल गये। फलस्वरूप कई स्थानों पर हड्डताल और लाठी चार्ज हुआ। कई प्रमुख कार्य कर्ताओं को गिरफतार कर लिया गया। जब ये समाचार राजपूताना प्रान्तीय सभा को भिले तो प्रान्त के चोटी के नेता सर्वश्री गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, हीरलाल शास्त्री और रमेशचन्द्र व्यास तुरन्त डूंगरपुर पहुंच गए और महारावल से मिले। श्री पण्डया सहित सभी कार्यकर्ता रिहा कर दिये गए। श्री जोशी व श्री उपाध्याय के विरुद्ध निर्वासन आज्ञा रद्द कर दी गई। प्रजामण्डल की यह पहली विजय थी। महारावल के लिए यह सब कड़वा घृट पीने के बराबर था। उन्होंने समझ लिया कि सेवा संघ और प्रजा मण्डल एक ही सिक्के के दो रूप हैं और अगर सेवा संघ की प्रवृत्तियों को बन्द कर दिया गया तो प्रजामण्डल अपने आप में कमज़ोर हो जायेगा।

अस्तु, राज्य के कर्मचारी ता। 30 मई 1947 को सेवा संघ द्वारा संचालित पूना-चाड़ा की पाठशाला को बन्द करने पहुंचे। उन्होंने पाठशाला के अध्यापक श्री शिवराम को पीटा और जंगल में छिपा दिया। जब इस घटना की सूचना श्री पण्डया को मिली तो वे अपने साथी श्री उपाध्याय और श्रीकोटडिया एवं कुछ भीलों के साथ अनेक बाधाएँ पार करते हुए श्री शिवराम के गांव कुआ पहुंच गए। वहां पर उन्हें पुलिस ने सुनित किया कि श्री शिवराम शर्मा को उनके घर पहुंचा दिया गया था। दो दिन के भूसे प्यासे श्री पण्डया और उनके साथी पाठशाला में ज्यों ही खाना खाने वैठे कि पुलिस एवं स्थानीय जागीरदार ने उन सबको धेर कर बुरी तरह पिटाई की। पुलिस उन्हें सरकारी नाके को लूट कर जला देने के अभियोग में गिरफतार कर थम्बोलां के थाने में ले गई। पुलिस ने उन पर मुकदमा चलाया, पर उन्होंने ग्रदालती कार्यवाही में भाग लेने से इन्कार कर दिया। अन्तमें वे सव2। दिन बाद विना शर्ट रिहा कर दिये गये। पुलिस ने हवालात के दोरान श्रीपण्डया और उनके साथियों को अनेक बातें दी। पुलिस ने श्री पण्डया को तो पानी में पेशावर मिला कर पिलाने का जघन्य अपराध भी किया।

19 जून को पुलिस ग्राम रास्तापान की स्कूल बन्द करने गई। उस दिन स्कूल में विद्यार्थी नहीं थे। पुलिस ने मकान मालिक नानाभाई साट को स्कूल बन्द कर चाबी सौप देने का आदेश दिया। पर जब नानाभाई ने विना सेवा संघ की इजाजत के चाबी, देने से इन्कार कर दिया तो पुलिस ने उन्हें इस बरवरता से मारा कि वे मरणासन हो गए पुलिस

उन्हें उठाकर अपने कैप में ले जा रही थी कि मार्ग में ही उनका देहान्त हो गया। स्कूल के अध्यापक सेगांभाई की भी पुलिस ने भयंकर पिटाई की। वे बेहोश हो गये। पुलिस ने उनकी कमर में रस्सा बांधकर रस्से के दूसरे सिरे को ट्रक से बांध दिया। जब ट्रक सेगांभाई को घसीटते हुए चलने लगा तो एक 12 वर्षीय भील कन्या कालीबाई ने अपनी दांतली से रस्सी काट कर सेगांभाई के जीवन की रक्षा की। इस बीच पुलिस ने कालीबाई और उसके साथ की महिलाओं पर गोली चलाई, जिससे कालीबाई और 6 अन्य महिलाये घायल हो गयी। उन सबको डूंगरपुर अस्पताल लाया गया जहां पर कालीबाई शहीद हो गयी।

पुलिस की गोलियों चलने के साथ ही साथ भीलों ने मार्फोल बजा दिया। उसकी आवाज सुनकर आस पास के हजारों भील धनुषबाण लेकर घटना स्थल पर एकत्रित हो गए। कुद्द भीड़ को देख कर पुलिस व राज्य के अन्य कर्मचारी भाग खड़े हुए। भीड़ डूंगरपुर पहुंची। उधर पुलिस पण्डया जी एवं उनके साथियों को भी लेकर डूंगरपुर आई। महारावल ने डूंगरपुर में लगभग 12 हजार सशस्त्र भीलों का हजूम देखा तो वे किरकतव्य विसूढ़ हो गये। उन्हें तुरन्त ही श्री पण्डया और उनके साथियों को रिहा करना पड़ा। इस प्रकार 21 दिन पुराना यह अन्दोलन शान्त हुआ। नानाभाई खाट एवं कालीबाई सामन्त शाही की विलिवेदी पर चढ़कर अमर हो गये। राज्य की जनता ने उनकी याद में पार्क बनवाया और उसमें उन दोनों की मूर्तियां लगवाई जहां उनकी शहादत के दिन हर वर्ष मेला लगता है।

15 अगस्त, 1947 को देश आजाद हुआ। इसके पूर्व ही डूंगरपुर भारतीय संघ में शामिल हो गया था। इन परिवर्तनों को राज्य सरकार एवं वहां के कतिपय जागीरदारों ने सहज भाव से नहीं लिया। सितम्बर, 1947 में प्रजामण्डल के प्रमुख नेता श्री हरिदेवजोशी जब कतिसोर की एक सभा में भाषण देकर अपने साथियों के साथ ग्राम काढ़ा में सो रहे थे तो स्थानीय जागीरदारों ने उन पर घातक आक्रमण किया और वे बाल-बाल चले। जब यह सूचना आसपास के गांवों में फैली तो दूसरे ही दिन लगभग दो सौ आदिवासी कार्यकर्त्ताओं की रक्षा के लिए कतिसोर और काढ़ा पहुंच गए। इस घटना के विरोध में अगले ही दिन कोलडण्डा में एक विशाल सभा हुई, जिसमें रियासत के इस पद्यन्त्र का भण्डाफोड़ किया गया। विशाल जनशक्ति के इस प्रदर्शन के बाद राज्य प्रशासन अथवा जागीरदारों ने खुले रूप में कार्यकर्त्ताओं पर हमला करने का दुस्साहस नहीं किया।

देश में तेजी से हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए महारावल ने ता. 1 दिसम्बर 1947 को सर्वश्री गौरीशंकर उपाध्याय एवं भीखाभाई भील को प्रजा मण्डल के प्रतिनिधियों के रूप में राज्य मन्त्रमण्डल में शामिल किया। सन् 1948 में श्री उपाध्याय राज्य प्रबान्नमन्त्री बना दिये गये। ता. 18 अप्रैल, 1948 को डूंगरपुर का राजस्थान में विलय हो गया।

वांसवाड़ा

वांसवाड़ा में प्रजामण्डल स्वापित करने का प्रदर्शन 1943 में हुआ। श्री नूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी वम्बई से वांडवाड़ा आये। उन्होंने सर्वश्री धूलकी भाई भावतार, मणी शंकर जानी, सिद्धिशंकर भा, चिम्मनलाल मालाते, मोतीलाल जड़िया और डाकटर ध्यानीलाल आदि के सहयोग से प्रजामण्डल की स्वापना की। योड़े ही समय में प्रजामण्डल लोकप्रिय

राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम /94

हो गया। राज्य ने प्रजामण्डल की प्रवृत्तियों को दबाने के लिए राजधानी में बारा 144 लक्षाकर प्रजामण्डल की सभाओं पर रोक लगा दी। प्रजामण्डल ने राजधानी के बाहर सभा की, जिसमें राज्य की दमनपूर्ण नीतियों की आलोचना की गई। दूसरे ही दिन सर्व श्री भूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी, धूलजी भाई भावसार और चिम्मनलाल मालोत को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे नगर में हड्डताल हो गई और जलूस निकाला गया। जनता ने चीफ मिनिस्टर का बांगला घेर लिया और गिरफ्तार नेताओं की रिहाई की माँग की। सरकार को झुकना पड़ा। तीनों नेता शाम को रिहा कर दिये गये।

सन् 1946 में प्रजामण्डल का अधिवेशन हुआ। उसमें राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की माँग की गई। कुछ समय बाद राज्य ने विधानसभा के लिए चुनाव करवाये। प्रजामण्डल 45 स्थानों में से 35 पर विजयी रहा। राज्य ने श्री मोहनलाल त्रिवेदी और श्री नटवरलाल भट्ट को प्रजामण्डल के प्रतिनिधियों के रूप में मन्त्रिमण्डल में शामिल किया। पर प्रजामण्डल इन सुधारों से संतुष्ट नहीं था। उसने कर—विरोधी आन्दोलन चलाया। राज्य ने 1948 के शुरू में प्रजामण्डल की माँग स्वीकार कर भूपेन्द्र नाय त्रिवेदी को मुख्यमन्त्री बनाया। सर्वश्री मोहनलाल त्रिवेदी, और नटवरलाल भट्ट प्रजामण्डल की ओर से व श्री चतरंसिंह जागीरदारों के प्रतिनिधि के रूप में मन्त्री बनाए गये। कुशलगढ़ :

यों तो कुशलगढ़ बांसवाड़ा राज्य का ही एक अंग माना जाता था, पर अंग्रेजी शासनकाल में वह एक खुद मुख्यालय चीफ शिप बन गया था। अप्रैल, 1942 में श्री मंवर लाल निगम की अध्यक्षता में प्रजामण्डल की स्थापना हुई। श्री वर्द्धमान गदिया संस्था के उपाध्यक्ष और श्री कर्हैयालाल सेठिया मन्त्री बनाए गये। प्रजामण्डल ने चीफ-शिप में ली जाने वाली लाग बाग और अंग्रेज़ प्रशासक के विरुद्ध आन्दोलन चला कर जनता को राहत दिलाई। सन् 1944 में स्वतन्त्रता सेनानी श्री दाढ़मचन्द दोपी सेवा ग्राम से कुशलगढ़ आये और उसे अपनी कर्मसूमि बनाया। उनके आ जाने से प्रजामण्डल को बड़ा बल मिला। कुछ ही समय बाद त्रिटिया भारत में हुए अनेकों आन्दोलनों में ज्ञक्रिय भाग लेने वाले एक और स्वतन्त्रता सेनानी श्री पन्नालाल त्रिवेदी अपनी जन्मभूमि कुशलगढ़ आ गए और प्रजामण्डल के महामन्त्री बन गये। वे मन् 1946 में प्रजामण्डल के अध्यक्ष बने। श्री त्रिवेदी ने राज्य के भीलों का सुदृढ़ संगठन बनाया। उन्होंने सन् 1948 में कुशलगढ़ के लोकप्रिय नेता श्री दाढ़मचन्द दोपी के सहयोग से गांधी आश्रम की स्थापना की उसी वर्ष वहां पर लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल बनाया गया, जिसमें प्रजामण्डल की ओर से सर्वश्री मंवरलाल निगम और वर्द्धमान गदिया शामिल किये गए।

प्रतापगढ़ :

सन् 1931-32 में प्रतापगढ़ के युवा नागरिक सर्वश्री रामलाल मास्टर, राधाबल्लभ सर्वानी और रनलाल ने प्रतापगढ़ में खादी और स्वदेशी वस्तुओं के प्रसार का आन्दोलन चलाया। देशी रियासत में इस प्रकार का आन्दोलन देश द्वाह से कम नहीं था। राज्य प्रशासन ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें तीन-तीन माह की सजा हुई।

सन् 1936 में हरिजनों के मसीहा पूज्य ठक्कर बापा हरिजनोत्थान कार्य के निये प्रतापगढ़ आये। उनकी प्रेरणा से स्थानीय एवं केट श्री अमृतलाल पायक ने प्रतापगढ़ में हरिजन पाठशाला स्थापित की। सन् 1938 में बापा श्रीमती रामेश्वरी नेहरू के साथ

दुवारा प्रतापगढ़ आये। तब तक श्री पायक के प्रयत्नों से प्रतापगढ़ में हरिजन कार्य ने यति लेली थी। श्री ब्राह्मा के आदेश से श्री पायक हरिजन-सेवक-समिति के मन्त्री बने। श्री पायक ने उन दिनों प्रतापगढ़ में खाड़ी प्रचार-सभा, व्यावानशाला आदि स्थानों की स्थापना कर जनजागरण का महत्वपूर्ण काम किया। न् 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के सम्बन्ध में प्रतापगढ़ में जुनून, हड्डताल आदि के आयोजन हुये।

प्रतापगढ़ में श्री पायक और श्री चुनो लाल प्रभाकर के प्रयत्नों से न् 1945 में प्रजा मण्डल की स्थापना हुई। बीरे-धीरे प्रजामण्डल एक भजदृष्ट संगठन बन गया।

न् 1947 के अगस्त में प्रतापगढ़ राज्य भारतीय संघ में शामिल हो गया। अगले ही वर्ष 2 मार्च, 1948 को प्रजामण्डल के दो प्रतिनिधि नवंश्री माणिक्यलाल जाह और श्री अमृतलाल पायक मन्त्रिमण्डल में शामिल किये गये। 18 अप्रैल 1948 को - मन्त्रिमण्डल की सनाह पर प्रतापगढ़ का संयुक्त राजस्वान में विलय हो गया।

शाहपुरा :

न् 1942 के आन्दोलन में गिरफ्तार प्रजा मण्डल के नेता सर्वश्री रमेशचन्द्र ओझा, लालूराव घ्यास और लक्ष्मीकान्त कांटिया 16 बाह बाद जेल से रिहा किये गये। 1946 में राज्य ने प्रो. गोकुल लाल असावा की अव्यक्षना में संविधान-समिति बनाई। इस समिति ने शाहपुरा के निये पूर्ण व्यवस्था जनतांत्रिक विधान का प्रारूप बनाकर प्रस्तुत किया जो राज्य ने स्वीकार कर लिया। यह विधान 14 अगस्त, 1947 को लागू कर दिया गया। उसी दिन प्रजामण्डल के अव्यक्ष प्रो. असावा के नेतृत्व में लोक प्रिय मन्त्रिमण्डल ने शपथ ग्रहण की। मन्त्रिमण्डल में प्रो. असावा के अनावा दूसरे मन्त्री नेतृत्व दान्त भिंड जानिन किये गये।

दूसरे अन्य रियासतें :

महारावल कोटा ने 1948 के जुलाई में पं. अमित हुरि के नेतृत्व में राज्य में लोक-प्रिय नरकार बनाने का निर्णय किया। पर उसे क्रियान्वित करने के पूर्व ही संयुक्त राजस्वान संघ (कोटा) बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गयी। अन्दर राज्य में लोकप्रिय नरकार परिवहण नहीं कर पायी।

न् 1944 में दून्दी राज्य में श्री हरिमोहन माधुन द्वारा अव्यक्ता में दून्दी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई। परिषद के नहामन्त्री बने थे श्री इन्द्रमुख शर्मा। न् 1946 में श्री निदेशनन्द शर्मा ने, जो राज्य में निर्वाचित थे, राज्य को नूचित किया कि वे निर्वाचित आज्ञा मंग कर राज्य में प्रवेश करें। इस पर महाराव ने उनके निर्वाचित की आज्ञा रद्द कर दी। उसी वर्ष महाराव ने दून्दी राज्य में विधान सभा बनाने और लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल बनाने की घोषणा की। पर परिषद ने मन्त्रिमण्डल में जानिन होने से इन्द्रार कर दिया। क्योंकि महारावल लोक परिषद के अनावा अन्य वर्ग के लोगों को भी मन्त्रिमण्डल में शामिल करना चाहते थे।

कानावाड़ में न् 1947 में लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल की स्थापना हुई जिसमें प्रधान मन्त्री स्वयं महाराजा हरिचन्द्र बने। इस मन्त्रिमण्डल में प्रजा मण्डल की ओर से सर्वश्री कन्दमालाल भित्तन ग्रोर संगीलाल भव्य जानिन हुये।

12 स्वाधीनता संग्राम और अजमेर

राजस्थान के हृदय पटल पर स्थित अजमेर का सदियों से बड़ा महत्व रहा है। 12वीं शताब्दी में अजमेर शाकम्बरी के चौहानों की राजधानी था। अन्तिम हिन्दू सभ्राट पृथ्वीराज चौहान और मुहम्मद गौरी के बीच सन् 1192 में थानेश्वर के युद्ध में पृथ्वीराज की हार ने न केवल भारत पर विदेशी आक्रमणों का मार्ग प्रशस्त किया, बरन् अजमेर का स्वतन्त्र अस्तित्व भी सदा के लिए समाप्त कर दिया। वाद की दो शताब्दियों में अजमेर दिल्ली के सुल्तानों के अधीन रहा। इसके बाद वह कभी मेवाड़ तो कभी मारवाड़ और कभी दिल्ली के सुल्तानों के हाथ में रहा। मुगलकाल में अजमेर के भाग्य ने पलटा खाया। मुगलों ने अजमेर को सूबे का दर्जा दिया और वहीं से उन्होंने राजस्थान की विभिन्न रियासतों पर नियन्त्रण रखा। यह एक विडम्बना है कि अजमेर में ही 10 जनवरी, 1616 को इंग्लैण्ड के बादशाह जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो की मुगल सभ्राट जहाँगीर से हुई मुलाकात ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अस्त होते हुये सितारे को चमका कर भारत में अंग्रेजी राज का बीज दो दिया।

सन् 1707 में ओरंगजेब की मृत्यु के साथ ही साथ मुगल सत्तनत लड़खड़ा गयी। सन् 1761 में माधोजी सिंधिया ने अजमेर पर अधिकार कर लिया। सन् 1787 में अजमेर सिंधिया के हाथों से निकल कर मारवाड़ के राठोड़ों के हाथों में चला गया। पर सन् 1790 में यह नगर पुनः सिंधिया के अधिकार में आ गया। इन दिनों भारत में अंग्रेजों की शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। जून सन् 1818 में दीलतराम सिंधिया ने अजमेर अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया। इनी वर्षे अंग्रेजों ने राजस्थान के विभिन्न राजाओं के साथ संघर्ष कर समूचे राजस्थान पर अपनी सार्वभीम-सत्ता स्थापित कर ली। अब मुगलों की भाँति अंग्रेज भी अजमेर से राजस्थान की रियासतों पर अपना नियन्त्रण रखने लगे।

अजमेर विटिश भारत का अंग था। अतः यह स्वाभाविक ही था कि अजमेर विटिश भारत में होने वाली प्रत्येक गतिविधि से प्रभावित होता। अजमेर को यह श्रेय है कि वह राजस्थान की रियासतों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण केन्द्र और प्रेरणा-स्थली रहा। जयपुर के सुप्रसिद्ध आतिकारी स्व. श्रीअर्जुनलाल सेठी ने वैलूर जैल से रिहा होने के बाद अजमेर को ही अपनी कर्मस्थली बनाया। भूपर्सिंह उक्फ विजयसिंह 'पथिक' ने विटिश भारत से फरार होने के बाद खरबा ठाकुर गोपाल सिंह के निजी सचिव बन कर अजमेर द्वाके से ही अपने ग्रान्तिकारी जीवन का श्रीगणेश किया। श्री जयनारायण व्यास के

राजनैतिक जीवन का पूर्वार्द्ध अजमेर और ब्यावर में ही थी। श्री माणिक्यताल वर्मा ने सन् १९१४ में मेवाड़ के प्रथम सत्याग्रह का संचालन भी अजमेर से ही किया।

यों तो अजमेर में जाग्रति की शुरूआत १९वीं शताब्दी के अन्त में स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा सचालित आर्य समाज आनंदलन से हो चुकी थी, पर वहाँ पर राजनैतिक जाग्रति का सिलसिला सही अर्थों में सन् १९१४-१५ में महा विष्णवी नायक रासविहारी बोस की प्रस्तावित सशस्त्र क्रान्ति से शुरू हुआ। उन्हीं दिनों खरवा ठाकुर गोपाल सिंह, ब्यावर के सेठ दामोदर दास राठी और फिरोजपुर पड़यन्त्र अभियोग में फरार भूप सिंह (विजय सिंह पथिक) ने शेष भारत के साथ राजस्थान में कान्ति की ज्वाला प्रज्वलित करने का बीड़ा उठाया। रासविहारी बोस के दाहिने हाथ प्रसिद्ध क्रान्तिकारी शचीन्द्र सन्याल स्वयं राजस्थान में क्रान्ति की तैयारियों का जायजा लेने आये और सन्तुष्ट होकर गये। २१ फरवरी, १९१५ को देश भर में एक 'साथ क्रान्ति प्रारम्भ करने की तिथि निश्चित की गयी थी। पर समय के पूर्व ही प्रस्तावित क्रान्ति का भेद खुल गया और क्रान्ति की योजना असफल हो गई। देश भर में क्रान्तिकारी गिरफ्तार कर लिये गये। राव गोपाल सिंह ने अजमेर में २ हजार सशस्त्र सैनिकों का दल गठित कर लिया था। उन्होंने ३० हजार बन्दूकें और बहुत सारा गोला बारूद इकट्ठा कर लिया था। क्रान्ति की असफलता की सूचना मिलते ही राव गोपाल सिंह ने बन्दूकों और गोला-बारूद को भूमिगत कर दिया और सैनिकों को विसर दिया। कुछ ही दिन बाद अजमेर के कमिशनर ५०० सैनिकों की सहायता से गोपाल सिंह और भूप सिंह को खरवा के निकट शिकार-ओहदी पर गिरफ्तार कर लिया और टाडगढ़ के किले में बन्द कर दिया।^१ उन्हीं दिनों लाहौर यड़यन्त्र अभियोग में भूप सिंह का नाम उभरा और उन्हें गिरफ्तार कर लाहौर ले जाने के आदेश हुये। यह खबर किसी तरह भूप सिंह को समय पर मिल गई। वह भेप बदल कर टाडगढ़ के किले से फरार हो गया। वहाँ से वह गुरला, भाणा, मोही, पूठोली और चित्तीड़ आदि स्थानों पर विचरता हुआ बिजोलिया पहुंच गया, जहाँ उसने किसान आनंदोलन का संचालन किया। राव गोपाल सिंह भी कुछ समय बाद टाडगढ़ से फरार हो गये। पर वे शीघ्र ही पकड़ लिये गये। वे कई वर्षों तक अपने ही गंव खरवा में नज़रबन्द रखे गये। १९२० के शुरू में उनकी नज़रबन्दी समर्प्त कर दी गई।

मार्च, १९२० में सेठ जमनालाल वजाज की अध्यक्षता में अजमेर में राजपूताना-मध्यभारत सभा का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में सर्वश्री अर्जुनलाल सेठी, केशरी सिंह बारहट, ठाकुर गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक आदि नेताओं ने भाग लिया। उसी वर्ष देश में खिलाफत आनंदोलन चला। अजमेर में खिलाफत समिति की बैठक हुई जिसमें डाक्टर अन्सारी, मौलाना मौयुद्दीन, सेठ अब्बासअली एवं श्री चांदकरण शारदा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

झक्कूवर, १९२० में सर्वश्री अर्जुनलाल सेठी, केशरी सिंह बारहट और विजय सिंह पथिक ने अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की जिसका उद्देश्य राजस्थान की विभिन्न रियासतों में चलने वाले आनंदोलनों को नति देना था। उस समय श्री रामनारायण चौधरी वर्षा से लौट कर भपना कार्य क्षेत्र अजमेर बना चुके थे। उन्हें संच का महानन्दी

1. प्रो. शंकर जहाय तज्ज्ञना द्वारा तिचिन "विजय सिंह 'पथिक' को जीवनों" पर बाढ़ारित।

वनाया गया। संघ के तत्वावधान में “राजस्थान केशरी” नामक समाचार पत्र निकाला गया, जिसमें प्रकाशित एक समाचार को लेकर चौधरी जी पर स्थानीय पुलिस ने मान-हानि का मुकदमा चलाया। चौधरी जी को तीन माह की सजा हुई। सन् 1927 में कार्यकर्ताओं में मतभेद के कारण राजस्थान सेवा सघ टूट गया।

सन् 1926 में श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर की राजनीति में प्रवेश किया। श्री उपाध्याय 9 मार्च, 1893 को ग्वालियर राज्य के भौरासा गांव में पैदा हुये थे। उन्होंने सन् 1920 से 1923 तक गांधी जी की देख-रेख में अहमदाबाद से “नवजीवन” का सम्पादन किया। सन् 1927 में उन्होंने हटूण्डी आश्रम की स्थापना की। उस समय श्री अर्जुनलाल सेठी अजमेर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। सेठी जी उग्रवादी विचारधारा के थे और उपाध्याय जी गांधीवादी। दोनों में गहरा मतभेद हो गया। अन्त में उपाध्याय जी प्रान्तीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गये। सेठी जी धीरे-धीरे प्रान्तीय कांग्रेस की गतिविधियों से अलग हो गये।

अप्रैल सन् 1930 में देश में गांधी जी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ। सर्वश्री हरिभाऊ उपाध्याय, विजयसिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, रामनारायण चौधरी और प्रोफेसर गोकुल लाल असावा गिरफ्तार हुए। उन्हें गांधी—इरविन समझौते के फलस्वरूप नवम्बर सन् 1930 में रिहा कर दिया गया। सन् 1932 के देश व्यापी सत्याग्रह में भी अजमेर का समुचित योग रहा। इस सत्याग्रह में महिलायें बड़ी संख्या में जेल गईं। उसी वर्ष “हिन्दुस्तान शोसलिस्ट रिपब्लिकन सेना” के श्री रामचन्द्र नरहरी वापट ने 25 अप्रैल को स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में अजमेर के इन्सपेक्टर जनरल ऑफ जेल्स श्री गिल्सन को गोली से ढाढ़ाने का प्रयत्न किया। पर रिवाल्वर जाम हो गया। गिल्सन वच गया। श्री वापट गिरफ्तार कर लिये गये। उन्हें 10 वर्ष की सजा हुई। वे सन् 1940 में रिहा हुये।

सन् 1935 में अजमेर पुलिस के उप अधीक्षक श्री प्राणनाथ डोगरा को कतिपय कान्तिकारियों ने मौत के घाट उत्तरसे का निश्चय किया। डोगरा तो वच गया। पर उसका साथी इन्सपेक्टर सलीमुद्दीन मारा गया। इस काण्ड में सर्वश्री ज्वाला प्रसाद, रामसिंह और मांगीलाल उर्फ रमेशचन्द्र व्यास पकड़े गये। श्री रामसिंह और श्री रमेशचन्द्र व्यास पर मुकदमा चलाया गया। श्री व्यास अदालत से छूट गये। पर श्री रामसिंह को 7 वर्ष की सजा हुई। उन्हें काला पानी भैंज दिया गया। श्री ज्वाला प्रसाद को कई महिनों तक नजरबन्द रखने के बाद छोड़ दिया गया।

उन वर्षों में अजमेर-मेरवाड़ा की राजनीतिक और सामाजिक प्रवृत्तियों में जिन अन्य व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की उनमें प्रमुख थे सर्वश्री कुमारानन्द, वावा नरसिंहदास, मो. अब्दुल गफूर, श्री गुलाब चन्द धूत और श्रीमती गुलाब देवी।

अगस्त सन् 1942 में कांग्रेस महासमिति के बम्बई अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आन्दोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। देश के अन्य भागों की तरह अजमेर में भी कांग्रेसी कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गये। इनमें प्रमुख थे सर्वश्री गोकुललाल असावा, मुकुट विहारी लाल भार्गव, लेखराज आर्य, मूलचन्द असावा, शंकर लाल वर्मा, वालकृष्ण कौल, ज्वाला प्रसाद शर्मा, रघुराज सिंह, रामनारायण चौधरी, दुर्गप्रिनाद चौधरी, चन्द्रगुप्त वार्ण्य, मौलाना अब्दुल शकूर, कन्दैयालाल आर्य, वातकिशन

गर्ग, ब्रजमोहन शर्मा और रामनिवास शर्मा। श्री रमेशचन्द्र व्यास भीलवाड़ा से गिरफ्तार किये जाकर अजमेर जेल में रखे गये। इसी प्रकार श्री शोभालाल गुप्त भी अजमेर जेल में रहे। 24 जनवरी, 1944 को श्री ज्वाला प्रसाद और श्री रघुराज सिंह जेल अधिकारियों की आंखों में धूल भीक कर जेल से भग गये। देश के शेष भागों की तरह अजमेर में भी सत्याग्रही 1944 के अन्त एवं 1945 के शुरू में जेल से रिहा कर दिये गये।

15 अगस्त, 1947 को देश स्वतन्त्र हो गया। इसके साथ ही अजमेर का चातावरण बदल गया। अजमेर अब राजस्थान की राजनीतिक गतिविधियों का केन्द्र न रहकर अजमेर मेरवाड़ा का मुख्यालय मात्र रह गया। अजमेर में राजस्थान की रियासतों के नेताओं का आये दिन रहने वाला जमघट समाप्त हो गया।

अप्रैल, 1949 में जब दृहद्-राजस्थान बना तो राजस्थान के नेता चाहते थे कि अजमेर को भी राजस्थान में मिला दिया जाय, परन्तु अजमेर कांग्रेस का नेतृत्व और न भारत सरकार ही इसके लिये तैयार हुई। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि जब बड़ा राजस्थान बनाने की प्रक्रिया चली तो राजस्थान की अधिकतर रियासतों के नेता अजमेर को राजस्थान की राजधानी बनाने के पक्ष में थे। इस प्रकार अजमेर ने राजस्थान की राजधानी बनाने का एक सम्भावित अवसर खो दिया।

राजस्थान का निर्माण और राजशाही की विदाई

“इस अद्वैति को जब शेष संसार निद्रा में मग्न होगा, भारत अँगड़ाई लेगा और स्वतन्त्रता के युग में प्रवेश करेगा।”

भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री पं. जवाहर लाल नेहरू की उक्त धोपणा के साथ ही ता. 15 अगस्त, 1947 की मध्य रात्रि को भारत एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन गया। इस प्रकार सन् 1857 में शुरू हुए 90 वर्ष लम्बे स्वतन्त्रता संग्राम का पटाखेप हो गया। काश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़कर देश की भौगोलिक सीमा में स्थित 550 से अधिक रियासतें 15 अगस्त के पूर्व ही भारतीय-संघ में आमिल हो गयी। लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की द्वारदर्शिता पूर्ण नीति के फलस्वरूप भारत टुकड़ों टुकड़ों में बंटने से बच गया।

मन्त्रिमण्डल-पिश्चन के 22 मई, 1946 के ज्ञापन द्वारा विटिज्ज सरकार ने धोपणा कर दी थी कि भारत के भावी सर्वधानिक ढांचे में सभुचित रूप से अपना भाग अदा करते के लिए छोटी-छोटी रियासतों को आपस में मिलकर वड़ी इकाइयां बना लेनी चाहिए या पड़ोस की बड़ी रियासतों या प्रान्तों में मिल जाना चाहिए।¹ राजपूताना एजेन्सी² के अन्तर्गत लगभग 2 दर्जन रियासतें थीं, जिनमें से अधिकतर अपना पृथक अस्तित्व बनाये रखने योग्य नहीं थीं। राजस्थान के राजाओं और जन नेताओं ने इस स्थिति को भली-भांति समझ लिया था।

राजाओं के प्रयत्न :

मेवाड़ के महाराणा मूपाल सिंह जी ने ता. 25 और 26 जून, 1946 को राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया। इस सम्मेलन में 12 राजा महाराजा उपस्थित थे। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए महाराणा ने उपस्थित नरेशों से अपील की कि “हम सब मिलकर एक “राजस्थान यूनियन” का निर्माण करें ताकि वह भावी भारतीय संघ की एक सुदृढ़ इकाई बन सके।” महाराणा ने सुझाव दिया कि प्रस्तावित यूनियन भारतीय संघ की एक गवर्नेंसन के रूप में बनाई

1 वी. नेमन-दी स्टैर आफ दी इंटीर्न आक दी इन्टियन म्टेंट्स, पृ. 46 व 479-95

2 विटिज्ज शासन के दीर्घ रियासतों के ममूल पर बेन्द्रीय नियन्वण रखने के लिए एजेन्सियों स्थापित की गयी थी। हर एक एजेन्सी एक विटिज्ज अधिकारी के अन्तर्गत श्रेत्री थी जो एजेन्ट दू दी गवर्नर जनरल (ए. जी. जी.) बहलाता था।

जाय जिसमें रियासतें अपना अपना पृथक अस्तित्व कायम रखते हुए कठिपय विद्य 'यूनियन' को सौंप दे। राजाओं ने महाराणा की योजना पर विचार करने का बादा किया

महाराणा को अपने प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने की धून बनी रही। उन्होंने सुप्रसिद्ध संविधान वेत्ता श्री के. एम. मुन्शी को अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। श्री मुन्शी की सलाह पर महाराणा ने उक्त राजाओं का एक और सम्मेलन ता. 23 मई, 1947 को उदयपुर में आमन्त्रित किया। महाराणा ने सम्मेलन में राजाओं को चेतावनी दी कि "हम लोगों ने मिलकर अपनी रियासतों की यूनियन नहीं बनाई तो सभी रियासतें जो प्रान्तों के समकक्ष नहीं हैं, निश्चित रूप से समाप्त हो जायेगी।¹ श्री मुन्शी ने भी इस सम्मेलन में महाराणा की योजना का जोरदार समर्थन किया। फलस्वरूप जयपुर, जोधपुर और बीकानेर आदि बड़ी रियासतों को छोड़कर शेष सभी रियासतों ने सिद्धान्त रूप से इस योजना में शरीक होना स्वीकार कर लिया। सम्मेलन ने प्रस्तावित "राजस्थान यूनियन" का विधान तैयार करने के लिए एक समिति (कॉसिल आफ एक्सन) का गठन किया। इस समिति ने राजाओं एवं उनके प्रतिनिधियों के ता. 14 फरवरी, 1948 के सम्मेलन में यूनियन के विधान का एक प्रारूप प्रस्तुत किया। पर सम्मेलन में उक्त प्रारूप पर मत्तैक्य नहीं हो सका।² महाराणा ने अपनी जन्म गांठ के अवसर पर ता. 6 मार्च, 1948 को राजस्थान और गुजरात के राजाओं से अपील की कि राजपूताना कीं चार बड़ी रियासतों का अस्तित्व कायम रखते हुये एक ऐसे संघ का निर्माण किया जा सकता है जो एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में भावी भारतीय संघ में महत्वपूर्ण भूमिका कर सके।³ पर महाराणा की इस अपील का भी राजाओं पर विशेष असर नहीं पड़ा।

जयपुर के महाराजा मानसिंह जी की स्वीकृति से वहाँ के दीवान सर बी. टी. कृष्णमाचारी ने भी प्रदेश के शासकों और उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि प्रदेश की रियासतों का एक ऐसा संघ बनाया जाय, जिसमें हाईकोर्ट, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विधाय संघ को सौंप दिए जाएं और शेष विषय इकाइयों के पास रहें। उन्होंने सम्मेलन को यह भी कहाकि यदि उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार न हो तो समस्या का दूसरा हील यह है कि प्रदेश की जो रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रखने की क्षमता नहीं रखती, वे पड़ोस की बड़ी रियासतों में मिल जायें। पर सम्मेलन विना किसी निर्णय पर पहुंचे ही समाप्त हो गया।

कोटा के महाराव भीमसिंह जी ने प्रयत्न किया कि कोटा, दूंदी और भालावाड़ को मिला कर एक संयुक्त राज्य बना दिया जाये। इसी प्रकार दूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण तिह जी ने कोशिश की कि दूंगरपुर, दांसवाड़ा, कुशलगढ़ और प्रतापगढ़ को मिलाकर एक इकाई में परिणित कर दिया जाय। पर दोनों अपने अपने प्रयत्नों में असफल रहे।

राजस्थान की रियासतें यह तो महसूस कर रही थी कि स्वतन्त्र भारत में छोटी छोटी रियासतें आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह सकती एवं उनके सामने आपस में मिलकर स्वावलम्बी इकाइयाँ बनाने के अलावा कोई रास्ता

1. मेवाड़ गजट—अनाधारण घंक ता. 23 मई, 1947

2. मेवाड़ प्रजा मण्डल पत्रिका ता. 20 फरवरी, 1948

3. मेवाड़ गजट अनाधारण घंक ता. 6 मार्च, 1948

102/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

नहीं है, पर ऐतिहासिक और अन्य कारणों से राजाओं में एक दूसरे के प्रति अविश्वास और इच्छा की भावनायें भरी हुई थीं। राजस्थान की बड़ी रियासतों की ओर से एकीकरण की दिशा में किये गए प्रयत्नों को छोटी रियासतों ने इस रूप में लिया कि बड़ी रियासतें छोटी रियासतों को निगल जाना चाहती हैं। उनका यह सन्देह कुछ सीमा तक उचित भी था। महाराणा उदयपुर द्वारा किये गये प्रयत्नों से ऐसा लग रहा था जैसे कि वे छोटी-छोटी रियासतों को भेवाड़ में विलय कर बृहत्तर भेवाड़ की रचना करना चाहते हैं। दुर्भाग्य से कई बार महाराणा ने एकीकरण की चर्चा के दौरान जाने अनजाने इस प्रकार के संकेत भी दिये थे। जयपुर तो अन्त तक यह प्रयत्न करता रहा था कि बृहद राजस्थान निर्माण की अपेक्षा राजस्थान की रियासतों को तीन या चार इकाइयों में बांट दिया जाये और करौली एवं अलवर को जयपुर में मिला दिया जाये। बीकानेर ने पड़ोस की रियासत लुहार को बीकानेर में मिलाने के लिये आकाश पाताल एक कर दिया था। परन्तु सरदार पटेल के सामने उनकी नहीं चल पाई। डूंगरपुर के “बागड़” प्रान्त के निर्माण के प्रयत्नों को बृहत्तर डूंगरपुर और कोटा के हाड़ीती निर्माण के प्रयत्न को बृहत्तर कोटा के निर्माण की संज्ञा दी गयी। छोटी रियासतों ने वंश परम्परा और प्राचीन प्रतिष्ठा के नाम पर बड़ी रियासतों के साथ मिलने का विरोध किया। जो हो राजस्थान के शासकों द्वारा एकीकरण की ओर किये गये सभी प्रयत्न वेकार हो गये। स्पष्ट या प्रवल जनमत और शक्तिशाली केन्द्रीय सत्ता ही इन रियासतों को एकीकरण के लिये मजबूर कर सकती थी।

जनमत का निर्माण

राजाओं द्वारा राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के सम्बन्ध में किये गये किसी भी प्रयत्न में राजस्थान की जनता अथवा जन संगठनों को विश्वास में नहीं लिया गया था। अतः यह स्वाभाविक था कि राजाओं द्वारा किये जाने वाले प्रयत्नों से जनता उदासीन रहती। परन्तु राजस्थान के विभिन्न राजनीतिक संगठन स्वतन्त्र रूप से बृहद राजस्थान के निर्माण के लिये प्रयत्न करते रहे। अ. भा. देशी राज्य लोक परिपद की राजपूताना प्रांतीय सभा तो सितम्बर, 1946 में ही एक प्रस्ताव स्वीकार कर चुकी थी कि राजस्थान की कोई भी रियासत अपने आप में भारतीय संघ में शामिल होने योग्य नहीं है। अतः समस्त राजस्थान एक ही इकाई के रूप में भारतीय संघ में शामिल होना चाहिए।¹ इस प्रकार प्रांतीय सभा के इस प्रस्ताव से राजस्थान बनाने की कल्पना उभर कर सामने आ चुकी थी। बीच-बीच में रियासतों के प्रजामण्डल/प्रजा परिपद भी राजस्थान के निर्माण की आवाज उठाते रहे थे। मार्च, 1948 में प्रांतीय सभा की कार्यसमिति ने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि राजस्थान की सभी रियासतों और अजमेर भेरवाड़ा को मिलाकर बृहद राजस्थान बनाने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है।² दूसरी ओर समाजवादी दल श्री राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में अदिल भारतीय स्तर पर बृहद राजस्थान राज्य के निर्माण की मांग कर रहा था। इस प्रकार जन प्रतिनिधि संस्थायें राजस्थान के निर्माण के लिए प्रवल जनमत तैयार करने में संलग्न थीं।

भारत सरकार की नीति

भारत सरकार के रियासती विभाग ने निर्णय लिया कि स्वतन्त्र भारत में वे ही

1. राजपूताना प्रांतीय सभा का बुलेटिन अप्रूवर, 1946

2. मेवाड़ प्रजामण्डल पवित्रा, 15 मार्च, 1948

रियासतों अपना प्रथक अस्तित्व रख सकेंगी जिनकी आव । करोड़ रु. वार्षिक और जन संख्या 10 लाख या उससे अधिक हो ।

भारत सरकार इस निर्वाचित उच्च मापदण्ड के अनुमार राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर ही ऐसी रियासतें थीं जो अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थीं ।

भारत सरकार ने अपनी धोमित नीति के अनुमार नितम्बर, 1947 में किंगनगढ़ और शाहपुरा की रियासतों को केंद्र शासित प्रदेश अजमेर में मिलाने का निर्णय किया । उन रियासतों का क्षेत्रफल क्रमशः 2200 वर्ग कि. मी. और 1000 वर्ग कि. मी. था । वे रियासतों अजमेर की सीमाओं से भिन्नी हुई थीं । किंगनगढ़ के महाराजा नुनेर मिह ने ता. 26 नितम्बर को दिल्ली में विलय-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये । उसी दिन भारत सरकार ने शाहपुरा के राजाविराज नुरज़ीन देव को भी अपनी रियासत को अजमेर में विलय करने सम्बन्धी विलय-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये आमन्वित किया । पर राजाविराज ने कहा कि वह अपनी रियासत की सत्ता विद्वान के अनुमार जन प्रतिनिधियों को संपुर्ण कुके हैं । वे अब राज्य के एक वैद्यानिक जातुक मात्र हैं । अतः वे अपने मन्त्रिमण्डल की सलाह लिये बिना इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं ले सकते । रियासती विभाग एक छोटी सी रियासत के राजा ने इस प्रकार का उत्तर नुनेर को तैयार नहीं था । रियासती विभाग के प्रबन्धक ने घमकी भरे जड़ों में श्री नुरज़ीन देव में कहा कि यदि उन्होंने रियासती विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो उन्हें इसके परिणाम नोगते पड़ेंगे । प्रबन्धक ने इस सम्बन्ध में अलवर के महाराजा के विश्वद थी गई कांवंवाही का उत्तरहरण भी दिया । राजाविराज ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया कि अलवर महाराज नर गंभीर आरोप है, जबकि उन पर ऐसा कोई आरोप नहीं है । यह कह कर राजाविराज रियासती विभाग में बाहर निकल आये और राज्य के प्रबन्धमन्त्री प्रो. गोकुल लाल अमावा को उत्तर पट्टना से परिवित कराया ।¹ प्रो. अमावा राजस्थान के अन्य नेताओं के साथ रियासती विभाग के सचिव श्री वी. पी. मेनन और प्रभारी मन्त्री सरदार पटेल से निने और उनसे कहा कि शाहपुरा की मंजा किनी भी नह भारत सरकार नी नीति का विरोध करना नहीं है । वे तो भी केवल यह चाहते हैं कि राजस्थान की छोटी छोटी रियासतों का एक संघ बना दिया जाय और शाहपुरा तथा किंगनगढ़ का भी उत्तर संघ में विलय कर दिया जाये । जन प्रतिनिधियों की भावना का आदेश करने हुए सरदार पटेल ने तुरंत ही किंगनगढ़ और शाहपुरा को अजमेर में विलय करने का निर्णय रद्द कर दिया ।²

नवम्बर, 1947 में सरदार पटेल को यह सुनाव दिया गया कि चूंकि पालनपुर, दान्ता, ईटर, किंगनगढ़, दूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही आदि रियासतों नी अधिकतर जनता गुजरात भाषा-भाषी है, भन: इन नियासतों को नज़्रनामा एजेंसी से हटाकर परिच्छिन्नी भारत और गुजरात एजेंसी के अन्तर्गत कर दिया जाये ।³ श्री के. एन. मुर्जी और गुजरात के अन्य नेता "महापुजरात" जा स्पृष्ट देख रहे थे । यह योजना भी उसी

1. वी. पी. मेननटिपा-राजस्थान वा इन्हम् द. 69

2. वी. पी. मेननटिपा-राजस्थान वा इन्हम् द. 315

3. वी. पी. मेनन-श्री स्टोर्ट जाए इन्डियन जन इन्डिपेंडेंस द. 270

स्वप्न का एक ग्रंथ थी। राजाओं और जनता के विरोध के कारण झूँगरपुर और वांसवाड़ा की स्थिति तो यथावत रह गयी, परन्तु सिरोही सहित अन्य रियासतें राजपूताना एजेन्सी से हटा कर गुजरात एजेन्सी के अन्तर्गत कर दी गयी।

मतस्य संघ का निर्माण :

देश के विभाजन के समय भारतीय उप महाद्वीप में भी परंग सम्प्रदायिक दंगे भड़क उठे। अलवर और भरतपुर की रियासतें भी इन दंगों से नहीं बच सकीं। उस समय अलवर के दीवान डा. एन. वी. खरे थे जो हिन्दू महासभा के अध्यक्ष रह चुके थे। भारत सरकार को इस प्रकार की शिकायतें मिली कि अलवर में दंगे भड़काने में स्वर्य अलवर प्रशासन का हाथ है। इसी बीच ता. 30 जनवरी, 1948 को दिल्ली में हिन्दू महासभा के नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। महाराजा अलवर तेज चिह्न और दीवान डा. खरे के संबंध में भारत सरकार को यह सूचना मिली कि उन्होंने गांधी जी की हत्या के पड़वन्त्र से सम्बन्धित कतिपय लोगों को पनाह दी। भारत सरकार ने ता. 7 फरवरी को महाराजा अलवर और डॉ. खरे को दिल्ली में नज़रवन्द कर दिया और अलवर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया।¹

भरतपुर में साम्प्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति से भारत सरकार इस निर्णय पर पहुँची कि वहाँ का प्रशासन राज्य में कानून और व्यवस्था बनाये रखने में सर्वथा निकम्मा साधित हुआ है। परन्तु इसके पहले कि भारत सरकार इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाती स्वयं वहाँ के महाराजा ने भरतपुर का प्रशासन भारत सरकार को सौंप दिया।

अलवर और भरतपुर से मिली हुई बोलपुर और करोली की छोटी-छोटी रियासतें थीं। ये चारों रियासतें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पृथक अस्तित्व बनाये रखने योग्य नहीं थीं। भारत सरकार ने ता. 27 फरवरी को चारों रियासतों के राजाओं के सामने यह प्रस्ताव रखा कि उक्त रियासतों के एकीकरण द्वारा एक नये राज्य का निर्माण किया जाय। उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। महाभारत काल में यह क्षेत्र मत्स्य प्रदेश के नाम से विख्यात था। अतः भारत सरकार ने प्रस्तावित राज्य का नाम मत्स्य संघ रखा। इस नये राज्य का उद्घाटन भारत सरकार के मंत्री एन. वी. गाडगिल ने ता. 18 मार्च, 1948 को किया। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल लगभग 12000 कि. मी., जनसंख्या 1.8 करोड़ और वार्षिक आय 2 करोड़ रुपये थी। संघ के राजप्रमुख महाराजा बोलपुर और उपराजप्रमुख महाराजा करोली बनाये गये।

अलवर प्रजामण्डल के प्रमुख नेता श्री शोभाराम कुम्हावत मत्स्य संघ के प्रधान-मन्त्री बने। उनके मन्त्रिमण्डल के अन्य सदस्य थे श्री भोलानाथ (अलवर), श्री युगल-किशोर चतुर्वेदी (भरतपुर), श्री चिरंजीलाल शर्मा (करोली) और डॉ मंगल सिंह (बोलपुर)। भारत सरकार ने मन्त्रीमण्डल के सिर पर एक आई. सी. एम. अधिकारी को प्रशासक के रूप में बैठा दिया। सेना, पुलिस, कानून और व्यवस्था एवं राजनीतिक विभाग सीधे प्रशासक के हाथ में दे दिये गये। यहीं नहीं प्रशासक को यह अधिकार भी दे दिया गया कि वह बिना मन्त्रिमण्डल की महत्वति के भी कोई भी ग्राउंड जारी कर सकता है। इन प्रकार लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल व्यावहारिक रूप से प्रशासक का मात्रहृत बन गया।

1. दी. पी. नेन-दी न्दोरी ऑफ इन्डियन एन ऑफ इंडियन स्ट्रेट्स पृ. 253-254

संयुक्त राजस्थान का निर्माण

केन्द्रीय मन्त्री श्री एन० चौ० गाडगिल महाराव कोटा भीमसिंहजी को
संयुक्त राजस्थान कोटा के राजप्रमुख पद की जपथ दिलाते हुए ।

प्रधान मन्त्री प० जवाहरलाल नेहरू भेवाह के महाराणा भीमसिंह को
संयुक्त राजस्थान उद्यमुर के राजप्रमुख के पद की जपथ दिलाते हुए ।
महाराणा के पास महाराव भीमसिंह उस राजप्रमुख कोड़े है ।

उप प्रधान मन्त्री सरदार पटेल और संयुक्त राजस्थान, उदयपुर का मन्त्रिमण्डल



वाएं से दाएं (कुर्सी पर)—1. कुमारी मणि वेन, 2. राजप्रमुख महाराणा भोपालसिंह, 3. सरदार वलभभाई पटेल,

वाएं से दाएं (बड़े हुए)—1. प्रो० गोकुललाल असावा, राजस्व चर्चा, 2. श्री मोहनलाल सुखाड़िया, उचोग मन्त्री, 3. पं० अभिव्यहरि,
कृष्ण मन्त्री, 4. श्री भोगीलाल पण्डिया, समाज कल्याण मन्त्री, 5. प्रो० प्रेमनारायण माथूर, वित् एवं शिक्षा मन्त्री,
6. श्री भूरेलाल चवा (सरदार पटेल के पीछे), जापीर मन्त्री एवं 7. श्री इन्द्रसुदूर यामी, विधि मन्त्री ।

संयुक्त राजस्यान का निर्माण :

किशनगढ़ और शाहपुरा के अजमेर में विलय के प्रस्ताव के रह हो जाने के बाद रियासती विभाग ने दक्षिणी राजस्यान के छोटे-छोटे राज्यों के एकीकरण को समझा को हाथ में लिया। रियासती विभाग ने इन रियासतों का मध्य भारत और गुजरात की रियासतों के साथ एकीकरण का प्रस्ताव रखा। पर यह प्रस्ताव न राजाओं को स्वीकार हुआ और न जनप्रतिनिधियों को। वे चाहते थे कि राजस्यान की रियासतों का एकीकरण इस प्रकार हो कि उनकी सदियों पुरानी सामाजिक और सांस्कृतिक एकता बनी रहे। रियासती विभाग ने ता. 3 मार्च, 1948 को कोटा, बून्दी, अलावाड़, टोंक, डूबरपुर, वांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा को रियासतों को मिलाकर "संयुक्त राजस्यान राज्य" के निर्माण का प्रस्ताव किया। प्रस्तावित राज्य के हाइकोर्टी और वागड़ देव ने बीच मेवाड़ की रियासत पड़ती थी। पर रियासती विभाग द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार मेवाड़ अपना पृथक अस्तित्व बनाये रखने का अविकारी था। अतः रियासती विभाग मेवाड़ पर विलय के लिये दबाव नहीं डाल सकता था। फिर भी कर्तिपय राजाओं के आग्रह पर रियासती विभाग ने मेवाड़ को नदे राज्य में शामिल होने की दावत दी। पर मेवाड़ के प्रधानमन्त्री सर रामामूर्ती और महाराणा ने रियासती विभाग के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि मेवाड़ का 1300 वर्ष पुराना राजवंश अपनी गोरखशाली परम्पराओं को तिलान्जलि देकर भारत के मानचित्र पर अपना अस्तित्व समाप्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि राजस्यान की रियासतें चाहें तो मेवाड़ में अपना विलय कर सकती हैं। प्रजामण्डल के हनकों में सरकार के इस रूपये की तीव्र प्रतिक्रिया हुई। मेवाड़ प्रजामण्डल के प्रमुख नेता और संविधान निर्मात्री परिषद् के नदेश्वर श्री माणिक्य लाल वर्मा ने दिल्ली से जारी एक वक्तव्य में कहा कि मेवाड़ की 20 लाख जनता के भाग्य का फैसला अकेले महाराणा जाऊ और उनके प्रधानमन्त्री सर रामामूर्ती नहीं कर सकते। प्रजामण्डल की यह स्पष्ट नीति है कि मेवाड़ अपना अस्तित्व समाप्त कर राज-पूताना प्रान्त का एक अंग बन जाय।¹ प्रजामण्डल के मुख पत्र "मेवाड़ प्रजामण्डल पत्रिका" के ता. 8 मार्च और 15 मार्च के सम्पादकीय लेखों में पुरजोर भाँग की गयी कि आवृत्तिक दुग मेवाड़ एक पृथक इवाई के रूप में विकास नहीं कर सकता। अतः जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उसे अविलम्ब प्रस्तावित संयुक्त राजस्यान राज्य में मिल जाना चाहिये। परन्तु नेवाड़ सरकार अपने निश्चय पर अटल रही। फलतः रियासती विभाग ने दिना मेवाड़ के ही संयुक्त राजस्यान राज्य के निर्माण का फैसला किया।

प्रस्तावित संयुक्त राजस्यान में कोटा सदसे वड़ी रियासत थी। अतः रियासती विभाग ने निर्णय किया कि नदे नद्य के राजप्रमुख का पद महाराव कोटा भीम सिंह जी को दिया जाये। यह प्रस्ताव बून्दी के महाराव वहाड़ निहंजी के गले नहीं उत्तरा। कारण यह था कि वंश परम्परा के अनुसार कोटा महाराव बून्दी महाराव के छठनेथा थे। बून्दी महाराव चदयपुर पहुंचे त्रीन् महाराणा ने प्रारंभ की कि यदि मेवाड़ इस नदे राज्य में शामिल हो जाये तो महाराणा राजप्रमुख बन जायेगे और उनकी कठिनाई का

1. मेवाड़ प्रजामण्डल द्वितीय, 8 मार्च, 1948-में, वी. एन. पटेल-पत्रिका

समावान स्वतः ही हो जायेगा। परन्तु महाराणा ने महाराव बून्दी को भी वही उत्तर दिया जो उन्होंने कुछ दिनों पहले रियासती विभाग को दिया था। अन्तोगत्वा बून्दी को महाराव कोटा के राजप्रमुख बनाने का प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। प्रस्तावित राज्य में शामिल होने वाली सभी रियासतों के शासकों ने कोशीनेट (विलय-पत्र) पर हस्ताक्षर कर दिये। हाँ, वांसवाड़ा के महारावल चन्द्रबीर सिंह ने विलय-पत्र पर हस्ताक्षर करने में घोड़ी किच-किचाहट बतायी। पर अन्त में पड़ीसी रियासतों की सलाह पर उन्होंने भी विलय-पत्र पर यह कर कर हस्ताक्षर कर दिये कि, “मैं अपने डेथ वारन्ट” पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ।¹

शीघ्र ही मेवाड़ में राजनीतिक परिस्थितियों ने पलटा खाया महाराणा की 6 मार्च, 1948 की वीपणा के अनुसार प्रजामण्डल और सरकार के बीच मंत्रिमण्डल के पुनर्गठन के सम्बन्ध में वार्ता शुरू हुई। दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार सरकार ने स्वीकार कर निया कि रियासत में प्रजामण्डल के बहुमत वाले मंत्रिमण्डल का निर्माण होगा, जिसमें महाराण द्वारा नियुक्त दीवान के अलावा 7 सदस्य होंगे। इसमें प्रधानमन्त्री सहित 4 सदस्य प्रजामण्डल द्वारा और 2 सदस्य मेवाड़ क्षत्रिय परिपद द्वारा नामजद होंगे। 7वां सदस्य एक ऐसा निर्दलीय व्यक्ति होगा जो महाराणा और प्रजामण्डल दोनों को स्वीकार हो। प्रजामण्डल ने प्रो. प्रेमनारायण माथुर को प्रधानमन्त्री पद के लिये और सर्व श्री बलबन्त सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया एवं हीरालाल कोठारी को मन्त्री पद के लिये नामजद किया। निर्दलीय सदस्य के स्थान पर महाराणा ने मेवाड़ के पुराने मुत्सुदी परिवार के डा. मोहन चिंह मेहता के नाम का सुझाव दिया। डा. मेहता उस समय रियासत के वित्त मंत्री थे। प्रजामण्डल डा. मेहता द्वारा सन् 1942 के आनंदोलन में ग्रदा की गयी मूर्मिका से नाराज था। राज्य के शिक्षा-मंत्री की हैसियत से डा. मेहता ने उस समय विद्यार्थी आनंदोलन को तोड़ने का प्रयत्न किया था। अतः प्रजामण्डल ने उनके नाम का विरोध किया। इसी मुद्दे को लेकर प्रजामण्डल और सरकार के बीच गतिरोध पैदा हो गया।

प्रजामण्डल की ता० 14 मर्च की एक आवश्यक बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य मंत्रिमण्डल से प्रजामण्डल के प्रतिनिधि सर्वश्री मोहन लाल सुखाड़िया और हीरालाल कोठारी को हटा लिया जाये और राज्य में उत्पन्न राजनीतिक संकट पर विचार करने के लिये प्रजामण्डल की महासमिति की असाधारण बैठक बुलाई जाये। सरकार हिल उठी। उसने तुरन्त ही ता० 21 मार्च को प्रजामण्डल के नेताओं को पुनः वार्ता के लिये आमंत्रित किया। उसने प्रजामण्डल के मुझाव पर एक निर्दलीय एडवोकेट श्री जीवन सिंह चौराड़िया को मंत्रिमण्डल में लेना स्वीकार कर लिया।

मेवाड़ के मुत्सुदी वर्ग और प्रधान मन्त्री मर राममूर्ती ने प्रजामण्डल की इस विषय को सहज भाव से नहीं लिया। राज दरवार में अन्दर ही अन्दर प्रजामण्डल के विरुद्ध पद्यन्त्र रचा जाने लगा। मुत्सुदी वर्ग उन फ़िराक में था कि मेवाड़ का संयुक्त राजस्वान में विलय भले ही हो जाये पर सत्ता प्रजामण्डल के हाथ में न जाये। उसे विश्वास था कि संयुक्त राजस्वान में भी मत्स्य सत्र की तरह प्रशासन में प्रजामण्डल के प्रतिनिधियों के स्थान पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त आड. मी. एम. अधिकारियों का

1. श्री. ए. पलगड़िया-गजम्यान रा इतिहास पृ. 368

चर्चस्व रहेगा। महाराणा मुत्सही वर्ग और सर रामामूर्ति के चक्रकर में आ गये। उन्होंने तारीख 23 मार्च को मेवाड़ को सं. राजस्थान में ज्ञामिल करने के अपने इरादे की सूचना श्री मेनन को भेज दी। यह तद इतना गोपनीय ढंग से किया गया कि प्रजामण्डल को इसकी भनक तक नहीं पड़ी। सरकार ने ता० 23 मार्च के विशेष गजट में प्रजामण्डल से हुए समझौते के अनुसार प्रो. प्रेमनारायण माधुर के प्रश्न मन्त्री पद पर एवं सर्व श्री महेता, सुखाड़िया, कोठारी और चौड़िया की मन्त्री पद पर नियुक्ति की घोषणा कर दी। पर उक्त मन्त्रियों के शपथ दिलाने का प्रश्न यह कर कर दाला जाता रहा कि क्षत्रिय परिपद द्वारा मन्त्रिमण्डल के लिये अपने प्रतिनिधियों के नामजद करने के बाद सभी मन्त्रियों को एक साथ शपथ दिलाई जायेगी। राज्य में विवान सभा के चुनाव भी चलते रहे।

ता० 4 अप्रैल को उदयपुर में विवान सभा के दो स्थानों के चुनाव थे। उनमें से एक पर प्रजामण्डल के अध्यक्ष श्री भूरेलाल वया उम्मीदवार थे। उनके विरुद्ध क्षत्रिय परिपद की ओर से श्री गुमान सिंह चुनाव लड़ रहे थे। सारे नगर में चुनाव के माहील से बातावरण तनाव पूर्ण बन गया था। उस दिन एक मतदान केन्द्र पर क्षत्रिय परिपद के कार्यकर्ताओं ने परिपद का केशरिया झण्डा लगा दिया। इस पर प्रजा मण्डल के समर्थकों ने उस मत-केन्द्र पर प्रजामण्डल का तिरंगा झण्डा¹ भी लगा दिया। इसके क्षत्रिय परिपद के कार्यकर्ता वर्दित नहीं कर सके। उन्होंने तिरंगे झण्डे को उड़ाड़ कर निकट के कुएँ में डाल दिया। यह खबर सारे नगर में आग की तरह फैल गयी। मतदान केन्द्र के निकट भारी भीड़ एकत्रित हो गई। मतदान स्थगित कर देना पड़ा। झण्डा कुएँ से निकाला गया और उसे टूक पर पहरा कर एक जलूस के रूप में सारे शहर में घुमाया गया। जलूस मोहता पार्क पर जाकर एक विशाट सार्वजनिक सभा में परिणित हो गया। सभा में प्रजामण्डल के नेताओं ने घटना की चांच कर अपत्ताचियों को दण्ड देने की मांग की और साथ ही तिरंगे झण्डे के अपमान के विरोध में नगर में आम हड़ताल रखने की घोषणा की। इसी बीच प्रजामण्डल के अध्यक्ष श्री वया महाराणा से मिले और उनसे रोप भरे शब्दों में कहा कि उनका निकम्मा शासन राष्ट्रीय झण्डे के नमान की रक्षा करने में असमर्य रहा है। अतः उन्हें चाहिये कि वे अदिलम्ब ही सज्जा जन प्रतिनिधियों को सर्वपं दें। महाराणा हड़के-बवकं रह गये। उनसे कोई उत्तर नहीं बन पड़ा।

प्रजामण्डल की घोषणा के अनुसार ता० 5 अप्रैल को शहर में पूर्ण हड़ताल हो गई। नगर के मुख्य बाजारों में भीड़ जमा हो गई। तीसरे पहर क्षत्रिय परिपद की एक जीप बड़े बजार में पहुंची। जीप में सदार नेताओं ने उपस्थित जनता से हड़ताल समाप्त करने की प्रार्थना की। जनता क्षत्रिय परिपद द्वारा तिरंगे झण्डे का अपमान करने के कारण उससे सत्त्व नाराज थी। उन्हें 'क्षत्रिय परिपद वापन जाओ' के नारे लगाये। पर क्षत्रिय परिपद के नेता भाषण देने रहे। इससे नारा बातावरण उत्तेजनात्मक बन गया। सूचना मिलते ही मेवाड़ प्रजामण्डल के अध्यक्ष श्री भूरेनान वया, मेवाड़ के मनोनीत प्रधानमन्त्री प्रो. प्रेमनारायण माधुर और प्रजामण्डल परिषद के सम्पादक

1. उच्चन्वता के पूर्व कोर्ट/प्रजामण्डल जा निर्णय लगाया, दिवाने नवां प्राप्ति दिया। उसे देने से भाजाव होने तक राष्ट्रीय झण्डा नाना जाता था। यही तिरंगा लगा सूचन्वता के बाद राष्ट्रीय झण्डा बन गया। कर्ता इतना ही रहा कि उनसे दर्जे के बजाए झण्डे नहीं छोड़ा जाए।

श्री बी. एल. पानगडिया घटनास्थल पर पहुँचे। श्री वया और श्री नाथुर ने भीड़ को शान्त रहने की अपील की और साथ ही क्षत्रिय परिषद् वालों को सलाह दी कि वे वहां से चले जाये। क्षत्रिय परिषद् की जीप धीरे-धीरे वहाँ से हटने लगी पर साथ ही परिषद् के नेता जीप से उत्ते जनात्मक और प्रजामण्डल विरोधी भाषण देते रहे। इससे जनता राष्ट्रीय नारे लगाते हुए जीप के पीछे-पीछे चलती रही। घटाघर के पास आते-आते पुलिस ने अशु गैस छोड़ने वा जाठी चार्ज करने के पूर्व ही विना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोली चला दी। फलस्वरूप दो विद्यार्थी सर्व श्री शान्तिलाल एवं आनन्दीलाल घटना स्थल पर ही शहीद हो गये। सर्व श्री गुलाब सिंह शक्तावत,¹ रोशनलाल चोरडिया तथा परशराम शिवदी² गम्भीर रूप से घायल हुए एवं अन्य कई लोगों को चोटें आईं। अगले दिन प्रजामण्डल कार्यालय से शहीदों की शवयात्रा निकाली। शवयात्रा का यह जलूस उदयपुर के इतिहास में सबसे बड़ा था।

प्रजामण्डल ने राज्य में अविलम्ब पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना और गोलीकाण्ड की जांच के लिये न्यायिक आयोग नियुक्त करने की मांग की। दिल्ली में उस समय कांग्रेस की हृकूमत थी। महाराला घबरा गये। स्थिति का लाभ उठाकर राज्य के मुत्सुदी वर्ग और अन्य स्वार्थी तत्व महाराणा को प्रजामण्डल के विरुद्ध भड़काने में सफल ही गये। उन्होंने महाराणा को सलाह दी कि प्रजामण्डल से मुक्ति पाने का एकमात्र हल मेवाड़ का शीघ्रातीशीघ्र संयुक्त राजस्थान में विलय कर देना है। महाराणा की ओर से इस दिना में रियासती विभाग से चर्चा तो चल रही थी पर महाराणा इस सम्बन्ध में अन्तिम निश्चय नहीं कर पा रहे थे। मुत्ख्यियों की सलाह पर महाराणा का मेवाड़ को राजस्थान में विलय करने का निश्चय ढङ्ग हो गया। उन्होंने सर रामामूर्ती, डा. मोहन सिंह महता और अन्य सलाहकारों को मेवाड़ के विलय की शर्तें अविलम्ब तय करने के लिये दिल्ली भेजा। रियासती विभाग तो इस प्रकार के मुनहरी अवसर की इन्तजार में ही था। वह तो केवल यह सावधानी बरत रहा था कि कहीं इस मामले में जल्दी करने से देश के अन्य राजाश्रमों को वह भ्रम न हो जाये कि मेवाड़ को जोर जवरदस्ती अवधा किसी तरह के दबाव से विलय की ओर ढकेला जा रहा है। पर जब स्वयं महाराणा ही तेजी से मेवाड़ के विलय की ओर अवसर हो रहे थे तो रियासती विभाग द्वारा अवसर चूकने का प्रश्न ही नहीं था। वह तो मेवाड़ जैसी प्राचीनतम और ऐतिहासिक रियासत के विलय के लिये बड़ा से बड़ा मूल्य चुकाने को तैयार था। रियासती विभाग ने यह नीति बनानी थी कि किसी भी रियासत के शासक को 10 लाख रुपये वापिक से अधिक प्रिवीपर्स नहीं दी जायगी। महाराणा की ओर से 20 लाख रु. वापिक प्रिवीपर्स की मांग की गई। रियासती विभाग ने रास्ता ढूँढ निकाला। उसने महाराणा को 10 लाख रुपये वापिक प्रिवीपर्स, 5 लाख रुपये वापिक राजप्रमुख के पद का भत्ता और शेष 5 लाख रुपये वापिक मेवाड़ के राजवंश की परम्परा के अनुमार धार्मिक कृत्यों में खर्च के लिये देना स्वीकार कर लिया। उसने महाराणा को मंत्रुक राजस्थान का ग्राजन्म

1. श्री मनावन द्वारा गोली लगने के फलस्वरूप धरनी एक दाग से हाथ धोना पड़ा। ये वाद में मुग्धाड़िया नविनभट्ट द्वे दण्ड्य रहे। मार्च 1985 के वे श्री हरिदेव जोगी ने भविमध्यन में मानिल दिये गये।
2. श्री शिवदी प्रद्युम नमाजराशी नार्यनराशी रहे। वे इन गम्य जनता पार्टी के प्रद्युम राजम्य हैं।

राजस्थान का निर्माण और राजशाही की विदाई/109

राजप्रमुख बनाना भी स्वीकार कर लिया। उस समय इतनी रियायतें विलय होने वाली किसी अन्य रियासत के शासक को नहीं दी गयी थी। रियासती विभाग ने महाराणा को निजी सम्पत्ति के प्रश्न पर उदारतापूर्वक विचार करने का आवासन दिया। इसके प्रलापा उसने महाराणा की यह प्रार्थना भी स्वीकार कर ली कि ता. 5 अप्रैल को उदयपुर में हुए भीषण गोलीकाण्ड की न्यायिक जांच नहीं करवाई जायेगी। राज्य में सबसे बड़ा और सुविधाजनक नगर होने के कारण उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी तो बनाना ही था।

मेवाड़ का प्रतिनिधि मण्डल रियासती विभाग से मनचाही-शर्ते मंजूर करवा कर दिल्ली से उदयपुर लौटा तो महाराणा ने राहत की सांस ली। पर महाराणा के इस निश्चय की सूचना महाराजा बीकानेर श्री शार्दुल सिंह को मिली तो उन्हें यह जमभते में देर नहीं लगी कि यदि मेवाड़ जैसी प्राचीनतम और स्वावलम्बी रियासत का विलय हो गया तो बीकानेर और जोधपुर जैसी रियासतों का अस्तित्व बनाये रखना कठिन हो जायेगा। उन्होंने तुरन्त अपने प्रधान मन्त्री श्री जसवंत सिंह दाऊदसर को महाराणा के पास भेजा और कहलाया कि भारत में मेवाड़ ही एक ऐसी रियासत थी जो मुगलों के आगे नहीं झुकी। आज वही रियासत सबसे पहले कांग्रेस के सामने कैसे झुक रही है? पर महाराणा बहुत आगे बढ़ कुके थे। उन्होंने उत्तर दिया कि वे तो कांग्रेस के सम्मुख अपने आपको समर्पित कर ही रहे हैं, पर अन्य राजाओं का समर्पण भी अवश्यम्भावी है।¹ महाराजा शार्दुल सिंह और महाराणा नूपाल सिंह दोनों की भविष्यवाणी कुछ ही महिनों में सही साक्षित हुई। जो हो दाऊदसर खाली हाथ बीकानेर लौटे। महाराणा ने ता. 11 अप्रैल को विलय-पत्र पर हस्ताक्षर कर।² 13 तारी नूरानी मेवाड़ रियासत को माँ भारती को समर्पित कर दिया। इन्हे महाराणा का त्वाग कहो या विवशता। पर इसमें सन्देह नहीं है कि जहाँ वी. पी. मेनन जैसे घुरन्घर प्रशासक और कूटनीतिज्ञ, तून्दी के महाराव वहादुर सिंह एवं मेवाड़ प्रजामण्डल जैसा सशक्त तंगठन महाराणा को मेवाड़ के संयुक्त राजस्थान में विलय करने के लिये तैयार नहीं कर सका, वह चमत्कार मेवाड़ के मुत्सहियों ने आनन्द-फानन में कर दियाया। मेवाड़-विलय में मुत्सहियों के रोल को सेकर राजस्थानी भाषा के आधु कवि स्व. श्री नायूदान महियारिया के मौहं से उस समय हटाक ही निम्न शब्द निकल पड़े—

“झकमारी पहली किताँ,
अक्षी न मारी और।
मिल मारी मेवाड़ नै,
मोहन और मनोर ॥”

भावार्थ—मेवाड़ के साथ पहले भी कई लोगों ने विजाई है पर मोहन (डॉ. नोहरसिंह महता, वित्त मन्त्री) एवं मनोहर (राव मनोहरसिंह बेदला, छहमन्त्री) ने जैसी मेवाड़ के साथ विजाई है, वैसे अन्य किसी ने नहीं।

कोटा में संयुक्त राजस्थान राज्य का ता. 25 मार्च को उद्घाटन होने वाला था, पर मेवाड़ के विलय के इरादे की सूचना रियासती विभाग को ता. 23 मार्च को मिल

110/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

गयी थी। अतः श्री मेनन ने महाराव कोटा को सलाह दी की कि मेवाड़ के विलय के सम्बन्ध में निर्णय होने तक नये राज्य का उद्घाटन समारोह रोक दिया जाये। पर महाराव कोटा ने उत्तर दिया कि समारोह की सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। अतः समारोह निर्धारित तारीख को सम्पन्न करना होगा। रियासती विभाग ने महाराव कोटा का तक मान लिया। ता. 25 मार्च को भारत सरकार के मन्त्री श्री एन. बी. गाडगिल ने कोटा में नये राज्य के उद्घाटन की रस्म अदा की। उन्होंने महाराव कोटा को राजप्रमुख एवं प्रो. गोकुल लाल असावा को प्रधान मन्त्री के पद की शपथ दिलवाई। भारत सरकार की सलाह पर मन्त्रिमण्डल का निर्माण रोक दिया गया।

महाराणा द्वारा विलय-पत्र पर हस्ताक्षर करने के तुरन्त बाद रियासती विभाग ने राज्य के प्रधान मन्त्री पद के लिये मेवाड़ के तपस्वी नेता श्री माणिक्य लाल वर्मा को मनोनीत किया। उसने वर्मा जी को नवनिर्मित राज्य की भावी शासन व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने हेतु दिल्ली बुलाया। उसने उनको बताया कि राज्य के राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को प्रशासन का अनुभव नहीं है। अतः उनके मन्त्रिमण्डल को सलाह देने के लिये कुशल प्रशासकों की एक सलाहकार परिषद् बनायी जायेगी, जिसमें मेवाड़ के प्रधान-मन्त्री सर रामा मूर्ती, वित्त मन्त्री डॉ. मोहन सिंह मेहता और राजपूताना के रीजनल कमिशनर¹ श्री पी. एस. राव. होंगे। रियासती विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मन्त्रिमण्डल का कोई भी निर्णय तब तक कियान्वित नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि सलाहकार परिषद् उक्त निर्णय पर अपनी मुहर नहीं लगा दे। लगभग इसी प्रकार की व्यवस्था रियासती विभाग मत्स्य संघ में कर चुका था। वर्मा जी सलाहकार परिषद् के बीटे अधिकार को स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने स्पष्ट रूप से रियासती विभाग को कह दिया कि जिस नौकरशाही के विरुद्ध वे आजन्म लड़ वे उसकी मुन्सरभात स्वीकार नहीं करेंगे। वर्मा जी सरदार पटेल से मिले और उनसे कहा “रियासती विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मेरे लिये राजस्थान का राज्य का भार उठाना सम्भव नहीं है। मेवाड़ और अन्य रियासतों में राजशाही समाप्त हो चुकी है और उसके साथ ही प्रजामण्डल की स्थापना का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। अब भारत सरकार जैसा चाहे इस नये राज्य का शासन चलाये। प्रजामण्डल शासन के बाहर रह कर ही जनता की सेवा करना पसन्द करेगा।”² सरदार स्वाभीमानी वर्मा जी की बात समझ गये। उन्होंने सलाह-कार परिषद् बनाने का निर्णय रद्द कर दिया। उन्होंने यह भी निश्चय किया कि संयुक्त राजस्थान के निर्माण के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत के प्रधान मन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू उक्त राज्य का उद्घाटन करेंगे।

वर्मा जी ने उदयपुर लौटते ही संयुक्त राजस्थान के राजप्रमुख महाराणा भूपाल-सिंह जी से मन्त्रिमण्डल निर्माण सम्बन्धी चर्चा की। महाराणा ने वर्मा जी को मन्त्रिमण्डल में जानीरदारों को प्रतिनिधित्व देने का आग्रह किया। वर्मा जी ने राजप्रमुख का सुभाव मानने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। नये राज्य के बनते ही वैधानिक संकट पैदा हो गया। ता. 18 अप्रैल को प. नेहरू संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करने हेतु उदयपुर पहुँचे।

1. न्यूनता के बाद रियासतों के मूर्त वी देय-रेप के लिये ए. जी. जी. के न्यान पर “रीजनल कमिशनर” नियुक्त निये गये थे।

2. दा. एन. पानगड़िया-राजस्थान वा. इन्हान् वृ. 321

उनका अपूर्व स्वागत किया गया। वर्मा जी ने महाराणा से हुई अपनी बातों का जिक्र करते हुए पं. नेहरू को कहा कि वे ऐसे किसी मन्त्रिमण्डल की सदाचारत करने को तैयार नहीं हैं जिसमें जागीरदारों का प्रतिनिधित्व हो। पं. नेहरू ने वर्मा जी की बात का सिद्धान्तः समर्थन करते हुए कहा कि यद्यपि प्रधान मन्त्री को अपना मन्त्रिमण्डल बनाने में महाराणा और अन्य वर्गों से सलाह लेनी चाहिये तथापि इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय प्रधानमन्त्री का ही होगा। पं. नेहरू ने महाराणा के सलाहकार सर रामसूर्ती को अपने विचारों से अवगत करा दिया। पं. नेहरू ने वर्मा जी को सलाह दी कि वे अपने पद की शपथ ले लें और मन्त्रिमण्डल बनाने में कोई कठिनाई पैदा हो तो वे और सर रामसूर्ती दिल्ली जाकर रियासती विभाग से सलाह करें। पं. नेहरू की सलाह पर राजप्रमुख के साथ ही साथ वर्मा जी ने भी प्रधानमन्त्री पद की शपथ ले ली।¹

प्रधान मन्त्री का पद सम्भालने के तुरन्त बाद वर्मा जी दिल्ली गये और सरदार पटेल से मिले। सरदार पटेल को पं नेहरू वर्मा जी के रवैये से पहले ही बाकिक कर चुके थे। सरदार ने महाराणा को एक पत्र द्वारा सलाह दी कि वे मन्त्रिमण्डल के निर्माण में वर्मा जी की सलाह स्वीकार कर लें। महाराणा ने वर्मा जी द्वारा दी गई सूची के अनुसार मन्त्रियों की नियुक्ति कर दी। ये मन्त्री थे सर्वं श्री गोकुल लाल असावा (शाहपुरा), प्रेमनारायण माथुर, भूरे लाल वया और मोहन लाल नुक़ा़िबानी (उदयपुर), भोगी लाल पंड्या (झूंगरपुर), अभिनन्ह हरि (कोटा) और बूज नुक्तर शर्मा (बून्दी)। मन्त्रियों ने ता. 28 अप्रैल को अपने पद की शपथ ली। वर्मा जी ने उन्हीं दिन मन्त्रियों में विभागों का वितरण कर दिया। कहने कि ग्रामव्यक्ता नहीं कि यह मन्त्रिमण्डल विशुद्ध प्रजामण्डलीय था।

वर्मा जी ने अपने नवजात प्रशासकीय जीवन की पहली दाढ़ा पार की ही थी कि उनके सम्मुख एक और समस्या आ खड़ी हुई। ता. 29 अप्रैल को श्री वी. पी. भेनन उदयपुर आये। उन्होंने विना वर्मा जी को विश्वास में लिये राजप्रमुख की यह बात मान ली कि भेवाह के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री सर रामा मूर्ती जो राजप्रमुख का स्वर्वं का एवं संयुक्त राजस्थान सरकार का सलाहकार नियुक्त कर दिया जाय। महाराणा ने तुरन्त ही सर रामा मूर्ति की नियुक्ति की आग्रा प्रसारित कर दी। सर रामा मूर्ति ने यह कहना शुरू कर दिया कि राजप्रमुख के सलाहकार के नाते वे मन्त्रिमण्डल के ऊपर हैं। प्रधान-मन्त्री वर्मा जी ने अपने ता. 13 मई के पत्र में सर रामा मूर्ति को सूचित कर दिया कि जो अधिकारी सरकार का सलाहकार होगा, वह तो मन्त्रिमण्डल के अन्तर्गत रह कर ही काम करेगा। राजप्रमुख को राज्य सम्बन्धी कार्यों के लिये सलाह देने की जिम्मेदारी मन्त्रिमण्डल की है। यदि सलाहकार जैसी एक और एजेन्सी राजप्रमुख को सलाह देना चाहूँ तो राज्य में दोहरा शासन शुरू हो जायेगा, जो जनतन्त्र के सर्वं सम्मत सिद्धान्तों के विपरीत होगा। उन्होंने पत्र में सर रामा मूर्ति ने यह भी अनुरोध किया कि वे प्रधानमन्त्री के लिये आवंटित निवास स्थान को ज्ञानी बढ़ावे, जो कि उनके (सर रामा-मूर्ति) लिये दूसरा निवास स्थान आवंटित कर दिया गया है।²

1. सरदार पटेल को सनोनेन्स, जिल्हा-7 दृ. 396

2. श्री मोहनतात्त्व मुग्याडिया बृहद राजन्यान में नन्. 1952 के ज्ञान मन्त्रिमण्डल ने शान्ति हटा। वे नन्. 1954 के नन्. 1971 तक राजस्थान के मुख्यमन्त्री रहे जो उन्हें गांधी ने एह रीमिनान है।

3. सरदार पटेल सांसदोनेन्स, जिला-7 दृ. 400-401

सर रामामूर्ति ने वर्मा जी का उक्त पत्र राजप्रमुख के सम्मुख प्रस्तुत किया तो वे बड़े खिल्ले हुए। उन्होंने सर रामामूर्ति की नियुक्ति के सम्बन्ध में वर्मा जी द्वारा किये गये ऐतराज में अपना स्वयं का अपमान समझा। उन्होंने ता. 15 मई को सरदार पटेल को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा “आप से अधिक और कोई नहीं जानता कि मैंने अपनी रियासत का संयुक्त राजस्थान में विलय अपनी स्वयं की तरफ से पहल कर पूरी तरह स्वेच्छा से किया। मुझे विश्वास है कि आप सहमत होंगे कि मेरे साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, वह मेरे द्वारा प्रदर्शित सद्भावना और सहयोग के अनुरूप नहीं है। मैं आपसे हृदय से निवेदन करूँगा कि सर रामामूर्ति की सलाहकार के पद पर की गयी नियुक्ति में किसी तरह दखल नहीं होना चाहिये।”¹

सरदार पटेल ने अविलम्ब ही वर्मा जी को दिल्ली बुलाया। उन्होंने उनसे सर-रामामूर्ति को लिखे गये पत्र को अविलम्ब वापस लेने की सलाह दी। वर्मा जी ने सरदार के आदेशानुसार अपना पत्र वापस ले लिया। इसके बाद ता. 30 मई को सरदार ने महाराणा को लिखा कि “श्री वर्मा ने मेरी सलाह मान कर अपना ता. 15 मई का पत्र वापस ले लिया है। पर मेरा विश्वास है कि प्रधानमन्त्री के निवास स्थान को लेकर सर रामा मूर्ति अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बना सकते। आप उन्हें इस सम्बन्ध में मन्त्रिमण्डल के निर्णय को स्वीकार करने की सलाह दें।” सरदार ने अपने पत्र में आगे लिखा कि बार-बार इस प्रकार की घटनायें होना बताता है कि सर रामा मूर्ति अपने आपको देश के बदले हुए हालात में नहीं ढाल पाये हैं। कृपया आप सर रामामूर्ति को बता दें कि वे अपने तौर-तरीकों में परिवर्तन करें, अन्यथा यह स्पष्ट सम्भावना है कि उनकी गलतियों के कारण आपके और मन्त्रिमण्डल के सम्बन्ध बिगड़ जाएं और खामोखाह आपकी प्रतिष्ठा और पद को आंच पहुँचे।² सरदार पटेल द्वारा महाराणा को लिखे गये उक्त पत्र के बाद जब तक संयुक्त राजस्थान रहा न तो महाराणा ने और न सर रामामूर्ति ने ही राज्य के मन्त्रिमण्डल के काम में कभी दखल दिया। सरदार पटेल दूरदर्शी थे। वे जानते थे कि इस प्रकार के विवाद में उन्होंने जन प्रतिनिधियों का समर्थन नहीं किया तो इस नवजात जनतन्त्र पर मामन्त्री तत्व एवं नीकर-शाही हावी हो जायेगी और देश में जनतन्त्र की जड़े मजदूत नहीं हो पायेगी।

रियासती विभाग रियासतों के विलय से बने हर नये राज्य में एक या दो आईं सी. एस. अधिकारी मुख्य सचिव या सलाहकार के रूप में भेजा करता था। वर्मा जी ने एक स्थानीय अधिकारी श्री बी. एस. मेहता को संयुक्त राजस्थान मरकार या मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया। रियासती विभाग ने वर्मा जी की इस कार्यवाही को प्रसन्न नहीं किया। उसने कुछ ही समय बाद एक वरिष्ठ आई. सी. एस. अधिकारी, एल. सी. जैन को संयुक्त राजस्थान का मुख्य सचिव नियुक्त कर उदयपुर भेज दिया। वह अधिकारी कई दिनों तक अपने सैलून में उदयपुर के रेलवे स्टेशन पर ही पड़ा रहा। उसे मुख्य सचिव के पद का चार्ज नहीं दिया गया। सरदार पटेल ने वर्मा जी को दिल्ली बुलाया। वर्मा जी ने मरदार को बिन अता पूर्वक कहा कि उनकी इच्छा के विपरीत संयुक्त राजस्थान पर किसी आई. सी. एस. अधिकारी को थोपा गया तो रियासती विभाग को अन्य किसी

1. सरदार पटेल कॉर्सपोनेन्स, जिल्द—7 पृ. 398-399,

2. सरदार पटेल कॉर्सपोनेन्स जिल्द—7 पृ. सं. 401-402

प्रधान मन्त्री को दलाल करती होगी। उक्त उत्तरार्थे इस बार भी उन्होंने जो बात रख ली। श्री जैन को उच्चतुर के अन्धव जाना चाहा। यहाँ वह उनस्तो फूल हुएगा कि उन्होंने जी ने सुख्ख निविद की नियुक्ति के प्रकार को अपनी प्रतिष्ठान का प्रकार उभय नियम द्या। उनका राजद के बहुत के अधिकारी को चीज़ सेकेटरी के पक्ष पर अधिकार नहीं उनसे का करार उनकी यह भावना थी कि प्रतीत उन्नराओं से उचित राजस्वान की नियमों की परिस्थितियों और उनस्तो को स्पष्टीकरणी ही इस्तेव्वन के नियम सहने हैं। उन्होंने जी का यह निरुद्ध नियम की कठोरी पर वरा उठाया। उत्तरार्थ श्री डॉ. एन. नेहडा एवं स्वामी अधिकारियों के अड्डे सहयोग से जटिल से बाटिल समस्याओं का समाधान उनसे करने में सक्त रही। उत्तरार्थ के उच्चतुर छोटो-बड़ी 10 नियमों और उनकी राज्य सेवाओं के एकीकरण की पैकीजा समस्या थी, उन्होंने युद्ध ही नहिंने में हालियों, नियायालयों, विभागों, जिलों, उन-जिलों और नहसीनों का पुनर्गठन कर दिया। उन्होंने राज्य सेवाओं के एकीकरण वा कार्य सुलेखी और उन्होंने उन्हें उत्तरार्थ के इन तरह उन्नत विधि किसी भूतपूर्व नियम से क्रमान्वयी वर्गी दर किसी सी हरचारी विधि को अनुच्छेद व्यक्त करने की जोड़ ही नहीं आई।

अधिय दिविद दैसे सोनली और अविगानी संघटनों द्वारा राज्यों के राज्य का पुनर्स्थापन करने के लिये नवयन्य दर कोविदानी एवं अन्य अग्रिमित वर्गों को भड़काने रहने के बावजूद उत्तरार्थ ने राज्य भर में विना एक भी गोली गों न्याय और अवस्था अविरल रूप से कायद रखी। उनसे राज्य में होने वाली नकघजियों और इक्कियों पर इन नियमों कर जाना जो राहत देंगी। नदी उत्तरार्थ वा उच्चतुर एवं उन्होंने कि वर्गों पूर्व चोरी और डकैती में गई हजारों गाय, बैंड, और बैंड पुल उन्होंने पूर्व नालियों के राज्य नहीं रखे। एक बार निर ग्रामीण लोग अपने घरों के बाजा लगाये विनार अपने खेतों और खलियानों में जाने लगे।

संघियों के राजस्वान उन्नतवादी व्यवस्था का सुधृ गढ़ रहा है। उन्होंने वर जागीरदारी प्रथा उड़ानी ही पुरानी यी विठने कि वही के राजकें। यह एक संघों नाम नहीं है कि इस अवस्था के विश्व देश का संघर्षण अहिन्दू आन्दोलन राजस्वान उच्चतुर के विजेतिया जैव में हैप्पा। उन्होंने इस आन्दोलन के युद्ध और प्रगति जीतों की देखा। अतः यह स्वामानिय या कि सत्ता में अपने दर के लालों विनानों के बन्दे से जागीरी तुर के चढ़ा कर रखते। उन्होंने संकुल राजस्वान समिक्षण-व्यवस्था के जागीरदारों प्रथा की समाप्त उन्होंने का निर्मल लिया तो न केवल जागीरदारों में उच्चतुर विधियों विनार में भी लुभावी रूप रखी। सियासियी विभाग का बहुत या कि जागीरदारों संघर्षण संघर्षणी भाव वो उनस्या है। उच्चतुर मान्यता यी कि मैं राजस्वान वी उच्चतुर संघर्षण के नामके उच्चतुर से ही अनेक उन्नत्याएं हैं। अतः उच्चतुर जागीरदारी उच्चतुर उच्चतुर उन्नत्याओं को हाथ में लेकर अपने आनन्दों जीलियां में नहीं ढान्ना चाहिये। उन्होंने जी ने विनार गालों में भारत उत्तरार्थों उच्चतुर दिया कि हमारे संघर्ष तो वर्गों पूर्व और ऐनिहासिय वाला राजस्वान वी संघियों के दीड़िया गरीब उनका के विधा है, उच्चतुर विना वृक्ष वैन ली नीर वही चों चरवते। उच्चतुर संघर्षण एवं ग्रामीण नर दिया कि मैं राजस्वान वी व्यवस्था और अवस्था पर नियन्त्रण रखते हूये जागीरों उत्तरार्थ हर जी जायेगी। उन्होंने जी ने उच्चतुर के एक ही संघर्ष से जालियानों और दुष्ट सामनी व्यवस्था को बाजे के वर्गों की उत्तर राह

दिया। एक दो जागीरदारों ने प्रतिरोध करने का प्रयत्न किया तो उन्हें सख्ती से दबा दिया। राज्य में रक्तहीन क्रान्ति हो गयी। सरदार पटेल ने वर्षा जी की दाद दी।

संयुक्त राजस्थान का मन्त्रिमण्डल केवल 11 माह रहा। पर इस अल्प अवधि में उसने वह कर दिखाया जो किसी प्रान्त या राज्य की सरकारें 11 वर्षों में भी नहीं कर पाईं। इस आश्चर्यजनक सफलता का श्रेय वर्षा जी के नेतृत्व और उनके तपे-तपाये सहयोगियों को जाता है, जिन्होंने परिश्रम, लग्न और दृढ़ निश्चय के साथ राजस्थान की सदियों से शोषित जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाया।

अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद् की राजपूताना प्रान्तीय सभा 20 जनवरी, 1948 को एक प्रस्ताव द्वारा राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर बहुद राजस्थान राज्य के निर्माण की मांग कर चुकी थी। परन्तु भारत सरकार के सामने उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में कई व्यवहारिक कठिनाइयाँ थीं। प्रदेश में जोधपुर, जयपुर और बीकानेर जैसी रियासतें थीं, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित माप दण्ड के अनुसार अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थीं। स्वतन्त्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लाल माउन्ट-वेटन 7 जनवरी, 1948 को भारत सरकार की ओर से राजाओं को यह आश्वासन दे चुके थे कि विलय का सिद्धान्त वड़ी रियासतों पर लागू नहीं होगा।¹ स्वयं सरदार पटेल ने 20 फरवरी, 1948 को अपने पत्र में बीकानेर के महाराजा को यह आश्वासन दिया था कि वड़ी रियासतों का विलय तभी किया जायेगा, जबकि वर्हा की जनता और शासक दोनों विलय के पक्ष में होंगे।² उन्हीं दिनों राजस्थान के विभिन्न भागों में सामन्त वर्ग सशस्त्र रेलियां निकाल कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। इस वर्ग को प्रत्यक्ष अध्यवा परोक्ष रूप से राजाओं का समर्थन प्राप्त था। अतः भारत सरकार के जिम्मेदार हल्कों में यह धारणा बनती जा रही थी कि राजस्थान की रियासतों के एकीकरण से सामन्तवादी शक्तियों को संगठित होने का अवसर मिलेगा। इन परिस्थितियों में भारत सरकार ने राजस्थान की रियासतों के एकीकरण की दिशा में फूक-फूक कर पैर रखने की नीति अपनाई।

मार्च 1948 में मत्स्य यूनियन और अप्रैल 1948 में संयुक्त राजस्थान का निर्माण हो चुका था। मई, 1948 में सिरोही राज्य का प्रवन्ध वस्त्रै सरकार को सौंपा जा चुका था। जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर राज्यों की सीमाएँ पाकिस्तान से मिली हुई थीं, जहाँ से सदैव आक्रमण का भय बना रहता था। फिर ये रियासतें वार के विशाल रेगिस्तान का अंग थीं, जिसका विकास करना उक्त राज्यों के आर्थिक सामर्थ्य के बाहर था। इन सब कारणों से रियासती विभाग ने उक्त द्वीनों रियासतों को काठियावाड़ की रियासतों के साथ मिला कर एक केन्द्र शासित राज्य बनाने की योजना बनाई।³ मेनन के अनुसार इस योजना के मित्र कम थे और शान्त अनेक। मेनन के अनुसार इस योजना का स्वयं राजस्थान के नेताओं ने राजस्थान की विभिन्न रियासतों को एक इकाई में बांधने के बजाय

1. वी. पी. मेनन—“दी स्टोरी ऑफ दी इंटिग्रेशन ऑफ दी इन्डियन स्टेट्स—पृ. 90
2. डॉ. कल्पीनिह, “दी रिलेशन्स ऑफ दी हाउस ऑफ वीकानेर विद सेन्ट्रलपाकमं” पृ. 337
3. सरदार पटेल दॉरमपो-डेन्ल जिल्द 7, पृ. 408-411
4. वी. पी. मेनन—दी स्टोरी ऑफ दी इंटिग्रेशन ऑफ दी इन्डियन स्टेट्स पृ. 263

अनेक इकाइयों में बांटने का कड़ा विरोध किया। फलतः रियासती विभाग को सखेद अपनी घोजना त्याग देनी पड़ी।

मई, 1948 में मध्य भारत यूनियन का निर्माण हुआ, जिसमें इन्दौर और ग्वालियर जैसी बड़ी रियासतें शामिल हो चुकी थीं। देश की प्राचीनतम और ऐतिहासिक रियासत मेवाड़ स्वतः ही कुछ समय पूर्व संयुक्त राजस्थान में शामिल हो गयी थी। इसी दौरे समाजवादी दल ने दृहद राजस्थान के निर्माण का नारा बुलाद दिया। उसने अखिल भारतीय स्वर पर “राजस्थान आन्दोलन समिति” की स्थापना की। प्रसिद्ध समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने 9 नवम्बर को उदयपुर की एक महत्त्वी सभा में शीघ्रता द्वारा राजस्थान के निर्माण की मांग की। राजस्थान आन्दोलन समिति ने दिल्ली में हुई 1 दिसंबर की बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकार किया, जिसमें कहा गया कि सारे राजपूताना प्रदेश की रियासतों और अजमेर के विलय द्वारा अखिलभव दृहद राजस्थान का निर्माण करना चाहिये। समिति के अध्यक्ष श्री राम मनोहर लोहिया ने अपने एक बयान में जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर और मत्स्य को संयुक्त राजस्थान में मिला कर भारतीय तंत्र की एक मुद्रू इकाई में परिवर्तित करने की मांग की।¹ इन घटनाओं से दृहद राजस्थान के निर्माण की मांग को बढ़ दिला। भारत सरकार के लिये इस प्रश्न को आगे टालना कठिन हो गया।

रियासती विभाग के सचिव श्री वी. पी. मेनन ने सम्बन्धित राजाओं से बातबीत करने के पूर्व जयपुर के दीवान सर वी. टी. कृष्णमाचारी और बीकानेर के दीवान श्री सी. एस. बैकटाचारी से दृहद राजस्थान के निर्माण के सम्बन्ध में विचार विनियम किया। इस बैठक में सर वी. टी. ने राजपूताना की सभी रियासतों की एक ही इकाई बनाने के नुस्खाव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कर हम पूर्वी पंजाब में सिक्खों की तरह राजस्थान में राजपूतों को “हैजेमनी” (प्रमुत्त्व) कायम कर देंगे जो कि देश के हित में नहीं होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि राजपूताना की रियासतों को तीन इकाईयों में निभाजित कर दिया जाना चाहिये। पहली इकाई “संयुक्त राजस्थान” याचिकावत कायम रहे। दूसरी इकाई, जयपुर, अलवर और करीली के विलय से बनाई जाय। तीसरी इकाई जो जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर के विलय द्वारा पश्चिमी राजपूताना यूनियन के नाम ने बनाई जाय। सर वी. टी. का सुझाव वा कि भरतपुर और धीलपुर की रियासतों को पड़ीस के प्रान्त उत्तरप्रदेश में मिला दिया जाय। सर वी. टी. के सुझाव महत्वपूर्ण और बजनदार थे। परन्तु वी. पी. मेनन और श्री सी. एस. बैकटाचारी का मत था कि प्रदेश में व्याप्त जन भावना को देखते हुये राजपूताना की रियासतों की एक ही इकाई बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल भारतीय दिव्यों के आन्दोलन से भजवूर होकर दृहद राजस्थान राज्य का निर्माण करना होगा। फिर यह पहल समाजवादियों के हाथ में क्यों जाय?²

दिसंबर, 1948 के प्रथम जून तक मेनन ने श्री वी. पी. मेनन ने जोधपुर, बीकानेर और जयपुर के राजाओं से दृहद राजस्थान के निर्माण के लिये

1. सरदार पद्मेन्द्र जार्जरोडेल, जिल्ड 7, द. 422-428

2. " " " द. 428-430

विचार विनिमय शुरू किया। तीनों शासक अपनी-अपनी रियासतों को पृथक इकाईयों के रूप में रखने के इच्छुक थे¹ महाराजा बीकानेर ने तो अपनी एक टिप्पणी में विचार प्रकट करते हुये यहाँ तक कहा कि बीकानेर एक पृथक इकाई के रूप में रहने का हकदार है, तो फिर उस पर विलय के लिये दबाव क्यों? ² अन्तोगत्वा कई बैठकों के बाद मेनन उक्त राजाओं को विलय के लिये मनवाने में सफल हो गये। जैसलमेर का शासन प्रवन्ध पहले ही भारत सरकार के हाथ में था। ता. 14 जनवरी, 1949 को सरदार पटेल ने उदयपुर में एक विशाल सर्वजनिक सभा में घोषणा की कि जोधपुर, जयपुर और बीकानेर के महाराजाओं ने अपनी-अपनी रियासतों का राजस्थान में विलय करना स्वीकार कर लिया है और इस प्रकार महाराणा प्रताप का वृहद राजस्थान बनाने का स्वप्न निकट भविष्य में पूरा होगा। महान् सरदार की इस ऐतिहासिक घोषणा का उपस्थित जन समुदाय ने तुमुल करतल ध्वनि से स्वागत किया।

शीघ्र ही वृहद राजस्थान की भावी शासन व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा हुये। राज्य का राज प्रमुख कौन हो? मन्त्रिमण्डल व प्रशासकीय स्वरूप क्या हो एवं राजधानी कहाँ बने? इन प्रश्नों का उत्तर ढूँढ़ने के लिये श्री बी. पी. मेनन ने ता. 3 फरवरी, 1949 को सर्वश्री गोकुल भाई भट्ट, अध्यक्ष प्रान्तीय कांग्रेस व.मेटी, माणिक्य लाल वर्मा प्रधान मन्त्री, संयुक्त राजस्थान उदयपुर, जयनारायण व्यास प्रधान मन्त्री जोधपुर एवं हीरालाल शास्त्री मुख्य सचिव (प्रधान मन्त्री) जयपुर की एक बैठक दिल्ली में बुलाई। इस बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह को जीवन पर्यन्त राजप्रमुख बनाया जाये एवं उदयपुर के प्राचीन राजवंश की मान मर्यादा को व्यान में रखते हुए महाराणा भूपाल सिंह को महाराज-प्रमुख का सम्मानीय पद दिया जाये।

बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभागों में दो या तीन आई. सी. एस. अधिकारियों को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाये। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सलाहकारों और मन्त्रिमण्डल के बीच किसी मसले पर मतभेद होने पर उक्त मसले को अन्तिम निर्णय के लिये भारत सरकार को सौंप दिया जाये। इस प्रकार सलाहकारों को मन्त्रिमण्डल पर “बीटो” अधिकार दे दिया गया।³

बैठक में राजधानी का मसला सरदार वल्लभ भाई पटेल पर ढोड़ दिया गया; सरदार पटेल ने राजधानी के चुनाव के लिये विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की। समिति ने राजस्थान के अन्य बड़े नगरों का महत्व बनाये रखने के लिये कुछ राजप्रस्तर के सरकारी कार्यालय उक्त नगरों में रखने की सलाह दी। सरदार पटेल ने समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली। फलस्वरूप जयपुर राजस्थान की राजधानी घोषित कर दी गई। हाई-कोर्ट जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज विभाग उदयपुर में एवं कृषि विभाग भरतपुर में रखने का निर्णय लिया गया।

- बी. पी. मेनन—दी स्टोरी आफ दी इन्टीर्न शन थाफ दी इन्डियन स्टंट्स पृ. 112—113
- दा. करणी मिह—दी स्लिमन्स आफ दी हाऊस आफ बीकानेर विद सेन्ट्रलपायर्स पृ. 340
- सरदार पटेलम कारमपोन्डेन्स, जिल्द—7 पृ. 440-442

राजस्थान के प्रधान मन्त्री की नियुक्ति का प्रभान् अत्यधिक उलझन भरा निछु हुआ। इस पद के लिए जयपुर के मुख्य सचिव (प्रधान मन्त्री) श्री हीरालाल जान्नी उम्मीदवार थे। वे प्रदेशकांग्रेस के अध्यक्ष श्री गोकुल भाई भट्ट के सहयोग से रियासती विभागों को आश्वस्त कर चुके थे कि वे ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राजस्थान का प्रशासन नुचार रूप से चला सकते हैं। वे जयपुर राज्य में अपनी प्रजासुकीय योग्यता को धाक जमा चुके थे।

दूसरी ओर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के आम कार्यकर्ता श्री जब नारायण व्यास को प्रधान मन्त्री बनाने के पक्ष में थे। परन्तु रियासती विभाग व्यास जी को यह भार सौंपना नहीं चाहता था, वल्कि वह तो व्यास जी और उनके साधियों के विहृष्ट कृतिपय आरोपों को लेकर मुकदमे चलाने की तैयारी कर रहा था। श्री मानिगिर्वाल वर्मा नुख्य मन्त्री की दौड़ से यह कहकर अलग हो गये थे कि वे भविष्य में कोई सरकारी पद प्रहरण नहीं करेंगे। इन परिस्थितियों में व्यास जी और वर्मा जी ने प्रधान मन्त्री के पद के लिये श्री गोकुलभाई भट्ट के नाम का नुकाब रखा। परन्तु रियासती विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य में विवान सभा की अद्यम मोजूदगी में राजस्थान के प्रशासन की जिम्मेदारी भारत सरकार पर है और वह श्री हीरालाल जान्नी को ही प्रधान मन्त्री के पद के लिये उपयुक्त समझती है। फरवरी, 1947 में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई जिसमें रियासती विभाग के निर्णय का डट कर विशेष हुआ। पर प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व किसी तरह डक्टर बैठक में जान्नी जी को प्रधान मन्त्री बनाने संबंधी प्रस्ताव स्वीकार कराने में सफल होगया।¹ यह एक विडम्बना ही थी कि रियासती विभाग को राजाओं को 'विलय-पत्र' परहस्ताकर करवाने में जितना पक्षीना बहाना पड़ा उनसे कही अधिक पक्षीना उसे जान्नी जी को प्रधान मन्त्री बनाने के लिये बहाना पड़ा।

वृहद राजस्थान की अभी विधिवत स्थापना भी नहीं हुई थी कि उसे राजनीतिक संकट से ही नहीं "देवी" संकट से भी गुजरना पड़ा। महाराजा जयपुर वृहद राजस्थान के निर्माण सम्बन्धी वार्ता के दौर में भाग लेने के लिये दिल्ली प्रस्ताव करने वाले थे कि वे एक भव्यकर बायुयान दुर्घटना में फंस गये। उनका बायुयान जलकर भस्म हो गया। वे स्वयं गम्भीर रूप से घायल हो गये। फलस्वरूप वार्ता कुछ दिन के लिये स्थगित रही और वृहद राजस्थान के निर्माण में चिन्मन्त्र हुआ। अन्तोगत्वा जब वृहद राजस्थान के निर्माण और उद्घाटन का निर्णय हो गया तो नरदार पटेन ता. 29 मार्च, 1948 की जाम को एक विशेष बायुयान द्वारा जयपुर के लिये रखाना हुये। बायुयान में खराबी हो गयी। उने जयपुर से कुछ किलोमीटर दूर एक शुक्र नदी के पेटे में उत्तरना पड़ा। चानक की होशियारी से संभावित गम्भीर दुर्घटना बच गई। परन्तु बायुयान का सम्बन्ध शेष भारत से कट गया। महाराजा जयपुर बी. पी. मेनन और राजस्थान के नेता जयपुर में नरदार पटेन के घागमन का इन्तजार कर रहे थे। पर निर्धारित समय पर जब बायुयान हवाई अड्डे पर नहीं उत्तरा तो सभी लोग चित्तित हो गये। थोड़ी ही समय में भारत नर में चिन्ता की लहर फैल गई। उधर नरदार पटेन और उनका दल किसी तरह रात्रि के लगभग 10.00

1. राजस्थान प्रान्तीय बौद्ध बैठक ना दृष्टित दर्शन—2 पत्रां—4

118/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

वजे जयपुर पहुंचा। उसी समय आकाशवाणी के एक विशेष बुलेटिन द्वारा सरदार पटेल के सुरक्षित जयपुर पहुंचने का संवाद प्रसारित किया तो सारे देश ने राहत की सांस ली।

ये सब राजनैतिक और देवीय संकट चल ही रहे थे कि ता. 30 मार्च, 1948 को नये राज्य के उद्घाटन के शुभ मुहूर्त के समय प्रशासकीय लापरवाही से एक ऐसी घटना घटी जिसने राजस्थान के नेताओं में शास्त्री जी की प्रधान मन्त्री पद पर नियुक्ति को लेकर व्याप्त कटुता में और जहर घोल दिया।

इस ऐतिहासिक अवसर पर जिन्हें आमन्त्रित किया गया उनमें जोधपुर के प्रधान मन्त्री श्री जय नारायण व्यास और राजस्थान के प्रधान मन्त्री श्री माणिक्य लाल वर्मा भी थे। जब ये नेता समारोह-स्थल पर पहुंचे तो पाया कि उनके बैठने की व्यवस्था स्थानीय सामन्तों और अधिकारियों के भी पीछे की गयी है। फलतः अन्य रियासतों से आये हुए सभी नेता और कार्यकर्ता समारोह स्थल को छोड़कर अपने अपने निवास स्थान को लौट गये। निश्चय ही देश की आजादी के लिये अपना सर्वस्व वलिदान करने वाले स्वतन्त्रता संनिकों के लिये यह व्यवस्था अपमानजनक और सामान्य शिष्टाचार के विरुद्ध थी। समारोह के जिम्मेदार अधिकारी अथवा स्थानीय राजनेताओं ने समय पर इस भयंकर भूल के परिमाजन का कोई प्रयत्न नहीं किया। उल्टा वहिर्गमन करने वाले नेताओं पर ही दोषारोपण किया गया कि उनका व्यवहार जिम्मेदाराना नहीं था। इस घटना की परिणिति निकट भविष्य में ही राज्य के प्रधान मन्त्री श्री शास्त्री और प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोकुल भाई भट्ट के विरुद्ध प्रांतीय कांग्रेस कमेटीद्वारा अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने में हुई।

श्री शास्त्री को अपना मन्त्रिमण्डल बनाने में न तो श्री जय नारायण व्यास और न ही श्री माणिक्य लाल वर्मा से सहयोग मिला। श्री शास्त्री ने ता. 7 अप्रैल, 1949 को अपना मन्त्रिमण्डल बनाया, जिसमें सर्वश्री सिद्धराज ढड़ा (जयपुर), प्रेमनारायण माथुर और भूरेलाल वया (जयपुर) फूलचन्द वापणा, नरसिंह कच्छवाहा और रावराजा हणूतसिंह (जोधपुर), रघुवर दयाल गोयल (बीकानेर), और बेदपाल त्यागी (कोटा) शामिल किये गये। यद्यपि मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्य चरित्रवान और योग्य थे, तथापि इनकी जड़ें कांग्रेस संगठन में गहरी नहीं थी। इसका खमीजा श्री शास्त्री को उठाना पड़ा। रियासती विभाग के वरदहस्त के बावजूद उन्हें 21 माह में अपने पद से त्याग-पत्र देना पड़ा। पर यह एक सर्वथा अलग कहानी है। यहाँ यही कहना पर्याप्त होगा कि अन्तोगत्वा वृहद् राजस्थान बन गया।

राजस्थान की विभिन्न रियासतों के चिलय के साथ ही साथ राजस्थान में सदियों पुरानी राजशाही समाप्त हो गयी। मेवाड़ के गुहिलीत, जैसलमेर के भाटी, जयपुर के कच्छवाहा और दूंदी के हाडा चौहान संसार के प्राचीनतम राजवंशों में से थे। राजशाही के अन्तिम चिन्ह के रूप में अब केवल मात्र राजप्रमुख के नवसूचित पद रह गये। ये पद संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ में प्रान्तों के राज्यपालों (गवर्नर) के समकक्ष थे। यह एक ऐसी रक्तहीन क्रान्ति थी जिसका उदाहरण ससार के इतिहास में ढूँढने पर भी नहीं मिलेगा।

मत्स्य संघ का चिलय

अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करीला की रियासतों के एकीकरण द्वारा 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बनाया गया था। अब जबकि जयपुर, जोधपुर और बीकानेर की

रियासतें राजस्थान में मिल गयी तो मत्स्य संघ को अलग इकाई के रूप में रखने का कोई अर्थ नहीं था। स्वयं रियासती विभाग ने बहुद राजस्थान के निर्माण के समय इस समस्या पर विचार किया था। अलवर और करौली का जननता राजस्थान में मिलने के पक्ष में था, परन्तु भरतपुर और घोलपुर की स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं थी। इन दोनों रियासतों की जनता की राय जानने के लिये सरदार पटेल ने डॉ. शंकरराव देव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने छानबीन के बाद राय दी कि उक्त रियासतों की अधिकतर जनता राजस्थान में मिलने के पक्ष में है। भारत सरकार ने समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संघ की चारों इकाईयों को ता. 15 मई, 1949 को राजस्थान में मिला दिया। वहाँ के प्रधान मन्त्री श्री शोभाराम को शास्त्री-मन्त्रिमण्डल में शामिल कर लिया गया।

सिरोही का प्रश्न—

गुजरात के नेता सिरोही स्थित आबू पर्वत के शैलानी केन्द्र को गुजरात का अंग बनाना चाहते थे। रियासती विभाग उनके प्रभाव में था। अतः जनता के विरोध के बावजूद भी रियासती विभाग ने नवम्बर, 1947 में सिरोही को राजपूताना एजेन्सी से हटाकर गुजरात एजेन्सी के अन्तर्गत कर दिया था। मार्च, 1948 में रियासती विभाग ने संयुक्त राजस्थान के निर्माण का फैसला किया। उसी समय उसने गुजरात स्टेट्स एजेन्सी के अन्तर्गत रियासतों को वर्म्बई-राज्य¹ में मिलाने का निर्णय किया। सिरोही की जनता ने मांग की कि सिरोही को वर्म्बई में न मिलाया जाकर संयुक्त राजस्थान में मिलाया जाये। कुछ ही दिनों बाद उदयपुर ने भी संयुक्त राजस्थान में शामिल होने का फैसला किया। इस अवसर पर अ. भा. देशी राज्य लोक परिषद् की राजपूताना प्रान्तीय सभा के महामन्त्री श्री हीरालाल शास्त्री ने अपने ता. 10 अप्रैल के तार में सरदार बल्लभ भाई पटेल को लिखा, “यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है। इससे सिरोही का राजस्थान में शामिल होना और भी अवश्यंभावी हो गया है। फिर हमारे लिये सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई। विना गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते।”² शास्त्री जी को इस तार का कोई उत्तर नहीं मिला। उन्होंने सरदार पटेल को ता. 14 अप्रैल को दूसरा तार भेजा जिसमें उन्होंने कहा :—

“हम लोग कोई कारण नहीं देखते कि क्षण मात्र के लिए भी सिरोही को राजस्थान की वजाय रियासतों के अन्य किसी समूह में मिलाने की दिशा में सोचा जा सकता है.....

इस प्रश्न पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप राजस्थान की जनता की भावना भी अनदेखी न करें।.....मुझे विश्वास है कि आप हमारी सर्वसम्मत प्रार्थना को स्वीकार कर हमारी सहायता करें।”³

तारीख 18 अप्रैल का संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उदयपुर में राजस्थान के कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमण्डल पर जबाहरनाल नेहरू से मिला और

1. इस समय गुजरात प्रदेश और महाराष्ट्र बन्धन प्रान्त के ही घंग दे।

2. सरदार पटेल कॉर्ट-पोन्डेस्ट, जिल्द-7 दृ. 397

3. थो हीरालाल शास्त्री-प्रत्येक जीवन शास्त्र दृ. 334

उनको सिरोही के सम्बन्ध में प्रदेश की जनता की भावनाओं से अवगत किया। पं. नेहरू ने दिल्ली लौटते ही उसी दिन सरदार पटेल को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान भर के कार्यकर्ताओं में जिस सवाल पर सवसे अधिक रोष था वह था सिरोही के बारे में। पं. नेहरू ने आगे लिखा “मुझे वार-बार कहा गया कि सिरोही गत 300 वर्षों से भाषा और अन्य प्रकार से राजस्थान प्रदेश का अंग रही है। अतः उसे राजस्थान में मिलना चाहिये। मैंने उनसे कहा कि मुझे इस विषय के विभिन्न पहलुओं की जानकारी नहीं है, अतः मैं इस सम्बन्ध में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। पर साधारणतया जहाँ भत्तेद हो, वहाँ जनता की राय ही मान्य होती चाहिये।”¹

पं. नेहरू के पत्र का उत्तर देते हुए सरदार पटेल ने अपने ता. 22 अप्रैल, 1948 के पत्र में लिखा “सिरोही के सम्बन्ध में मेरी इन लोगों से कई बार बातचीत हुई है। सभी सम्बन्धित मुद्दों पर विचार करने के बाद ही हम इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि सिरोही गुजरात को जाना चाहिये। उन्हें (राजस्थान बालों को) सिरोही नहीं चाहिये। उन्हें तो गोकुल भाई भट्ट चाहिये। उनकी यह मांग सिरोही को राजस्थान को दिये विना ही पूरी की जा सकती है।”²

चतुर सरदार ने जनवरी, 1950 में माउन्ट आवू सहित सिरोही का एक भाग तो गुजरात में मिला दिया और श्री गोकुल भाई भट्ट के जन्म स्थान हाथल सहित सिरोही का शेष भाग राजस्थान को दे दिया। इस प्रकार शास्त्री जी की मांग के अनुसार सरदार पटेल ने श्री भट्ट राजस्थान को दे दिया। इस निर्णय के फलस्वरूप सिरोही में व्यापक आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। इस आन्दोलन में श्री भट्ट के अलावा श्री बलबन्त सिंह महता ने महत्वपूर्ण भाग अदा किया। यह आन्दोलन तब समाप्त हुआ जब भारत सरकार ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का आशासन दिया। राजस्थान के साथ किये गये इस अन्याय का निराकरण ता. 1 नवम्बर, 1956 को हुआ, जब कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर सिरोही का माउन्ट आवू वाला इलाका पुनः गुजरात से निकाल कर राजस्थान में मिलाया गया।

अजमेर का विलय—

अ० भा० देशी राज्य लोक परिपद की राजपूताना प्रांतीय सभा की सदैव यह मांग रही थी कि वृहद राजस्थान में न केवल प्रान्त की सभी रियासतें वरन् अजमेर का इलाका भी शामिल हो। पर अजमेर का कांग्रेस नेतृत्व कभी इस पक्ष में नहीं रहा। सन् 1952 के आम चुनावों के बाद वहाँ श्री हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल बन चुका था।³ अब तो वहाँ का नेतृत्व यह दलील देने लगा कि प्रशासन की विधि से छोटे राज्य ही बनाये रखना उचित है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अजमेर के नेताओं के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और सिफारिश की कि उसे राजस्थान में मिला देना चाहिये। तदनुसार ता. 1 नवम्बर, 1956 को माउन्ट आवू क्षेत्र के साथ ही साथ अजमेर भेरवाड़ा भी राजस्थान में मिला दिया गया। इस प्रकार राजस्थान निर्माण की जो प्रक्रिया मार्च, 1947 में शुरू हुई थी ता. 1 नवम्बर, 1956 में सम्पूर्ण हुई।

1. सरदार पटेल कॉर्सपोर्टेन्स जिल्ड-7 पृ. 395, 398

2. सरदार पटेल कॉर्सपोर्टेन्स जिल्ड-7 पृ. 396-397

3. बजमेर भेरवाड़ा के मन्त्रिमण्डल में उपाध्याय जो के अलावा अन्य सदस्य थे, श्री वालद्वाप्त कौल और अजमोहन शर्मा।

चेतावनी के चूंगटिये

भारत के तत्कालीन वायसराय लार्ड कर्जन ने सब्राट एडवर्ड, सप्तम के लन्दन में राजतिलक के अवसर पर ता. 1 जनवरी, 1903 को दिल्ली में एक बड़े राजदरवार का आयोजन किया। मेवाड़ के महाराणा फतेहसिंह को भी इस अवसर पर वायसराय के दरवार में शामिल होने के लिये दिल्ली जाना पड़ा। प्रसिद्ध क्रान्तिकारी स्व. केशरीसिंह वारहट को यह गवारा नहीं हुआ कि हिन्दुओं के सूर्य कहलाने वाले महाराणा एक सामन्त की हैसियत से वायसराय के दरवार की शोभा बढ़ाये। इस अवसर पर उन्होंने डिग्ल भाषा में निम्न 13 सोरठे लिखकर महाराणा को भेजे :—

पग पग भम्या पहाड़, घरा छोड़ रास्यो घरम ।
महाराणा र मेवाड़, हिरदे वासिया हिन्द रे ॥ (1) ॥

मेवाड़ के महाराणा पैदल पैदल पहाड़ों में भटकते फिरे उन्होंने पृथ्वी का मोह छोड़ कर धर्म कीरक्षा की। इसीलिये महाराणा और मेवाड़ ये दोनों शब्द हिन्दुस्तान के हृदय में वस गये।

घणा घणिया घमसाण, राण सदा रहिया निहर ।
(घाव) पैखन्ता फरमाण, हलसवल किम फतमल हुये ॥ (2) ॥

अनेकानेक घोर युद्ध हुये तब भी महाराणा निर्भय बने रहे। किन्तु अब सिर्फ शाही फरमानों को देखते ही, है फतेहसिंह ! यह हलचल कैसे मच गयी ?

गिर गंजा घमसाण, नहचे घर माई नहीं ।
भावे रि म महाराण, गज दोसो रा गिरद में ॥ (3) ॥

निश्चय ही जिसके मदोन्मत हाथियों द्वारा युद्धस्थल में उठा हुआ गर्दा पृथ्वी में रहीं समाता था वह महाराणा दो सौ गज के गिरदाव (धेरे) में कैसे समा पायेगा ?

ने ५	श्रीराम ने आसान हाँका हरवल हालणाँ ।
राजस्थ	किम हाले कुल राणा, हरवल शांका हाँकिया ॥ (4) ॥
के साथ हैं	ज्ञानीयों के लिये सरल है कि वे शाही सवारी को हकाले जाने पर आगे-राजस्थान निः— यह प्रतापी गुहिलवंश उस तरह कैसे चलेगा जिसने वादशाहों को में सम्पूर्ण हुई ।

- सरदार पटेल कॉर्सपोनेन्ट्स जिल्ड-
- सरदार पटेल कॉर्सपोनेन्ट्स जिल्ड-7 पृ. 396-मी सरसी जिको ।
- बजमेर मेरवाडा के भन्विन्डल में उपाध्याय जी के री फता ॥ (5) ॥
द्रजमोहन धर्मा ।

अन्य राजाओं के लिये आसान है कि वे भुक्त भुक्त कर नजराना दिखला सकेंगे । परन्तु हे महाराणा फतेहसिंह ! तेरे हाथ में तलवार होते हुये नजराने के लिये तेरा हाथ कैसे फेलेगा ?

सिर भुक्तिया सहसाह, सिहासण जिए सामने ।
रलणों पंगत राह, फावे किस तौने फता ॥ (6) ॥

जिस सिहासन के सामने बादशाहों के सिर भुक्ते हैं उसके अधिकारी होते हुये हैं फतेहसिंह ! तुझे पंक्ति में आसन प्राप्त करना कैसे शोभा देगा ?

सकल चढ़ावे शीस, दान घरम जिएरे दिया ।
सो खिताब बगशीस, लेवण किम ललचाय सी ॥ (7) ॥

जिसके द्विये हुये दान धर्म को संसार सिर पर चढ़ाता है वह खिताबों की बहशीस लेने के लिये कैसे ललचायेगा ?

देखेला हिन्दुवाण, निज सूरज दिस नेहमू ।
पण तोरा परमाण, निरखा निशासा न्हाकसी ॥ (8) ॥

समस्त हिन्दू अपने सूर्यों की ओर जब स्नेहयुक्त आंखों से देखेंगे और उस समय वह एक तारे के रूप में इटिंगोचर होगा तो वे अवश्य ही परिताप के निश्वास छोड़ेंगे ।

देखें अंजसदीह पुलकैलो, मुलकैलो, मन ही मर्ना ।
दंभी-गढ़ा दिल्लीह, शीस नमन्ता शीसवद ॥ (9) ॥

हे शिशोदिया ! तेरे सिर को अपने सामने भुक्ता हुआ देखकर दिल्ली का वह दंभी दुर्ग इस अवसर पर अंहकार से मन ही मन त्वाव मुस्करायेगा ।

अंत धौर आखीह, पातल जौ वार्ता पहल ।
राणा-सह आखीह, जिएरी शाखी सिर जटा ॥ (10) ॥

महाराणा प्रताप ने अपने अन्तिम समय में जो बात कही थी उसको अब तक सब महाराणाओं ने निभाया है और इसकी साक्षी तुम्हारे सिर की जटा दे रही है ।

कठण जमाना कौल, दांचे नर हिम्मत विना ।
बीरं हंदो बोल, पाताल सागे पाखियो ॥ (11) ॥

साहस खो देने पर ही मानव यह कहना घुर्ह कर देता है कि जमाना स्तराव है । इस रहस्य को बीर तांगा और प्रताप भली भाँति जानते थे ।

जब लग सारां शास, राणा रीत कुल रासकी ।
रहो सहाय सुखरास, एकलिंग प्रनु आपरे ॥ (12) ॥

सबको आशा लगी हुई है कि नहाराणा अपनी कुल परम्परा की रक्षा करेंगे । खुखराशि भगवान एकलिंग आपके सहायक बने रहें ।

124/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

मान मौद सिसोद, राजनीति बल राखणे ।
गवर्मेन्ट री गोद, कल मीठा मीठा फता ॥ (13) ॥

अपनी प्रतिष्ठा और प्रसन्नता को राजनीति के बल से कायम रखना चाहिये । हे फतेहसिंह ! अंग्रेजों की शरण में जाने से क्या तुम कभी मधुर फल पाओगे ?

ये सोरठे 'चेतावनी के चूंगठिये'¹ के नाम से विख्यात हुये । बारहट का सन्देश काम कर गया । महाराणा दिल्ली पंहुच कर भी दरवार में सम्मिलित नहीं हुये । बारहट के स्वर्य के शब्दों में जब दिनांक 9 फरवरी 1903 की मध्यान्ह को लार्ड कर्जन सिंहासन पर बैठकर महाराणा के लिये सुरक्षित खाली कुर्सी की ओर ताक रहा था, ठीक उसी समय महाराणा की स्पेशल ट्रैन उन्हें लेकर चित्तोड़ की ओर दौड़ रही थी । लार्ड कर्जन महाराणा की इस हरकत पर मन मसोस कर रह गया ।

दिसम्बर, 1911 में सभ्राट जार्ज के भारत आने के अवसर पर उनके सम्मान में वायसराय ने दिल्ली में दरवार का आयोजन किया । महाराणा दिल्ली तो पहुंचे पर स्टेशन पर ही सभ्राट से हाथ मिलाकर लौट आये । उन्हें बारहटजी के चेतावनी के चूंगठिये पुनः स्मरण हो आये ।

1. वी. एल. पानगढ़िया—राजन्यान वा इतिहास पृ. 27-29

श्री आर. ई. हालैण्ड, ए. जी. राजसूताना द्वारा महाराष्ट्रा फ़तहस्ति को
दिनांक 17 जुलाई, 1921 को अंग्रेजी में लिखे गये पत्र का हिन्दी ल्पात्तर

आपके उच्च सम्बाद के उत्तर में, जो कि आपसे पंडित नुङ्गदेव प्रसाद के द्वारा मेरे
पात्र भेजा है, मैं आपको महामहिम वायसराय नहोदय का सन्देश लिखित रूप में भेज रहा
हूँ जो कि नांगिक रूप से आपको पहले ही दर्ताया जा चुका है।

महामहिम वायसराय सहोदय की सम्मति है कि भेवाड़ की जो गन्मीर स्थिति है उसे
देखते हुये वह अत्यन्त बांधनीय है कि आप भविष्य में राज्य जास्त में सक्रिय भाग न ले।
पिछले कई वर्षों से आपने आपके राज्य का समस्त प्रशासन अपने हाथों में केन्द्रित करने का
असुन्नत प्रयत्न किया है। राज्य प्रशासन में तुवार करने की ओर भारत सरकार ने निरंतर
आपका ध्यान आकर्षित किया है। किन्तु आपने उच्च परामर्श को स्वीकार करने की कभी
भी तत्परता नहीं दिखलाई। आपकी जारीरिक जल्लियों के क्षीण होते के जाय ही राज्य ने
भी अभूतपूर्व राजनीतिक अन्यायिता और उदय हुआ है। राज्य प्रशासन में जो दोष और बुद्धियाँ
हैं जिन्हें पहले प्रजा दिवशता के द्वारा तहन करती थीं, आज वह उनकी खुले रूप में आलो-
चना और विरोध करती है। प्रशासन के दोष प्रायः राज्य के सभी विनागों में हैं और
जनता के सभी वर्गों को प्रभावित करते हैं। राज्य भर में फैले हुये इस विस्तृत जन असतोष
का लाभ आन्दोलनकारी उठा रहे हैं। महामहिम वायसराय की सम्मति ने इस आन्दोलन
(कितान आन्दोलन) के फ़लन्वरूप स्थिति ने ऐसा गन्मीर रूप धारण कर दिया है जो कि
केवल भेवाड़ राज्य के लिये ही नहीं अपितु सभी देशी राज्यों तथा शिविज भारत के लिये
धौर आपत्तिजनक है। यही कारण है कि जिनसे प्रभावित होकर महामहिम वायसराय इस
निरंय पर पहुँचे हैं कि अब समय आ गया है कि आप अपने पुत्र के पक्ष में राज्य स्थिरासन
द्वोढ़ दें। श्रीमान् की दड़ती हुई आयु को इष्ट में रखते हुये यदि आप स्वेच्छा ने यह
कदम उठायें तो इसको इस प्रकार वा हृषि दिमा जायेगा कि बड़ती हुई आयु के द्वारा
आपने स्वयं यह इच्छा प्रकट की है। इसका परिणाम यह होगा कि इस सम्बन्ध में ऐसी
चर्चा नहीं होगी कि जो आपको अर्थात् कर हो। तुम्हें पिछले चार दिनों से आपसे इस सम्बन्ध
में बात करने से जात हुआ है कि आप महामहिम वायसराय के परामर्श को स्वीकार दर्तने
को तैयार नहीं हैं। यद्यपि आप नहाराजकुमार साहब को अपना उच्च राज्य अधिकारियों
को योड़ा अधिकार देने को तैयार हैं, परन्तु आपकी नायना है कि अन्तिम अधिकार आपके
हाथ में रहना आवश्यक और अपरिहार्य है। मैंने इसके दावदूद भी भारत सरकार से नद
किया है कि वह अगले एक नाह तक इस सम्बन्ध में बोई कार्यवाही नहीं करेगी ताकि
आपको वायसराय नहोदय के निवेदन वा उत्तर देने के पूरे नीचने वा पूरा अवसर प्राप्त
हो जाय।

यदि मुझे उक्त अवधि पूँछ आपकी ओर से आयी है अब तो इसन्देश नहीं मिला है
मैं उपर्युक्त समय पर आपके विचारों में भारत सरकार को अद्वेत जरा हूँगा। इसके बारे

126/ राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम

जैसे ही मुझे भारत सरकार से नवीन निर्देशन मिलेगा मैं आपको उसके मन्तव्य से श्रवण करा दूँगा ।

अन्त में भारत सरकार ने यह जानना चाहा है कि भारत सरकार के विदेशी तथा राजनीतिक विभाग के प्रस्ताव संख्या 462 दिनांक 29 अक्टूबर, 1917 के अनुसार कार्यवाही करना आवश्यक हो जावे तो क्या आप पसंद करेंगे कि नये विधान के अन्तर्गत जांच आयोग स्थापित किया जावे । भारत सरकार की इच्छा है कि जहाँ तक सम्भव हो वह ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करना चाहेगी जिससे आपको पीड़ा और मनोव्यथा हो ।

मैं यहाँ यह प्रकट करना चाहता हूँ कि मैं आपके प्रति बहुत ऊँची भावना रखता हूँ और आपका एक सच्चा मित्र होने का दावा करता हूँ ।¹

1. श्रो. शंकरराहाय सरसेना “विजोलिया किसान प्राव्दोसन” पृ. 275.

परिशिष्ट (3)

Copy of letter from Shri Heera Lal Shastri to Sir Mirza Ismail
Prime Minister, Jaipur State, dated 16-9-1942.

I feel I must write this with my blood for I have had to decide to communicate to you something which you could not have expected from me so suddenly.

I know that H. H. the Maharaja of Jaipur can not sever the British connections and he cannot declare full responsible Government for the people except at the risk of his own existence as Ruler. This consideration compelled me to be realistic and it was as a realist that I agreed to avoid a direct conflict with His Highness and his Government. I am not at all optimistic about the future of the princely order in free and independent India but I have felt that I should not ask His Highness the Maharaja of Jaipur to do something which he cannot really do at the present moment. In the circumstances I satisfied myself with the idea that the people of Jaipur would be able to follow my advice and would have a direct fight with British Imperialism, thus leaving His Highness and his Govt. headed by you free to do all that can be done at the time like this for the welfare and happiness of the people of the State.

For the last one month or so I have been talking to you and pleading with my people about these affairs. I returned from Banasthali last evening and upto noon today I had no doubt whatsoever that I would succeed in my plans. But the coming of the afternoon seemed to bring a change and even then I little knew that I would be driven to the most painful necessity of writing this letter to you. My endeavours to gauge current public thoughts and sentiments dragged me to the extremely unhappy conclusion that my dearly cherished plans cannot work. Then I thought that either I should give up political life and the Prajamandal or I should live myself up with what I understand to be the sincere and current desire of hundreds of my fellow workers and possibly of thousands of other people. The first alternative I could not have chosen without jeopardising the peaceful existence of the Praja mandal which along with other co-workers I have watered with

my very blood for the last seven years. Then I had to take up the only other alternative left to me.

While I write this I cannot help referring to the recent statement made by the British Prime Minister in the House of Commons. Inter alia Mr. Churchill is reported to have said :—

"Outside that (meaning the Congress) party and fundamentally opposed to it are 90 million Muslims in British India who have their right of self expression, 53 million depressed classes or untouchables as they are called and 95 million subjects of the Princes of India with whom we are bound by Treaty."

I must say at once that this is the greatest falsehood which may have ever been uttered by any statesman. Leaving aside the rest I have to declare that the people of Indian States are not outside the Congress and most certainly they are not fundamentally opposed to it. This statement of Mr. Churchill must have made lakhs of the Indian people angry, in any case it has made me angry. And what answer can I make to the British Prime Minister ? I must show him not by my words which he cannot hear but my concrete acts that the people of the Jaipur State are part of the Indian National Congress and indissolubly connected with it. And what are my concrete acts ? The first of them is to declare that from this moment I am here to refuse to accept the authority of His Highness the Maharaja of Jaipur on the ground that the said authority is derived from the British Government and cannot last for a moment without their support and that His Highness cannot unfortunately free himself and his state from the British yoke & is thus allowing himself to be regarded as a pillar of British Imperialism in this country.

I must make it clear that I have no immediate cause to pick up a quarrel with His Highness for whom personally I have had a liking in spite of numerous complaints which I do have to make against him. Nor I have any cause to be dissatisfied with the way in which you have begun your work in Jaipur. As I have had no personal contact with His Highness I can not say much about him but I know from experience that you want to serve the people of this State with all possible sincerity. I can guess, however, that His Highness cannot but have the well being of the people at heart.

But the tragedy is that these considerations are of small consequence, when I see that the thinking section of the Jaipur people is impatient to take part in the grim and great struggle which has been

going on in India against the British and that the people do not seem to have any faith in the plans which I have endeavoured to place before them. Any how many people want a struggle here and now and I feel compelled to bow my humble head to their wishes.

Since I began writing this letter I have also been thinking if there could be anything which might still avert the catastrophe. I know that with the best will His Highness or you cannot do anything and I know that in spite of all my most sincere desire to avoid a direct conflict with His Highness and his Government I cannot do anything. The people of India and this term includes the people of Jaipur are out to throw the British yoke off. While it can be understood that His Highness the Maharaja of Jaipur, even though he may perhaps be tired of the said yoke, cannot have the courage to put it off and to join his people in their struggle against the British.

Hence, the unavoidable necessity of starting a direct struggle against His Highness who is a subordinate ally of the British King.

With a view to make the Prajamandal members free from the obligation of the constitution of the Mandal I am declaring the said constitution as suspended until further notice and then I am asking the people of Jaipur State to follow Mahatma Gandhi's lead and take as full a part as they can in the Indian struggle for Independence.

Need I tell you that I have written the letter with a heavy heart. I had to make a quick decision and to write to you immediately. I propose to make a public declaration in accordance with the terms of this letter tomorrow evening.

In the absence of H. H. I decided to address this letter to you. I hope it will be seen by H. H. as soon as possible.¹

1. श्री हीरालाल गांधी—“प्रत्यक्ष जीवन रहना”

(4)

Copy of letter from Sir Mirza Ismail to Pandit Heera Lal Shastri
dated 17-9-42.

Your letters gave me a rude shock. They distressed me. I fear, pardon my saying so, you have not acted with sufficient foresight or in the best interest of the State and the country in general. I may be wrong, of course, but that is my conviction. My conscience is perfectly clear and so is my duty. But I wish such a situation had not arisen at all. It will only hamper me in my work for the betterment of the people of Jaipur and interfere with the realisation of many a dream I have been dreaming for them. Let me appeal to you and your party even at this late hour to think again before taking the plunge. I wish fervently that you could even now be persuaded to abandon the idea of starting an agitation in this State, especially when things are quieting down in other States and even in British India. Let us be realistic. A vast gulf divides realities from mere emotionalism.


I should like to see you and any of your friends that you might like to bring along and have a heart to heart talk with you. Believe me I am as ardent a nationalist as any of you.¹

1. श्री हीरानान शास्त्री-“प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र”

ਪਰਿਸ਼ਾਠ (5)

Extracts from the Memo by Lord Mountbatten, Viceroy of India dated 11th August, 1947.

His Highness (Nawab of Bhopal) came to see me at 11 O'clock this morning.



I told HH the story that Sardar Patel had received was to the effect that HH had made contact with the young Maharaja of Jodhpur and induced him to come with him to Mr. Jinnah. That at this meeting Mr. Jinnah had offered extremely favourable terms and conditions, that they did not sign the Instrument of Accession and that the (Mr. Jinnah) had even gone so far as to turn round and say to the Maharaja of Jodhpur, "Here's my fountain pen, write your terms and I will sign it."

The story continued that after I had sent for the Maharaja of Jodhpur and had a discussion with him and sent him to see Sardar Patel, who had satisfied all his demands, the Maharaja had flown back to Jodhpur promising to come back that night or the following morning and to go straight to Sardar Patel to give him his decision.

The story goes that the Maharaja of Jodhpur returned on Sunday morning, but it was uncertain as to which airfield he would land at. HH of Bhopal was supposed, therefore, to have sent a staff officer in a car to each airfield Palam and Willingdon to make quite certain that the Maharaja should be found and taken straight to his house. He had been virtually a "prisoner" in this house and had not yet been released to keep his word and see Sardar Patel.

I pointed out to His Highness that no amount of friendship would enable me to protect either himself or his State or the new ruler of the State if the future Government of India thought that he was acting in a manner hostile to that Government by trying to induce an all-Hindu State to join Pakistan.

His Highness then offered to tell me the true version of events, which he gave me to understand on his word of honour, would be the whole truth and nothing but the truth. I gladly accepted this assurance,

for having been his friend and known him for years as a man of honour, I had no reason to doubt that he would tell me the truth. The following is His Highness's account dictated in his presence :

"About 6 August the Maharaja of Dholpur and one or two other rulers informed me that the Maharaja of Jodhpur wished to see me. I said I would gladly see him at my house. When the Maharaja came, he told me that he was particularly anxious to meet Mr. Jinnah as quickly as possible to know what terms Mr. Jinnah would offer.

"As Mr. Jinnah was very busy and on the eve of his departure from Delhi to Karachi and I had fortunately secured an interview with him that afternoon, I invited the Maharaja of Jodhpur to come along with me. The Maharaja therefore came back to my house and we drove together to Mr. Jinnah's house.

"At this interview His Highness asked Mr. Jinnah what terms he was offering to those States who wished to establish relationship with Pakistan. Mr. Jinnah said, "I have made my position quite clear, we are ready to come to treaty relation with the States and we shall give them very good terms and we shall treat them as independent States. They then discussed certain details about port facilities, railway jurisdiction and the supply of food, arms and ammunition. The question of whether he should or should not sign an instrument of accession never arose.

"I returned to Bhopal and while I was there I received a telephone message from Delhi, from HH of Dholpur and other rulers, to the effect that His Highness of Jodhpur was returning to Delhi on Saturday and that he wanted to meet me. I replied that I was in any case coming back to Delhi on Saturday.

"I arrived back in Delhi on Saturday morning and received a message at the airfield from HH of Dholpur asking me to come straight to him. On arrival he told me to wait with him since the Maharaja of Jodhpur was at present with the Viceroy and was expected to come straight back at the conclusion of the interview. The Viceroy, however, kept him longer than was expected, so that HH of Jodhpur did not have time to come to the house but sent a telephone message to say he was going to the airfield to fly back to Jodhpur but was returning that evening.

"Since the message did not say which airfield he was taking off from, HH of Dholpur sent two ADCs in two cars to Palam and Willingdon respectively to try and catch HH of Jodhpur before he left. It is possible that one of these two cars may have been mine because mine was waiting outside the door but I am still unable to confirm that it was used.

"One of the ADCs caught HH of Jodhpur, who sent back a message to the effect that he was coming back that evening. I then went back to my house. His Highness of Dholpur came to see me on Saturday evening to say that HH of Jodhpur had not come back that night. On Sunday morning it appears that HH of Jodhpur got back, but I do not know what time as he never communicated with me.

"At about 1.30 p.m. I received a message from HH of Dholpur inviting me to lunch. I replied that I did not wish to have lunch but would come at 2 O'clock. On arrival I found HH of Jodhpur there and he had brought with him his guru, whom he introduced as his philosopher and guide. This was the first time I had seen HH of Jodhpur since our meeting with Ms. Jinnah.

"HH invited us all to have discussions with his guru, and HH of Dholpur and other rulers entered into a lengthy discussion with him, but I myself only contributed a few words to the conversation.

"As I was leaving, His Highness of Jodhpur said he was coming to see me on Monday morning at 10 O'clock. This morning (Monday) he kept his promise and came at 10. He told me that his guru had been unable to make up his mind but that he himself had decided that he would not leave the Union of India. I replied that I considered His Highness was the master of his own State and I would not attempt to influence his choice one way or the other."¹

राजस्थान की भूमि पर स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर चढ़ने वाले अमर शहीद

क्रम सं.	नाम	रियासत	शहादत
1-	श्री प्रतार्पिंह वारहट (शाहपुरा)	शाहपुरा	त्रिटिश सरकारी की अमानुषिक यात्राओं के शिकार होकर ता. 27 मई, 1918 को वरेली जेल में शहीद हो गये।
2-	रूपाजी वाकड़) जबनगर (वेंगू)	मेवाड़	जून सन् 1922 में वेंगू के किसान आन्दोलन के दौरान किसानों का नेतृत्व करते हुये मेवाड़ राज्य की सेना द्वारा चलायी गयी गोली के शिकार हुये।
3-	किरपाजी घाकड़) अमरपुरा (वेंगू))	
4-	नानकजी भील डावी (वून्दी)	वून्दी	सन् 1922 में वून्दी के किसान आन्दोलन के दौरान डावी के किसान सम्मेलन में झंडाभीत (प्राण मित्रों भले ही गंवाना, पर झंडा न नीचे भुकाना) गाते गाते वून्दी राज्य की पुलिस की गोली के शिकार हुये।
5-	श्री वालमुकुन्द विस्सा पीलवा (डीडवाणा)	जोधपुर	मारवाड़ लोक परियद द्वारा राज्य में उत्तरदायी शासन कायम करने हेतु देखे गये आन्दोलन के दौरान ता. 9 जून, 1942 को गिरफ्तार होकर तारीख 19 जून, 1942 को विन्डम अस्पताल, जोधपुर में शहीद हुये।
6-	श्री सागरमन गोपा	जैसलमेर	श्री गोपा मई, 1941 में राजद्रोह के अभियोग में जैसलमेर सरकार द्वारा गिरफ्तार किये गये। ता. 3 अप्रैल, 1946 की जेल में सरकारी कर्मचारियों ने उन्हें जिन्दा जला दिया। वे अगले ही दिन शहीद हो गये।

7-	श्री वीरबल सिंह जीनगर रायसिंहनगर	बीकानेर	तारीख 1 जुलाई, 1946 को रायसिंह नगर में एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए यह हरिजन युवक तिरंगा झंडा हाथ में लिये हुए बीकानेर राज्य की सेना की गोली का शिकार हुआ ।
8-	ठा. छत्रसिंह)	धौलपुर	1946 में लखमीर नामक गांव में धौलपुर राज्य कांगेर स द्वारा आयोजित सभा पर पुलिस द्वारा गोली चलाने के फलस्वरूप शहीद हुये।
9-	ठा. पंचमसिंह)	भरतपुर	वेगार विरोधी आन्दोलन के दीरान भरतपुर पुलिस द्वारा मुसावर में तारीख 5 फरवरी, 1947 को वस द्वारा कुचलवा कर मार दिये गये ।
10-	श्रीरमेश स्वामी मुसावर (भरतपुर)	भरतपुर	डावडा गाम में किसान सम्मेलन के दीरान श्री शर्मा तारीख 13 मार्च, 1947 को अपने चार साथियों के साथ जागीरदारों द्वारा चलायी गई गोलियों के फलस्वरूप शहीद हुये ।
11-	श्री चुनीलाल शर्मा) नीदीजोधा (लाडनू)	जोधपुर	डूंगरपुर राज्य द्वारा सेवा संघ द्वारा संचालित पाठशालाओं को बन्द करने के अभियान के दीरान तारीख 19 जून, 1947 को राज्य की पुलिस ने रास्तापाल पे मार मार कर नानाभाई की हत्या कर दी । उसी दिन भील बालिका बीरागना काती वाई पुलिस की गोली की शिकार होकर शहीद हुयी ।
12-	श्री पन्नाराम चौधरी) डावडा)		
13-	श्री रामराम चौधरी))		
14-	श्री रुद्धाराम चौधरी) लाडनू)		
15-	श्रीप्रत्काराम चौधरी) अदकासर (कुचामन)		
16-	श्री मानाभाई खांट(भील) रास्तापाल)	डूंगरपुर	डूंगरपुर राज्य द्वारा सेवा संघ द्वारा संचालित पाठशालाओं को बन्द करने के अभियान के दीरान तारीख 19 जून, 1947 को राज्य की पुलिस ने रास्तापाल पे मार मार कर नानाभाई की हत्या कर दी । उसी दिन भील बालिका बीरागना काती वाई पुलिस की गोली की शिकार होकर शहीद हुयी ।
17-	कु. कालीवाई भील) रास्तापाल)		
18-	श्री शान्तिलाल) उदयपुर)		उत्तरदायी शासन की स्पापना के अंतिम दौर में उदयपुर मे पुलिस की गोली से दो युवा विद्यार्थी जी शान्तिलाल एवं आनन्दीलाल तारीख 5 अप्रैल, 1948 को शहीद हुये ।
19-	श्री आनन्दीलाल) उदयपुर)	मेवाड़	

राजस्थान में स्वतंत्रता-संग्राम-तिथि क्रम

1857-1949

1. प्रथम स्वतंत्रता-संग्राम 1857

- 28-5-1857 नसीराबाद (अजमेर) छावनी में निटिश सेना के भारतीय दस्तों द्वारा विद्रोह और दिल्ली की ओर कूच ।
- 1857-1858 ता. 21 अगस्त, 1957 को एरिनपुरा (जोधपुर) छावनी में भारतीय दस्तों का विद्रोह । आबू में अंग्रेज अधिकारियों का कत्ल । विद्रोही दस्तों का आहूवा में आगमन । आहूवा ठाकुर कुशलसिंह चाँपावत द्वारा विद्रोहियों का नेतृत्व । जोधपुर राज्य की सेना परास्त । अंग्रेजी सेना ऐ मुठभेड़ । विद्रोहियों की दूसरी विजय । गवर्नर जनरल कैरिंग द्वारा ता. 20-1-1858 को एक बड़ी सेना आहूवा प्रे-पित । विद्रोही परास्त ।
- 1857-58 ता. 15 अक्टूबर, 1857 को कोटा कन्टिजेन्ट द्वारा विद्रोह । अंग्रेज अधिकारियों का कत्ल । राज्य के कई मार्गों पर विद्रोहियों का अधिकार । ता. 1 मार्च, 1858 को कर्नल रावर्ट की सेना द्वारा विद्रोही परास्त । विद्रोही नेताओं को फांसी ।
- 1857 ता. 11 दिसम्बर को तांतिया टोपे द्वारा वाँसवाड़ा राज्य पर अधिकार । महारावल का पलायन । गदर के असफल होने पर महारावल की वापसी ।
- 1857-58 टोक नवाब के मासा भीर आलमखाँ के नेतृत्व में टोंक की सेना के एक माग द्वारा विद्रोह । आलमखाँ मारा गया । टोंक के 600 मुजाहिदों का दिल्ली प्रस्थान । तांतिया टोपे का बंदा के नवाब के साथ टोंक आगमन । टोपे और नवाब की वफ़ादार सेना में मुठभेड़े । नवाब किले में बन्द । राजधानी पर टोपे का अधिकार । जेल और कोतवाली से कई मुक्त । मेजर ईडन का दिल्ली से बड़ी सेना के साथ टोंक के लिये प्रस्थान । विद्रोहियों का पलायन ।

2. उदयपुर (सेवाड़)

1. विजोलिया किसान-आन्दोलन

- 1897 ठिकाना विजोलिया के किसानों द्वारा जागीरदार विजोलिया राव कृष्णसिंह के विरुद्ध लाग-बाग और बैठ-बेगार लेने के विरुद्ध एक प्रतिनिधि मण्डल महाराणा को प्रे-पित । मिशन असफल । जागीरदार द्वारा प्रतिनिधि मण्डल के नेता नानजी और ठाकरी पटेल जागीर से निर्वासित ।

- 1903–1905 राव द्वारा किसानों पर चवरी कर आयद। किसानों द्वारा विरोध–स्वरूप हृषि भूमि पड़त। राव द्वारा चंचरी कर समाप्त एवं लाठे कून्ते में रिग्रायत।
- 1906–1913 राव कृष्णसिंह की मृत्यु पर नये राव पृथ्वीसिंह द्वारा तलवार-बन्दी की बसूली। साथु सीतारामदास के नेतृत्व में किसानों का विरोध। हृषि भूमि पड़त। पृथ्वीसिंह की मृत्यु। ठिकाने पर मेवाड़ सरकार द्वारा मुन्सरमात कायम।
- 1916–17 विजयसिंह परिक का विजोलिया में आगमन। श्री सीताराम दास एवं श्री माणिक्य लाल वर्मा के सहयोग से जपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना। ठिकाने द्वारा प्रयम विश्व-युद्ध का चन्दा एकत्रित करने के प्रयत्न। पंच बोर्ड का विरोध। साथु सीताराम दास और श्री प्रेमचन्द्र भील की गिरफ्तारी। लोक मान्य तिलक की सलाह पर महाराणा द्वारा रिहाई के आदेश। ठिकाने द्वारा तलवार बन्दी और विश्व युद्ध के लिये चन्दा बसूली एवं वेगार लेना जारी।
- 1919 सरकार द्वारा जांच आयोग की नियुक्ति। आयोग द्वारा लाग-बागें और वेगार समाप्त करने की सिफारिश। सरकार की अकर्मण्यता। महादेव देसाई का विजोलिया आगमन। गाँधीजी का महाराणा को पत्र। मालबीय जी की महाराणा से मुलाकात। प्रयत्न असफल।
- 1920 विजोलिया में असहयोग आन्दोलन छेड़ने के लिये गाँधीजी का आशीर्वाद। किसानों द्वारा लाग-बाग, वेगार और भूमि का कर देना बन्द। ठिकाने की कच्छहरियों का बहिप्राकार। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना।
- 1921 किसानों द्वारा विना लगान दिये फक्तलों की कटाई।
- 1922 भारत सरकार द्वारा विजोलिया प्रकरण में दखल। ए. जी. जी. हालैण्ड का विजोलिया में आगमन। किसानों और हालैण्ड में समझौता। 84 में से 35 लागने माफ। ठिकाने के जुतमी कारिन्दे वरदावास्त। तीन साल के भीतर भूमि के बन्दोबस्त का आवासन। किसानों की अपूर्व विजय। ठिकाने द्वारा समझौता के पालन में उदासीनता। बैगू के किसान-आन्दोलन में परिक जी गिरफ्तार। नाथु सीतारामदास का विजोलिया से प्रस्थान। श्री वर्मा किसानों के एक छत्र नेता।
- 1923–28 ठिकाने में भूमि का बन्दोबस्त। लगान की ऊँची दरें नियत। राज्य के सेटलमेन्ट कमिश्नर ट्रैन्च का विजोलिया आगमन। वर्मा जी की गिरफ्तारी। परिक जी की जेन से रिहाई और साथ ही मेवाड़ से निवासिन। किसानों द्वारा हृषि भूमि का इस्तीफा। ठिकाने द्वारा भूमि का निलाम और अन्य लोगों को आवंटन। सेठ जमनालाल बजाज की सलाह पर श्री हरिभाड़ उत्तराध्याय की ट्रैन्च से मुकाबिला। ट्रैन्च द्वारा किसानों द्वारा भूमि वापस दियाने का आवासन। ट्रैन्च द्वारा आवासन नग।
- 1931–33 किसानों द्वारा वर्मा जी के नेतृत्व में इस्तीफा शुदा जनीन पर हून

जोतना प्रारम्भ। वर्मा जी और 400 किसान गिरफ्तार। बजाज की महारणा तथा प्रवानमन्त्री सर मुख्यदेव प्रसाद से मुलाकात। सरकार द्वारा किसानों को जमीनें लौटाने का आश्वासन। वर्माजी और किसान रिहा। सरकार की बादाखिलाफी। श्री वर्मा मेवाड़ से निर्वासित।

- 1941 1941 मेवाड़ के प्रवानमन्त्री श्री सर टी. विजयराधवाचार्य से प्रजामण्डल के नेताओं की मुलाकात। राजस्व मन्त्री डॉ. मोहनसिंह महता का विजो-लिया प्रस्थान। किसानों को भूमि सिपुर्द। आन्दोलन का पटाक्षेप।

2. वेगूं आन्दोलन

- 1921 1921 मेनाल नामक स्थान पर वेगूं जागीर के किसान एकत्रित। लाग-वाग, वेगार और लगान की ऊँची दरों के विरुद्ध आन्दोलन छेड़ने का निश्चय। पथिक जी द्वारा आन्दोलन का भार श्री रामनारायण चौधरी को सिपुर्द। किसानों द्वारा लाग-वाग, वेगार देना बन्द। सरकारी कार्यालय का बहिष्कार। जागीरदारों का मेवाड़ सरकार के सहयोग से आन्दोलन का सामना करने का निर्णय। किसानों द्वारा जमीनों को पड़त रखने का निश्चय। वेगूं रावत द्वारा किसानों से समझौता। मेवाड़ सरकार द्वारा ममझौते को 'बोनजेकिं' फैसले की संज्ञा। रावत अनुपसिंह नज़रबन्द। वेगूं पर मूनसरमात। टैंच कमिशन की नियुक्ति। टैंच द्वारा पथिक जी पर समानान्तर सरकार बनाने का आरोप। सरकार का दमन चक्र।

- 1923 1923 ता. 13 जुनाई, 1923 को किसान स्थिति पर विचार करने के लिये गोविन्दपुरा में एकत्रित। सेना द्वारा वेरावन्दी। सेना की गोली से 2 किसान शहीद। अनेक घायल। सेना द्वाग महिनाओं का अपमान। 500 से अधिक किसान गिरफ्तार। 10 सितम्बर को पथिक जी गिरफ्तार। 5 वर्ष की सजा।

3. भील-आन्दोलन

- 1921 1921 श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा मेवाड़, मिरोही, दान्ता, पालनपुर, ईंडर, और विजय नगर के आदिवासियों का संगठन। नीमढा (विजय नगर) नामक ग्राम में लाग-वाग और बैठ वेगार के विरोध में आदिवासियों का सम्मेलन। सम्बन्धित गज्यों की सेना द्वारा सम्मेलन पर आक्रमण। 1200 भील सेना की गोली ने मरे। हजारों घायल। तेजावत जी वान-वान बचे, पैर में गोली। 8 वर्ष तक भूमिगत। गांधीजी की सलाह पर 1929 में पुलिन को आत्मममर्पण। उदयपुर में नजरबंद।

4. मेवाड़-प्रजामण्डल

- 1938 1938 24 अप्रैल को उदयपुर में मेवाड़ प्रजामण्डल की स्थापना। श्री बलवन्त-मिह महता अव्यक्त और मार्गिक्यनाल वर्मा महामन्त्री नियुक्त। 11 मई को प्रजामण्डल गंग बानूनी घोषित। वर्मा जी मेवाड़ से निर्धारित। वर्मा जी द्वारा अजमेर में प्रजामण्डल कार्यालय की स्थापना। अक्टूबर, 1938 में विजयदग्धमी के दिन प्रजामण्डल द्वारा सन्देश्वर प्रारम्भ। लगभग 250 नियन्त्रियाँ।

- 1939 ता. 2 फरवरी को मेवाड़ पुलिस द्वारा अजमेर की सीमा में वर्मा जी की नाजायज गिरफतारी और नृशंसतापूर्वक पिटाई। महात्मा गांधी द्वारा मेवाड़ सरकार की कार्यवाही की आलोचना। वर्मा जी को देश-द्रोह के अभियोग में 2 वर्ष की सजा।
- 1940 जेल में वर्मा जी अस्वस्थ। 8 जनवरी को रिहा। गांधी जी के आदेश पर सत्याग्रह स्थगित।
- 1941 22 फरवरी को प्रजामण्डल पर से पावन्दी हटी। नवम्बर में प्रजामण्डल का उदयपुर में वर्मा जी की अव्यक्तता में पहला सम्मेलन। आचार्य छपलानी और श्रीमती विजयलक्ष्मी सम्मेलन में शामिल। सम्मेलन में उत्तरदायी शासन की मांग।
- 1942 20 अगस्त को महाराणा को भारत छोड़ने आन्दोलन के सम्बन्ध में अंग्रेजों से सम्बन्ध विच्छेद करने का अलिमेटम। 21 अगस्त को वर्मा जी उदयपुर में गिरफतार। शहर में हड्डताल। कॉलेज, स्कूल बन्द। 600 छात्र गिरफतार। आन्दोलन का जिलों में विस्तार। 500 कार्यकर्ता जेल में।
- 1943-44 अस्वस्थ होने के कारण वर्मा जी जेल से रिहा। श्री सी. राज गोपाला-चार्य (राजाजी) का उदयपुर आगमन। राजाजी को वर्मा जी को भारत छोड़ो आन्दोलन से अलग होने की सलाह। वर्मा जी का इन्कार। प्रजामण्डल के नेता एवं कार्यकर्ता रिहा।
- ~~1945~~ 31 दिसम्बर व 1 जनवरी, 1946 को अ. भा. देशी राज्य लोक परिषद् का पं. नेहरू की अव्यक्तता में उदयपुर में अधिवेशन। शेरे काश्मीर शेर अब्दुल्ला का ओजस्ती भापण। परिषद् द्वारा रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मांग।
- 1947 महाराणा द्वारा के. एम. मुन्जी की संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्ति। मुन्जी द्वारा मेवाड़ का विधान तैयार। ता. 23 मई (प्रताप जयन्ती) को संविधान लागू। 28 मई को मन्त्रिमण्डल में प्रजामण्डल के दो व धनिय परिषद् का एक प्रतिनिधि शानिल। जून में वर्मा जी जन प्रतिनिधि के रूप में संविधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित। महाराणा और धी मुन्जी के बीच संद्वान्तिक मतभेद। मुन्जी का इस्तीफा। सर रामामूर्ती ब्रवानमन्त्री नियुक्त। अगस्त में महाराजा जोधपुर द्वारा महाराणा को पाकिन्तान में जामिल होने का आग्रह। महाराणा का इन्कार। मेवाड़ भारतीय संघ में शामिल। अबद्वार में मुन्जी विधान में परिवर्तन। मेवाड़ विधान-नभा के चुनावों की घोषणा।
- 1948 फरवरी- विधान सभा चुनावों की प्रक्रिया शुरू। प्रजामण्डल के 8 उम्मीदवार निविरोध निर्वाचित। मार्च, 6- सरकारी और प्रजामण्डल के बीच अन्तर्रिम मन्त्रिमण्डल के निर्माण के सम्बन्ध में समझौता। सात मदस्यों के मन्त्रिमण्डल में मृद्य-

मन्त्री सहित प्रजामण्डल के चार और क्षत्रिय परिपद के दो प्रतिनिधि एवं एक निर्देशीय सदस्य लेने का सर्वसम्मत निर्णय ।

मार्च, 23—महाराणा द्वारा मेवाड़ को संयुक्त राजस्थान में विलय करने की भारत सरकार को अनौपचारिक सूचना ।

अप्रैल, 4—उदयपुर में विधान सभा के स्थानों के लिये मतदान। मतदान केन्द्र पर तिरंगे झण्डे का अपमान। राजधानी में हड्डताल। प्रजामण्डल द्वारा चुनावों का विहिष्कार ।

अप्रैल, 5—शहर में हड्डताल—सरकार द्वारा चुनाव स्थगित। पुलिस द्वारा भीड़ पर गोली। 2 विद्यार्थी शहीद। कई घायल ।

अप्रैल, 11—महाराणा द्वारा मेवाड़ के संयुक्त राजस्थान में विलय करने की घोषणा एवं विलय-पत्र पर हस्ताक्षर ।

अप्रैल, 18—पं. नेहरू द्वारा संयुक्त राजस्थान का उदयपुर में उद्घाटन। महाराणा को राजप्रमुख एवं श्री माणिक्यलाल वर्मा को मुख्यमन्त्री पद की शपथ। संसार के प्राचीनतम राज्य मेवाड़ का अस्तित्व समाप्त। 28 अप्रैल—मन्त्रिमण्डल का निर्माण और मन्त्रियों को शपथ। जुलाई—राज्य सेवाओं का एकीकरण पूरा। दिसम्बर—जागीरदारी प्रथा का उम्मूलन ।

- 1949 सरदार पटेल द्वारा ता. 14 जावरी को उदयपुर में बृहत् राजस्थान के निर्माण की घोषणा। ता. 30 मार्च को जयपुर में बृहत् राजस्थान का उद्घाटन ।

3. जयपुर—राज्य

- 1907 श्री अर्जुनलाल जी सेठी द्वारा जयपुर में वर्द्धमान विद्यालय की स्थापना। सेठीजी का सूरत कांग्रेस से लोकमान्य तिलक से सम्पर्क ।

- 1908—11 सेठीजी का रासविहारी बोस से सम्पर्क स्थापित। विद्यालय क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण का केन्द्र। बोस द्वारा राजस्थान में क्रांति का भार सेठीजी आदि पर। सर्वश्री विप्पणुदत्त, प्रतापसिंह वारहट, मोतीचन्द आदि क्रांतिकारियों का वर्द्धमान विद्यालय में प्रशिक्षण ।

- 1912 विप्पणुदत्त आदि द्वारा क्रांति के लिये घन एकत्रित करने की योजना। निमेज के महत्त्व की हत्या ।

- 1914 निमेज हत्या काण्ड का फैसला। मोतीचन्द को फांसी। सेठीजी वरी, पर जयपुर में और बाद में मद्रास की बैंलूर जेल में बन्द ।

- 1920 सेठीजी बैंलूर जेल से रिहा। बान गंगाधर तिलक के नेतृत्व में महाराष्ट्र कांग्रेस द्वारा पूना में सेठीजी का स्वागत। इन्दीर में सेठीजी का जन्म। विद्यार्थियों द्वा रथ में जुन कर रथ हांकना। जेटीजी का अजमेज को अपनी कम्प भूमि बनाना ।

- 1927 श्री हीरालाल जान्मी द्वारा बनन्धनी में जीवन कुटीर की स्थापना ।

- 1931 श्री कपूरचन्द पाटनी द्वारा प्रजामण्डल की स्थापना ।

- 1937 नेहरू जमनादान बजाज की प्रेस्टो ने प्रजामण्डल का पुनर्गठन ।

एडब्ल्यूकेट चिरन्जीलाल मिश्रा अध्यक्ष, श्री हीराज्ञाल जास्त्री नहानंदी एवं श्री कपूरचन्द्र पाठी उमुक्त नन्ही।

- 1938 जयपुर में बजाज की अव्यक्ति ने प्रजामण्डल का प्रथम अधिवेशन। जयपुर राज्य में अकाल। श्री बजाज का अकाल राहत कार्यों का जायजा लेने के लिये जयपुर आने का कार्यक्रम। 16 दिसंबर को राज्य द्वारा श्री बजाज के जयपुर राज्य में प्रवेश पर पावनी।
- 1939 श्री बजाज द्वारा नियेव आज्ञा भंग कर ना। 1 फरवरी को राज्य में प्रवेश करने एवं नागरिक अधिकारों के लिये सिविल नाफरनाती आन्दोलन शुरू करने की देतावनी। श्री बजाज 11 फरवरी को दैराढ के निकट गिरफ्तार। इसी रात्रि को जयपुर में प्रजामण्डल के प्रमुख नेता भी गिरफ्तार। आन्दोलन शुरू। 600 गिरफ्तारियाँ। मार्च में गांधी जी के आदेशानुसार सत्याग्रह स्वयंगत। अगस्त में श्री बजाज सहित प्रजामण्डल के सभी कार्यकर्ता रिहा। प्रजामण्डल और सरकार के बीच समझौता। प्रजामण्डल की बुलशूल अधिकारों की भाँग स्वीकार। प्रजामण्डल संस्था का पंजीयन करनाने को राजी।
- 1940 श्री जास्त्री प्रजामण्डल के अध्यक्ष। कार्यकर्ताओं में नहमेड। श्री बजाज जयपुर प्रजामण्डल से उत्तीर्ण।
- 1942 फरवरी में श्री बजाज का वर्षी में देहान्त। अगस्त में श्री जास्त्री के नेतृत्व में प्रजामण्डल द्वारा भारत छोड़ो आन्दोलन से शलग रहने का निर्णय। बाबा हरिचन्द्र द्वारा आजाद मोर्चे की स्थापना। मोर्चे द्वारा आन्दोलन। श्री जास्त्री की उत्तमता। 16 सितम्बर को प्रजामण्डल द्वारा राज्य को आन्दोलन छोड़ने का अलिमेटम। जास्त्री जी की प्रवानगान्त्री चर निर्जी से मुकाकात। डोरों के दोनों 'जेट्टनमेन्ट एंट्रीमेंट'। आजाद मोर्चे द्वारा आन्दोलन चालू। कई गिरफ्तारियाँ। नव युवकों द्वारा 2-3 स्वानों में बम विस्फोट। गिरफ्तारियों में हड्डताल।
- 1945 जयपुर में पी. ई. एन. कान्केन्त। पं. नेहरू का आगमन। बाबा हरिचन्द्र द्वारा नेहरू जी की दृपस्थिति में आजाद मोर्चे भंग करने की घोषणा।
- 1946 राज्य में विधान नवा और विधानपरिषद् की स्थापना। 15 नई को प्रजामण्डल के प्रतिनिधि के रूप में श्री देवीजंकर निराही मन्त्रिमण्डल में शामिल।
- 1947 प्रजामण्डल के एक और प्रतिनिधि श्री दीनमल भट्टारी मन्त्रिमण्डल में शामिल। 27 मार्च को राज्य मन्त्रिमण्डल का पुनर्गठन। श्री जास्त्री नुहरमन्ही। प्रजामण्डल के नीन अन्द्र प्रतिनिधि एवं जानीर-दारों के दो प्रतिनिधि मन्त्रिमण्डल में शामिल। जास्त्री भारतीय संविधान परिषद् के लिये नामजद। अगस्त में जयपुर भारतीय मंडल में शामिल।
- 1949 14 जनवरी को भद्रार पटेल द्वारा जयपुर, जोधपुर, दीमानेर राज्यान में चिल्ड को घोषणा। 30 मार्च जो पटेल द्वारा जयपुर में बहुत राजन्यान राज्य का उद्घाटन। महाराजा जयपुर को राजन्यान के राज प्रमुख एवं श्री हीराज्ञाल जास्त्री को मुख्य मन्त्री के पद की घोषणा।

4. जोधपुर (मारवाड़)

1. मारवाड़ में जनजागरण

- 1920 श्री चांदमल सुराना और उनके साथियों द्वारा 'मारवाड़ सेवा संघ' की स्थापना ।
- 1921 सेवा संघ द्वारा राज्य में अंग्रेजी तोल चालू करने का विरोध । सरकार द्वारा मांग स्वीकार ।
- 1922-24 सेवा संघ द्वारा राज्य से मादा पशुओं की निकासी का विरोध । संघ की दूसरी सफलता ।
- 1924 मारवाड़-हितकारिणी सभा की स्थापना । सभा द्वारा प्रधान मन्त्री सर सुखदेव प्रसाद को हटाने के लिये आन्दोलन । मार्च में सुराना व सभा के दो अन्य कार्यकर्त्ताओं को देश निकाला । श्री जयनारायण व्यास व अन्य कार्यकर्त्ता पुलिस में हाजरी देने के लिये पावन्द । नवम्बर में देश निकाले की आज्ञा रद्द एवं कार्यकर्त्ताओं की हाजरी समाप्त ।
- 1928 सरकार द्वारा मारवाड़ लोक राज्य परिषद् के अधिवेशन पर रोक । देशद्रोह के जुर्म में श्री जयनारायण व्यास को 6 वर्ष एवं उनके साथियों को 5-5 वर्ष की कैद ।
- 1931 व्यास जी व साथी जेल से रिहा ।
- 1937 व्यास जी मारवाड़ से निष्कापित । श्री अचलेश्वर प्रसाद शर्मा को राज-द्रोह के अपराध में ढाई वर्ष की सजा ।

2. मारवाड़ लोकपरिषद्

- 16-5-1938 मारवाड़ लोक परिषद् की स्थापना ।
फरवरी, 1939 व्यास जी पर प्रतिवन्ध उठा । व्यास राज्य के सलाहकार मण्डल में शामिल ।
- 1941 जोधपुर नगर पालिका के चुनाव । परिषद् को वहुमत । व्यास जी नगर पालिका अध्यक्ष निर्वाचित ।
- मई, 1942 सरकार व परिषद् के बीच तनाव । नगर पालिका से व्यास जी का इस्तीफा । सलाहकार परिषद् के चुनावों का वहिकार । परिषद् द्वारा प्रधानमन्त्री सर डोनाल्ड फील्ड को हटाने के लिये आन्दोलन । ता. 26 मई को व्यास जी गिरफतार । परिषद् द्वारा सत्याग्रह शुरू । सैकड़ों कार्यकर्त्ता गिरफतार ।
- जून, 1942 सत्याग्रहियों द्वारा जेल में दुर्व्यवहार के विरुद्ध भूत्व हटाताल । ता. 19 जून को श्री वालमुकन्द विस्सा की अस्पताल में मृत्यु ।
- अगस्त, 1942 लोक परिषद् 'भास्त्र घोड़े' आन्दोलन में शामिल । लगभग 400 कार्यकर्त्ता गिरफतार ।
- अक्टूबर, 1942 जोधपुर में विद्यार्थियों द्वारा पुलिस लाइन्स में वस विस्फोट करने का प्रयत्न । विद्यार्थी गिरफतार ।
- अप्रैल, 1944 युवकों द्वारा सरकारी कार्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वस विस्फोट । गिरफतारियाँ और सजा ।

- मई, 1944 सरकार व लोक परिषद् में समझौता व्यास जी व कार्यकर्ता रिहा ।
- सितम्बर, 45 पं. नेहरू का जोधपुर में आगमन । महाराजा उम्मेदसिंह द्वारा नेहरू जी को रात्रि भोज । नेहरू जी की सलाह पर सर डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर श्री सी. एस. वैकटाचारी जी प्रधान मन्त्री के पद पर नियुक्त ।
- 1947 महाराजा उम्मेदसिंह का देहान्त । हनुकृत्तसिंह महाराजा बने । 13 मार्च, 1947 को जागीरदारों द्वारा डावडा में किसान सम्मेलन पर हमला । श्री चुन्नीलाल शर्मा व 4 किसान कार्यकर्ता शहीद । सर्व श्री मधुरा दास माधुर, द्वारका दास पुरोहित एवं नरसिंह कछवाहा आदि नेता गम्भीर रूप से घायल ।
- अगस्त—महाराजा जोधपुर की महाराजा धौलपुर के मारफत जिन्ना से मुलाकात । जिन्ना द्वारा भारतीय राजाओं के पाकिस्तान में मिलने के लिये मनचाही शर्त स्वीकार करने का आश्वासन । महाराजा की लार्ड माउन्टवेटन से मुलाकात । जोधपुर भारतीय संघ में शामिल ।
- अक्टूबर—महाराजा द्वारा वैकटाचार्य के स्थान पर महाराज अंजीतसिंह की प्रधानमन्त्री के पद पर नियुक्त । नेहरू जी की नाराजगी । लोक-परिषद् द्वारा नये मन्त्रिमण्डल का विरोध ।
- 1948 फरवरी को बी. पी. मेनन का जोधपुर आगमन । व्यास जी द्वारा मिले-जुले मन्त्रिमण्डल का निर्माण ।
- सितम्बर—मन्त्रिमण्डल का पुनर्गठन । सर्व श्री मधुरा दास माधुर और द्वारका दास पुरोहित मन्त्रिमण्डल में शामिल ।
- दिसम्बर—मेनन और महाराजा के बीच जोधपुर के राजस्थान में शामिल होने के सम्बन्ध में वार्ता । महाराजा की सहमति ।
- 30-3-1949 सरदार पटेल द्वारा वहू राजस्थान का जयपुर में उद्घाटन । जोधपुर का अस्तित्व समाप्त ।
- 5. बीकानेर राज्य**
- 1907 पं. कन्हैयालाल ढूँड और स्वामी गोपालदास द्वारा चूर्छ में सर्वहितका-रिणी सभा स्थापित । सभा द्वारा पुत्री पाठशाला और हरिजनों के लिये कवीर पाठशालाओं की स्थापना ।
- 1928 महाराजा गंगासिंह द्वारा श्री जमनालाल बजाज के बीकानेर प्रवेश पर पावन्दी ।
- 1930 26 जनवरी को पं. चन्द्रमल वहड़ और स्वामी गोपालदास द्वारा चूर्छ स्थित धर्मलूप के शिल्पर पर तिरंगा झंडी फहराना । महाराजा द्वारा श्री वहड़ नगर पालिका की सदस्यता से निलम्बित ।
- 1931-32 महाराजा का गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने के निए नन्दन प्रस्थान । श्री वहड़ और तायियों द्वारा राज्य नरकार के जुल्मों के शापन का बीकानेर राज्य, राज्य के बाहर और लन्दन में वि रण । महाराजा वी सम्मेलन से वापसी । जर्वंश्री वहड़, सत्यनारायण सरकार, स्वामी गोपाल-

दास आदि कई सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को 3 माह से लगाकर 7 वर्ष की सजायें।

- 1936 श्री महाराम वैद्य द्वारा ता. 4 अक्टूबर को बीकानेर प्रजामण्डल की स्थापना का प्रयत्न। श्री वैद्य राज्य से निर्वासित।
- 1942 22 जुलाई, 1942 के श्री रघुवरदयाल द्वारा बीकानेर राज्य-प्रजा-परिपद की स्थापना। श्री गोयल राज्य से निर्वासित। 29 सितम्बर को श्री गोयल द्वारा राज्य की पावन्दी तोड़कर राज्य में प्रवेश। श्री गोयल को 1 वर्ष की सजा। अन्य कई कार्यकर्ता गिरफ्तार। श्री नेमीचन्द्र अर्चलिया को अजमेर के एक साप्ताहिक में लेख लिखने पर राजद्रोह के अभियोग में 7 वर्ष की कठोर सजा। दिसम्बर में कार्यकर्ताओं द्वारा भंडा सत्याग्रह। महाराष्ट्रीयन युवक प्रो. वी. ए.ल. तालेकर द्वारा मरहटा लाईट इन्फैन्टरी के सैनिक अफसरों से छोटे बड़े अस्त्रशस्त्र प्राप्तकर क्रान्तिकारियों को भेजना।
- 1943 2 फरवरी को महाराजा गंगार्सिंह का देहान्त। नये महाराजा शार्दुलसिंह द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ता रिहा।
- 1944 26 अगस्त को महाराजा और श्री गोयल के बीच राजनीतिक स्थिति पर विचार विनिमय। वार्ता असफल। परिषद के कार्यकर्ता गिरफ्तार। श्री गोयल राज्य से निर्वासित।
- 1946 ता. 25 जून को श्री गोयल का पावन्दी तोड़कर पुनः राज्य में प्रवेश। श्री गोयल गिरफ्तार। 30 जून को रायसिंहनगर में प्रजा-परिपद का सम्मेलन। बीरबल सिंह जुलूस का नेतृत्व करते हुए पुलिस की गोली से शहीद। 18 जुलाई को श्री गोयल व अन्य लोग रिहा।
- 1947 अप्रैल में बीकानेर का प्रतिनिधि संविधान परिषद में शामिल। अगस्त में बीकानेर भारतीय संघ में शामिल। दिसम्बर में राज्य में नया विधान लागू।
- 1948 18 मार्च को अन्तरिम मन्त्रिमण्डल का निर्माण। प्रजा-परिपद के कार्यकर्ता मन्त्रिमण्डल में शामिल। 23 सितम्बर को राज्य की धारा सभा के चुनाव। प्रजा परिपद द्वारा चुनावों का वहिकार। प्रजा परिपद के मन्त्रियों का मन्त्रिमण्डल से इस्तीफा। राज्य में राजनीतिक गतिरोध। दिसम्बर में श्री वी. पी. मेनन की महाराजा बीकानेर से बीकानेर, जोधपुर और जयपुर आदि रियासतों के राजस्थान में विलय पर चर्चा। महाराजा का विरोध। जयपुर और जोधपुर की सहमति। तदोपरान्त महाराजा बीकानेर भी सहमत।
- 1949 सरदार पटेल द्वारा जनवरी, 1949 में वृहत् राजस्थान के निर्माण की घोषणा। 30 मार्च को पटेल द्वारा जयपुर में वृहत् राजस्थान का उद्घाटन। बीकानेर राज्य का अस्तित्व समाप्त।

6. कोटा राज्य

- 1938 दैं. नयनूराम शर्मा, पं. अभिन्न हरि और श्री तनसुखलाल मित्तल आदि के प्रवत्तनों से कोटा राज्य प्रजामण्डल की स्थापना। पं. नयनूराम शर्मा की अध्यक्षता में मांगरोल में प्रजामण्डल का पहला अधिवेशन। उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मांग।
- 1941 पं. नयनूराम शर्मा का जंगल में ऋसामाजिक तत्वों द्वारा कत्ल। पण्डित अभिन्न हरि की अध्यक्षता में कोटा में प्रजामण्डल का दूसरा अधिवेशन।
- 1942 भारत छोड़ो आन्दोलन में प्रजामण्डल के कई नेता गिरफ्तार। व्यापक जन आन्दोलन। जनता द्वारा राजधानी पर अधिकार। पुलिस वैरकों में बन्द। कोतवाली पर तिरंगा झंडा। महाराव और जनप्रतिनिधियों में समझौता। कार्यकर्ता रिहा।
- 1045 कोटा में नागरिक अधिकारों के लिये कार्यकर्ता गिरफ्तार व रिहा।
- 1947 अगस्त में कोटा भारतीय संघ में शामिल।
- 1948 25 मार्च को कोटा संयुक्त राजस्थान में शामिल। कोटा महाराव को राजप्रमुख के पद की एवं प्रो. गोकुल लाल असावा को प्रधानमन्त्री के पद की शपथ।

7. बून्दी राज्य

- 1929 पं. नयनूराम शर्मा के नेतृत्व में वैठ वेगार, लाग-वाग और लगान की जंची दरों के विरोध में राज्य में किसान सम्मेलन। डावी के किसान सम्मेलन में पुलिस की गोली से श्री नानक भील शहीद।
- 1927 पुलिस द्वारा रामनाथ राजपुरोहित के कत्ल के विरोध में राजधानी में 9 दिन तक हड्डताल और प्रदर्शन।
- 1942 भारत छोड़ो आन्दोलन के सिलसिले में श्री नित्यानन्द बून्दी जेल में। राजधानी में हड्डताल व चुलूस।
- 1944 बून्दी राज्य लोक परिषद की स्थापना। श्री हरिमोहन मायुर अध्यक्ष, और ब्रजसुन्दर शर्मा महामन्त्री।
- 1946 महाराव द्वारा परिषद के प्रतिनिधि मन्त्रिमण्डल में लेने की घोषणा। परिषद का इन्कार।
- 1948 25 मार्च को बून्दी का संयुक्त राजस्थान में विलय। बून्दी महाराव नये राज्य के उपराजप्रमुख नियुक्त।

8. अलवर राज्य

- 1921 किसानों का सुधर विरोधी आंदोलन। निराको जो सुधर मारने की रक्खा दी।

146/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

1925 राज्य द्वारा लगान वृद्धि के विवर्द्ध किसान आन्दोलन । 24 मई को नीमुचाना ग्राम में किसानों और विश्वेदारों की सभा । राज्य की सेना द्वारा गोली । सैकड़ों स्त्री-पुरुष और बच्चों की हत्या । सेना द्वारा भौप-ड़ियों और पशुओं को जला देना ।

1931 'हिन्दुस्तान सोशियलिस्ट रीपब्लिकनग्रामी' नामक क्रान्तिकारी संगठन के नेता राजगढ़ (अलवर) के पं. भवानी सहाय शर्मा 1818 के रेग्ले-शन के अन्तर्गत 7 वर्ष तक ब्रिटिश जेल में ।

1933-37 ब्रिटिश सरकार द्वारा अलवर महाराज जयसिंह का ता. 22 मई, 1933 को देश से निर्वासित । मई, 1937 में महाराजा का पेरिस में निधन । अग्रेजों द्वारा जयसिंह के स्थान पर याना ठिकाने के तेजसिंह को गद्दी पर बैठाने पर जनता द्वारा विरोध । सर्वश्री कुञ्जविहारी लाल मोदी, हरिनारायण शर्मा ग्रादि गिरफ्तार ।

1938 श्री मोदी और शर्मा द्वारा अलवर राज्य प्रजामण्डल की स्थापना । स्कूल फीस वृद्धि विरोधी आन्दोलन । प्रजामण्डल के कार्यकर्ता गिरफ्तार ।

1939 प्रजामण्डल द्वारा विश्व-युद्ध का चन्दा वसूल करने का विरोध । पण्डित हरिनारायण शर्मा और श्री भोलानाथ गिरफ्तार ।

1946 फरवरी में खेड़ा मंगलसिंह में प्रजामण्डल द्वारा जागीरी जुलमों के विरुद्ध सम्मेलन । कार्यकर्ता गिरफ्तार । स्कूल, कालेज बन्द । राजघानी में हड्डताल । राज्य और प्रजामण्डल में समझौता । दस दिन बाद कार्यकर्ता रिहा ।

अगस्त में राजगढ़ में ग्रामाजिक तत्वों द्वारा राष्ट्रीय भण्डे को जलाना प्रजा मण्डल द्वारा आन्दोलन । 600 गिरफ्तारियाँ । पुनः दोनों पक्षों में समझौता । कार्यकर्ता रिहा ।

1947 अगस्त में अलवर भारतीय संघ में शामिल ।

1948 महात्मा गांधी की हत्या के पड़यन्द्र में अलवर प्रशासन पर सन्देह । महाराजा एवं प्रधानमन्त्री डा. खरे दिल्ली में नजरबन्द । 7 फरवरी को केन्द्र द्वारा अलवर प्रशासन का अधिग्रहण । 18 मार्च को अलवर का मत्स्य संघ में विलय ।

9. भरतपुर राज्य

1927 भरतपुर में पं. गोरीजंकर हीराचन्द औझा की अध्यक्षता में हिन्दी माहित्य सम्मेलन का 17वां अविदेशन । विश्वकृषि रविन्द्रनाथ टैगोर, महानना मदन मोहन मालवीय और सेठ जमनालाल भरतपुर के महाराजा कृष्णमिह के अतिथि । द्वितीय नरकार की नाराजगी ।

1928 महाराजा द्वारा जनता को जानन में भागीदार बनाने की घोषणा । महाराजा गद्दी ने वरकार में वरकार । महाराजा के सदूयोगी एवं सार्वजनिक

कार्यकर्ता श्री जगन्नाथ दास अधिकारी राज्य से निवारित। उनका द्वारा अविकारी की शानदार विदायी।

- 1937 सर्वश्री जगन्नाथ ककड़, गोकुल बर्मा और मास्टर कंफीरचन्द द्वारा भरत पुर कांग्रेस नण्डल की स्वापत्ता।
- 1938 श्री किशनलाल जोगी, डा. देवराज, मास्टर आदित्यन्द्र, श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी और श्री गोविलाल यादव द्वारा भरतपुर प्रजानग्डल की स्वापत्ता।
- 1939 सरकार द्वारा नान्यता न देने के विरोध में प्रजामण्डल द्वारा सत्याग्रह। 600 से अधिक व्यक्ति गिरफतार। सरकार और प्रजामण्डल के बीच समझौता। प्रजामण्डल का नाम बदल कर प्रजा परिषद्। कार्यकर्ता रिहा।
- 1942 10 अगस्त को प्रजा परिषद् द्वारा भारत छोड़ो आन्दोलन की शुरूआत। कई कार्यकर्ता गिरफतार। राज्य में भवंतर बढ़। 26 अक्टूबर को कार्यकर्ता रिहा।
- 1943 ब्रज जया प्रतिनिधि समिति के चुनाव। परिषद् का बहुमत।
- 1945 परिषद् द्वारा प्रतिनिधि समिति का बहिष्कार। श्री चतुर्वेदी और श्री राजवहाड़ुर गिरफतार। दोनों पक्षों में समझौता। नेताओं की रिहाई।
- 1947 लार्ड वेल और दीक्षानंत के नहाराजा का पट्टी-विहार में जल मुर्मियों के चिकार के लिये आमने। प्रजा परिषद् द्वारा जाटव लोगों को देगार में पकड़ने का विरोध। हड्डाल, जुलूस एवं प्रदर्शन। मुलिच द्वारा भीड़ पर लाठी प्रहार। श्री राजवहाड़ुर सहित अनेक कार्यकर्ता घायल। शहर में 22 दिन की हड्डाल। परिषद् के नेता गिरफतार। मुस्लिम में पुलिस की कारस्तानी से श्री रमेश शर्मा ग़हीद। दिसंबर में परिषद् के नेता नास्टर आदित्यन्द्र और श्री गोविलाल यादव एवं किसान जना के नेता डा. देवराज और श्री हरिदत्त मन्त्रिमण्डल में शामिल।
- 1948 अगस्त में भरतपुर भारतीय संघ में जामिल। साम्प्रदायिक दंगों के कारण फरवरी में भरतपुर का प्रशासन भारत सरकार के हाथ में।
1 मार्च को भरतपुर का नस्त्य संघ में विलय।

10. घोलपुर राज्य

- 1934 श्री ज्वानाद्रनाद जिनानु और श्री जौहीनान इन्हु द्वारा घोलपुर में नामगी प्रचारणी सभा जी स्थापना।
- 1938 श्री जिनानु और श्री इन्हु द्वारा प्रजा मण्डल की स्थापना। प्रजा मण्डल द्वारा राज्य में उन्नदानी जानन जी मार्ग। कार्यकर्ता गिरफतार। श्री इन्हु राज्य से निर्दायित।
- 1940 श्री इन्हु द्वारा जाइन्डी गेड़ीर राज्य के प्रबंध जी भजा।

148/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

- 1946 तखीमरे में कॉन्फ्रेस की सभा पर गोली । ठाकुर छर्वासिंह और पंचमसिंह घटना स्थल पर ही शहीद ।
- 1947 महाराजा धौलपुर द्वारा महाराजा जोधपुर को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए प्रोत्साहन । महाराजा द्वारा महाराजा जोधपुर की भोपाल के नवाब के मारफत जिन्ना से मुलाकात की व्यवस्था । अगस्त में धौलपुर भारतीय संघ में शामिल ।
- 1948 18 मार्च, 1948 को धौलपुर का मत्स्य संघ में विलय । महाराजा राजप्रमुख बने ।

11. करौली राज्य

- 1927 कु. मदनसिंह द्वारा बेगार प्रथा, सुग्रर मारने की स्वतन्त्रता आदि समस्याओं को लेकर आन्दोलन । माँगे स्वीकार ।
- 1938 मुन्ही चिरलोकचन्द माथुर द्वारा सेवक संघ की स्थापना ।
- 1939 श्री माथुर द्वारा प्रजामण्डल की स्थापना ।
- 1942 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के दीरान श्री कल्याण प्रसाद गुप्ता गिरफ्तार । 3 माह बाद रिहा । कई कार्यकर्ता भूमिगत ।
- 1946 श्री चिरंजीलाल शर्मा प्रजामण्डल के श्रद्धक ।
- 1947 अगस्त में करौली भारतीय संघ में शामिल ।
- 1948 18 मार्च को करौली का मत्स्य संघ में विलय ।

12. जैसलमेर राज्य

- 1938 कतिपद युवकों द्वारा लोके परिपद की स्थापना । राज्य द्वारा दमन । श्री लालचन्द जोशी को 6 माह की सजा । शेष कार्यकर्ताओं का जैसलमेर से पलायन ।
- 1941-46 'जैसलमेर में गुण्डाराज' के लेयक श्री सागरमल गोपा 25 मर्ड को राज्य सरकार द्वारा गिरफ्तार । विना अदालती कार्यवाही के पांच वर्ष जेल । श्री गोपाजी पर जेल में अत्याचार । 8 मार्च, 1946 को श्री जयनारायण व्यास द्वारा पोलीटिकल एजेन्ट को गोपाजी की स्थिति का पता चलाने के लिए पत्र । पोलीटिकल एजेन्ट का 6 अप्रैल को जैसलमेर जाने का कार्यक्रम । जेल कर्मचारियों द्वारा ता. 3 अप्रैल को गोपाजी को तेल ढिड़क कर जलाया । ता. 4 अप्रैल को जैसलमेर के अस्पताल में शहीद ।
- 1947 अगस्त में महाराजा जोधपुर के माथ जैसलमेर के महारावल की जिन्ना से मुलाकात । पाकिस्तान में शामिल होने पर चर्चा । वी. पी. मेनन की रामभायण पर जैसलमेर भारतीय मंद में शामिल ।
- 1948 जैसलमेर का प्रशानन भारत गरकार के हाथ । 30 मार्च जैसलमेर का राजस्थान में विनय ।

13 छूंगरपुर राज्य

1 (1.) आदिवासियों में जाग्रत्ति

- 1883 वांसिया ग्राम में उत्पन्न बणजारा परिवार के श्री गोविन्द द्वारा सम्प्रसभा की स्थापना । छूंगरपुर, वांसवाड़ा, प्रतापगढ़, मेवाड़, विजयनगर एवं अन्य रियासतों के आदिवासी (भील-ग्रासिया) सम्प सभा के नीचे संगठित ।
- 1903-1908 गुजरात में मानापुर की पहाड़ी पर सम्प सभा का प्रथम अधिवेशन । राज्यों द्वारा वैठ-वेगार व गैरवाजिव लागतों का विरोध । हर वर्ष माना पहाड़ी पर अश्विन शुक्ला 15 को सम्प सभा का अधिवेशन । राजा लोगों में घवराहट । ए. जी. जी. को शिकायत । 1908 के सम्प सभा के अधिवेशन में उपस्थित हजारों आदिवासियों का विटिश सेना द्वारा धेराव व गोली । 1500 भील शहीद । हजारों घायल । गुह्य गोविन्द गिरफ्तार । फांसी की सजा । भीलों में वगावत के डर से फांसी की सजा 20 वर्ष की सजा में परिवर्तित ।
- 1935-37 श्री भोगीलाल पंड्या द्वारा हरिजन-सेवा-समिति की स्थापना । श्री माणिक्यलाल वर्मा द्वारा बागड़ सेवा मन्दिर की स्थापना । वर्मा जी का मेवाड़ प्रस्थान । पण्ड्या जी द्वारा संस्था का भार वहन ।

2. राजनीतिक आन्दोलन

- 1942 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के सम्बन्ध में 5 दिसम्बर को श्री पंड्या की अध्यक्षता में छूंगरपुर में विराट सभा । अंग्रेजी ज्ञासन का विरोध । 6 दिसम्बर को स्कूलों एवं वाजारों में हड्डताल । स्वानन्दस्थान पर चुलूस ।
- 1944 1 अगस्त को सर्वश्री भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी, गोरीशंकर उपाध्याय, शिवलाल कोटडिया एवं कुरी चन्द जैन आदि के प्रयत्नों से प्रजामण्डल की स्थापना । 8 अगस्त को श्री पंड्या एवं श्री कोटडिया क्रमशः प्रजामण्डल के अध्यक्ष एवं मन्त्री ।
- 1946 ता. 3 से 5 अप्रैल तक श्री पंड्या को अध्यक्षता में राज्य प्रजामण्डल का अधिवेशन । उत्तरदायी ज्ञासन की मांग । सार्वजनिक जिकरण संस्था सम्बन्धों का नूतन का विरोध । कटांगा आन्दोलन । श्री देवराज जर्मी की गिरफ्तारी । श्री पंड्या 28 साधियों के साथ गिरफ्तार । प्रान्तीय नेता छूंगरपुर में । राज्य से भुलह । श्री पंड्या आदि रिहा । श्री जोशी एवं श्री उपाध्याय के विरुद्ध निर्वान आज्ञा रह ।
- 1947 पुनोवाड़ा एवं रास्तापाल आन्दोलन । नोना भार्ट नाट और काली दार्ट जटीद । श्रीपंड्या गिरफ्तार एवं रिहा । छूंगरपुर भारतीय नंदा में जामिन । श्री जोशी एवं साधियों पर जागीरदारों द्वारा राजिकाना हमला । जनका

150 /राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

में रोप। राज. मन्त्रिमण्डल में श्री उपाध्याय एवं श्री भीखा भाई शामिल।

1948 श्री उपाध्याय राज्य के प्रधानमन्त्री नियुक्त।

18 अप्रैल को डूंगरपुर का संयुक्त राजस्थान में विलय।

14. बांसवाड़ा राज्य

1943 श्री भूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी एवं श्री घूलजी भाई भावसार द्वारा प्रजा मण्डल की स्थापना। राज्य द्वारा प्रजा मण्डल की सभाओं पर प्रतिवन्ध। कार्यकर्ता गिरफ्तार। राजधानी में हड्डताल। कार्यकर्ता तीसरे दिन रिहा।

1946 प्रजा मण्डल का अधिवेशन। उत्तरदायी शासन की मांग। विधान सभा के चुनाव। प्रजा मण्डल का बहुमत। प्रजा मण्डल के सर्वश्री मोहनलाल त्रिवेदी और नटवरलाल भट्ट मन्त्रिमण्डल में।

1947 अगस्त में बांसवाड़ा भारतीय-संघ में शामिल।

1948 श्री भूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी मुख्य मन्त्री बने।

18 अप्रैल को राज्य का संयुक्त राजस्थान में विलय।

15. कुशलगढ़ चौकशिप

1942 अप्रैल में प्रजा मण्डल की स्थापना। श्री भंवरलाल निगम अध्यक्ष, श्री वर्द्धमान गदिया उपाध्यक्ष एवं श्री कन्हैयालाल सेठिया मन्त्री निर्वाचित।

1946 श्री पन्नालाल त्रिवेदी प्रजा मण्डल के अध्यक्ष।

1948 श्री त्रिवेदी एवं दाडमचन्द दोपी द्वारा कुशलगढ़ में गांधी आश्रम की स्थापना। श्री निगम और श्री गदिया राज्य के मन्त्री बने।

18 अप्रैल को कुशलगढ़ का संयुक्त राजस्थान में विलय।

16. प्रतापगढ़ राज्य

1931 युवकों द्वारा खादी और स्वदेशी का प्रचार। राज्य द्वारा तीन युवकों की गिरफ्तारी और सजा।

1936 स्व. ठक्कर वापा का प्रतापगढ़ में आगमन।

1938 स्व. ठक्कर वापा और श्रीमती रामेश्वरी नेहरू का प्रतापगढ़ में आगमन और हरिजन सेवा समिति की स्थापना।

1946 श्री प्रमृतलाल पायक, एडवोकेट द्वारा प्रजा मण्डल की स्थापना।

1947 अगस्त में प्रतापगढ़ भारतीय संघ में शामिल।

1948 2 मार्च को श्री पायक और श्री माणकलाल शाह राज्य के मन्त्रिमण्डल में शामिल।

18 अप्रैल को प्रतापगढ़ का संयुक्त राजस्थान में विलय।

17. शाहपुरा राज्य

- 1938 सर्वश्री रमेशचन्द्र औझा और लाहूराम व्यास द्वारा प्रजामण्डल की स्थापना ।
- 1942 अगस्त में प्रजा मण्डल 'भारत छोड़ो' आन्दोलनमें जामिल । सर्वश्री व्यास और लक्ष्मीदत्त कांटिया गिरफ्तार ।
- 1943 दिसम्बर में कार्यकर्ताओं की रिहाई ।
- 1947 7 अगस्त को शाहपुरा भारतीय संघ में जामिल ।
14 अगस्त को राज्य में नवा विधान लायू । प्रो. गोकुललाल असाधा प्रवान मन्त्री ।
26 सितम्बर को भारत सरकार द्वारा शाहपुरा को केन्द्रीय शासित प्रदेश अब्दमेर में जामिल करने का प्रस्ताव । राजधिराज और राजस्वान के नेताओं का विरोध । प्रस्ताव रद्द ।
18 अप्रैल को शाहपुरा का संयुक्त राजस्वान में विलय ।

18. सिरोही राज्य

- 1922 श्री मोतीनाल तेजावत द्वारा राज्य के भीलों का संगठन । भीलों द्वारा तागवाग और जानीरी जुल्मों के विरुद्ध आन्दोलन । रोहिड़ा में अंग्रेजी फोज द्वारा गोली । 1800 स्त्री पुरुष और बच्चे मरे । हजारों घायल ।
- 1939 23 जनवरी को श्री गोकुलभाई भट्ट द्वारा राज्य में प्रजामण्डल की स्थापना । 8 सितम्बर को प्रजामण्डल की सभा पर लाठी चार्च । श्री गोकुल भाई घायल । श्री रमेश्वरदयाल अग्रवाल की गिरफ्तारी और सजा ।
- 1942 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के द्वीरान सिरोही में हड्डताल और जुलूस ।
- 1947 अगस्त में सिरोही भारतीय संघ में जामिल ।
24 अक्टूबर को श्री जवाहरमल सिंगवी प्रजा मण्डल के प्रतिनिधि के रूप में राज्य मन्त्रिमण्डल में जामिल ।
- 1948 8 नवम्बर को सिरोही का प्रशासन भारत सरकार के हाव में । श्री गोकुल भाई मुह्य मन्त्री ।
- 1949 5 जनवरी को भारत सरकार द्वारा सिरोही का प्रशासन बम्बई सरकार को नुपुर्दे । जनता द्वारा आन्दोलन । सिरोही को राजस्वान में मिलाने की मांग ।
- 1950 जनवरी में माउन्ट आवू व दिलवाड़ा तहसील के 89 गांव का बम्बई में एवं जेप सिरोही का राजस्वान में विनय । राज्य में आवू को बम्बई में मिलाने के विरोध में जन-आन्दोलन । भारत सरकार द्वारा आवू के विलय पर पुनर्विचार का आग्वासन ।
- 1956 1 नवम्बर को राज्य पुनर्गठन आयोग द्वी सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा आवू व दिलवाड़ा तहसील के 89 गांव राजस्वान को हस्तान्तरित ।

19. किशनगढ़ राज्य

- 1939 श्री कांतिचन्द्र चौथाणी के प्रयत्नों से श्री जमाल शाह की अध्यक्षता में प्रजा मण्डल की स्थापना ।
- 1942 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के दौरान राजधानी में हड्डताल व जुलूस ।
- 1943 विधान सभा के चुनाव । प्रजा मण्डल का वहुमत ।
- 1947 अगस्त में किशनगढ़ भारतीय संघ में शामिल ।
26 सितम्बर को किशनगढ़ का अजमेर में विलय । प्रान्तीय नेताओं के विरोध पर विलय रद्द ।
- 1948 18 अप्रैल को किशनगढ़ का सं. राजस्थान में विलय ।

20. टॉक राज्य

- 1921 नाज निकासी विरोधी आन्दोलन । ता. 14 जनवरी को जनता ने नवाब को धेरा । नाज के भाव नियत । सैयदों के निष्कासन के विरुद्ध आन्दोलन । अंग्रेजी सेना द्वारा स्थिति पर नियन्त्रण ।
- 1939 मजलिस से अम्मा (विधान सभा) की स्थापना ।
- 1947 टॉक भारतीय संघ में शामिल ।
- 1948 18 अप्रैल को टॉक का संयुक्त राजस्थान में विलय ।

21. झालावाड़ राज्य

- 1947 प्रजामण्डल की स्थापना । महाराजा प्रजामण्डल में शामिल । अगस्त में झालावाड़ भारतीय संघ में शामिल । लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल की स्थापना । महाराजा स्वयं प्रधान मन्त्री एवं सर्वश्री कर्तृत्यालाल मित्तल एवं मांगीलाल मन्त्री नियुक्त ।
- 1948 18 अप्रैल को राज्य का संयुक्त राजस्थान में विलय ।

22. अजमेर-मेरवाड़ा

- 1914 राशविहारी बोस द्वारा राजस्थान में सशस्त्र क्रान्ति की जिम्मेदारी खरबा ठाकुर गोपालसिंह, व्यावर के सेठ दामोदर दास राठी और भूर्पसिंह (विजयसिंह पथिक) पर । क्रान्तिकारी सेना का गठन । 30 हजार बन्दूकें एकत्रित ।
- 1915 बोस द्वारा 21 फरवरी को क्रान्ति की तारीख निश्चित । भारत सरकार द्वारा 19 फरवरी को क्रान्तिकारियों की धरपकड़ । क्रान्ति की योजना असफल । ठाकुर गोपाल सिंह और भूर्पसिंह टाडगढ़ में नजरवन्द । स्थानीय क्रान्तिकारी संगठन दिघ-भिन्न ।
- 1920 अजमेर-मेरवाड़ा में वांग्रेस की शाखा स्थापित । बिलाफत समिति की बैठक । श्री अर्जुनलाल सेठी, पथिक जी और केशरीसिंह जी वारहट द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना ।
- 1926 श्री हरिभाऊ उपाध्याय प्रान्तीय कांग्रेस के अध्यक्ष ।

- 1930 अप्रैल में नमक सत्याग्रह के सम्बन्ध में सर्वश्री उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, पथिकनी, सेठीजी व प्रो. गोकुललाल असावा आदि की गिरफ्तारियाँ ।
- 1932 असहयोग आन्दोलन । सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता व महिलाएं गिरफ्तार । श्री नरहरी वापट द्वारा इंसपेक्टर जनरल आँफ प्रिजन्स श्री गिब्सन की हत्या का प्रयत्न । श्री वापट को 10 वर्ष की सजा ।
- 1935 सर्वश्री ज्वाला प्रसाद शर्मा, रमेशचन्द्र व्यास एवं रामसिंह द्वारा स्थानीय पुलिस के डिप्टी सुपरिनेंटेन्ट डोगरा को मौत के घाट उतारने का प्रयत्न । डोगरा घायल । तीनों क्रान्तिकारी गिरफ्तार । रामसिंह को 7 वर्ष के लिये काले पानी की सजा । श्री रमेशचन्द्र और श्री ज्वालाप्रसाद बरी । श्री ज्वालाप्रसाद नजरबन्द ।
- 1942 अगस्त में भारत छोड़ो आन्दोलन में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार । श्री ज्वाला प्रसाद और श्री रघुराज सिंह जेल से फरार ।
- 1952 अजमेर विधान सभा के चुनाव । कांग्रेस का वहुमत । श्री हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में मन्त्रिमण्डल का गठन ।
- 1956 1 नवम्बर को राज्य-पुनर्गठन-आयोग की सिफारिश पर अजमेर का राजस्थान में विलय ।
-

राजस्थान राज्य का निर्माण—घटनाचक्र

- 1946 ता. 25 एवं 26 जून को महाराणा उदयपुर द्वारा राजपूताना, मालवा और गुजरात के 22 राजाओं का 'राजस्थान-यूनियन' बनाने के सम्बन्ध में सम्मेलन का आयोजन। राजाओं में मतभेद। सम्मेलन असफल। 9 सितम्बर को अ. भा. देशी राज्य लोक परिषद् की राजपूताना प्रान्तीय सभा द्वारा राजपूताना की रियासतों के एकीकरण द्वारा राजस्थान निर्माण की मांग।
- 1947 सितम्बर में भारत सरकार द्वारा किशनगढ़ और शाहपुरा को केन्द्र शासित प्रदेश अजमेर में मिलाने का निर्णय। प्रान्तीय नेताओं द्वारा विरोध। निर्णय रद्द।
- 1948 20 जनवरी को अ. भा. देशी राज्य लोक परिषद् की राजपूताना प्रान्तीय सभा द्वारा पुनः राजस्थान निर्माण की मांग।
- 1 फरवरी को राजपूताना की दान्ता, ईडर और विजयनगर की रियासतें पश्चिमी भारत और गुजरात एजेन्सी को हस्तान्तरित।
- 1 मार्च को निशीही का पश्चिमी भारत और गुजरात एजेन्सी को हस्तान्तरण। जनता का विरोध।
- 27 फरवरी को ब्रलवर, भरतपुर, घोलपुर और करोली के राजाओं द्वारा मत्स्य संघ में मिलने की तहसति।
- 18 मार्च को मत्स्य संघ का उद्घाटन। महाराजा घोलपुर राजप्रमुख एवं श्री जीभाराम प्रधान मन्त्री।
- महाराव कोटा द्वारा कोटा, बून्दी और कालावाड़ के विलय द्वारा हाटोती नंद एवं महारावन दूंगरपुर द्वारा दूंगरपुर, वांमवाडा एवं प्रतापगढ़ के विलय द्वारा 'वांगड़ संघ' बनाने के असफल प्रयत्न।
- 25 मार्च को (1) कोटा (2) बून्दी (3) कालावाड़ (4) दूंगरपुर (5) वांमवाडा (6) कुशनगढ़ चौकियप (7) प्रतापगढ़ (8) किशनगट (9) शाहपुरा एवं (10) टोक रियासतों के विलय द्वारा संयुक्त राजस्थान वा निर्माण। महाराव कोटा राजप्रमुख एवं प्रो. गोकुल नाल प्रधान मन्त्री मनोनीत।
- 18 अप्रैल को मेवाड़ वा संयुक्त राजस्थान में विन्द्य। उदयपुर राजधानी। महाराणा उदयपुर राजप्रमुख एवं श्री माणिक्य नाल वर्मा प्रधान मन्त्री नियुक्त।

- 1949 14 जनवरी को सरदार पटेल द्वारा उदयपुर में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के राजस्थान में शामिल होने की घोषणा ।
 30 मार्च को वृहद राजस्थान राज्य का उद्घाटन । जयपुर राजधानी ।
 महाराजा जयपुर राजप्रमुख एवं श्री हीरालाल शास्त्री मुख्यमन्त्री ।
 15 मई को भृत्य संघ का राजस्थान में विलय ।
- 1950 जनवरी में सिरोही का विभाजन । माडन्ट आवू और आवू तहसील के दक्षिण भाग का वस्त्रई राज्य में विलय व शेष सिरोही रियासत का राजस्थान में विलय । सिरोही की जनता द्वारा माडन्ट आवू को वस्त्रई में भिलाने के दिरोव में आन्दोलन । पं. नेहरू द्वारा पुनर्विचार का आश्वासन ।
- 1956 1 नवम्बर, को राज्य-पुनर्गठन-आयोग की सिफारिश पर भूतपूर्व सिरोही राज्य का माडन्ट आवू आदि इलाका एवं अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में शामिल ।

परिशिष्ठ (९)

१. सन्दर्भ ग्रन्थों की सूची

1. डॉ० करणीसिंह The Relations of the house of Bikaner with the Central Powers.
2. कौलिन्स एण्ड लापियर Freedom at midnight
3. नावूराम खड़गावत Rajasthan's role in the freedom struggle of 1857
4. जगदीशसिंह गहलोत राजपूताने का इतिहास
5. कालिचरण धोप शहीद पुराण (The Roll of honour)
6. कर्नल जेम्स टाड Annals and antiquities of Rajasthan
7. दुर्गादास From Curzon to Nehru and thereafter.
8. वी. एल. पानगड़िया राजस्वान का इतिहास
9. सर प्रतापसिंह महाराजा सर प्रतापसिंह का स्वलिखित जीवन चरित्र (सम्पादक—श्री राधाकृष्ण)
10. Sardar Patel's correspondence.
11. डी. आर. मंकीकर
 - (1) Mewar Saga
 - (2) Accession to extinction
12. वी. पी. मेनन The Story of the integration of the Indian States.
13. के. एम. मुन्नी Pilgrimage to freedom
14. रिचार्ड सेशन Congress party in Rajasthan
15. White paper on Indian States.
16. लॉड वेवल Wavel's Journal
17. डॉ. मधुरालाल शर्मा कोटा राज्य का इतिहास
18. हीरालाल शास्त्री प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र
19. प्रो. गंकरसहाय सक्सेना
 - (1) विजोलिया का किसान आन्दोलन
 - (2) जो देश के लिये जिये
 - (3) विजयसिंह परिक की जीवनी ।

2. सन्दर्भ पत्र-पत्रिकाओं की सूची

1. कर्मठ राजस्थान (पालिका) — सं. ठा. ओंकारसिंह
 2. ज्वाला, साप्ताहिक, जोधपुर — सं. चुभाप पुरोहित
 3. नवजीवन, उदयपुर — सं. कनक मधुकर
 4. तरण राजस्थान, अजमेर (1924)
 5. प्रेरणा (साप्ताहिक) जोधपुर — सं. देवनारायण व्यास
 6. केशरीसिंह वारहट स्मारिका — प्र. वारहट स्मारक ट्रस्ट, शाहपुरा
 7. जोधपुर गवर्नर्मेन्ट गज़ट
 8. भेवाड़ गज़ट (सज्जन कीर्ति सुधारक)
 9. राजपूताना प्रान्तीय सभा का वैमानिक बुलेटिन — (रा. प्र. कांग्रेस कमेटी)
 10. राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकज रिसर्च पत्रिकायें
 11. राजस्थान पत्रिका, सं.—कपूरचन्द कुलिस
 12. हरिजन (महात्मा गांधी)
-

अनुक्रमणिका

अजमेर (मेरवाड़ा)

डॉ. ग्रंसारी	97	लेखराज आर्य	98
सेठ अब्दास अली	97	शंकरलाल वर्मा	98
मो. अब्दुल गफूर	98	हरिभाऊ उपाध्याय, 23, 24, 51, 120	
मो. अब्दुल शकूर	98		
कन्हैयालाल आर्य	98		
स्वामी कुमारानन्द	98		
गिव्सन	98	अब्दुल शकूर जमाली	41
गुलाबचन्द घूत	98	इन्दरसिंह आजाद	55
गुलाब देवी	98	काशीराम गुप्ता	66, 88
गोपालसिंह खरवा,	13, 15, 16, 18, 50, 73, 96, 97	कुंजविहारी लाल मोदी	40, 41, 55, 68, 88
चांदकरण शारदा	97	कृष्णदयाल माथुर	68
चन्द्र गुप्त वाष्पण्य	98	जयसिंह (महाराजा)	40, 41, 43
ज्वाला प्रसाद शर्मा	98	द्वारकादास गुप्ता	55
स्वामी दयानन्द सरस्वती	97	तेजसिंह (महाराजा)	104
दामोदरदास राठी	13, 50, 97	नस्त्यूराम मोदी	55
दुर्गा प्रसाद चौधरी	24, 98	बद्रीप्रसाद गुप्ता	88
वाचा नरसिंह दास	98	भवानी सहाय शर्मा	40, 88
प्राणनाथ ढोगरा	98	भोलानाथ मास्टर	55, 88, 104
वाल किशन गर्म	98	डॉ. मीहम्मद जमाली	41
वालकृष्ण कील	98	लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाटी	5
व्रजमोहन शर्मा	99	लक्ष्मी नारायण सोदागर	41
मुकुटविहारीलाल भागेव	98	राधा स्वरूप	55
मूलचन्द असावा	98	रामचन्द्र उपाध्याय	68, 88
मो. मोयूदीन	97	रामजीलाल गुप्ता	88
रघुराजसिंह	98	रामजीलाल अग्रवाल	88
रामचन्द्र नरहरि वापट	98	शान्ति स्वरूप टाट	88
रामनारायण चौधरी 22, 23, 25, 97, 98		शोभाराम, 68, 88, 104, 119	
रामनियाम शर्मा	99	तानिगराम	41
रामसिंह	98	पं. हरिनारायण शर्मा 40, 41, 55	

उदयपुर (मेवाड़)

अमृतलाल यादव	47	बी. एल. पानगड़िया	107
अर्जुनसिंह राठोड़	47	भवानी शंकर वैद्य	46, 47
आनन्दीलाल	108	भगवती देवी	47, 62
अम्बालाल जोशी	62	भगवतसिंह महता	112, 113
उमरावसिंह ढाबरिया	62	भंवरलाल आचार्य	47, 62
उमाशंकर छिवेदी	47	भंवरलाल स्वर्णकार	20, 47
कनक 'मधुकर'	62	मूरेलाल बया	46, 47, 62, 107, 108, 111, 118
काहैपालाल घाकड़	47	भूपालसिंह (महाराणा)	43, 73, 74, 75, 81, 109, 110, 116
करपाजी घाकड़	26	एल. सी. जैन	112, 113
गोकुललाल घाकड़	47	मदनमोहन सामोटिया	62
गंगा बाई	62	मधुरा प्रसाद वैद्य	47, 62
गुलाबसिंह शक्तावत	108	मन्ना पटेल	19
गुलाबचन्द मेवाड़ी	62	माणिकराम तुवाल	62
घनश्याम राव	62	माणिक्य लाल वर्मा (वर्मजी)	19, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 46, 47, 56, 61, 63, 72, 90, 91, 97, 105, 110, 111, 112, 116, 117, 118
जयचन्द मोहिल (रेगर)	47, 62	माइल्स	42
जीवनसिंह चौड़िया	106	मोतीलाल तेजावत	30, 62
दयाशंकर श्रोत्रिय	46, 47, 62	मोहनलाल तेजावत	62
दीनबन्धु वर्मा	62	मोतीचन्द्र पटेल	22
धर्मनारायण काक	46, 47	मोहनसिंह महता	25, 106, 108, 110
नरेन्द्रपाल तिह चौधरी	47, 62	रदनलाल करखावट	62
नृबनीत चौधरी	62	रमेशचन्द्र व्यास	46, 47, 62, 98, 99
नानालाल कावरा	62	रमा देवी योझा	47
नारायणी देवी वर्मा	47, 62	राम चन्द्र वैद्य	47, 62
नारायण पटेल	19, 22	राजेन्द्रसिंह चौधरी	62
नन्दलाल जोशी	47	रामनिह भाटी	47
परसराम अग्रवाल	47, 62	रामामृती (नर)	75, 105, 106, 107, 108, 110, 111
परसराम छिवेदी	108	हपाजी घाकड़	26
प्रभुदास वैरागी	62	हरनाल नोभारी	47, 62
प्रेम नारायण नारु	47, 106, 107, 108, 111, 118	रोहनलाल चौड़िया	108
पुरपोत्तम हिटनर	62	रोहनलाल दीन्दिया	62
प्यार चन्द विस्तोर्द	47, 62	रमलाल नारवाड़ी	62
नहासिंह (महाराणा)	21, 23, 42		
फूतचन्द दया	62		
बलबन्दसिंह महता	30, 46, 62, 106, 120		
दिर्दो चन्द घारड	62		

160/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

विजयसिंह पथिक	16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 96, 97, 98,	दाहमचन्द दोषी पक्षालाल त्रिवेदी भंवरलाल निगम बद्धमान गादिया	94 94 94 94
वीरभद्र जोशी	62		
सर. टी. विजयाराधवाचार्य	25, 72	कोटा	
शिवचरण माथुर	62		
शंकरदेव भारतीय	62	पं. अभिन्नहरि	54, 111
शोभालाल सुनार	62	जयदयाल	12
शोभालाल गुप्त	91, 99	पं. नयनूराम शर्मा	27, 54
शान्तिलाल	108	नायूलाल जैन	67
श्यामजी कृष्ण वर्मा	42	वेणीमाघव शर्मा	67
स्नेह लता वर्मा	47	मेहराव खां	12
सरूपसिंह (महाराणा)	9	भीमसिंह (महाराव)	100, 105
साधु सीताराम दास	18, 19, 20, 21, 22, 23	मोतीलाल जैन	67
सुशीला माथुर	62	रामसिंह (महाराव)	12
सुखदेव प्रसाद (सर.)	24, 35	वेदपाल त्यागी	118
हीरालाल कोठारी	46, 62, 74, 106	शम्मुदयाल सक्सेना	67
हेमराज धाकड़	62	हीरालाल जैन	67
करोती		जयपुर	
कल्याण प्रसाद गुप्ता	39, 69	अर्जुनलाल सेठी 13, 14, 22, 50, 51, (सेठी) 96, 97, 98	
चिरंजीलाल शर्मा	39, 55, 104	अलावक चौहान	66
मदनपाल (महाराव)	10	आलनसिंह	31
मदनसिंह	39	आनन्दीलाल मास्टर	66
रामगोपाल	39	ओमदत्त शास्त्री	66
त्रिलोकचन्द्र माथुर	55	कपूरचन्द्र पाटनी	52, 53, 66
किशनगढ़		केवलचन्द्र महता	53
द्रान्तिचन्द्र चौधारी	56	गूलाबचन्द्र कासलीवाल	53, 66
जमालगाह	56	गोपालदत्त वैद्य	66
महमूद	56	चिरंजीलाल अग्रवाल	53
मुमेरसिंह (महाराजा)	103	चिरंजीलाल मिश्रा	53, 66
कुशलगढ़		चन्द्रमेगार शर्मा	66
प.देयानान भेटिया	94	दगननाल चौधरी	53
		जमनानाल बजाज (नेठी) 22, 23, 25, 37, 44, 46, 52, 53, 97	

जी. डी. विरला	63, 64	लालचन्द जोशी	38, 68
दीकाराम पालीवाल	34, 52, 53, 56, 81	शिवशंकर गोपा	38, 68
देवी शंकर तिवाड़ी	87	सागरमल गोपा	38, 69, 87
दोलतमल भंडारी	53, 63, 64, 66, 87	महारावल जैसलमेर	80
भंवरलाल सामोदिया	66		
मदनलाल खेतान	66		
मानसिंह (महाराजा)	100, 117	जोधपुर (मारबाड़ी)	
सर मिर्जा इस्माइल	61, 63, 64, 65, 66	अचलेश्वर प्रसाद शर्मा	
मुक्तिलाल मोदी	53, 66	अब्दुलरहमान अंसारी	49, 59
मोती चन्द	51	अभयमल जैन	59
मोहनलाल आजाद	66	अलकाराम चौधरी	78
रत्नाकर भारतीय	66	आनन्दराज सुराना	35, 48
राधेश्याम टिकीवाल	66	उगमराज मुरणोत	60
रामकरण जोशी	53, 63, 66	उम्मेदसिंह (महाराजा)	77, 78
रामसिंह (महाराजा)	8	एच. के. व्यास	76
रुपचन्द्र सोगानी	53	ओनाड़िसिंह पंवार	11
लक्ष्मीनारायन भरवाल	32, 33	कस्तूर करण	36
लालूराम जोशी	52	कृष्णानन्द (स्वामी)	54
सरदारमल गोलीच्छा	53	किशनलाल वापणा	35
सिद्धराज ढड्डा	66	किशनलाल शाह	78
हरिश्चन्द्र शर्मा	53	किस्तूरचन्द्र पुरोहित	60
हरिश्चन्द्र शास्त्री (वावा)	52, 63, 64, 66	कृशलसिंह चांपावत	10
हीरालाल शास्त्री	34, 61, 63, 64, 65, 85, 87, 88, 91, 116	केवलचन्द्र मोदी	59
हंस डी. राय	52, 53, 63, 64	गणेशराम चौधरी	60
विजयचन्द्र जैन	66	गणेशीलाल व्यास	59, 61
विप्पण दत्त	51	गोपीलाल पुरोहित	60
सर वी. टी. कृष्णमाचारी	100, 105	गोरजादेवी जोशी	59
जैसलमेर		गंगादास व्यास	60, 75
ग्राइदान सिंह	38	चान्दमल सुराना	35, 36
जीतेन्द्र जगानी	38, 68	चुन्नीलाल शर्मा	59, 78
मदनलाल पुरोहित	38, 68	चेतनदास (स्वामी)	59
मगनलाल जगाली	38, 68	धगनराज चौपासनीवाला	59, 61, 78
रघुनाथमिह महता	38	धगनलाल पुरोहित	60

162/राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम

तारकप्रसाद व्यास	60	लाडाराम (सत्त)	59
तुलसीदास राठी	60	लालचन्द जैन	60
देवनारायण व्यास	59	विजयकिशन	60
देवराज जैन	60	श्रीकृष्णदत्त शर्मा	59
द्वारकादास पुरोहित	60, 78, 83	श्री गोपाल भरहठा	59
द्वारकानाथ काचरा	60, 89	श्रीचन्द जैसलमेरिया (डॉ)	59
नरसिंह कछवाहा	78, 118	शिवकरण थावनी	60
पन्नाराम चौधरी	78	शिवकरण जोशी	35, 36
प्रतापचन्द्र सोनी	35, 36	शिवदयाल दवे	59
पारसमल खिवसरा	60	शंकरलाल स्वर्गाकार	60
प्रेमराज बोडा	60	श्याम पाण्डे	60
पैट्रिक लॉरेस	11	श्यामसुन्दर व्यास	60
पुरुषोत्तम नैयर	59	सावित्रीदेवी भाटी	59
फूलचन्द वापणा	118	सिरेकंवर व्यास	59
वद्धराज जोशी	60	सीताराम सोलंकी	60
वालकृष्णा जोशी	59	सुमनेश जोशी	59, 61
वालकृष्णा थानवी	59	सूरजप्रकाश पापा	60
वालकृष्णा व्यास	59	सोहनमल लोढा	60
वालकिशन	60	हरबलसिंह	60
वालमुकुन्द विस्सा	60	हरेन्द्रकुमार (चौधरी)	60, 78
वासुदेव भट्टनागर	59	हरिशबनावर	60
वंशीधर पुरोहित	59, 78	हणुवन्तसिंह (महाराजा)	68, 79, 80
भंवरलाल झरफ	48, 59		81, 82
मधुरादास मायुर	59, 61, 78, 79, 83		
मनोहरलाल	60	झालावाड़ 	
मनसुखलाल जोशी	59		
मांगीलाल त्रिवेदी	59	कन्हैयालाल मित्तल	95
मावोलाल मुयार	59	हरिशचन्द्र (महाराज राणा)	95
मूलराज पुरोहित	59	मांगीलाल भव्य	95
मेसन	11		
मोहनसिंह भाटी	77	टॉक	
युगराज बोडा	59		
रणदोद्दास गट्टानी	77	मीरग्रालमसां	9
राजकोर व्यास	59	नासिरमुहम्मद यां	9
राधाकृष्णलाल	59, 61, 78	फैजुल्ला यां	9
राधाकृष्ण पुरोहित	59	वजीरसां (नवाब)	9
रामचन्द्र बोडा	60	दूंगरपुर	
रामूराम चौधरी	78		
रुदाराम चौधरी	78	उदयसिंह (महारावन)	9

कालीवाई भील	93	चिम्मनलाल माणोत	93, 94
कुरीचन्द जैन	91	ध्यानीलाल (डॉ.)	94
गुल्गोविन्द	29, 30	नटवरलाल भट्ट	94
गोरींगंकर उपाध्याय	31, 91, 92, 93	बालेश्वर द्वाल (महा)	31
देवराम शर्मा	92	सूपेन्द्र त्रिवेदी	91, 93, 94
नानाभाई खाट	62	मोतीलाल जड़िया	94
भोज्ञामाई भील	93	मोहनलाल त्रिवेदी	94
भोगीलाल पंड्या	31, 46, 69, 90, 91, 92, 111	सिद्धिंशंकर भा	93
लक्ष्मणराजिह (महारावल)	91, 100		
शिवलाल कोटड़िया	91		
हरिदेव जोशी	31, 91, 92, 93		
घोलपुर		बीकानेर	
घोमप्रकाश शर्मा	56	कंवर सेन	87
जदवभानसिंह (महाराज राणा)	80, 81, 82	करमानन्द (स्वामी)	84
केदार नाथ	56	किशनगोपाल गढ़ठड़	68, 83
कैशवलाल	56	कुम्भाराम आर्य	84, 85
ज्वालाप्रसाद जिज्ञानु	56	गंगादास कौशिक	68, 83, 84
जौहरीलाल इन्दु	56	गंगराजिह (महाराजा)	36, 37, 48, 53, 54, 68, 83
धंकिलाल	56	गोरीशंकर ग्राचार्य	85
भगवन्तसिंह (महाराज राणा)	10	गोपालदास (स्वामी)	36, 37
मंगलसिंह (डॉ.)	104	चंदनमल बैद	85
रामदयाल	56	चंदनमल वहड़	36, 37
रामप्रसाद	56	चम्पालाल राका	84
प्रतापगढ़		दाळदयाल आचार्य	68, 83, 84
ग्रन्थनलाल पायक	94, 95	जसवत्तसिंह (दाढ़दनर)	109
चुन्नीलाल प्रभाकर	95	नेमीचन्द्र आंचलिया	68, 83
माणिक्यलाल शाह	95	बीरबलसिंह	84, 85
रत्न लाल	94	भिकालाल बोहरा	83, 85
राधावत्तन सोमानी	94	मधाराम बैद	53, 54, 68, 84
रामसाल मास्टर	94	रघुवरदयाल गोदम	37, 54, 68, 83, 84, 118
बांसवाड़ा		लक्ष्मनदाम स्वामी	53
चन्द्रबीरसिंह (महाराव)	106	रामचन्द्र चौधरी	85
		रामनानगरा शर्मा	68, 83
		बी. एन. नानेश्वर	68
		हंमराज चौधरी	84
		हनुमानसिंह इथवानगोदा	84
		शार्दुलसिंह (महाराजा)	83, 86, 89, 109
		मेनाराम	53

सत्यनारायण शर्मा	37, 84	फकीरचन्द्र मास्टर	55, 89
सरदारसिंह (महाराजा)	8	मदनमोहनलाल पोदार	89
सुरेन्द्र कुमार शर्मा	53	युगलकिशोर चतुर्वेदी	54, 55, 67 89, 91, 104
४ बूंदी		रघुनाथप्रसाद लखेरा	89
ईश्वरसिंह (महाराव)	41	रमेश स्वामी	55
ऋषिदत्त महता	41	राजवहादुर	89
नानकजी भील	27	रोशनलाल आर्य	67, 89
नित्यानन्द महता	41, 95	श्रीमती देवी	54
बृजसुन्दर शर्मा	95, 111	सत्यवती शर्मा	55
बहादुरसिंह (महाराव)	105, 106, 109	सांवलप्रसाद चतुर्वेदी	55, 89
रामनाथ कुदाल	41	हुक्मीचन्द्र (पण्डित)	55, 67
सत्यभासा देवी	41	शाहपुरा	
हरिमोहन माथुर	41	केशरीसिंह वारहठ	13, 15, 51, 97
भरतपुर		गोकुललाला असावा	95, 98, 103, 110, 111
आलेमोहम्मद	89	जोरावरसिंह वारहठ	13, 14, 15
कलवाराम वंश्य	55	प्रतार्पसिंह वारहठ	13, 14, 15, 51
कृष्णसिंह (महाराजा)	39, 43	रमेशचन्द्र ओझा	56, 57, 95
मिरधारीसिंह पेथना	67	लक्ष्मीकान्त कांटिया	56, 57, 95
गोकुल वर्मा	55	लालूराम व्यास	95
गोरीशंकर मित्तल	55, 67, 89	सुदर्शनदेव (राजाधिराज)	103
घनश्याम शर्मा	55, 67, 89	सिरोही	
जगन्नाथदास अविकारी	39	गोकुलभाई भट्ट	56, 85, 90, 91, 116, 117, 118, 119, 120
जगन्नाथ कवकड़	55, 89	धीसालाल चौधरी	56
जगपतसिंह	55, 67	जवाहरमल सिंगवी	90
जीवाराम	67	वेलराज	56
देशराज (ठाकुर)	39	पूनमचन्द्र	56
दीलतराम	55	रामेश्वरदयाल प्रगवाल	56
प्रमुदयाल मायुर	89		
पूर्णसिंह ठाकुर	55, 67		

राजस्थान से सम्बन्धित अन्य विशिष्ठ व्यक्ति

तांलिया टोपे	9, 10, 11	सरदार वल्लभभाई पटेल	79, 100,
राशविहारी बोस	50	103, 110, 111, 112, 113,	
शचीन्द्र सान्याल	50	115, 116, 117, 118, 119	
मास्टर अमीरचन्द्र	50	महादेव भाई देसाई	21
स्वामी दयानन्द सरस्वती	97	आचार्य कृपलानी	48
लोक मान्य तिलक	20, 21, 51	श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित	48
पं. मदन मोहन मालवीय	21, 24, 36, 44	श्री प्रकाश	60
महात्मा गांधी	21, 28, 30, 46, 47, 50, 52, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 69, 70	सी. राजगोपालाचार्य	72
ठक्कर बापा	33	जेख अब्दुल्ला	72
रवीन्द्रनाथ ठाकुर (टैगोर)	44	के. एम. मुन्शी	74, 100, 103
पं. जवाहरलाल नेहरू	33, 38, 60, 71, 72, 73, 80, 99, 110, 111, 119, 120	जयप्रकाशनारायण	115
		माउन्टवेटन	71, 72, 80, 81, 82
		गोपाला स्वामी आर्यंगर	75
		प्रियदर्शिनी इन्दिरा गांधी	78
		नवाब हमिदुल्ला खान (भूपाल)	79, 80,
			81, 82

परिशिष्ठ (11)

शुद्धि पत्र

पृष्ठ	परा	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
3.	3	6	फहगाना	फरगाना
4.	1	1	वावर की भाँति	भाँति
12.	2	2	2 मई	28 मई
13.	3	4-5	सिंह जोरावर	जोरावरसिंह
24.	2	7	किसानों की	किसानों को
30.	1	6	1888	1908
31.	3	13	में	ने
40.	3	6	भवानी शंकर	भवानी सहाय
43.	1	6	महाराज	महाराज कुमार
45.	1	9	रियासतों	रियासत
49.	3	1	1948	1938
65.	3	4	शीत	विचारशील
67.	2	1	राज्यमण्डल	प्रजामण्डल
72.	3	2	सी. आर.	सी.
75.	1	1	भ	भी
82.	3	2	जोधपुर	घोलपुर
83.	3	1	दमन	कदम
83.	5	6	1984	1944
93.	5	2	वांटवाड़ा	वांसवाड़ा
104.	4	9	1.8 करोड़	18 लाख
105.	2	4	चट भैया	छुट भैया
107.	2	6	मत केन्द्र	मतदान केन्द्र
120.	4	11	में	को
131.	2	5	the	hc
139.	4	1	द्वाढ़ने	द्वाढ़ो
140.	7	3	जेठोजी	सेठीजी